₹60

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

दिसम्बर 2017



इस्लामी जीवन दर्शन

विशेषांक

AL-KABIR POLYTECHNIC
JAMSHEDPUR

A Muslim Minority Vnaided Institution
Recognised by SBTE, Govt. of Jharkhand
& Approved by AICTE Govt. of India

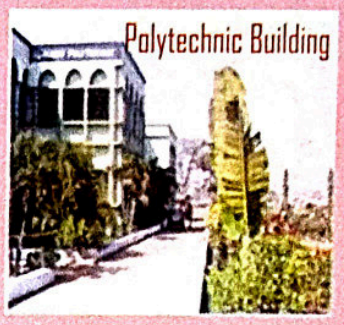

The institute in its academic program imparts three year diploma courses in engineering in following branches.

- Civil Engg.
- Electrical Engg.
- Mechanical Engg.
- Automobile Engg.
- Computer Science & Engg.
- Electronics & Communication Engg.



Kabir Nagar, P.O. Kopali, Via-Mango,
Jamshedpur-831012, Jharkhand
Tel. : 06591-260092, Tele Fax : 06591-260414
E-mail : principal_akpjsr@rediffmail.com
Website : www.al-kabirjsr.com

अल्लाह ने
गवाही दी कि उसके सिवा
कोई पूज्य नहीं और फ़रिश्तों ने
और उन लोगों ने भी जो न्याय और
संतुलन स्थापित करने वाली एक सत्ता
को जानते हैं, उस प्रभुत्वशाली,
तत्वदर्शी के सिवा कोई
पूज्य नहीं ।
–क़ुरआन

A Well Wisher

Nagpur



With Best Compliments from :

MAKING THE [EXTRA] ORDINARY

LIS (INDIA)
CONSTRUCTION CO. PVT. LTD.

BUILDERS & DEVELOPERS

Regd. office: A/2, Swati Apartment, Juhu Lane, Andheri (W), Mumbai - 400 058
Ph.: 2625 5702-34 Fax: 262 88474 Email: lis.co.in.@gmail.com



A. A. SYED
Chairman

APPLE TRAVELS

INTERNATIONAL HRD CO.
Authorised by Govt. of India as International Recruitment Co.



68, DCB BANK BLDG., 3RD FLOOR,
PALTON ROAD, CRAWFORD MARKET,
MUMBAI-400001 (INDIA)
Phone : 0091-22-6631-1733, 6631-6946
0091-22-6635-5519, 6610-7869,
Fax : 0091-22-66310937
Mobile : 0091-9820673953
E-mail : hr@appleconsultancy.com
Website : www.appleconsultancy.com

TANWAR HOSPITAL

(CRITI CARE AND MATERNITY CENTRE)

P. K. ROAD, THANE, MAHARASHTRA

DR. M. A. TANWAR
(M. D. MEDICINE)
Internist
&
Intensivist

WE ARE OFFERING THE BEST UNIQE AND WELL EQUIPPED CLEAN AND SPACIOUS HOSPITAL CARE AND INTENSIVE CARE UNIT THAT CAN PROVIDE

ALL MEDICAL FACILITIES LIKE

- INTENSIVIST-CRITICAL CARE PHYSICIAN
- AVAILABLE 24 HORS.
- ADVANCES VENTILATOR (LIFE SAVING MACHINE)
- MULTIPARA CARDIAC MONITOR
- ARTERIAL BLOOD GAS AND ELECTROLYTE ANALYSIS
- ALL BLOOD TEST AND X-RAY AVAILABLE
- SPACIOUS LOBBY FOR RELATIVES COMFORT
- FULL FLEDGE WELL EQUIPPED OPERATION THEATRE
- CASHLESS ADMISSION AND MEDICALAIM
- FACILITIES FOR ALL MAJOR TPA'S

TANWAR TOWER, OPP. SONALI HOTEL, P. K. ROAD,
OFF MIRA BHAYANDAR ROAD, MIRA ROAD (E), THANE (MAHARASHTRA)
TEL. : 28552002, 28127304, CELL. : 9820520198/9322510406
FAX : 28114700, MORNING 10.00 TO 12.00 A. M.

With Best Wishes From :



QUALITY FOODS

Seafood Processors & Exporters
AN ISO 9001 : 2008 COMPANY

FACTORY

PLOT NOS. 5B 39 & 5B 50A, CUNCOLIM INDUSTRIAL ESTATE,
CUNCOLIM, SALCETE, GOA-403 703
TEL. : 91 832 2865610/11/12, FAX : 832 2865609
E-mail : qualityfoods@sancharnet.in/qualityfoods@rediffmail.com

QUALITY EXPORTS

SEAFOOD PROCESSORS & EXPORTERS

FACTORY

Plot Nos. 5B 64, 65 66 & 67 Cuncolim Industrial Estate
Cuncolim, Salcete, GOA-403 703
E-mail : qualityexportsgoa@yahoo.com/mmigoa@yahoomail.com

HINDUSTAN
Pavers & Blocks
Group
Established Since 1977

Anwar Khan
+91 9822427700
Akbar Khan
+91 9822497700



HINDUSTAN INDUSTRIES
Your Lifestyle Paving Company

Manufacturers Of Solid Concrete Blocks,
Interlocking Pavers, Tiles &
Allied Concrete Products

Colvale IDC, Colvale, Mapusa-Goa
Phone : 0832 2257700, 0832 2257900
Email : hindustanindustriesgoa@gmail.com

www.hindustangroupgoa.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 27 अंक 6 दिसम्बर 2017

क्या वे लोग जिन्होंने बुराइयां की हैं, यह समझ बैठे हैं कि हम उन्हें और ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों को एक जैसा कर देंगे कि उनका जीना और मरना समान हो जाए ?

–क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल managerkantidelhi@gmail.com

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 60/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'कान्ति'** के नाम से बनवाएं

इस्लाम की अपेक्षा

इस्लाम में न्याय, शांति, सद्भाव आदि एक व्यापक एवं सर्वांगीण सामूहिकता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पवित्र क़ुरआन का आदेश है–"अम्र बिल मारूफ़ व नहि अनिल मुन्कर", अर्थात भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। एक अन्य शिक्षा है–भले कर्म-कल्याण में सहयोग और अत्याचार-अनाचार से दूरी। सारे इन्सानों विशेषकर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि हर अच्छाई-भलाई की बात कहें और हर बुराई से बचने की बात कहें। साथ ही दुनिया में जहां कोई अच्छा काम, कल्याण की योजना, न्याय का प्रयोजन एवं मानवता की भलाई का किंचित प्रयास भी हो रहा हो, उसमें सहयोग करें। इस काम में किसी भेदभाव के काम लिया जाए।

जीवन के लिए प्रत्येक मनुष्य को मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार है। भौतिकवादियों ने इन आवश्यकताओं को भौतिकता और विलासिता तक सीमित कर दिया है। आध्यात्मिकता, नैतिकता एवं हृदयगत आत्मिक भावों व बोध की सिरे से अनदेखी कर दी जाती है। इस्लाम इन्सान का सहज-स्वाभाविक धर्म है, इसलिए वह इस मौलिक आवश्यकता को नकारता नहीं। वह इसे समाहित कर इन्सान के व्यक्तित्व को संतुलित बनाकर सारी मानवता का भला करता है। इस्लामी दृष्टिकोण यह है कि प्रत्येक मनुष्य को चाहे वह कोई भी हो, खाने-कपड़े, मकान जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने का अधिकार है। मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्लाम ने सामूहिक न्याय, सामाजिक सहयोग और परस्पर सहायता की परिकल्पना के अंतर्गत सभी सामाजिक वर्गों एवं व्यक्तियों को पाबन्द किया है। वह इस्लामी राज्य को भी इसका पाबन्द बनाता है कि वह अपने समस्त नागरिकों चाहे वे मुसलमान हों या न हों, अपने कोष से उनकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करे। इस्लाम ने मनुष्य की आध्यात्मिक आवश्यकता का पूरा ख़याल रखा है। इसके लिए मुसलमानों पर यह ज़िम्मेदारी डाली है कि वे सभी मनुष्यों तक पालनहार-प्रभु का संदेश पहुंचाएं।



कहां क्या है ?

इस्लाम की अपेक्षा		9
इस्लामी जीवन दर्शन (संपादकीय)		11
ईसा पूर्व पश्चिमी दर्शन	–डॉ॰ दीवान चन्द	13
परीक्षा में जीवन का मूल्य	–मौलाना जलालुद्दीन उमरी	19
डॉ॰ इक़बाल का दर्शन	–डॉ॰ लक्ष्मी सक्सेना	23
इस्लाम का तात्विक दर्शन	–मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी	29
इस्लाम दर्शन	–डॉ॰ गणेशदत्त सारस्वत	35
इस्लाम एक जीवन-प्रणाली	–सैयद कुत्ब शहीद	39
क़ुरआन का कर्मवाद	–मुहम्मद इलियास हुसैन	43
इस्लाम की रूपरेखा	–सैयद क़ुत्ब शहीद	47
ब्रह्माण्ड संरचना एवं विकास	–सैयद वक़ार अहमद हुसैनी	67
इस्लाम और मानवीय चेतना	–विजय गोपाल मंगल	75
इस्लाम में सहिष्णुता एवं उदारता	–अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी	79
सहिष्णुता सहनशीलता-हमारी पहचान	–ज़हीर ललितपुरी	83
नारी और धर्म-दर्शन	–डॉ॰ गणेशदत्त सारस्वत	85
मुस्लिम शासकों की न्यायप्रियता	–अबू इमामुद्दीन रामनगरी	93
एक ईश्वर, एक मानव एक विधान	–अबू इमामुद्दीन रामनगरी	99
इस्लाम की विशेषता	–मुहम्मद इलियास हुसैन	103
ईश्वर की अनुकंपा	–शहनवाज़ फ़ारूक़ी	105
क़ुरआन की आर्थिक शिक्षाएं	–डॉ॰ फ़रहत हुसैन	107

इस्लामी जीवन-दर्शन

वास्तव में दर्शन उस विद्या का नाम है, जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है । इस्लाम का एक बड़ा उद्देश्य सत्य और ज्ञान की खोज तथा मानव जीवन में इसका जीवंत क्रियान्वयन है । यह वह सत्य धर्म है जिसे अल्लाह तआला ने अपने बंदों के लिए पसंद फ़रमाया है । उसी के साथ उसने अपने संदेशवाहकों और पैग़म्बरों को भेजा और अपनी पुस्तकें अवतरित कीं । रहती दुनिया तक, अल्लाह सर्वशक्तिमान ने उसे हर समय काल और स्थान के लिए इसे एक सर्वव्यापी धर्म बनाया एवं इस्लाम का अनुसरण और अनुपालन सुगम बनाया । इस्लाम जहां एक तरफ़ मानव की उत्पत्ति की वास्तविकता, इस संसार में उसके उद्देश्य, अपने पालनहार के प्रति उसके कर्तव्यों को स्पष्ट करता है, वहीं दूसरी ओर उस समाज के प्रति भी मार्गदर्शन करता है जिसमें मनुष्य जीवन-यापन करता है । इस्लाम उसे शांतिपूर्ण और सौभाग्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक संपूर्ण जीवन-व्यवस्था प्रदान करता है, जिसका पालन करके वह इस संसार के बाद परलोक में भी सफल होगा । इस्लाम ने सारी मानवता की सत्य-ज्ञान के अनुपालन के साथ जीवन जीने का सर्वोत्तम और सभ्यतम ढंग बताया । उसने लोगों को बताया कि मानवता एक है । सारे मनुष्य मौलिक रूप से एक हैं और एक ही पिता आदम (अलैहि०) एवं माता हव्वा की सन्तान हो । पवित्र क़ुरआन में है–"लोगो, हमने तुमको एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और फिर तुम्हारी क़ौमें और बिरादरियां बना दीं, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो । वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में तुममें सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे अधिक परहेज़गार है (49-13) ।" इस्लाम ने किसी जाति, बिरादरी, रंग, वर्ण, क्षेत्र व क़बीले के आधार पर किसी को श्रेष्ठ नहीं ठहराया है । हज के अवसर पर अपने अंतिम उद्बोधन में इस्लाम के अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया, "ऐ लोगो, तुम्हारा रब एक है, और तुम्हारे पिता आदम एक हैं । सुन लो कि न किसी अरबी को अजमी पर कोई प्राथमिकता प्राप्त है और न किसी अजमी को किसी अरबी पर, न काला गोरे से बेहतर है और न गोरा काले से, हां । श्रेष्ठता और सम्मान का कोई मापदंड है तो वह तक़वा (अल्लाह का भय) है "..." सारे इन्सान आदम की संतान हैं और आदम की हक़ीक़त इसके अलावा क्या है कि वे मिट्टी से बनाए गये । अब प्राथमिकता के सारे दावे मेरे पांव तले रौंदे जा चुके हैं । "इस्लाम ने इस सोच को इतना मिटाया कि वे अरब जो जातिवाद पर जीते थे, उसी का दंभ रखते थे, हर समुदाय दूसरे पर अपनी प्रधानता साबित करने में लगा रहता था, इस्लाम स्वीकार करने के बाद सब सच्चे अर्थों में भाई-भाई बन गये । हब्शा के बिलाल (रजि०), रोम के सुहैब (रजि०), फ़ारस के सुलैमान (रजि०) और क़ुरैश के अबू बक्र (रजि०) सब एक झंडा तले एकत्र हो गये थे । ज़ाहिर है कि दुनिया के सारे आदम की संतान हैं, तो फिर भेदभाव क्यों ? इस्लाम जब पहली बार दुनिया में आया था, उस समय अरब देश समेत पूरी दुनिया जाति, रंग, नस्ल, क्षेत्र, क़बीले, पारिवारिक व नागरिक भेदभाव में बुरी तरह जकड़ी हुई थी । मानवता की इतनी दुर्दशा थी कि वह इस जकड़बंदी से निकलने के बारे में

सोच भी नहीं सकती थी । इस्लाम ने लोगों को बताया कि मानवता एक है, सारे इन्सान मौलिक रूप से एक हैं, उनकी नस्ल मूलत: एक है । रंग, नस्ल और क़बीले एवं क्षेत्र का भेद केवल आपस की पहचान तथा प्रेमभाव के लिए है, झगड़े और भेदभाव के लिए नहीं । इस्लाम ने घोषणा की कि इन्सान का सम्मान और समाज में उसका स्थान उसके मानवीय गुणों पर निर्भर करता है । जाति-बिरादरी, रंग, नस्ल, पद आदि का इसमें कोई दख़ल नहीं ! वास्तव में इन्सान के वास्तविक अधिकार उसकी मानवता के साथ संबद्ध हैं । क़ुरआन में है, "यह तो हमारी कृपा है कि हमने आदम की सन्तान को श्रेष्ठता दी...और अपने बहुत-से पैदा किये हुओं पर स्पष्ट श्रेष्ठता प्रदान की (17-70) ।" यह इस्लामी शिक्षाओं का प्रभाव था कि लोगों ने जाना कि इन्सान अपने आप में अल्लाह के निकट उच्च स्थान रखता है, जिसका आधार रंग, नस्ल, वंश, जाति, क्षेत्र, देश नहीं है । यह इन्सान की एक प्रकार से नयी उत्पत्ति थी, जो उसके भौतिक उत्पत्ति से अधिक महत्वपूर्ण थी । अल्लाह ने इन्सानों के बीच विशिष्टता और श्रेष्ठता का आधार ईमान एवं विश्वास को क़रार दिया है । इस्लाम ने ईमान व विश्वास के संबंध में ज़ोर-ज़बरदस्ती का तरीक़ा नहीं अपनाया और न ही विश्वास का इन्कार करने वालों के साथ अभद्र व्यवहार की अनुमति दी । क़ुरआन में है, "धर्म के मामले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है । सही बात ग़लत विचारों से अलग छांट कर रख दी गयी है । अब जिस किसी ने बढ़े हुए फ़सादी का इन्कार करके अल्लाह को माना, उसने एक मज़बूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है (2-256)।"

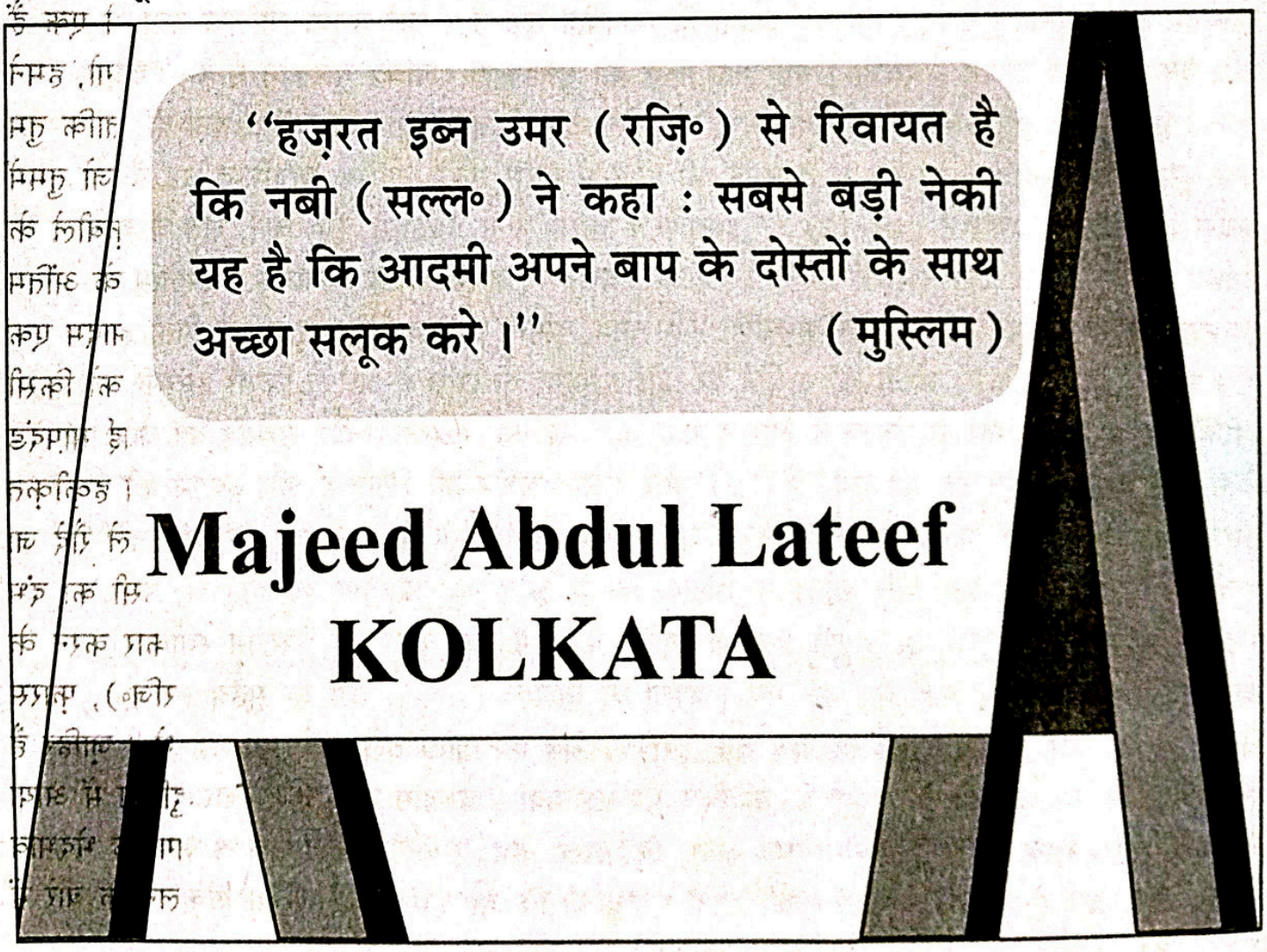

ईसा पूर्व पश्चिमी दर्शन

■ डॉ॰ दीवान चन्द

यूनान पश्चिमी सभ्यताका जन्म स्थान समझा जाता है। इस सभ्यता ने अपने प्रमुख रूपों में वहीं जन्म लिया, और वहीं उसका विकास हुआ। इस सभ्यता के दो प्रधान चिन्ह हैं–एक यह कि जीवन का शासन बुद्धि के हाथ में हो, दूसरा यह कि सौंदर्य की क़ीमत भली-भांति समझी जाए। बुद्धि की प्रधानता विज्ञान और दर्शन के प्रति श्रद्ध में प्रकट होती है, सौंदर्य का प्रेम ललित कला को, उसके विविध रूपों में, जन्म देता है। प्राचीन यूनान ने जो विचारक, कलाकार और साहित्यकार पैदा किये, उनसे ऊंचे दर्जे के विचारक, कलाकार और साहित्यकार किसी अन्य देश में इतने थोड़े समय में उत्पन्न नहीं हुए। इन लोगों ने यूनान को प्रतिष्ठा के शिखर पर स्थापित कर दिया, जहां पर उनमें से कई की पताका आज भी गौरव के साथ फहरा रही है। वर्तमान यूनान सुकरात, प्लेटो और अरस्तू का देश है।

जब हम यूनान के दर्शन के बारे में ज़िक्र करते हैं, तो हमारा अभिप्राय भूगोल-विषयक यूनान से नहीं होता, अपितु यूनानी जाति से होता है। यूनान एक छोटा-सा प्रदेश था। यहां के लोग जीवन-निर्वाह के लिए या अपनी स्थिति सुधारने के लिए बाहर जाकर अपनी बस्तियां बनाते थे। ये बस्तियां भी यूनान या 'विशाल यूनान' का भाग ही समझी जाती थी। इन बस्तियों में रहने वाले भी सच्चे अर्थ में यूनानी ही रहते थे। जब हम यूनान के दर्शन की चर्चा करते हैं, तो वास्तव में हमारा अभिप्राय यूनानियों के दर्शन से ही होता है। तथ्य यह है कि दार्शनिक विचार का आरंभ यूनान में नहीं, अपितु यूनान की बस्तियों में हुआ। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि वह दर्शनशास्त्र को स्वर्ग से पृथ्वी पर ले गया। यह तो भक्ति की भाषा है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि सुकरात के बाद बस्तियों के स्थान में स्वयं यूनान दर्शन का वासस्थान बन गया।

यूनान के दर्शन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे मनुष्य के जीवन में बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा ये तीन भाग होते हैं, वैसे ही हमें जातियों में भी तीन अवस्थाएं दिखायी देती हैं। किसी जाति या देश को दृढ़ बनने में समय लगता है, और प्रतिष्ठा की अवस्था भी चिरकाल तक बनी नहीं रहती। यूनान के दर्शन में भी हम यही देखते हैं। पहला भाग बाल्यावस्था का था। इस काल में विचारकों का काम प्रकाश की खोज में यत्न करना भर था। सीखने में प्रथम स्थिति यही होती है–'परखो, परखो और फिर परखो'। पहले भाग का यूनानी विचार अपनी प्रमुख समस्या के लिए कोई संतोषदायक समाधान ढूंढ़ता था, और यह स्वाभाविक ही था कि एक समाधान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उनके सम्मुख आया। जो समाधान उन्होंने प्रस्तुत किये, उनकी अपने आपमें क़ीमत न भी हो, तो भी महत्व की बात यह है कि एक बड़ी समस्या उनके सम्मुख खड़ी हुई, और उन्होंने इसका समाधान ढूंढ़ने के लिए गंभीर विचार करना आरंभ किया। दर्शनशास्त्र का प्रमुख काम प्रश्नों का खड़ा करना ही तो है।

ये आरंभिक विचार दो बस्तियों में उत्पन्न हुए। इनमें एक बस्ती लघु एशिया के समुद्र तट का इलाक़ा आइओनिस थी। इस बस्ती में 10 धनी और शक्ति-संपन्न नगर शामिल थे। दूसरी बस्ती इटली का दक्खिनी प्रदेश था, जिसे इलिया कहते थे। यूनानी दर्शन के प्रथम युग में दो प्रसिद्ध संप्रदाय हुए और वे इन दोनों प्रदेशों के नाम पर ही 'आइओनियन' और 'इलियाटिक' संप्रदाय के नाम से विख्यात है। इन दोनों में 'आइओनियन' संप्रदाय पुराना है।

आइओनिया के विचारकों में तीन नाम प्रसिद्ध हैं। प्रथम नाम थेल्स (624-550 ईसवी पूर्व) का है। वह सर्वसम्मति से यूनानी दर्शन का पिता माना जाता है। दूसरे दो नाम एनैक्सिमैंडर (611-547 ईसवी पूर्व) और एनैक्सिमिनिज़ (588-524 ईसवी पूर्व) के हैं।

प्रोफ़ेसर मैक्स मूलर ने कहा है कि जब कोई मनुष्य, जो वर्षों से दृष्ट जगत को देखता रहा है, अचानक इस पर दृष्टि डालकर पुकार उठता है–'तुम क्या हो ?', तो समझो कि दार्शनिक जिज्ञासा उसके मन में पैदा हो गयी है। थेल्स भी दृष्ट जगत को प्रतिदिन देखता था। अचानक उसके मन में प्रश्न उठा–'यह जगत क्या है–कैसे बना है।' उसने प्राकृत जगत में ही इसका समाधान ढूंढ़ना चाहा। वह समुद्र तट पर

रहता था । प्रदेश के वासी खेती-बाड़ी का काम करते थे । ऐसे लोगों के लिए जल का जो महत्व है, वह स्पष्ट ही है । समुद्र में वे अनेक जंतुओं को पैदा होते देखते थे, भूमि पर खाद्य पदार्थों को जल से पैदा होते देखते थे । संभवत: थेल्स यह भी देखता था कि जहां अनेक पदार्थ जल से उपजते हैं, वहां अनेक पदार्थ जल में पड़कर समाप्त भी हो जाते हैं । उसने जल को सारे प्राकृत जगत का आदि और अंत कहा । जो कुछ विद्यमान है, वह जल का विकास है और अंत में फिर जल में ही विलीन हो जाएगा । जल पर जीवन का आधार है, परन्तु जीवित पदार्थों में अन्य अंश भी होते हैं, और जीवित पदार्थों के साथ निष्प्राण पदार्थ भी विद्यमान हैं । लोहा, सोना आदि धातु जल से इतने भिन्न हैं कि इन्हें जल के रूपांतर समझना संभव नहीं थेल्स इस कठिनाई को दूर नहीं कर सका ।

एनैक्सिमैंडर ने अनुभव किया कि दृष्ट जगत के पदार्थों में इतना भेद है कि उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । जल या कोई अन्य अकेला पदार्थ भूमंडल के अनेक भेदों तथा इसकी विविधता का समाधान नहीं कर सकता । जल स्वयं भी अपने समाधान की मांग करता है । एनैक्सिमैंडर ने थेल्स के समाधान को अमान्य कहा, परंतु उसके मौलिक दृष्टिकोण को उसने अपनाया और प्राकृत जगत के स्रोत को प्रकृति में ही देखा । अपनी मूल अवस्था में जो निश्चितता अब हम देखते हैं, वह विकास का फल है । मूल प्रकृति में किसी प्रकार का भेद नहीं, और इसकी कोई सीमा नहीं है । यह अनंत है । एनैक्सिमैंडर ने अनंत के प्रत्यय को दर्शन में प्रविष्ट किया । उसके पीछे अनंत और सांत का भेद, और उनका आपस का संबंध एक स्थायी समस्या बन गया है । मूल कारण एक है, कार्य में यह अनेक, असंख्य रूप ग्रहण करता है । दार्शनिक प्रश्न ने 'एक और अनेक' का दूसरा रूप धारण कर लिया ।

एनैक्सिमिनिज़ ने अव्यक्त को विकास का आरंभ करने में असमर्थ पाया और थेल्स की तरह, किसी विशेष तत्व में जगत की उत्पत्ति का कारण देखना चाहा । उसने जल के स्थान में वायु को यह गौरव प्रदान किया । प्राकृत पदार्थों को हम तीन रूपों में देखते हैं–ठोस, तरल और वायव्य । कुर्सी ठोस पदार्थ है । इसके परमाणु एक-दूसरे से गठित हैं, इसका आकार और परिमाण निश्चित है । तरल पदार्थ के अणु युक्त होते हैं, परंतु गठित नहीं होते । ये एक-दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन कर सकते हैं । जल को जिस पात्र में डालें, उसी का रूप ग्रहण कर लेता है । इसका परिमाण तो निश्चित है, आकृति निश्चित नहीं । वायु के परमाणुओं में स्नेह बहुत कम है । एक बोतल में बन्द गैस, बोतल के खुलने पर, सारे कमरे में फैल जाती है । इसका परिमाण और आकृति दोनों अनिश्चित है, यह फैल भी जाती है और सिकुड़ भी जाती है । वायु की इस क्षमता ने एनैक्सिमिनिज़ का ध्यान बलपूर्वक आकर्षित किया, और उसे ख़याल आया कि उसने थेल्स और एनैक्सिमैंडर दोनों की कठिनाई दूर कर दी है । उसने वायु को दृष्ट जगत का मूल कारण बताया । वायु जल से अधिक सक्रिय है और इसमें दृष्ट जगत के भेदों का समाधान भी मौजूद है ।

प्राकृत पदार्थों का भेद वास्तव में इसी पर निर्भर है कि उनमें विरलता या पतलेपन की मात्रा कितनी है । विरलता के कम होने से गर्मी पैदा होती है, इसके बढ़ने से सर्दी पैदा होती है । जब वायु में विरलता बहुत बढ़ जाती है, तो यह अग्नि का रूप धारण कर लेती है । जब वायु इस अग्नि को उड़ाकर बहुत ऊंचा ले जाती है, तो अग्नि तारों का रूप ग्रहण कर लेती है । घनी बनने पर, वायु पहले मेघ बनती है, फिर जल बनती है । अधिक घना होने पर जल पृथ्वी और चट्टान बन जाता है । इस तरह सारा दृष्ट जगत वायु के सूक्ष्म और सघन होने का परिणाम है ।

तीनों विचारक जिनका ऊपर ज़िक्र हुआ है, एक ही प्रश्न का हल ढूंढ़ना चाहते थे, और तीनों ने यह निश्चय किया था कि वे इसके लिए प्राकृत जगत से परे नहीं जाएंगे । उन्हें जो हल सूझे, वे भिन्न-भिन्न थे, इस पर भी वे एक ही संप्रदाय में थे ।

आइओनिया के विचारकों ने दृष्ट जगत के समाधान के लिए प्रकृति की शरण ली थी । प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ तौला-मापा जा सकता है । किसी वस्तु को तौलने-मापने का अर्थ यही है कि उसमें किसी विशेष इकाई की संख्या निश्चित की जाए । हम कहते हैं–छड़ी तीन फुट लंबी है, चार छटांक भारी है । एक फुट में 12 इंच होते हैं और छटांक में पांच तोले होते हैं । जल और वायु जिन्हें थेल्स और एनैक्सिमिनिज़ ने जगत का मूल कारण बताया था, तौले और मापे जा सकते हैं । संख्या इन दोनों से अधिक मौलिक है । हम ऐसे जगत का चिंतन कर सकते हैं, जिसमें रंग-रूप मौजूद न हो, परंतु हम किसी ऐसे जगत का चिंतन नहीं कर

सकते, जिसमें संख्या का अभाव हो । पाइथेगोरस (छठी शती ईसवी पूर्व) ने संख्या को विश्व का मूल तत्व बयान किया । जल, वायु आदि को हम देखते हैं, उन्हें छू भी सकते हैं । परंतु संख्या किसी ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं । इस तरह पाइथेगोरस ने एक अदृश्य, अस्पृश्य तत्व को मूल तत्व का स्थान देकर दार्शनिक विचार में एक नया अंश प्रविष्ट कर दिया ।

'एक और अनेक' का विवाद भी दार्शनिकों के लिए एक जटिल प्रश्न था । पाइथेगोरस ने संख्या के एक और अनेक में समन्वय देखा । एक इकाई है । कुछ इकाइयां एक साथ लिखें । यहां बहुत्व या अनेकत्व प्रकट हो जाता है । 5 की स्थिति क्या है ? यह एक है, या बहुत ? इसमें पांच इकाइयां सम्मिलित हैं, इसलिए यह अनेक है । यह बिखरी हुई इकाइयों का समूह नहीं, अपितु एकत्व इसमें विद्यमान है । इस तरह संख्या में एक और अनेक का समन्वय है ।

संसार में हम अनुरूपता, क्रम और सामंजस्य देखते हैं । यह सब संख्या से संबद्ध हैं । हम कहते हैं–'मनुष्य का शरीर सुडौल है, इसके अंगों में अनुरूपता है ।' इसका अर्थ यही है कि इसके अंगों को विशेष संख्या से प्रकट किया जा सकता है । क्रम क्या है ? हम कुछ पदार्थों को क्रम में रखते हैं । इसका अर्थ यह है कि जो अंतर उनमें पाया जाता है, वह विशेष संख्या से व्यक्त किया जा सकता है । सामंजस्य का अच्छा उदाहरण राग में मिलता है, और राग का संबंध संख्या से स्पष्ट ही है । पाइथेगोरस का ख़याल था कि विश्व के अनेक भागों की गति में एक राग उत्पन्न होता है, और वह राग मानवी राग से पूर्णतया मिलता है । शेक्सपियर ने एक नाटक में इस ख़याल की ओर संकेत किया है–

'जैसिका ! बैठो । देखो, आकाश में सोने के टुकड़े कैसे घने जुड़े हुए हैं, जिन तारों को तुम देखती हो, उनमें छोटे से छोटा तारा भी अपनी गति में देवदूत की तरह गा रहा है, परंतु हम इस जरा-ग्रस्त मिट्टी के वस्त्र में बन्द, वह दैवी राग सुन नहीं सकते ।'

इस समुदाय का एक और सिद्धांत यह था कि सृष्टि और प्रलय का प्रवाह नित्य है, और छोटे से छोटे अंश में भी एक सृष्टि दूसरी सृष्टि को दुहराती है । नवीन काल में जर्मनी के दार्शनिक नीत्शे ने भी इसी प्रकार का ख़याल ज़ाहिर किया है ।

जैसा पहले कह चुके हैं, इलिया दक्खिनी इटली में यूनानियों की एक बस्ती थी । इलिया के संप्रदाय में दो नाम प्रमुख हैं–पार्मेनाइडिस और ज़ीनो ।

पार्मेनाइडिस (पांचवीं शती ईसवी पूर्व) ने अपने विचार एक काव्य में लिखे । पुस्तक के दो भाग हैं । पहले भाग में उसके अपने सिद्धांत का वर्णन है, दूसरे में अन्य मतों का खंडन है । पहले भाग को 'सत्य-मार्ग' का नाम दिया है, दूसरे को 'सम्मति-मार्ग' कहा है । हम यहां पहले भाग के बारे में ही कहेंगे ।

पार्मेनाइडिस ने ज़ीनोफेनीज़ के एक कथन को अपने विचार की नींव बनाया । यह कथन था–'सब कुछ एक है'। जिन दार्शनिकों का हम ज़िक्र कर चुके हैं, उन्होंने बहुत्व या अनेकत्व से आरंभ किया, और इस बहुत्व के नीचे एकता को देखना चाहा । इलिया के संप्रदाय ने पर्वत की पेंदी से ऊपर चढ़ने या यत्न नहीं किया, उन्होंने शिखर पर स्थिर होकर आरंभ किया । अन्य शब्दों में, उन्होंने एकता से आरंभ किया, और इसके आधार पर बहुत्व के स्वरूप को समझना चाहा । उनके सिद्धांत में प्रमुख प्रत्यय सत् और असत् का भेद है । वे इस परिणाम पर पहुंचे कि दृष्टि जगत असत् है, भास मात्र है । भाव और अभाव, सत् और असत् में कोई मेल का बिन्दु नहीं, सत्-असत् से उत्पन्न नहीं हो सकता, न सत्-असत् बन सकता है । जगत का प्रवाह जो हमें दीखता है, माया है, इसमें सत् या भाव का कोई अंश नहीं ।

सत् का विवरण भावात्मक और निषेधात्मक दोनों प्रकार के शब्दों में किया गया है । सत् के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य का भेद नहीं, यह नित्य है । यह अविभाज्य है, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई पदार्थ है ही नहीं, जो इसका विभाजन कर सके । इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्तन तो असत् का लक्षण है । इसका अकेला भावात्मक गुण इसकी सत्ता है, यह 'इस' और 'उस' के भेद से परे है ।

दृष्ट जगत केवल भासता है, यह इन्द्रियों का विषय है । पश्चिमी दर्शन में, सबसे पहले पार्मेनाइडिस ने इन्द्रिय और बुद्धि के भेद पर ज़ोर दिया ।

ज़ीनो (465 ईसवी पूर्व) ने यह बताने का यत्न किया कि गति का कोई अस्तित्व नहीं । इसे स्वीकार करने पर हम अनेक कठिनाइयों में फंस जाते हैं । एकेलीज़ और कछुए की प्रसिद्ध पहेली ज़ीनो की कठिनाई को प्रकट करती है । एकेलीज़ बहुत तेज़ चलता है, कछुआ आहिस्ता चलता है ।

कछुआ दस गज़ एकेलीज़ से आगे है । क्या एकेलीज़ कभी कछुए को पकड़ सकता है ? फ़र्ज़ करें कि एकेलीज़ एक मिनट में दस गज़ चलता है, और कछुआ एक गज़ चलता है । जहां कछुआ अब है, एकेलीज़ एक मिनट में पहुंच जाएगा, परंतु कछुआ एक गज़ आगे निकल जाएगा । जितने काल में एकेलीज़ यह अन्तर तय करेगा, कछुआ 1/10 गज़ आगे निकल जाएगा । अवकाश-भाजन की कोई सीमा नहीं, इसलिए दोनों का अंतर कम हाता जाएगा, परंतु शून्य कभी नहीं होगा । इसका अर्थ यह है कि कछुआ सदा एकेलीज़ से आगे ही रहेगा, एकेलीज़ उसे पकड़ नहीं सकता ।

इस विवरण में गति का अस्तित्व फ़र्ज़ करने में एक कठिनाई की ओर संकेत किया गया है । ज़ीनो यह भी कहता है कि गति की संभावना ही नहीं । हम कहते हैं कि तीर क से ख को जाता है । क और ख के मध्य में ग है । तीर को ख तक पहुंचने से पहले ग पर होना चाहिए । क और ग के मध्य में घ है । तीन को ग तक पहुंचने से पहले घ पर होना चाहिए ।

इसी तरह क और घ के मध्य में एक स्थान है, और यह क्रम कहीं समाप्त नहीं होता । तीर क से ख तक जाता नहीं, यह उनके बीच असंख्य स्थानों पर खड़ा होता है । उसका गति करना एक भ्रम है ।

गणितज्ञ कहता है कि ज़ीनो को भ्रम हुआ : उसने समझा कि अनंत पंक्ति के अंशों का योग भी अनंत होता है । तथ्य यह है कि $1+\frac{1}{10}+\frac{1}{100}+$.....का योग अनंत नहीं, अपितु 2 से भी कम है । ज़ीनो भी जानता था कि एकेलीज़ कछुए को पकड़ लेगा । उसका उद्देश्य एक कठिनाई की ओर संकेत करना था, हम समझ नहीं सकते कि अनंत के अंशों का अंत कैसे हो सकता है ।

इसी कठिनाई की ओर, एक भिन्न दृष्टिकोण से, नवीन काल में बर्ट्रैंड रस्सल ने संकेत किया है । स्टर्न के उपन्यास में ट्रिस्ट्राय शैंडी ने अपना विस्तृत जीवन चरित लिखने का निश्चय किया । एक दिन का विवरण लिखने में उसे एक वर्ष लगा, दूसरे दिन का विवरण लिखने में एक वर्ष और लग गया । यदि शैंडी को अनंतकाल चरित लिखने के लिए मिले, तो वह अपना काम समाप्त कर सकेगा, या नहीं ?

एक दिन का विवरण लिखने में 365 दिन लगते हैं । अनंत दिनों का विवरण लिखने में अनंत ×365 दिन लगेंगे ।

इसलिए, अनंतकाल का जीवन अंत में भी लिखना रहेगा । इस कठिनाई के कारण कई विचारक देश और काल के वस्तुगत अस्तित्व से ही इन्कार करते हैं ।

हिरैक्लिटस (535-475 ईसवी पूर्व) का स्थान प्राचीन यूनानी विचारकों में बहुत ऊंचा है । वह लघु एशिया का रहने वाला था । उसका जन्म एक अमीर घराने में हुआ, और उसकी मनोवृत्ति भी कुलीन वर्ग की मनोवृत्ति थी । वह अपने समय के विचारकों के बारे में समझता था कि उनमें बुद्धि थोड़ी है, और जो है, उसे पुस्तकों के पाठ ने नाकाम बना दिया है ।

हिरैक्लिटस के सिद्धांत को आइओनिया और इलिया दोनों के संबंध में देख सकते हैं । उसने अग्नि को जल और वायु, दोनों से बलिष्ठ और व्यापक देखा । द्यौलोक तो अग्नि का प्रकट रूप है ही, पृथ्वी पर भी सारा अग्नि का चमत्कार है । अग्नि विश्व का मूल तत्व है । मूल अग्नि अपने आपको वायु में परिवर्तित करती है, वायु जल बनती है, और जल पृथ्वी का रूप ग्रहण करता है । यह 'नीचे की ओर का मार्ग' है । हम इसे विकास कह सकते हैं । इसके विपरीत 'ऊपर की ओर का मार्ग' है । इसमें पृथ्वी जल में, जल वायु में, वायु अग्नि में बदलती है ।

अग्नि ही जीवन और बुद्धि है, यह पदार्थों में जीवन और बोध का अंश है । किसी पदार्थ में अग्नि की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतना ही उसमें जीवन अधिक होगा । जीवन की मात्रा पर ही गति का आधार है । प्रकाश की कमी और भारीपन पदार्थों को मृत्यु की ओर ले जाते हैं । मनुष्य की आत्मा भी अग्नि ही है, यह व्यापक आत्मा अग्नि का अंश है । सृष्टि अग्नि से प्रकट होती है और अंत में अग्नि में ही विलीन हो जाती है ।

इलिया के मत के अनुसार, सत् एकरस और नित्य है, बहुत्व और परिवर्तन आभास, छायामात्र हैं । हिरैक्लिटस दूसरी सीमा पर गया और उसने कहा कि सारी सत्ता प्रवाह की स्थिति में है । नित्यता हमारी कल्पना ही है । कोई मनुष्य एक ही नदी में दो बार कूद नहीं सकता । जब वह दूसरी बार कूदने लगता है, तो पहली नदी कहां है ? पहला जल कहीं नीचे जा पहुंचा है और नया जल ऊपर से वहां आ गया है, और कूदने वाला भी तो बदल गया है । संसार में स्थिरता का कहीं पता नहीं चलता, अस्थिरता ही विद्यमान है ।

इस विवरण से प्रतीत होता है कि एक अवस्था गुज़रती है और दूसरी उसका स्थान लेती है । हिरैक्लिटस इससे आगे

जाता है और कहता है कि प्रत्येक अवस्था में भाव और अभाव का मेल है । यह मेल ही सत्ता का वास्तविक रूप है । हिरैक्लिटस ने विरोध को सत्ता का तत्व बताया । कवि होमर ने प्रार्थना की थी कि देवताओं में और मनुष्यों में संग्राम समाप्त हो जाए । इसके विरुद्ध, हिरैक्लिटस कहता है कि संग्राम के समाप्त होने पर तो सत्ता ही समाप्त हो जाएगी । संग्राम से ही पदार्थों की उत्पत्ति होती है, और संग्राम से ही उनका विनाश होता है । जीवन और मृत्यु संयुक्त है । प्रतीत ऐसा होता है कि मनुष्य जन्म लेता है और कुछ समय बाद मरता है । तथ्य यह है कि प्रतिक्षण वह पैदा होता है और मरता है ।

यह प्रवाह नियम के अनुकूल होता है । इस नियम के अनुसार, जहां भद्र है, वहां इसका प्रतिरूप अभद्र भी मौजूद है, सुख के साथ दुख भी मिला है । कुछ लोग इस स्थिति को देखकर घबरा जाते हैं, परंतु यह विरोध तो न्याय का तत्व है । हमारा काम यह है कि इस नियम को स्वीकार करें और संतुष्ट रहें । व्यापक नियम की मौजूदगी में, क्या हम कुछ और कर भी सकते हैं ?

इलिया संप्रदाय ने इन्द्रियजन्य ज्ञान और बुद्धि में भेद किया था, और इस भेद के आधार पर दृष्ट जगत को असत् कहा था । हिरैक्लिटस भी इस भेद को स्वीकार करता है, परंतु वह इसके आधार पर विपरीत अनुमान पर पहुंचता है । वह कहता है कि ज्ञानेन्द्रियां हमें स्थिरता का अनुभव कराती हैं । हमें प्रतीत होता है कि हमारा शरीर, हमारा घर, घर का सामान स्थिर हैं । जब बुद्धि स्थिति की जांच करती है, तो पता लगता है कि स्थिरता या नित्यता का तो अस्तित्व ही नहीं, जो कुछ है, क्षणिक है ।

पार्मेनाइडिस ने कहा था कि सत् एकरस और नित्य है, दृष्ट जगत जिसमें बहुत्व और परिवर्तन इतने स्पष्ट हैं, आभास मात्र है । हिरैक्लिटस ने कहा कि दृष्ट प्रवाह ही अस्तित्व रखता है, इसके अतिरिक्त सत् कल्पना मात्र है । उन दोनों का प्रमुख विषय सत्ता का स्वरूप था । आइओनिया के विचारकों के सम्मुख दृष्ट जगत के मूल कारण का प्रश्न था । जैसा हम देख चुके हैं, उनमें एक ने जल को, दूसरे ने वायु को, तीसरे ने अग्नि को मूल कारण बताया । तीनों इस बात में सहमत थे कि उनका चुना हुआ तत्व अन्य तत्वों में बदल सकता है । उनमें से कोई यह नहीं बता सका कि यह परिवर्तन कैसे हो सकता है ।

ल्यूसिप्पस (480 ईसवी पूर्व) ने इस गुत्थी को खोलना चाहा । उसने कहा कि जल, वायु, अग्नि और अन्य पदार्थ, जिन्हें हम देखते हैं, मिश्रित हैं । मूल तत्व जानने के लिए इनका विश्लेषण करना चाहिए । जहां हम इस विश्लेषण में आगे जा नहीं सकते, वहां हमें मूल तत्व मिलता है । यह मूल तत्व परमाणु है । हम इसे देख नहीं सकते; इसका विभाजन नहीं हो सकता, यह ठोस है । यह नित्य है । परमाणुओं के योग से सारे पदार्थ बनते हैं । इन परमाणुओं में मात्रा और आकृति का भेद है । इस भेद के कारण उनकी गति भी एक समान नहीं होती । सारी क्रिया इस गति का फल है । गति के लिए अवकाश की आवश्यकता है । ल्यूसिप्पस ने परमाणुओं के साथ शून्य अवकाश को भी मूल तत्व स्वीकार किया । पदार्थों में और अवकाश में भेद यह है कि पदार्थ अवकाश का भरा हुआ भाग है । इस भेद को दृष्टि में रखते हुए, विश्व अशून्य और शून्य में विभक्त किया गया । ल्यूसिप्पस ने भी प्राकृत जगत के समाधान के लिए किसी अप्राकृत तत्व या शक्ति का सहारा नहीं लिया । उसके मत में, जो कुछ होता है, प्राकृत नियम के अनुसार होता है, यहां किसी प्रयोजन का पता नहीं चलता ।

डिमाक्राइटस (460-361 ईसवी पूर्व) ने ल्यूसिप्पस के विचारों को स्वीकार किया । दोनों के अनुसार पदार्थों में गुणों का भेद उनके परमाणुओं के परिमाण, आकार, और स्थान पर निर्भर है । अग्नि समतल और गोल परमाणुओं से बनती है । जीवात्मा भी ऐसे ही परमाणुओं का संयोग है—ऐसे परमाणुओं का, जो अपूर्व मात्रा में विशुद्ध और सूक्ष्म हैं ।

परमाणुवादियों के सम्मुख एक समस्या यह था कि परमाणुओं में गति क्यों होती है । यह तो ठीक है कि अवकाश के अभाव में गति नहीं हो सकती, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अवकाश गति का कारण है । कुछ लोगों का ख़याल है कि ल्यूसिप्पस और डिमाक्राइटस परिमाण और आकृति के साथ, भारीपन को भी परमाणुओं का गुण मानते थे । सभी परमाणु अपने भार के कारण नीचे की ओर गिरते हैं । बड़े परमाणु अधिक वेग से गिरते हैं, और छोटे परमाणुओं को ठुकराकर चक्कर में डाल देते हैं । उन्हें आकर्षण-नियम का ज्ञान न था । उनका यह विचार भी निर्मूल था कि भारी पदार्थ भारी होने के कारण हलके पदार्थ की अपेक्षा अधिक वेग से गिरता है ।

जहां परमाणुवाद ने मूल प्राकृत तत्व का विवाद समाप्त

किया, वहां उसने पार्मेनाइडिस हिरैक्लिटस के मतों का समन्वय करने का भी यत्न किया । पार्मेनाइडिस एकरस, नित्य सत् में विश्वास करता था । परमाणुवादियों ने कहा कि परमाणु ऐसा ही सत् है । हिरैक्लिटस कहता था कि प्रवाह की सत्ता असंदिग्ध है । परमाणुवादियों ने कहा कि यह निरंतर परिवर्तन परमाणुओं के संयोग-वियोग का परिणाम है । यंत्रालय में टाइप पड़ा है । अक्षरों के भिन्न-भिन्न संयोग से अनेक लेख छपते हैं । एक प्रयोग के बाद अक्षरों का वियोग होता है, और उन्हें फिर नये शब्दों और पदों में जोड़ा जाता है । इसी तरह परमाणुओं के भिन्न-भिन्न संयोग-वियोग से जगत् का प्रवाह बना रहता है ।

जब यूनान के दर्शन का ध्यान करते हैं, तो एथेंस हमारे सम्मुख आ जाता है । जिन विचारकों का अभी तक ज़िक्र हुआ है, वे यूनानी थे, परंतु रहते यूनान के बाहर थे । पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में, एनैक्सेगोरस (500-428 ईसवी पूर्व) का नाम विशेष महत्व का है, क्योंकि उसने एथेंस को अपना निवास स्थान बनाया । उस समय का एथेंस मिथ्या विचारों में फंसा था, और एनैक्सेगोरस के स्वतंत्र विचारों को सुनने के लिए तैयार न था । सूर्य और उससे भी अधिक चन्द्रमा के लिए लोगों में अगाध भक्ति का भाव था ।

एनैक्सेगोरस ने कहा कि सूर्य जलता हुआ पत्थर है और चन्द्रमा मिट्टी का बना है । एनैक्सेगोरस पर देवनिंदा का आरोप लगाया गया, वह दोषी ठहराया गया और उसे मृत्युदंड दिया गया । दंड मिलने से पहले ही, वह आंख बचाकर एथेंस से भाग निकला, और अपनी जन्मभूमि लघु-एशिया में चला गया ।

परमाणुवादियों की तरह, एनैक्सेगोरस भी निरपेक्ष उत्पत्ति और विनाश में विश्वास नहीं करता था । पदार्थों की उत्पत्ति परमाणुओं का संयोग है, उनका विनाश परमाणुओं का वियोग है । उसके विचार में, सारे परमाणु एक प्रकार के नहीं होते । सोने और मिट्टी के परमाणुओं में जाति-भेद है । इसका अर्थ यह है कि दृष्ट जगत का मूल कारण असख्यं प्रकार के परमाणुओं की असीम मात्रा है । यह सामग्री आरंभ में पूर्णतया व्यवस्था-विहीन थी । अब सोने, चांदी, मिट्टी, जल आदि के परमाणु एक प्रकार के हैं, आरंभ में ये सारे एक-दूसरे से मिले थे । उस समय न सोना था, न मिट्टी थी ।

अव्यवस्थित दशा से व्यवस्था कैसे पैदा हुई ? स्वयं परमाणुओं में तो ऐसी समझ की क्रिया की योग्यता न थी, यह क्रिया चेतन सत्ता की अध्यक्षत में हुई । इस चेतन सत्ता को एनैक्सेगोरस ने बुद्धि का नाम दिया । इस तरह एनैक्सेगोरस ने एक नये तत्व को प्रविष्ट किया । उससे पहले, विचारक व्यवस्था के क्रम की बाबत ही सोचते रहे थे, एनैक्सेगोरस ने कहा कि क्रम और कारण में भेद है । क्रम इन्द्रियों का विषय है, कारण दृष्ट नहीं । क्रम जो कुछ भी हो, उसका अधिष्ठाता चेतन होता है । एनैक्सेगोरस ने पश्चिमी विवेचन में पहली बार चेतन और अचेतन, जीव और प्रकृति के भेद को प्रविष्ट किया । यह भेद अत्यंत महत्व का भेद था । इसका महत्व देखते हुए ही, पीछे अरस्तू ने कहा कि अंधों में अकेला एनैक्सेगोरस ही देखने वाला था। चेतन और अचेतन का भेद, एनैक्सेगोरस के बाद, कभी दार्शनिकों की दृष्टि से ओझल नहीं हुआ ।

असमान परमाणुओं का वियोग और समान परमाणु का संयोग संपूर्ण नहीं हुआ, इसमें कुछ त्रुटि रह गयी । इसके फलस्वरूप सोने का कोई टुकड़ा विशुद्ध सोना नहीं, इसमें अन्य जाति या जातियों के परमाणु भी मिले हैं ।

परमाणुवादियों ने परमाणुओं में परिमाण और आकृति का भेद किया था । साथ ही यह भी कहा था कि परमाणु ठोस हैं, कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को अपने अन्दर घुसने नहीं देता । परमाणुवादी विस्तार, आकृति और ठोसपन को ही प्रकृति के विशेषण मानते थे । रूप-रंग, गंध आदि गुणों को, जिन्हें आजकल अप्रधान गुण कहा जाता है, मानसिक अवस्थाओं का पद देते थे । एनैक्सेगोरस ने इस भेद को स्वीकार नहीं किया । वह उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था, इसलिए अप्रधान गुणों को प्रधान गुणों की क्रिया का फल स्वीकार नहीं कर सकता था । उसने दोनों प्रकार के गुणों को प्रकृति के अनादि गुण बताया ।

एनैक्सेगोरस के साथ यूनानी दर्शन का प्रथम युग समाप्त होता है । वह दार्शनिक विचार को एथेंस में ले गया और उसके बाद एथेंस यूनान की सांस्कृतिक राजधानी बन गया । उसने व्यवस्था के समाधान के लिए बुद्धि या चेतना का आश्रय लेकर, दार्शनिक विवेचन को एक नये मार्ग पर डाल दिया, सूर्य, चन्द्र आदि के संबंध में उसके विचार प्लेटो और अरस्तू के विचारों से आगे बढ़े थे । वह अपने समय से बहुत पहले पैदा हुआ ।

परीक्षा में जीवन का मूल्य

■ मौलाना जलालुद्दीन उमरी
(अध्यक्ष, जमाअत इस्लामी हिन्द)

कठिन परिस्थितियां जिस क़ौम को शिथिल और कमज़ोर कर दे और हर छोटी-बड़ी चुनौतियों को वे अपने लिए मौत का सन्देश समझ बैठें, उसे दुनिया की कोई शक्ति जीवन प्रदान नहीं कर सकती । वह अपने आप समाप्त होती चली जाती है ।

फिर यह कि जो क़ौम अल्लाह तआला की ज़ात पर यक़ीन रखती हो, वह कभी निराश और नाउम्मीदी का शिकार नहीं हो सकती । इसलिए कि वह सर्वशक्तिमान है और उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है । सारी शक्तियों को स्रोत उसी का व्यक्तित्व है । वह जब चाहे ज़ुल्म के अंधेरे को सुबह की रोशनी में बदल सकता है । और मौत के साये में जीवन के आसार पैदा करना उसके लिए असंभव नहीं है । परिस्थितियां यदि अंधकारमय हैं तो उसके आदेश से रोशन भी हो सकती हैं ।

लेकिन यह चमत्कार उस समय प्रकट होते हैं और उन लोगों के लिए प्रकट होते हैं, जो ईमान और अमल के दौलत से मालामाल हों । जो केवल एक अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हों, जो हर हाल में उसके दामन से चिमटे रहें, जो उसके सिवा किसी और से कोई आशा न रखें और उसी को अपनी समस्त परेशानियों को दूर करने वाला समझें ।

इसके साथ हमें देश की वर्तमान परिस्थितियां और उसके वातावरण को बदलने का प्रयास भी करना होगा । परिस्थितियों के बिगाड़ की ज़िम्मेदारी दूसरों पर डालकर हम अपने कर्तव्यों की अनदेखी नहीं कर सकते । इसमें एक लंबी अवधि तक हमारी ग़फ़लत और कोताही का भी बड़ा दख़ल है । इनमें बदलाव लाने के लिए भी एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा । इस लंबे संघर्ष का कोई शार्टकट रास्ता नहीं है ।

सबसे पहले देश के नागरिकों के सामने हमारी सही परिचय की आवश्यकता है । हमारा परिचय एक ऐसी क़ौम की हैसियत से न हो जिसका कोई निश्चित नस्बुलऐन नहीं, ज़िन्दगी गुज़ारने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं, और कोई ख़ास सभ्यता एवं संस्कृति नहीं, बल्कि कुछ ऐतिहासिक घटनाओं यहां की नैतिक मान्यताओं में सहअस्तित्व और उदारता को विशेष स्थान प्राप्त था, लेकिन क्या अब ये मान्यताएं शेष नहीं रहीं और इतिहास का हिस्सा बन गयी हैं ? देश का अस्तित्व, एकता और अखंडता का जो नक़्शा हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने अपने सामने रखा था, क्या अब वह बदल रहा है ? और उससे भिन्न क्या कोई दूसरा नक़्शा उभर कर सामने आ रहा है ?

जिस देश को विभिन्न धर्मों एवं सभ्यताओं का गहवारा समझा जाता था, क्या अब वे आपस में मिल-जुलकर यहां रह सकेंगे और उन्हें स्वाभाविक रूप में फलने-फूलने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा ? या यहां केवल एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक विशेष मानसिकता और सोच के लोगों को ही रहने का अधिकार होगा ?

इन हंगामों में मुसलमान ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं । वे देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होने के बावजूद यह सोचने पर मजबूर हैं कि बाबरी मस्जिद का शहीद होना एक अकस्मात घटना, एक भावात्मक एवं सामयिक घटना है या इसके पीछे कोई सोची-समझी योजनाबद्ध गहरी साज़िश है ? इबादतगाह तो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह समझी जाती है । उसका सम्मान तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, चाहे वह किसी भी समुदाय एवं गिरोह को इबादतगाह हो । जब वह सुरक्षित नहीं रही तो फिर कौन-सी चीज़ सुरक्षित रह सकती है ? क्या उनकी जान, उनका माल, उनकी इज़्ज़त-आबरू, उनका धर्म और उनकी सभ्यता एवं संस्कृति किसी बड़े ख़तरे से दो-चार है ? देश में उनके इज़्ज़त के साथ ज़िन्दगी गुज़ारने का क्या रास्ता है ? क्या अब मायूसी और अंधेरा ही है या आशा की कोई किरण भी शेष है ?

परिस्थितियां अत्यंत प्रतिकूल ही सही, परंतु मायूसी और निराशा की कोई बात नहीं । क़ौमों पर नाज़ुक से नाज़ुक समय आता है और कभी बदतरीन परिस्थितियों से उन्हें गुज़रना पड़ता है । इसी में उनकी परीक्षा है । जो क़ौम परिस्थितियों को प्रतिकूल देखकर न तो घबड़ाए, न निराश

हो, न हिम्मत हारे और होशो-हवास में रहे, परिस्थितियों का मर्दानावार मुक़ाबला करे, स्थायित्व और बहादुरी का सबूत दे, और कुछ रीति-रिवाजों और परंपराओं ने उसे एक क़ौम बना दिया है ।

इसके विपरीत हमारा परिचय एक ऐसी उम्मत की हैसियत से हो, जो एक निश्चित उसूल और दृष्टिकोण की मालिक है । एक ऐसा उसूल जो हक़ और सदाक़त पर आधारित है और जिसे यह उम्मत अपने लिए और सारी दुनिया के लिए कामयाबी और निजात का ज़रिया समझती है ।

वह एक विशेष प्रकार की सोच और जीवन की एक विशेष कल्पना रखती है, जो उसे जान, माल और दुनिया की हर चीज़ से अधिक प्रिय है । जिसे वह किसी भी मूल्य पर छोड़ना नहीं चाहती । वह एक ऐसी उम्मत है जो नैतिक मूल्यों पर खड़ी है । उसकी सभ्यता और संस्कृति, उसका समाज और उसकी राजनीति, हर चीज़ के पीछे बहुत ऊंची, श्रेष्ठ और बहुत ही पाकीज़ा सोच काम कर रही है ।

जिन ऊंचे उसूलों और मानवीय मूल्यों पर ईमान का हम दावा करते हैं, उन्हें हमारे ज़िन्दगियों में दिखायी देना चाहिए । हमारी जीवनी उनकी चलती-फिरती तस्वीर बन जाएं । हमारे कार्य उनकी गवाही दें । हमारे अख़्लाक़ से उनका सबूत मिले । हमारे मामलात उसकी तस्दीक़ करें और हमारे ताल्लुक़ात से उनका प्रदर्शन होता रहे ।

हममें से प्रत्येक व्यक्ति बीवी, बच्चों और परिजनों के अधिकार को पहचाने, वह किसी का पड़ोसी हो तो बेहतर पड़ोसी हो, व्यापारी हो तो अमानतदार व्यापारी हो, नौकर हो तो अपने कर्तव्यों को पहचाने, मालिक हो तो अपने मातहतों के हक़ को ख़ुशी-ख़ुशी अदा करे । उसकी ज़ात से किसी को आशंका न हो, कोई उससे ख़तरा महसूस न करे, वह हरेक के दुख-दर्द में काम आये और दुख-सुख में शरीक रहे ।

दुनिया को यह सबूत मिले और लगातार मिलता चला जाए कि मुसलमान दुख-सुख, कठिनाई और आसानी किसी हाल में भी इस्लामी शिक्षाओं की ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करता । वातावरण शांत हो या दंगे भड़क रहे हों, वह इस्लाम द्वारा स्थापित सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता ।

दंगों में जब मासूम और बेगुनाह मारे जाते हैं, इज़्ज़तें लूटी जाती हैं, धन-संपत्तियों को आग लगायी जाती है, उस समय भी वे दूसरों की जान-माल और इज़्ज़त-आबरू के रक्षक बनकर सामने आता है । इस तरह वह जहां रहे और जिस हाल में रहे, इस्लामी शिक्षाओं का पाबन्द रहे और इसके द्वारा दुनिया को इस्लाम का सबक़ सिखाता रहे ।

इस उम्मत को 'ख़ैरे-उम्मत' कहा गया है । इसका मतलब यह है कि वह सारी दुनिया के लिए अपने पास भलाई और कल्याण का संदेश रखती है ।

इस संदेश को आम होना चाहिए । इस देश के सामने यह बात आनी चाहिए और पूरे ज़ोर-शोर से आनी चाहिए कि मुसलमान इस देश के शुभचिंतक हैं और ख़ुदापरस्त की बुनियाद पर इसका निर्माण और विकास चाहते हैं । विभिन्न समुदायों एवं गिरोहों के बीच टकराव को वे ग़लत और अनुचित समझते हैं । और उनमें एकता और सामंजस्य की भावना जाग्रत करना चाहते हैं । वे किसी के दोस्त या किसी के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि सब इन्सानों को एक ख़ुदा की मख़लूक़ समझते हैं और उनके भलाई के इच्छुक हैं । वे इस देश के सामने ज़ुल्मो-ज़्यादती को समाप्त करने और न्याय ओर इन्साफ़ स्थापित करने वालों की हैसियत से आएं और यहां की सांप्रदायिक एवं गिरोही संघर्ष को समाप्त करें । कमज़ोर वर्गों को शक्तिशाली वर्गों के अत्याचार से बचाएं और उन्हें बताएं कि सभी इन्सान एक हैं ।

क़ुरआन मजीद ने आपस में लड़ने-झगड़ने और समाज में इन्तिशार पैदा करने से मना किया है और कहा है कि इससे तुम कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हारे क़दम उखड़ जाएंगे । आज उसी परिस्थिति से हम दो-चार हैं । अल्लाह तआला ने इस उम्मत को कुछ बुनियादी अक़ीदों और नज़रियों के तहत एकजुट एवं संगठित किया था और वह एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर उभरी थी । विरोधी शक्तियां उससे टकरातीं लेकिन उसमें कोई शिग़ाफ़ नहीं डाल पाती थीं । लेकिन इत्तिहाद पैदा करने वाले ये अक़ीदे और नज़रिये ही हमारी निगाहों में ओझल हो गये हैं । छोटी-छोटी समस्याओं ने हमारी पंक्तियों में बड़े-बड़े शिग़ाफ़ डाल दिये हैं और हम एक-दूसरे से हाथा-पाई पर उतारू हैं । कुछ समस्याओं में मतांतर स्वाभाविक है । वह मतांतर मौजूद है और रहेगा । लेकिन उनमें अधिकांश समस्याएं छोटी और महत्वहीन हैं । लेकिन विभिन्न कारणों से यही समस्याएं हमारे बीच फूट का कारण बन गयी है । इन परिस्थितियों को समाप्त होना चाहिए ।

इस सच्चाई को हम भुला नहीं सकते कि इस उम्मत का नफ़ा-नुक़सान एक है । उस पर यदि कोई मुसीबत आती है तो किसी का मसलक पूछ कर नहीं आती, बल्कि उम्मत के एक सदस्य की हैसियत से आती है । यह उम्मत यदि उभरेगी तो मुस्लिम उम्मत की हैसियत से ही उभरेगी । इस देश में हमारी मौजूदा समस्याओं का एक कारण यह भी है कि बारह करोड़ की संख्या में होने के बावजूद हमारी कोई एक आवाज़ नहीं है । हमारी आवाज़ एक होती तो संभवत: हमारी समस्याएं भी इतनी पेचीदा न होतीं ।

इस समय सबसे महत्वपूर्ण और फ़ौरी समस्या यह है कि देश के विभिन्न समुदायों के बीच घृणा, द्वेष, पक्षपात और तंगनज़री का जो वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका भरपूर मुक़ाबला किया जाए । अम्नो-अमान बहाल हो, क़ानून का शासन चले, न्याय और इन्साफ़ हो, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो । प्रगति की राहें सबके लिए खुली रहें । और हरेक को अपनी योग्यतानुसार देश और क़ौम की सेवा का अवसर प्राप्त हो । जो मतभेद हों उन्हें गंभीरता के साथ शांतिपूर्ण माहौल में हल करने का प्रयास किया जाए ।

यह किसी एक व्यक्ति या गिरोह की नहीं, बल्कि पूरे देश की ज़रूरत है । यह इस देश की आंतरिक आवाज़ है, जिसे दबाने की कोशिश की जाती है । इस लंबे-चौड़े देश में एक छोटा-सा समुदाय है, जो यहां के वातावरण को प्रदूषित करना चाहता है और कर रहा है । दंगों को हवा देता है और उसमें शरीक रहता है । उस समुदाय का कोई दीन-धर्म या अख़्लाक़ नहीं है । उसके पीछे जो नापाक उद्देश्य हैं, उन्हें सारी दुनिया जानती है । इस समुदाय के लोग हर जगह और हर क़ौम में मिल जाएंगे ।

इस देश की बहुत बड़ी आबादी अम्नो-अमान और सुकून चाहती है । उसके पास इन हंगामों के लिए समय नहीं है और न ही यह उनका मिज़ाज है । उसकी कमज़ोरी यह है कि इन नाज़ुक परिस्थितियों में चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है । उसके अन्दर हक़ को हक़ और नाहक़ को नाहक़ कहने की हिम्मत और हौसला नहीं है ।

FARAZ KHAN
Mob. : 9644925929

CELO CITY MOBILE SHOP

0% Finance Available in All Mobiles



EXCHANGE FACILITY AVAILABLE



FINANCE ONLY IN 15 MINAT

Add. - 1, Moti Bazar, Opp. Moti Masjid,
Sultania Road Bhopal (M.P.)
Contact : 0755-4277427, 9039226782, 8962469833

हमारी अहम पुस्तकें

आवागमनीय पुर्नजन्म	डॉ० मुहम्मद अहमद	50.00
अनेकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	70.00
एकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	35.00
एक ईश्वर की धारणा	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	40.00
परलोक की छाया में	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	90.00
पहेली जीवन की	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	12.00
रिसालत	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	45.00
लोगोः हिसाब का समय निकट आ चुका है	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	14.00
खुदा की गुलामी इंसान की बुलन्दी	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	18.00
जीवन मृत्यु के पश्चात्	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
बनाव और बिगाड़	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
शान्ति-मार्ग	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
सोचने की बातें	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
प्यारी माँ के नाम इस्लामी संदेश	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	10.00
मानव जीवन और परलोक	शोबा-ए-दावत	24.00
मुक्ति-मार्ग	इनामुर्रहमान ख़ाँ	10.00
मौत के बाद क्या?	डॉ० शाहिद अली	10.00
मरने के बाद क्या होगा?	बिन्तुल इस्लाम	60.00
सत्य की खोज	मौलाना वहीदुद्दीन खाँ	22.00
नबी करीम (सल्ल०) की दुआएँ (पाकेट साइज़)	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	64.00
रमज़ान कैसे गुज़ारें?	खुर्रम मुराद	26.00
रोज़ा और उसका असली मक़्सद	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
इबादत	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
इस्लाम में पाकी और सफाई	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	20.00
नमाज़ में आप क्या पढ़ते हैं?	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इमान की कसौटी	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	08.00
खुतबाते हरम	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
नमाज़	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	14.00



MMI PUBLISHERS

D-307,Dawat Nagar,Abul Fazal Enclave,Jamia Nagar,New Delhi-110025
Phone: 26981652,26984347 Fax: 26987858
E-mail:mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

डॉ॰ इक़बाल का दर्शन

■ डॉ॰ लक्ष्मी सक्सेना

अधिकतर समकालीन भारतीय दार्शनिकों के विषय में ये बातें समान रूप से कही जा सकती हैं–वे अपने चिंतन का आधार अपने धर्म को बनाते हैं, अपने पारंपरिक दर्शन की तुलना पाश्चात्य दर्शन से करते हैं और अपने दर्शन को श्रेष्ठतर मानते हैं, अपने दर्शन को आधुनिक विज्ञान से समर्थित मानते हैं । इक़बाल के दर्शन में भी ये तीनों बातें पायी जाती हैं । उनके दर्शन का मूल आधार कुरआन उनका प्रेरणा स्रोत ही नहीं है, बल्कि अद्यावधि ज्ञात सत्यों की सीमा है । वे मानते हैं कि दर्शन धर्म का सेवक नहीं है, और न मनुष्य संपूर्ण सत्य को जान पाया है । फिर भी उनका विश्वास है कि कुरआन में वर्णित सिद्धांत निश्चित रूप से सत्य हैं, और जीवन पर्यंत उन्होंने कविता एवं व्याख्यानों द्वारा कुरआन में निहित सिद्धांतों की व्याख्या की । उनका मत है कि मुसलमानों के पतन का कारण कुरआन के मूल रूप को भुला देना है । उनके अनुसार सर्वेश्वरवाद एवं सुफ़ीमत ने कुरआन के सिद्धांतों की सही व्याख्या नहीं की । परिणामस्वरूप इस्लामी समाज निष्क्रिय एवं आत्मनिषेधक हो गया । डॉ॰ मुहम्मद इक़बाल का उद्देश्य कुरआन की सही व्याख्या देकर इस्लामी समाज में नवचेतना उत्पन्न करना था ।

इसके लिए उन्होंने पाश्चात्य दर्शन एवं आधुनिक विज्ञान की सहायता ली है । उनके अनुसार, मार्गन के आरंभिक विकासवाद एवं आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद से कुरआन के जगत संबंधी विचारों का समर्थन होता है । इसी प्रकार उन्होंने व्हाइटहेड, वर्गसां, वार्ड मैक्टैगर्ट एवं नीत्शे का उपयोग अपने विचारों के समर्थन के लिए किया है । जो सिद्धांत कुरआन के अनुकूल नहीं हैं उनकी इक़बाल ने आलोचना की है । हिन्दू तथा बौद्ध दार्शनिकों का कुछ गिने-चुने स्थानों पर छोड़कर विशेष उल्लेख नहीं किया है ।

इतना निर्विवाद रूप से सत्य है कि इक़बाल बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विद्वान थे और एक साथ उनका कई विषयों एवं भाषाओं पर अधिकार था । किंतु संभवत: अपने समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण वे इस्लाम, हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) एवं कुरआन के प्रति इतना अधिक प्रतिबद्ध हो गये थे कि उनका मूल रूप केवल व्याख्याकार का ही रह जाता है । सभी संभावनाओं के होते हुए भी इक़बाल इब्नुल-अरबी के समान दार्शनिक न हो सके, यद्यपि काव्य में वे निस्संदेह मौलाना रूमी के समकक्ष हैं ।

अल्लामा मुहम्मद इक़बाल का जन्म 22 फ़रवरी, 1873 को स्यालकोट में हुआ था । उनके पूर्वज काश्मीरी ब्राह्मण थे । इक़बाल की आरंभिक शिक्षा स्यालकोट में ही हुई । वे उच्च शिक्षा के लिए 1895 ई॰ में लाहौर आ गये थे । स्यालकोट में ही इक़बाल ने कविताएं लिखना शुरू किया था, किंतु लाहौर आकर उनका कई कवियों एवं विद्वानों से परिचय हुआ और उनकी ख्याति बढ़ने लगी । उन्होंने उर्दू एवं फ़ारसी दोनों में लिखा । कुछ अंग्रेज़ी कविताओं का भी अनुवाद किया । 1905 में इक़बाल यूरोप गये । वहां कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी में उन्होंने दर्शन का अध्ययन किया । कुछ समय बाद वे जर्मनी गये और म्यूनिख़ यूनीवर्सिटी से फ़ारसी तत्वशास्त्र पर पी॰एचडी॰ की डिग्री प्राप्त की । इसी समय इक़बाल पर जर्मन साहित्य एवं दर्शन का प्रभाव पड़ा, विशेषकर नीत्शे का ।

1908 ई॰ में इक़बाल लाहौर आ गये और वकालत शुरू की । वे कुछ समय तक इंगलिश और दर्शन में पार्ट टाइम प्रोफ़ेसर भी थे । इक़बाल लगातार कविताएं एवं दार्शनिक विषयों पर लिखते रहे, उनकी प्रसिद्ध कृतियां निम्न हैं–असरार-ए-खुदी (1915), रूमूज़-ए-वेखुदी (1918)- 1918 के बाद लिखी कविताओं में काव्य सौंदर्य अधिक है । बांग-ए-दरा, पयाम-ए-मशरिक, जबूर-ए-अजम, जावेदनामा, बाल-ए-जिबरील, दर्व-ए-कलीम और मृत्यु पश्चात् प्रकाशित अर्मुगान-ए-हिजाज़ । दर्शन में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'सिक्स लेक्चर्स ऑन दि रिकान्स्ट्रक्शन आव रिलिजस थाट इन इस्लाम' है । इसके अतिरिक्त उनके कुछ लेख भी हैं ।

इक़बाल को 1922 ई॰ में नाइट की उपाधि दी गयी । वे कई बार यूरोप गये । उन्होंने भारत के प्रमुख शहरों का भी भ्रमण किया था और वे काफ़ी समय तक भोपाल में थे । 21 अप्रैल, 1938 को उनकी मृत्यु हो गयी ।

अल्लामा मुहम्मद इक़बाल के दर्शन का मूल आधार कुरआन तथा अन्य इस्लामी साहित्य है । इनका अध्ययन उन्होंने प्रारंभ में ही किया था । इक़बाल पर अन्य जो भी प्रभाव पड़ा, उसे उन्होंने तभी स्वीकार किया जब वह पवित्र कुरआन के सिद्धांतों के अनुकूल तथा उसकी व्याख्या में सहायक था । बशीर दर के अनुसार, 'इस प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद ही इक़बाल ने पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन आरंभ किया, और उन्होंने इसका आलोचनात्मक अध्ययन इस्लाम द्वारा निर्धारित विशेष परिप्रेक्ष्य में ही किया । उनके अनुसार इस्लाम पर ग्रीक दर्शन तथा उससे प्रभावित सूफ़ी दर्शन का बहुत ही भ्रामक प्रभाव पड़ा । इसी प्रभाव के कारण इस्लाम में अतीन्द्रिय सत्ता को अधिक महत्व दिया गया, परलोक तथा संन्यास की ओर प्रवृत्ति बढ़ी और निस्पृहता तथा मनन को प्रमुख स्थान दिया गया । इक़बाल के अनुसार ये सभी बातें इस्लाम की अपेक्षा ईसाइयत के अधिक अनुरूप थीं । इक़बाल ने इन सिद्धांतों की आलोचना की । उनके अनुसार इस्लाम की मूल शिक्षाओं की व्याख्या अल-बैकलानी के आध्यात्मिक अनुवाद, ग़ज़ाली द्वारा ग्रीक दर्शन की आलोचना और इब्न तैमिया द्वारा अरस्तू के तर्कशास्त्र की आलोचना में मिलती है ।

इक़बाल पर इस्लामी साहित्य में कुरआन के बाद सर्वाधिक प्रभाव मौलाना रूमी का है । रूमी की मसनवी एवं दीवान में निहित विचारों का इक़बाल पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है । यह विवाद का विषय है कि इस्लाम में रहस्यवाद कितना ग्रीक दर्शन से आया और कितना बौद्ध तथा वेदांत दर्शनों में, किंतु इतना स्पष्ट है कि रूमी के समय में रहस्यवाद इस्लाम साधना का अंग बन गया था । रूमी ने तर्क की अपेक्षा अनुभव को प्रधान माना, आत्मनिषेध के स्थान पर आत्मा की सत्ता स्वीकार की, तक़दीर की नयी व्याख्या की और विकास का सिद्धांत स्वीकार किया । इक़बाल ने इन सभी सिद्धांतों को अपनाया है । रूमी और इक़बाल दोनों ने हज़रत आदम (अलैहि॰) को आदर्श मानव माना । दोनों के अनुसार अमरता संघर्ष से प्राप्त होती है । रूमी ने प्रेम (इश्क़) को सृष्टि मात्र का मूल नियम माना । प्रेम से ही जीवन को गति मिलती है । इक़बाल ने भी प्रेम को तर्क से अधिक महत्व दिया है । प्रेम से ही आत्म-पूर्णता संभव है, एवं प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है ।

पाश्चात्य दार्शनिकों में हम सबसे पहले नीत्शे को लेते हैं । इक़बाल की 'असरार-ए-ख़ुदी' पर सबसे अधिक प्रभाव नीत्शे का ही है । यह बात आंतरिक प्रमाण तथा इक़बाल की बातचीत दोनों से सिद्ध होती हैं । अन्य रचनाओं में यह प्रभाव इतना अधिक नहीं है किंतु जावेदनामा, पयामे-ए-मशरिक़ तथा अन्य कविताओं में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है । इक़बाल ने कई धारणाओं को नीत्शे से लिया है और कई कविताएं स्वयं नीत्शे पर लिखी हैं । इक़बाल ने नीत्शे को 'कांच की दुकान में प्रविष्ट उन्मत्त व्यक्ति' कहा है । इक़बाल के अनुसार नीत्शे 'बुद्धि से नास्तिक, किंतु हृदय से आस्तिक' दार्शनिक हैं । नीत्शे 'बिना क्रास का हल्लाज' है । इसी प्रकार इक़बाल के अनुसार नीत्शे एक मज्जूब है, जो दिव्य प्रेम में डूबा हुआ है । पाश्चात्य मनोविज्ञान इसे नहीं समझ पाया था और इसीलिए पाश्चात्य विद्वानों ने उसे विक्षिप्त कहा । इक़बाल ने लिखा है कि यदि आज नीत्शे जीवित होता तो वे उसे ईश्वर का स्थान दिखा देते–

"अगर होता वह मज़्जूब फिरंगी इस ज़माने में ।
तो इक़बाल उसको समझाता मक़ाम-ए-किब्रिया क्या है ।"

किंतु इक़बाल ने नीत्शे की उन्हीं धारणाओं को अपनाया है, जो इस्लाम के अनुकूल हैं । नीत्शे आधुनिक दार्शनिक हैं और उसकी भाषा में पाश्चात्य एवं ईसाई दर्शन के आदर्शों को सरलता से ध्वस्त किया जा सकता है । संभवत: इसी कारण इक़बाल ने नीत्शे के शस्त्रागार से अत्यधिक सशक्त एवं विध्वंसक शस्त्रों का उपयोग किया था ।

नीत्शे के जिन विचारों का इक़बाल ने उपयोग किया उनका संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है । नीत्शे के अनुसार ग्रीक संस्कृति डायोनिसियस की उपासक थी । इस संस्कृति की सर्वोत्तम तत्व बुद्धि के विरोध में प्रेम एवं सौंदर्य है । यह प्रवृत्ति सबसे अधिक संगीत में व्यक्त होती है । बुद्धि सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकती, उसे प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । रूमी ने भी संगीत को अपनी साधना का अंग बनाया था । इसी प्रकार इक़बाल तर्क एवं बुद्धि के विरोध में काव्य एवं प्रेम को अपनाते हैं । नीत्शे ने प्लेटो एवं अरस्तू के बुद्धिवाद की आलोचना की और इक़बाल प्लेटो को भेड़ कहते हैं, इक़बाल ने बुद्धिवाद से प्रेम को सर्वश्रेष्ठ माना है–

नीत्शे ने शापेनहावर का अनुसरण करते हुए बुद्धि के स्थान पर संकल्प को मुख्य तत्व माना था । इक़बाल भी इसे

स्वीकार करते हैं । किंतु जहां नीत्शे 'शक्ति उन्मुख संकल्प' मानता है, इक़बाल ने 'शक्ति एवं दृष्टियुक्त संकल्प' माना है ।

नीत्शे ने ईसाई नैतिक आदर्शों की आलोचना की । उसके अनुसार शक्ति ही सद्गुण है, किंतु ईसाई धर्म ने शक्ति के स्थान पर सहनशीलता को सद्गुण मानकर मानव-संस्कृति को पतन के कगार पर खड़ा कर दिया । सहनशीलता, दया, संतोष मनुष्य को शक्तिहीन बनाते हैं । नीत्शे ने इन आदर्शों की आलोचना कर इनके स्थान पर ऐसी नैतिकता की कल्पना की, जो अतिमानव के विकास में सहायक हो । ईसाई नीति जीवन-निषेध की ओर ले जाती है, जबकि वास्तविक नीति जीवन एवं जगत को स्वीकार करती है । इसी कारण मूर्ख एवं दरिद्र का महात्म्य गाया गया, सांसारिक सौंदर्य की आलोचना की गयी एवं मनुष्य को हज़रत आदम (अलैहि॰) के पाप का भागीदार माना गया । नीत्शे ने इन भ्रामक आदर्शों को नहीं माना ।

इक़बाल ने इन आलोचनाओं का सहर्ष स्वागत किया एवं उन्हें आधार मानकर इस्लाम में प्रविष्ट ईसाई प्रभाव का खंडन किया । नीत्शे के पहले ही मुसलमान विद्वानों ने ईसाई मत की आलोचना की थी । इक़बाल ने नीत्शे का अनुसरण करते हुए इस्लाम को पुनः ईसाई नीति से मुक्त करने की चेष्टा की । इक़बाल के अनुसार इस्लाम का सारतत्व जिहाद ही जीवन का नियम एवं सत्य है । जीवन कठिनाइयों एवं दुखों से भरा हुआ है किंतु जिहाद इन कठिनाइयों को दूर करता है । जिहाद द्वारा जीवन का विकास करना एवं आत्मा की पूर्णता प्राप्त करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है ।

बुद्धिवाद एवं ईसाई मत की आलोचना के बाद नीत्शे ने अतिमानव की कल्पना की । उसके अनुसार विकास का उद्देश्य अतिमानव उत्पन्न करना है । अतिमानव सभी अर्थों में शक्तिसंपन्न है । इक़बाल ने इस धारणा को बेहिचक स्वीकार किया है । किंतु यह धारणा भी इस्लाम में थी और इक़बाल इससे परिचित थे । इक़बाल ने लिखा है कि उन्होंने 'ऐंटीक्वेरी' पत्रिका में अब्दुल करीम अल-जिन्नी के अनुसार पूर्ण मानव के स्वरूप पर लेख लिखा था । उनका पूर्ण मानव नीत्शे की अपेक्षा मौलाना रूमी के आदर्शों के अधिक अनुरूप है ।

नीत्शे के अनुसार अतिमानव सृष्टि का लक्ष्य है । वह सतत संघर्ष द्वारा अपना पूर्ण विकास करता है । कठोरता एवं संघर्षशीलता उसके अनिवार्य गुण हैं । नीत्शे के अनुसार अतिमानव अपना आदर्श स्वयं है । उसके आगे या पीछे अतिमानव ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है । वह मूल्यों का स्रष्टा है । ईश्वर का निषेध छोड़कर अन्य बातों को इक़बाल ने स्वीकार किया है । असरार-ए-खुदी, में पूर्णमानव को नये मूल्यों का स्रष्टा कहा गया है । वह मानवता का लक्ष्य है । 'हज़रत अली' का अर्थ बताते समय इक़बाल ने पूर्ण मानव की व्याख्या की है । पूर्णमानव का व्यक्तित्व स्वतंत्र एवं सृजनशील होता है । वह वातावरण को अपने अनुकूल बनाता है । वह एक नये जगत की सृष्टि करता है ।

इक़बाल का पूर्णमानव रूमी के पूर्णमानव की तरह ईश्वर का बंदा ही रहता है । न तो वह ईश्वर हो सकता है, न ईश्वर का निषेध कर सकता है ।

अल्लामा इक़बाल के ईश्वर संबंधी विचारों पर फिक्टे एवं बर्गसां का भी प्रभाव है । फिक्टे के अनुसार सत्ता 'क्रियाशील आत्मा' है । नैतिक विकास एवं संघर्ष के लिए क्रियाशील आत्मा ही 'अन्य' की उत्पत्ति करता है । इक़बाल ने 'असरार-ए-खुदी' में इस धारणा को व्यक्त किया है । आत्मा की क्रियाशीलता के वर्णन में इक़बाल नीत्शे की अपेक्षा फिक्टे से अधिक प्रभावितत हैं । इसी प्रकार सत्ता को प्रवाह मानने एवं वास्तविक काल को वर्तना मानने और अनुभूति को दार्शनिक प्रणाली मानने में इक़बाल वर्गसां से प्रभावित हैं, किंतु यहां भी इक़बाल कुरआन की सीमा में ही वर्गसां का सिद्धांत मानते हैं । कुरआन में सृष्टि के संबंध में दो कथन मिलते हैं–(1) ईश्वर ने छह दिन में सृष्टि की रचना की (2) ईश्वर ने पलक झपकने के समय में ही सृष्टि की । इक़बाल ने इसकी व्याख्या करते समय वर्गसां की भांति दो काल माना : दैशिक काल एवं वास्तविक काल ।

दैशिक काल के अनुसार सृष्टि में काफ़ी समय लगता है, किंतु वास्तविक काल में यह सतत प्रक्रिया है, जिसमें निरंतरता बनी रहती है । इसी प्रकार हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के कथन 'समय की निंदा मत करो' को आधार मान कर इक़बाल ने वर्गसां के नास्तिकवाद को आस्तिकवाद में बदल दिया । इक़बाल वर्गसां की भांति सत्ता को प्रवाह तो मानते हैं, किंतु वे इसे निरुद्देश्य नहीं मानते । अंत में विश्व को अनंत आत्माओं की इकाई मानने में इक़बाल जोसिया रवायस, मैक्टैगर्ट एवं जेम्स वार्ड से प्रभावित हैं ।

आधुनिक वैज्ञानिकों में इक़बाल पर मार्गन, एडिंगटन, व्हाइटहेड एवं आइंस्टाइन का प्रभाव है । इक़बाल ने आरंभिक विकासवाद का सिद्धांत स्वीकार किया है । इसके अनुसार विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अपना विशेष नियम है । उच्च अवस्था की व्याख्या निम्न अवस्था के नियमों से नहीं हो सकती । रूमी ने पहले ही इसकी कल्पना की थी । आइंस्टाइन ने दिखाया कि जड़ तत्व स्थिर एवं द्रव्यात्मक नहीं है । उसने सापेक्षतावाद के अनुसार विश्व की व्याख्या की । इक़बाल ने इन धारणाओं का उपयोग किया है । किंतु वैज्ञानिक सिद्धांतों की व्याख्या करते समय भी इक़बाल कुरआन की ही सीमा में रहते हैं । वे अपने मत की पुष्टि के लिए आरंभिक विकासवाद का उपयोग करते हैं, पर साथ ही यह भी कहते हैं कि आरंभण ईश्वर के कारण होता है । इसी प्रकार वे सापेक्षतावाद का उपयोग करते हैं किंतु यह भी मानते हैं कि आइंस्टाइन वास्तविक काल का स्वरूप नहीं समझ सके ।

अंत में यह कहा जा सकता है कि इक़बाल ने आधुनिक दर्शन एवं विज्ञान का उपयोग कुरआन के सिद्धांतों की पुष्टि के लिए किया है । जहां वे उचित समझते हैं नीत्शे, फिक्टे, वर्गसां, वार्ड, मैक्टैगर्ट, मार्गन, आइंस्टाइन आदि के विचारों का उपयोग करते हैं । किंतु उनका मूल आधार कुरआन एवं मौलाना रूमी का काव्य है ।

जैसा एम०ए० शरीफ़ ने लिखा है, इक़बाल का दर्शन तीन अवस्थाओं में बांटा जा सकता है । पहली अवस्था 1905 से 1908 तक है । इस अवस्था में इक़बाल पारंपरिक इस्लामी एवं नव्य प्लैटानिक रहस्यवाद को मानते हैं । इस अवस्था में ईश्वर को शाश्वत सौंदर्य माना गया है और वही सर्वत्र गति का स्रोत है । यहां इक़बाल का विचार वही है जो सर्वेश्वरवादियों का था । दूसरी अवस्था 1908 से 1920 तक है । इसमें इक़बाल वार्ड एवं मैक्टैगर्ट के प्रभाव में अनेक आत्माओं की सत्ता स्वीकार करते हैं । इसी समय वे रूमी की ओर आकृष्ट होते हैं और आत्मा की अमरता, स्वतंत्रता तथा पूर्णता की ओर विकास का सिद्धांत अपनाते हैं । इसी समय वे नीत्शे एवं वर्गसां के प्रभाव में प्रवाह अथवा गति को सत्ता का मूल रूप मानने लगते हैं । फिक्टे का प्रभाव भी इसी समय का है । ये सारे प्रभाव बांग-ए-दरा, असरार-ए-खुदी एवं रूमूज़-ए-बेखुदी में स्पष्ट हैं । इस अवस्था में ईश्वर की अवधारणा शाश्वत सौंदर्य के रूप में नहीं अपितु पूर्ण आत्मा के रूप में की गयी है । तृतीय अवस्था 1920 से 1938 तक है । इसमें आत्मा की क्रियाशीलता पूर्ववत् है, किंतु गति अथवा प्रवाह को अधिक महत्व मिल जाता है । ईश्वर संपूर्ण सत्ता है, और संपूर्ण सत्ता अनिवार्यत: प्रवाह है ।

इक़बाल की तत्वमीमांसा पर लिखने के पहले संक्षेप में उनकी अनुभूतिमूलक पद्धति की व्याख्या आवश्यक है । जो दार्शनिक तत्वमीमांसा का खंडन करते हैं वे ज्ञान को इन्द्रिय-प्रत्यक्ष एवं विचार तक सीमित रखते हैं । इक़बाल के अनुसार, यदि ज्ञान की यही सीमा है तो न तो तत्वमीमांसा संभव है न सत्ता का ज्ञान ही हो सकता है । यही कारण है कि कांट ने तत्वमीमांसा की संभावना नहीं मानी । किंतु इक़बाल ज्ञान को इन्द्रिय-प्रत्यक्ष तक सीमित नहीं करते । अतीन्द्रिय सत्ता का ज्ञान अनुभूति के द्वारा संभव है । अनुभूति द्वारा आत्मा का अस्तित्व, अमरता तथा ईश्वर का अस्तित्व ज्ञात होता है ।

अनुभूति को अधिकांश दार्शनिकों ने माना है । जब मनुष्य सीमित तथा इन्द्रिय प्रत्यक्ष से संतुष्ट नहीं होता, तो वह अनुभूति का आश्रय लेता है । वह संपूर्ण सत्ता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना चाहता है और यह किसी न किसी प्रकार की अनुभूति से ही संभव है । इस्लामी रहस्यवादियों, जैसे ग़ज़ाली, ने अनुभूति को ही वास्तविक ज्ञान माना था । किंतु उनके अनुसार अनुभूति एक विशेष प्रकार का ज्ञान है, जो विचार एवं प्रत्यक्षानुभव से पूर्णत: भिन्न है । अनुभूति की यह धारणा उसकी प्रामाणिकता के विषय में संशय उत्पन्न करती है । संभवत: इसी कारण इक़बाल ने अनुभूति को प्रत्यक्ष तथा विचार की ही भांति ज्ञान माना है । अनुभूति निस्संदेह बुद्धि तथा प्रत्यक्ष से श्रेष्ठ है, किंतु इनमें प्रकार का अंतर नहीं है । अनुभूति होते हुए भी यह ज्ञानात्मक है और वैसे ही विषयगत है जैसे साधारण ज्ञान ।

इक़बाल के अनुसार, अनुभूति का प्रस्थान बिन्दु आत्मा है, आत्मा की अनुभूति निश्चिंत एवं संशयरहित है । प्रत्येक क्रिया, ज्ञान एवं विचार में आत्मानुभूति निहित है । अनुभूति से हमारी वास्तविक सत्ता अपनी संपूर्णता में प्रकाशित होती है । इक़बाल के अनुसार यह पद्धति बुद्धिवाद एवं अनुभववाद से भिन्न है और दोनों के दोषों से मुक्त है । आत्मानुभूति के आधार पर ईश्वर तथा जगत की व्याख्या हो सकती है । अनुभूति की निम्न विशेषताएं हैं–

(1) अनुभूति में सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव है । इसके द्वारा हम आत्मा तथा ईश्वर को वैसे ही जानते हैं जैसे इंन्द्रिय प्रत्यक्ष में वस्तुओं को । अनुभूति प्रत्यक्ष होने के कारण बुद्धि से भिन्न है, क्योंकि बुद्धि अप्रत्यक्ष है । किंतु अनुभूति में इन्द्रिय संवेदों का कोई स्थान नहीं है ।

(2) अनुभूति में सत्ता का ज्ञान संपूर्णता में होता है । इन्द्रिय एवं बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान आंशिक एवं खंडित होता है । इसी प्रकार इन्द्रिय एवं बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान दैशिक काल में होता है, किंतु अनुभूति द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक काल में होता है । वास्तविक काल में होने वाला परिवर्तन क्रमहीन होता है ।

(3) अनुभूति हृदय का गुण है, इन्द्रियों एवं बुद्धि का नहीं । इन्द्रियों एवं बुद्धि द्वारा केवल आभास का ज्ञान होता है । अनुभूति द्वारा वास्तविक सत्ता का ।

(4) अनुभूति असंप्रेषणीय है । यह मूलत: वैयक्तिक अनुभव है और इसीलिए भाषा द्वारा इसे पूर्णत: व्यक्त नहीं किया जा सकता । यह सभी कोटियों के परे है । किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि अनुभूति विषयहीन है । इक़बाल ने अनुभूति की प्रामाणिकता के लिए दो मापदंड माना है–बौद्धिक और व्यावहारिक । वे मानते हैं कि इन दोनों मापदंडों पर अनुभूति की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सकती है ।

(5) अनुभूति अविश्लेष्य है । अनुभूति में अनुभवकर्ता भी निमग्न हो जाता है किंतु यह निमग्नता केवल कुछ समय के लिए है और इस स्थिति में भी व्यक्तित्व का विलय नहीं होता ।

वर्गसां भी अनुभूति मानता है, किंतु वर्गसां एवं इक़बाल की धारणाओं में अन्तर है । वर्गसां के अनुसार अनुभूति 'बौद्धिक सहानुभूति' है । इक़बाल के अनुसार अनुभूति सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव है, सहानुभूति नहीं । अनुभूति के क्षेत्र में विषय में भी दोनों में अन्तर है । मेरे विचार से इक़बाल की अनुभूति संबंधी धारणा अन्य रहस्यवादियों की धारणा से भिन्न नहीं है । उनका मत है कि अनुभूति गुणात्मक दृष्टि से साधारण अनुभव से भिन्न है । किंतु जब वे अनुभूति को भाषा एवं विचार की कोटियों से परे मानते हैं, तो अनुभूति साधारण से श्रेष्ठ ही नहीं, प्रकार में भी भिन्न हो जाती है । रहस्यवादियों की धारणा भी मूलत: यही है ।

इक़बाल ने आत्मा और शरीर के संबंध का विश्लेषण किया है । उनका कहना है कि जड़त्व का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना जा सकता । देकार्त ने आत्मा एवं शरीर की पृथक-पृथक द्रव्य माना था, किंतु वह इन दोनों का संबंध दिखाने में सफल नहीं हुआ । इक़बाल पारस्परिक क्रियावाद और समानांतरवाद दोनों की आलोचना करते हैं । इक़बाल के अनुसार, जब मैं कोई कार्य करता हूं तो मेरा कार्य एक अविभांज्य क्रिया है । इस क्रिया में शरीर और आत्मा के कार्य में अंतर करना असंभव है । शरीर शून्य में स्थित ठोस वस्तु नहीं है, बल्कि घटनाओं अथवा क्रियाओं का संस्थान है । अनुभवों का संस्थान अथवा आत्मा भी क्रियाओं का संस्थान है । इसके द्वारा आत्मा और शरीर का अंतर समाप्त नहीं होता, बल्कि दोनों का घनिष्ठ संबंध व्यक्त होता है । आत्मा स्वत: क्रियाशील है और शरीर इसकी अभिव्यक्ति अथवा आदत है । इस रूप में शरीर आत्मा से पृथक नहीं हो सकता । जड़तत्व केवल निम्न स्थितियों वाले जीवों का संगठन है जिससे चेतना का विकास होता है । जीवन और शरीर दोनों आत्म रूप है, और इसीलिए दोनों में संबंध संभव है ।

अब हम इक़बाल के अनुसार आत्मा की अमरता एवं स्वतंत्रता की व्याख्या करेंगे । आत्मा की अमरता के लिए इस्लाम में व्याख्याएं मिलती हैं । मुतकल्लिमीन विचारकों ने ग्रीक प्रभाव में आत्मा को सूक्ष्म प्रकार का अणु माना था, किंतु यह धारणा बाद में अस्वीकृत कर दी गयी । इब्नुल रुश्द ने आत्मा की व्याख्या के लिए शुद्ध तत्वमीमांसा प्रणाली अपनायी । उसने 'नफ़्स' और 'रूह' के अंतर के आधार पर माना कि बुद्धि सार्वभौमिक एवं शाश्वत है, अत: अमर है । इक़बाल इस धारणा को भी नहीं मानते । इसी प्रकार इक़बाल ने कांट के नैतिक प्रमाण का भी खंडन किया है । हल्लाज एवं रूमी का अनुकरण करते हुए वे मानते हैं कि आत्मा वस्तु नहीं क्रिया है ।

कुरआन में सृष्टि के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है । 'ख़ल्क़' और 'अम्र' । ईश्वर 'ख़ल्क़' द्वारा जगत की रचना करता है और 'अम्र' द्वारा आत्माओं को उत्पन्न करता है । 'ख़ल्क़' रचना है किंतु 'अम्र' निर्देश है । ईश्वर के निर्देश से आत्माओं की उत्पत्ति होती है । निर्देश ईश्वर की निर्देशक शक्ति है । निर्देशक शक्ति से उत्पन्न होने के कारण आत्मा का स्वभाव द्रव्यात्मक नहीं, बल्कि निर्देशात्मक (गत्यात्मक) है । मेरा वास्तविक व्यक्तित्व द्रव्य नहीं अपितु

क्रिया है । मेरे अनुभव विच्छिन्न नहीं अपितु परस्पर ओतप्रोत हैं । इस प्रकार ईश्वर ने अपनी निदेशक शक्ति से आत्माओं की उत्पत्ति की । अर्थात आत्मा अजन्मा नहीं है । इसका विकास निम्न आत्माओं के जटिल संघात से होता है । जैसा इक़बाल कहते हैं यह व्याख्या प्राणिशास्त्रीय है । उनके अनुसार, आत्मा की अमरता के लिए किसी प्रकार का प्रमाण नहीं दिया जा सकता, न आत्मा की अमरता को तथ्य के रूप में लिया जा सकता है । आत्मा की अमरता अनुभूति से ही ज्ञात होती है ।

वास्तविक काल में स्थिति ही आत्मा की स्वतंत्रता है । इक़बाल के अनुसार, हमारी प्रत्येक क्रिया में स्वतंत्रता व्यक्त होती है । यह स्वतंत्रता मनुष्य की सृजनात्मक क्रियाशीलता है । प्रकृति इस क्रियाशीलता में बाधक नहीं, अपितु साधक है । प्रकृति के क्षेत्र में ही आत्मा की क्रियाशीलता व्यक्त होती है । आत्मा का निदेशात्मक होना ही इसकी स्वतंत्रता सिद्ध करता है । ईश्वर अपनी स्वतंत्रता को स्वेच्छा से सीमित कर आत्माओं की उत्पत्ति करता है और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करता है ।

इस प्रकार अमरता की भाँति स्वतंत्रता भी प्रयास से अर्जित होती है । इसी संबंध में इक़बाल 'तक़दीर' की व्याख्या करते हैं । वे यह मानते हैं कि ऐतिहासिक कारणों से इस्लाम में 'तक़दी' का अर्थ परतंत्रता मान लिया गया, किंतु यह धारणा क़ुरआन सम्मत नहीं है । रूमी की तरह वे मानते हैं कि ईश्वर निस्संदेह मनुष्य को उसकी तक़दीर प्रदान करता है, किंतु 'तक़दी' केवल उसकी संभावना है । 'तक़दीर' स्वतंत्रता में बाधक नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की ही उपलब्धि है । इसी संबंध में इक़बाल पूर्णमानव की व्याख्या करते हैं, जिसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं । पूर्णमानव हज़रत मूसा (अलैहि०) की भाँति सत्ता के प्रकाश से आंख नहीं फेर लेता, बल्कि मुस्करा कर उसका साक्षात्कार करता है । वह पूर्ण सत्ता में विलीन नहीं होता, बल्कि पूर्ण सत्ता को अपने में समाहित कर लेता है । यह सामर्थ्य उसमें सोज, इश्क़ और फ़क्र से आती है ।

अल्लामा मुहम्मद इक़बाल के अनुसार वाह्य जगत की सत्ता वास्तविक है । इन्द्रिय प्रत्यक्ष से वाह्य जगत का अस्तित्व सिद्ध होता है । ज्ञान के विश्लेषण से भी वाह्य जगत की सत्ता सिद्ध होती है । प्रत्येक ज्ञान में ज्ञाता एवं ज्ञेय का द्वैत बना रहता है, जिससे ज्ञेय के रूप में वाह्य जगत के अस्तित्व का निषेध नहीं किया जा सकता । अंत में मानवीय क्रिया से भी वाह्य जगत का अस्तित्व सिद्ध होता है । हमारी प्रत्येक क्रिया एक विशेष परिवेश में ही संभव है । इन परिवेशों से ही वाह्य जगत बना हुआ है, किंतु इस जगत का स्वरूप क्या है ?

क़ुरआन का उद्धरण देते हुए इक़बाल मानते हैं कि जगत की रचना मात्र खेल नहीं है । इसका एक विशेष उद्देश्य है, अर्थात जगत की रचना निरुद्देश्य नहीं है । नीत्शे के अनुसार सृष्टि का कोई उद्देश्य नहीं है । बर्गसां का भी यही मत है । उसके अनुसार उद्देश्य भी एक प्रकार का मंत्रवाद है । इक़बाल इस मत का खंडन करते हैं । उनके अनुसार यदि उद्देश्य पूर्वनिर्धारित है, तो निस्संदेह यह एक प्रकार का मंत्रवाद है । इक़बाल इस मत का खंडन करते हैं । किंतु उद्देश्य को खुली संभावना मान लेने पर यह कठिनाई दूर हो जाती है । जैसे हम अपनी प्रत्येक क्रिया में नये उद्देश्य का निर्माण करते हैं, वैसे ही जगत भी अपने विकास में नित्य नवीन उद्देश्यों की सृष्टि करता है । सत्ता अंध प्रेरणा मात्र नहीं है, यह पूर्णतः सोद्देश्य है ।

इक़बाल मानते हैं कि जगत वर्द्धमान है । यह स्थिर, विकासरहित एवं गतिशून्य सत्ता नहीं है । ईश्वर ने जगत का निर्माण इस प्रकार किया है कि अपनी इच्छानुसार इसकी वृद्धि कर सकता है । इक़बाल ने इस संघर्ष में आइंस्टाइन के 'सांत किंतु सीमाहीन' देश तथा 'विकासशील' जगत की धारणाओं का उल्लेख किया है । वे नीत्शे के नित्यावर्तन सिद्धांत का खंडन करते हैं और जगत के निरंतर विकास को स्वीकारते हैं ।

ईश्वर सर्वशक्तिमान है, किंतु सर्वशक्तिमान का अर्थ अंध असीमित शक्ति नहीं है । एक विशेष अर्थ में यह सीमित है और सीमित होना इसके स्वभाव से ही सिद्ध होता है । ईश्वर किसी वाह्य शक्ति से सीमित नहीं है क्योंकि उसके बाहर कुछ नहीं है । न यह किसी पूर्व निर्धारित साध्य से सीमित होता है, क्योंकि ईश्वर स्वतंत्र क्रियाशील शक्ति है । ईश्वर स्वयं अपना साध्य निर्धारित करता है और इस प्रकार अपना संकल्प सीमित करता है । यहां एक गंभीर समस्या उत्पन्न होती है । यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान एवं शुभ संकल्प वाला है तो अशुभ क्यों है ? इक़बाल के अनुसार ईश्वर मनुष्य की परीक्षा एवं पूर्णता की प्राप्ति के लिए अशुभ की उत्पत्ति करता है ।

इस्लाम का तात्विक दर्शन

❖ **मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी**

ईश-भक्ति से जो नैतिक शक्ति मनुष्य को मिलनी संभव थी, अधिकतर मनुष्य तो उसे सर्वथा प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं और एक अति अल्पसंख्या इसको प्राप्त कर रही है, परन्तु मानवता के नेतृत्व से उसने स्वयं हाथ खींच लिया है, इसलिए इसकी दशा उस बैट्री की भांति है, जिसमें बिजली भरी जाए और वह यूं ही रखे अपनी आयु पूरी कर दे ।

मानव-संस्कृति की गाड़ी व्यवहारतः जो लोग इस समय चला रहे हैं, उनके नीतिशास्त्र ईश्वर तथा पारलौकिक जीवन की आधार भूत कल्पनाओं से रिक्त हैं और जान-बूझकर रिक्त किये गये हैं, तथा नीति में ईश्वर के आदेश स्वीकार करने से उन्होंने सर्वथा इन्कार कर दिया है । यद्यपि उनकी बहुत बड़ी संख्या किसी न किसी मत की मानने वाली है, परन्तु उनके विचार में धर्म प्रत्येक मनुष्य का एक वैयक्तिक विषय है, जिसे मनुष्य को अपने व्यकितत्व तक सीमित रखना चाहिए । जब सामाजिक जीवन तथा उसकी समस्याओं एवं पारस्परिक व्यवहारों से धर्म को कोई संबंध ही नहीं है, फिर इसकी क्या ज़रूरत कि वे इन विषयों को चलाने के लिए किसी अलैकिक आदेश के आकांक्षी बनें । गत शताब्दी के अंत में जिस नैतिक आन्दोलन का आरंभ अमेरिका से हुआ था और जो बढ़ते-बढ़ते इंग्लैंड और दूसरे देशों में फैल गया, उसका आधारभूत मत American Ethical Union के उद्देश्य की सूची में इन शब्दों में स्पष्ट किया गया था–

"मानव-जीवन के समस्त संबंधों में चाहे वे वैयक्तिक हों, सामाजिक हों, राष्ट्रीय हों या अन्तर्राष्ट्रीय, नीति के परम महत्व पर ज़ोर देना, बिना इसके कि धार्मिक विश्वासों अथवा अलौकिक कल्पनाओं का इसमें कोई प्रवेश हो ।"

इस आन्दोलन से प्रभावित होकर इंग्लैंड में Union of Ethical Societies स्थापित हुई, जो आगे चलकर इसी में सम्मिलित हो गयीं । इसका मौलिक उद्देश्य यह ठहराया गया था–

"मानव हितैषिता और सेवा की एक ऐसी शैली का उपदेश देना जो इस सिद्धांत पर अवलंबित हो कि धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य भलाई का प्रेम है और यह कि नैतिक कल्पनाओं तथा नैतिक जीवन के लिए संसार की वास्तविकता और मरणोत्तर-जीवन के संबंध में किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है और यह कि विशुद्ध मानुषिक एवं प्राकृतिक साधनों से मनुष्य को अपने समस्त जीवन-संबंधों में सत्य से प्रेम करने, सत्य जानने और सत्य को प्रयोग में लाने के लिए तैयार किया जाए ।"

इन शब्दों में वस्तुतः उस संपूर्ण वर्ग के विचार एवं भाव प्रकट किये गये हैं, जो इस समय चिंतन, सभ्यता संस्कृति, पारस्परिक व्यवहारों तथा अन्य विषयों में संसार का नेतृत्व कर रहा है । आज संसार के कारोबार को व्यावहारिक रूप से जो लोग चला रहे हैं उन सबके मस्तिष्क पर वही कल्पना



छायी हुई है, जो ऊपर के इन वाक्यों में प्रकट की गयी है । व्यवहारतः सभी ने अपने नीतिशास्त्र को ईश्वर तथा मरणोत्तर जीवन पर विश्वास और धर्म के नैतिक पथ-प्रदर्शन से सर्वथा मुक्त कर लिया है । अब हमें उन नैतिक दर्शनशास्त्रों का जिन्हें धर्म से मुक्त होकर उन्होंने अंगीकृत किया है, सिंहवलोकन करके देखना चाहिए कि इनकी क्या दशा है ।

नीतिशास्त्र का प्रथम मौलिक प्रश्न यह है कि वह यथार्थ एवं सर्वश्रेष्ठ भलाई क्या है, जिसको पहुंचना मानव चेष्टा एवं प्रयास का लक्ष्य होना चाहिए और जिसकी कसौटी पर मनुष्य की कार्य नीति को परख कर निर्णय किया जाए कि वह अच्छी है या बुरी, शुद्ध या अशुद्ध ?

इस प्रश्न का कोई एक उत्तर मनुष्य नहीं पा सका । इसके बहुत से उत्तर हैं । एक वर्ग के निकट वह भलाई आनंद है, दूसरे के निकट उत्कर्ष है तीसरे के निकट ''कर्तव्य के लिए कर्तव्य'' है ।

नीतिशास्त्र का प्रथम मौलिक प्रश्न यह है कि वह यथार्थ एवं सर्वश्रेष्ठ भलाई क्या है, जिसको पहुंचना मानव चेष्टा एवं प्रयास का लक्ष्य होना चाहिए और जिसकी कसौटी पर मनुष्य की कार्य नीति को परख कर निर्णय किया जाए कि वह अच्छी है या बुरी, शुद्ध या अशुद्ध ?

फिर आनंद के विषय में विभिन्न प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि कैसा आनंद ? क्या वह जो भोग-विलास अथवा काम संबंधी अभिलाषाओं की पूर्ति से प्राप्त होता है ? या वह जो मानसिक उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ने से प्राप्त होता है ? या वह जो अपने व्यक्तित्व को आर्ट या आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से सुसज्जित कर लेने से प्राप्त होता है ? और यह कि किस का आनंद क्या प्रत्येक व्यक्ति का आनंद ? या उस समूह का आनंद जिससे मनुष्य संबंधित है ? या समस्त मानवजाति का आनंद ? या तात्पर्य यह कि दूसरों का आनंद ?

इसी प्रकार उत्कर्ष को लक्ष्य नियत करने वालों के लिए भी बहुत-सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं । उत्कर्ष की कल्पना और इसका मापदंड क्या है ? और उत्कर्ष किसका लक्ष्य है ? व्यक्ति का ? समूह का ? या मानवजाति का ?

इसी प्रकार जो लोग ''कर्तव्य के लिए कर्तव्य'' के क़ायल हैं और एक निरपेक्ष विधि के बिना ननुनच आज्ञापालन ही को अंतिम एवं उच्चतम भलाई समझते हैं, उनके लिए भी यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह विधि वास्तव में क्या है ? किसने उनको बनाया है और किसकी विधि होने के नाते उसका पालन अनिवार्य है ?

इस समस्त प्रश्नों का उत्तर विभिन्न समूहों के निकट विभिन्न है ? केवल दर्शनशास्त्र की पुस्तकों ही में विभिन्न नहीं है अपितु प्रयोग तथा व्यवहार में भी विभिन्न है । यह मनुष्य की सारी भीड़ जो आपके सम्मुख मानव-संस्कृति की गाड़ी को चला रही है, जिसमें शासनों को चलाने वाले मंत्री, सेनाओं को लड़ाने वाले सेनापति, मनुष्यों के बीच निर्णय करने वाले न्यायाधीश, मनुष्य के पारस्परिक व्यवहारों के लिए नियम बनाने वाले शास्त्र-नियामक, नवयुवकों को तैयार करने वाले अध्यापकगण, मनुष्य के आर्थिक साधनों को कंट्रोल करने वाले कारोबारी लोग और समाज के कार्यालय में काम करने वाले विभिन्न श्रेणी के कार्यकर्ता, सब ही सम्मिलित हैं । इनके पास भलाई का कोई एक मापदंड नहीं है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समूह अपना अलग मापदंड रखता है और एक सामाजिक व्यवस्था में काम करते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति का मुख एक पृथक लक्ष्य की ओर फिरा हुआ है । किसी के समीप अपना आनंद सब कुछ है और आनंद से उसका तात्पर्य भौतिक अथवा काम वासनाओं की पूर्ति है । कोई अपने जानंद के पीछे पड़ा हुआ है और उससे उसके मस्तिष्क में कुछ और ही आशय है ।

इस वैयक्तिक आनंद की प्राप्ति तथा अप्राप्ति ही की दृष्टि से वह निर्णय कर रहा है कि सामाजिक जीवन में उसके लिए कौन-सी व्यवहार नीति अच्छी है या बुरी, किंतु उसके बाह्य-सभ्य स्वरूप से हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मानव समाज के लिए वह एक उचित मंत्री या न्यायाधीश या अध्यापक या किसी अन्य स्थिति में समाज की मशीन का एक अच्छा पुर्ज़ा है । इसी प्रकार कोई आनंद का अर्थ मनुष्यों के उस विशेष वर्ग का आनंद एवं समृद्धि समझता है, जिसके साथ उसका सुख-दुख तथा रुचि-संबद्ध है और यही उसके समीप वह परम पुण्य है, जिसकी प्राप्ति

की चेष्टा करना उसके निकट सदाचार है । यह दृष्टिकोण उसे अपने वर्ग या अपनी जाति के अतिरिक्त हर एक के लिए सांप और बिच्छू बना देता है, किंतु हम उसके बाह्य सभ्य-स्वरूप के कारण उसे एक सज्जन मनुष्य समझ लेते हैं । ऐसे ही विभिन्न प्रकार के व्यक्ति उत्कर्ष को सर्वोत्तम भलाई मानने वालों और ''कर्तव्य के लिए कर्तव्य'' के मानने वालों में पाए जाते हैं, जिनमें से बहुत से लोगों के सिद्धांत अपने व्यावहारिक परिणामों की दृष्टि से मानव संस्कृति एवं सभ्यता के लिए विष की विशेषता रखते हैं, परंतु वह अमृत का लेबुल लगाए हमारे सामाजिक जीवन में सम्मिलित हुए चले जा रहे हैं ।

अब आगे चलिए । नीति-शास्त्र के मौलिक प्रश्न में से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे पास पाप-पुण्य जानने का साधन क्या है ? किस मूलाधार अथवा स्रोत की ओर हम यह जानने के लिए रुख़ करें कि अच्छा क्या है और बुरा क्या, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या ?

इस प्रश्न का कोई एक उत्तर मनुष्य को नहीं मिला । इसके भी बहुत से उत्तर हैं । किसी के निकट वह साधन और मूलाधार मानवता का अनुभव है, किसी के निकट प्राकृतिक नियम और अस्तित्व की अवस्थाओं का ज्ञान है, किसी के निकट भावरस (Sentument) है, किसी के निकट बुद्धि एवं विवेक है । यहां पहुंचकर वह विशृंखलता अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाती है, जिसका आपने प्रथम प्रश्न के विषय में निरीक्षण किया है । इन वस्तुओं को मूलाधार नियत करने के बाद नैतिकता के लिए स्थायी सिद्धांत ही यह स्थिर हो जाता है कि इसका कोई निश्चित मापदंड न हो, अपितु वह एक द्रव पदार्थ के समान बहता और विभिन्न आकृतियों तथा माप-पत्रों में ढलता चला जाए ।

मानवता के अनुभवों से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि उसके विषय में संपूर्ण तथा विस्तृत जानकारियां एक स्थान पर एकत्र हों और कोई सर्वदर्शी एवं सर्वत्र तथा परम संतुलित मस्तिष्क इनसे विवेचना करके फल निकाले, परंतु इसका अभाव है । एक तो मानवता का अनुभव अभी तक समाप्त नहीं हुआ है अपितु चल रहा है, फिर जब तक को जो मनुभव है उसके भी विभिन्न अंश लोगों के सम्मुख हैं और वह विभिन्न रूप से अपनी मनोवृत्ति के अनुसार इनसे फल निकाल रहे हैं, तो क्या इन अपूर्ण जानकारियों से विभिन्न दोष युक्त मस्तिष्क अपनी रुचि के अनुसार जो फल भी निकाल लें वे सब शुद्ध हो सकते हैं ? यदि नहीं, तो कैसे असाध्य रोगी हैं वे मस्तिष्क जो अपनी भलाई बुराई को जानने के लिए इस ज्ञानसाधन को पर्याप्त समझते हैं ।

यही मामला प्राकृतिक-नियमों तथा अस्तित्व की अवस्थाओं का है । या तो आप नैतिक भलाई और बुराई को जानने के लिए उस समय की प्रतीक्षा करें, जब इन नियमों और अवस्थाओं का ज्ञान संतोषजनक सीमा तक आपकी पकड़ में आ जाए या नहीं तो अपर्याप्त ज्ञान को अपर्याप्त जानते हुए इन्हीं के आधार पर विभिन्न मनोवृत्ति और विभिन्न योग्यता के लोग विविध प्रकार से निर्णय करते रहें कि उनके लिए भलाई क्या है और बुराई क्या, और ज्ञान की प्रत्येक नवीन अंशिका प्राप्त होने के पश्चात इन निर्णयों को परिवर्तित भी करते रहें, यहां तक कि आज की भलाई कल बुराई हो जाए और आज की बुराई कल भलाई मानी जाने लगे ।

बुद्धि-विवेक तथा भावरस का मामला भी इससे कुछ भिन्न नहीं है । निस्संदेह पुण्य एवं पाप को जानने की योग्यता बुद्धि को भी प्राप्त है और इस बुद्धि से प्रत्येक मनुष्य ने कुछ न कुछ भाग पाया है और भलाई-बुराई का कुछ भावात्मक अंश भी है जिसका श्रुतिप्रकाशन (इलहाम) प्रत्येक मनुष्य की अन्तरात्मा पर स्वभावत: होता है परंतु इस ज्ञान के लिए इनमें से कोई भी स्वपर्याप्त नहीं कि इसी को अंतिम और एकमात्र ज्ञान साधन की स्थिति में ले लिया जाए । बुद्धि या भावरस जिसको भी आप स्व-पर्याप्त समझें फिर भी एक ऐसे ज्ञान-साधन पर आज भरोसा करेंगे जो न केवल यह कि अपनी प्रकृति में अपूर्ण एवं सीमित है, अपितु वह विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न युगों में पहुंचकर सर्वथा विभिन्न वस्तुओं पर पाप या पुण्य होने की व्यवस्था देता है ।

यह सारी अव्यवस्था एवं विशृंखलता जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, केवल वैज्ञानिक निबंधों एवं दार्शनिक विवादों तक ही सीमित नहीं अपितु वास्तव में संसार की सभ्यता एवं संस्कृति में व्यावहारत: इसकी छाया पूर्णरूपेण स्पष्ट हो रही है । आपकी संस्कृति में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वह कार्यकर्ता हों या कर्मचारी या कार्यकर्ताओं तथा कर्मचारियों के बनाने में लगे हुए हों, ये सब पाप-पुण्य तथा शुद्ध-अशुद्ध जानने के लिए अपने-अपने ढंग पर इन्हीं विभिन्न उद्गमों

की ओर रुख़ कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक समूह का पाप-पुण्य से पृथक है, यहां तक कि एक का पुण्य दूसरे का घोर पाप है और एक का पाप दूसरे का सर्वोत्तम पुण्य है ।

इस अव्यवस्था के नीति के लिए कोई स्थायी एवं सुदृढ़ मूलाधार शेष ही नहीं रहने दिया है । जिन चीज़ों को संसार सदैव से लज्जापूर्ण अनैतिकता समझता आया है या जिन्हें सदैव से अपराध एवं पाप समझा जाता रहा है आज किसी न किसी समुदाय की दृष्टि में वह निर्पेक्ष पुण्य नहीं, तो सापेक्ष पुण्य बन गये हैं । इस प्रकार जिन भलाइयों को सदैव से मनुष्य सद्गुण समझता रहा है उनमें से अधिकतर आज मूर्खता अथवा हास्य ठहराए जा चुके हैं और विभिन्न समूह इनका अतिक्रमण, लज्जा के साथ नहीं अपितु गर्व के साथ खुल्लम-खुल्ला कर रहे हैं ।

पहले झूठा व्यक्ति झूठ बोलता था परंतु नैतिक मापदंड सच्चाई ही को मानता था, किंतु आज के दर्शनशास्त्रों ने झूठ को पुण्य बना दिया है और झूठ बोलने की एक नियमबद्ध बला संपादित की जा रही है और बड़े पैमाने पर जातियां तथा राष्ट्र झूठ फैला रहे हैं । यही दशा प्रत्येक अवगुण की है कि पहले अवगुण, अवगुण ही थे, परंतु आज नवीन दर्शनशास्त्रों की ''कृपा'' से वे सब निरपेक्ष या सापेक्ष सदाचार में परिवर्तित कर दिये गये हैं ।

नीतिशास्त्र के मौलिक प्रश्नों में से तृतीय प्रश्न यह है कि नैतिक नियम के पीछे वह सत्ता कौन-सी है जिसके बल पर ये नियम लागू हों । इसके उत्तर में आनंद अथवा उत्कर्ष के पूजक कहते हैं कि आनंद अथवा उत्कर्ष की ओर ले जाने वाली भलाइयां अपना अनुवर्तन कराने की शक्ति आप रखती है और अपकर्ष एवं कष्ट तथा नीचता की ओर ले जाने वाली बुराइयां आप अपने ही बल पर अपने से दूर रखती हैं ।

इसके अतिरिक्त नैतिक नियम के लिए किसी बाह्य सत्ता की आवश्यकता ही नहीं । दूसरा वर्ग कहता है कि कर्तव्य परायणता का नियम मनुष्य के उचित संकल्प का अपने ऊपर आप लागू किया हुआ नियम है, इसके लिए किसी बाह्य सत्ता की आवश्यकता नहीं है । तीसरा वर्ग राजसत्ता को नैतिक नियमों की वास्तविक नियामिका शक्ति समझता है और इस मत के अनुसार स्टेट को वे समस्त अधिकार मिल जाते हैं, जो पहले ईश्वर के लिए थे अर्थात स्टेट की जनसंख्या के संबंध में यह निर्णय करना कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए । चतुर्थ वर्ग ने यह स्थिति स्टेट के स्थान पर समाज की मानी है । यह सारे उत्तर बिगाड़ के असंख्य रूप संसार में व्यवहारत: उत्पन्न कर चुके हैं और जब तक कर रहे हैं । पहले दो उत्तरों ने व्यक्तिगत स्वेच्छाचार एवं पथभ्रष्टता यहां तक बढ़ा दिया कि सामूहिक जीवन अस्त-व्यस्त तथा अव्यवस्थित होने के समीप पहुंच गया । फिर इसकी प्रतिक्रिया उन दर्शनशास्त्रों के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने या तो स्टेट को ईश्वर बनाकर व्यक्तियों को सर्वथा इसका दास बना डाला या फिर व्यक्तियों की रोटी के साथ उनके पाप-पुण्य की बागडोर भी समाज के हाथों में दे दी, यद्यपि पावन अथवा निर्दोष न स्टेट है न समाज ।

यही मामला इस प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत होता है कि वह कौन-सा प्रेरक है, जो मनुष्य को अपनी स्वाभाविक रुचि के होते हुए भी उसके प्रतिकूल नैतिक आदेशों के पालन पर तत्पर करे ? किसी के निकट केवल आनंद की लालसा और कष्ट का भय इसके लिए यथेष्ट प्रेरक है । कोई केवल निपुणता अथवा उत्कर्ष की इच्छा और दोष से सुरक्षित रहने की अभिलाषा को इसके लिए पर्याप्त समझता है । कोई इसके लिए केवल मनुष्य के उस मनोवेग पर भरोसा करता है, जो उसे नियमों के अतिक्रमण से रोकता तथा उसके पालन पर उभारता है । कोई स्टेट के प्रतिदान की आशा और उसके कोप के भय को महत्व देता है और कोई समाज के प्रतिदान अथवा भय को ।

इनमें से प्रत्येक उत्तर ने व्यवहारत: हमारी नैतिक व्यवस्थाओं में से किसी न किसी के भीतर प्रधानता का स्थान प्राप्त कर लिया है और थोड़ा-सा अनुसंधान करने पर यह तथ्य सरलतापूर्वक स्पष्ट हो सकता है कि यह सब प्रेरक दुराचार के लिए भी उतने ही अच्छे प्रेरक हैं, जितने सदाचार के लिए, अपितु इनमें दुराचार के लिए प्रेरक बनने की शक्ति अधिक है, और कुछ भी हो किसी उत्तम श्रेणी की नीति के लिए तो यह समस्त प्रेरक सर्वथा अपर्याप्त है ।

यह अतिसंक्षिप्त सिंहावलोकन जो मैंने संसार की वर्तमान नैतिक अवस्था का किया है, उससे एक दृष्टि में यह अनुभव हो जाता है कि संसार में इस समय एक विश्वव्यापी नैतिक विशृंखलता पायी जाती है । ईश्वर से नि:स्पृह तथा विमुख होकर मनुष्य कोई ऐसा आधार न पा सका, जिस पर

वह संतोषजनक विधि से अपनी नैतिकता का निर्माण करता । नैतिकता के सारे मौलिक प्रश्न इसके लिए वस्तुतः समस्या बनकर रह गये जिनका कोई समाधान उसकी समझ में नहीं आता, न वह उस सर्वोत्तम भलाई का पता लगा सका, जो उसकी चेष्टाओं का शिरोबिन्दु बनने के योग्य होती और जिसके आधार पर व्यवहार तथा आचरण के बुरे-भले, उचित-अनुचित होने का निर्णय किया जा सकता, न उसे वह मूलाधार तथा उद्गम कहीं हाथ लगा जिससे वह शुद्ध रूप से ज्ञात कर सकता कि पाप क्या है और पुण्य क्या, न उसे वह नियामिका-शक्ति प्राप्त करने में सफलता हुई जिसको नैतिक आदेश (Sanction) से नीति के किसी श्रेष्ठ, संपूर्ण तथा सर्वव्यापी नियम को लागू करने की शक्ति प्राप्त होती, और न उसे कोई ऐसा प्रेरक मिल सका जो मनुष्य में सन्मार्ग पर चलने और कुमार्ग से बचने के लिए वास्तविक उत्तेजना उत्पन्न करने के योग्य होता ।

ईश्वर से विद्रोह करके मनुष्य ने स्वेच्छापूर्वक इन प्रश्नों को हल करना चाहा और अपने निकट हल किया भी, किंतु यह उसी हल के उत्पन्न किये हुए परिणाम हैं, जो आज हमको नैतिक पतन के एक भीषण तूफ़ान के रूप में उठते और पूरी मानव-सभ्यता को विनाश की धमकियां देते दिखायी दे रहे हैं ।

क्या अब भी वह समय नहीं आया कि हम इस आधार का अनुसंधान करें जिस पर नीति का ठीक निर्माण हो सके? वस्तुतः यह अनुसंधान केवल एक ज्ञानात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रसंग नहीं है, अपितु हमारे जीवन की एक व्यावहारिक आवश्यकता है और समय की गंभीरता ने इसको अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता बना दिया है । इसी विचार से मैं अपने अनुसंधान तथा छानबीन का फल प्रस्तुत करता हूं और चाहता हूं कि जो लोग इस आवश्यकता को अनुभव कर रहे हैं वे न वेवल मेरे निष्कर्ष पर गंभीरतापूर्वक एकाग्रचित से विचार करें वरन स्वयं भी सोचें कि मानव-नीति के लिए आख़िर कौन-सा आधार शुद्ध हो सकता है ।

क्या अब भी वह समय नहीं आया कि हम इस आधार का अनुसंधान करें जिस पर नीति का ठीक निर्माण हो सके? वस्तुतः यह अनुसंधान केवल एक ज्ञानात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रसंग नहीं है, अपितु हमारे जीवन की एक व्यावहारिक आवश्यकता है और समय की गंभीरता ने इसको अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता बना दिया है । इसी विचार से मैं अपने अनुसंधान तथा छानबीन का फल प्रस्तुत करता हूं और चाहता हूं कि जो लोग इस आवश्यकता को अनुभव कर रहे हैं वे न केवल मेरे निष्कर्ष पर गंभीरतापूर्वक एकाग्रचित से विचार करें वरन स्वयं भी सोचें कि मानव-नीति के लिए आख़िर कौन-सा आधार शुद्ध हो सकता है ।

मैं अपने अनुसंधान तथा छानबीन से जिस परिणाम पर पहुंचा हूं वह यह है कि नीति के लिए केवल एक ही आधार शुद्ध है और वह इस्लाम प्रस्तुत करता है । यहां नीतिशास्त्र के समस्त मौलिक प्रश्नों का उत्तर हमको मिल जाता है और ऐसा उत्तर मिलता है जिसके भीतर वह त्रुटियां विद्यमान नहीं हैं, जो दार्शनिक (Philosophical) उत्तरों में पायी जाती हैं ।

यहां धार्मिक नीति-शास्त्रों की उन त्रुटियों में से भी कोई त्रुटि विद्यमान नहीं है, जिनके कारण वह न किसी दृढ़ चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और न मनुष्य को संस्कृत के विस्तीर्ण दायित्व के संभालने के योग्य बनाते हैं । यहां एक ऐसा सर्वव्यापक नैतिक नेतृत्व प्राप्त होता है जो जीवन के समस्त विभागों में उन्नति की यथा-संभव उच्चतम श्रेणी तक हमें ले जा सकता है । यहां वे नैतिक सिद्धांत हमें मिलने हैं, जिन पर एक पवित्रतम समाज- व्यवस्था स्थापित हो सकती है और यदि इन सिद्धांतों पर वैयक्तिक एवं सामूहिक व्यवहार की नींव रखी जाए, तो मानव जीवन उस बिगाड़ से सुरक्षित रह सकता है, जिससे वह इस समय दो चार है । इस परिणाम पर मैं किन युक्तियों द्वारा पहुंचा हूं ? इसकी संक्षिप्त व्याख्या मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा ।

दर्शनशास्त्र जिस स्थान से अपना नैतिक प्रसंग आरंभ करता है, वास्तव में वह नीति समस्या का सिरा नहीं है अपितु मध्य के कुछ बिन्दु हैं जिन्हें सिरे को छोड़कर उसने

आरंभ बिन्दु बना लिया है और यही उसकी प्रथम भूल है । यह प्रश्न कि मनुष्य के लिए आचरण की शुद्धि-अशुद्धि का मापदंड क्या है ? और वह कौन-सी भलाई है, जिसकी प्राप्ति का प्रयास मनुष्य के लिए वांछनीय होना चाहिए । वास्तव में यह बाद का प्रश्न है । इससे पहले जिस समस्या का समाधान होना चाहिए वह यह है कि इस संसार में मनुष्य की स्थिति क्या है ?

इस प्रश्न को इसलिए समस्त प्रश्नों पर प्रधानता प्राप्त है कि स्थिति के निश्चय के बिना नैतिकता का प्रश्न केवल निरर्थक ही नहीं हो जाता अपितु इसमें प्राय: संभावना इसी बात की होती है कि इस प्रकार जो नैतिक सिद्धांत नियत किये जाएंगे वे मूलत: अशुद्ध होंगे ।

उदाहरण स्वरूप किसी जायदाद के विषय में आपको यह निश्चित करना है कि इसमें किस प्रकार मुझे काम करना चाहिए और किस प्रकार के अधिकार मेरे लिए उचित है और किस प्रकार के अधिकार अनुचित । क्या आप इस प्रश्न को ठीक-ठीक हल कर सकते हैं जब तक कि इस बात को निश्चित न कर लें कि इस जायदाद में आपकी स्थिति क्या है ?

और इससे आपके संबंध की प्रकृति क्या है ? यदि यह संपत्ति किसी दूसरे के आधिपत्य में है और आपकी स्थिति न्यासिक की-सी है तो आपके लिए इसमें नैतिक कार्य प्रणाली की प्रकृति कुछ और होगी और यदि आप स्वयं इसके अधिनायक हैं और इस पर आपके स्वामित्व अधिकार असीम हैं तो आपके नैतिक व्यवहार की प्रकृति सर्वथा दूसरी हो जाएगी और बात केवल इतनी ही नहीं है कि स्थिति का प्रश्न नैतिक व्यवहार की प्रकृति के विषय में निर्णायक है अपितु वास्तव में इसी पर इस बात का निर्णय भी आश्रित है कि उस जायदाद में आपके लिए उचित व्यवहार नीति निश्चित करने का अधिकारी कौन है ? आप स्वयं या वह जिसके आप न्यासिक है ।

इस्लाम सबसे पहले इसी प्रश्न की ओर ध्यान देता है और हमें सर्वथा स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप से बताता है कि इस संसार में मनुष्य की स्थिति ईश्वर के दास एवं प्रतिनिधि की है । यहां मनुष्य को जितनी वस्तुओं से संपर्क होता है वे सब ईश्वर की संपत्ति है, यहां तक कि मनुष्य का अपना शरीर और वह समस्त शक्तियां भी जो उस शरीर में भरी हुई, मनुष्य की अपनी मिल्कियत नहीं है, अपितु ईश्वर की मिल्कियत है । ईश्वर ने इसको उन समस्त वस्तुओं में हस्तक्षेप का अधिकार देकर यहां अपने प्रतिनिधि की स्थिति में नियुक्त किया है और इस नियुक्ति में उसकी परीक्षा है ।

परीक्षा का अंतिम फल इस संसार में नहीं निकलेगा, अपितु जब व्यक्तियों, जातियों तथा संपूर्ण मानवजाति का कृत्य समाप्त हो चुकेगा और मनुष्यों के प्रयास के प्रभाव एवं परिणाम पूर्णता को प्राप्त हो चुकेंगे, तब ईश्वर एक साथ इन सबकी पूछताछ करेगा और इस बात का निर्णय करेगा कि किसने उसकी भक्ति एवं प्रतिनिधित्व संबंधी कर्तव्यों का पालन ठीक-ठीक किया है और किसने नहीं किया । यह परीक्षा किसी एक विषय में नहीं अपितु समग्र विषयों में है, किसी एक जीवन-विभाग में नहीं वरन् सामूहिक रूप से पूर्ण जीवन में है । मन एवं मस्तिष्क तथा आत्मा एवं शरीर की जितनी शक्तियां मनुष्य को दी गयी हैं सबकी परीक्षा है, और बाह्य में जिन-जिन वस्तुओं पर जिस-जिस प्रकार के अधिकार उसे प्रदान किये गये हैं उन सबमें भी परीक्षा है कि वह किस प्रकार इन पर अपना अधिकार प्रयोग में लाता है ।

स्थिति की इस नियति का तर्कसंगत फल यह है कि संसार में अपने लिए नैतिक व्यवहार की नियति का अधिकार ही सिरे से मनुष्य को प्राप्त नहीं रहता अपितु उसको निश्चित करना ईश्वर का स्वत्व हो जाता है । इसके बाद नीतिशास्त्र के वे समस्त प्रश्न जिनको तत्व विचारकों ने छेड़ा है न केवल यह कि हल हो जाते हैं, वरन् इस बात का भी अवकाश शेष नहीं रहता कि एक-एक प्रश्न के छत्तीस उत्तर हों और एक-एक उत्तर पर मनुष्य का एक-एक समूह नीति की एक पृथक दिशा में चल पड़े और एक ही सांस्कृति एवं सामाजिक जीवन में रहते हुए यह विभिन्न दिशाओं में चलने वाले लोग अपनी कुचाल से अव्यवस्था, विशृंखलता एवं उपद्रव मचाएं । यदि मनुष्य की इस स्थिति को स्वीकार कर लिया जाए जो इस्लाम ने निश्चित की है तो यह बात स्वयं निश्चित हो जाती है कि ईश्वर की परीक्षा में सफल होना और उसकी इच्छा की पूर्ति करके उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेना ही वह सर्वोत्तम भलाई है, जो स्वमेव लक्ष्य होना चाहिए और किसी व्यवहार नीति के शुद्ध-अशुद्ध होने का आश्रय इसी पर है कि वह उस भलाई की प्राप्ति में कहां तक सहायक अथवा बाधक होती है ।

इस्लाम-दर्शन

❖ डॉ॰ गणेशदत्त सारस्वत

इस्लाम-धर्म के आधारात्मक तथा मौलिक विश्वासों में से एक है–ईश्वर के अस्तित्व तथा उसके गुणों में विश्वास। ईश्वर 'ईशा' शब्द से बना है। जिसका अर्थ है 'शासन करने वाला' सबका ईशन (शासन) करने वाला परमेश्वर परमात्मा है। 'अल्लाह शब्द, जो वास्तव में 'अल-इलाह' था, इसी का पर्यायवाची है। 'अल-इलाह' में 'अल' अंग्रेज़ी के 'दि' (The) की भांति अव्यय है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। 'इलाह' पूज्य के अर्थ में आता है। इस प्रकार अल्लाह से अभिप्राय उस विशिष्ट सत्ता से है, जो सर्वथा इलाह (पूज्य) है, सर्वोच्च तथा रहस्यमय है एवं जो हमारी कल्पना से परे है। वेद में भी 'ईल्य' शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त है। ऋग्वेद का एक मंत्र है–

अग्नि: पूर्वेभिर्ऋषिभिरीडयो नूतनैरुत।
स देवां एह वेज्ञति। (1/1/2)

अर्थात "वही ज्ञानस्वरूप, सब पदार्थों का प्रकाशक परमेश्वर पूर्व के, शास्त्रों के विज्ञ-विद्वानों, मंत्रार्थों के द्रष्टा ऋषियों, विद्वान अध्यापकों और तर्कों के द्वारा तथा नये अर्थात वेदार्थों के पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों के द्वारा स्तुति, वन्दना, मनन तथा अन्वेषण करने योग्य है। वह ही सूर्य के समान ऋतुओं को, आत्मा के समान प्राणों को, भोक्ता के समान भोगों को, आचार्य के समान विद्यादि दिव्य गुणों को इस जगत में धारण करता एवं सबको प्राप्त कराता है।"

'कुरआन' में अल्लाह के लिए 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम', 'अरहमर्राहिमीन' तथा 'वत्तव्वाबुर्रहीम' आदि उक्तियों में रहमान तथा रहीम शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। अल्लाह अपनी कृपाशीलता के कारण 'रहमान' है तथा दयावान होने के कारण 'रहीम'। उसे सारे संसार का 'रब' अर्थात पालनकर्ता बतलाया गया है (कुरआन, 1:1-2)।

इस्लाम-धर्म ईश्वर की एकता में विश्वास रखता है। इसीलिए ही, 'कुरआन' में ईश्वर के एक होने के संबंध में विभिन्न तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। इन तर्कों के माध्यम से इस धारणा की पुष्टि की गयी है कि संसार को बनाने वाली जो शक्ति है, वह अद्वितीय है, निरपेक्ष है। अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के खुदा के होने की बात ही हास्यस्पद है। 'अल-इख़्लास' सूरह में इसी बात को–'ख़ालिस तौहीद' (एकेश्वरवाद) को बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है। जिसका भाव यह है : "कहो, अल्लाह जिसके हम उपासक हैं, 'यकता' अर्थात अकेला और निराला है। उसका कोई भी शरीक नहीं है। प्रत्येक दृष्टि से वह अनुपम है। वह एक ऐसी सत्ता है, जिसमें बहुत से अंशों का योग नहीं है।" एक अन्य स्थान पर यह बतलाया गया है कि "तुम्हारा इलाह (पूज्य) अकेला इलाह है, उस दयावान और कृपाशील के अलावा कोई भी इलाह नहीं है।" (2:163, 4:87) वह (तुम्हारा इलाह) निश्चय ही अकेला है (37:4), वह महिमामय है, अकेला है और प्रभुत्वशाली है (39:6), उसी की ही इबादत करो (39:66), 'मुश्रिकों' (अनेकेश्वरवादियों) को अल्लाह 'तब तक क्षमा नहीं करता है ? जब तक कि वे 'शिर्क' को त्यागकर 'एकेश्वरवाद' को नहीं अपना लेते हैं आदि अनेकानेक उक्तियां ईश्वर की एकता तथा अविभाज्यता पर बल देती हैं।

इस प्रकार की, 'ला इलाह इल्लल्लाह-इलाह कोई नहीं सिर्फ़ अल्लाह के, विषयक उक्तियां, जिनमें 'एकेश्वरवाद' को ही सत्य बतलाया गया है तथा केवल अल्लाह की इबादत करने के निर्देश के साथ ही किसी और को शरीक न ठहराने की संस्तुति की गयी है, 'कुरआन शरीफ़' में बहुतायत से मिल जाएंगी। इस्लाम-धर्म की इस विचारधारा का ऋग्वेद के 'य एक इत् तमुष्टिहि, (6/45/16) अर्थात वह एक है, उसी की पूजा करो तथा 'मा चिदन्यद विशसत' (8/1/1), अर्थात किसी दूसरे को न पूजो आदि विभिन्न सूक्तों में समर्थन है। अथर्ववेद के 'प्रजापते न त्वदेतानि अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव (7/8/3) अर्थात हे प्रजा के पालक परमेश्वर ! तेरे सिवा कोई भी इन उत्पन्न पदार्थों का मालिक नहीं है-यदि मंत्रों में भी ईश्वर की एकता की संस्तुति है। इसी बात को छान्दोग्य उपनिषद् में इस रूप में कहा गया है–'ओमित्येतद क्षरमुद्गीथमुपासते' (मंत्र-1) अर्थात 'ओउंम्' जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं

होता वही उपासना करने योग्य है, अन्य की नहीं ।

भगवान शंकराचार्य के अद्वैतवाद में 'एकोब्रह्म द्वितीयोनास्ति' की जो व्याख्या है, वह इस्लाम-धर्म की उक्त मान्यता से भिन्न नहीं है । किन्तु फिर ' जीवोब्रह्मै वनापरः' द्वारा शंकराचार्य इस्लाम के इस एकेश्वरवाद से अलग हट जाते हैं । ईसाई-धर्म में भी इस मान्यता के दर्शन होते हैं । 'बाइबल' में, विभिन्न प्रसंगों में ईश्वर की अद्वैतता स्वीकृत है । 'यिहूदा की पत्री' में स्पष्ट रूप से उसे (ईश्वर को) 'अद्वैत स्वामी' तथा 'अद्वैत बुद्धिमान' की संज्ञा दी गयी है । (4:25)। 'योहनरचित सुसमाचार' में उसे 'अद्वैत सत्य ईश्वर' (यै०प० 17 आ० 3) बतलाया गया है ।

इस्लाम-धर्म में ईश्वर को अनेक विशेषताओं से युक्त माना गया है । उसे स्रष्टा, द्रष्टा, पोषक तथा संहर्ता कहा गया है । इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश-इन तीनों देवताओं के गुणों का उसमें समाहार है । भारतीय दर्शन की विचारधारा भी इसके साथ चलती हुई प्रतीत होती है । 'क़ुरआन शरीफ़' की अनेक आयतों में स्पष्ट उल्लेख है कि उसी ने ज़मीन और आंसमान पैदा किये हैं । (2:117, 20:4, 25:59) सजीव तथा चिरस्थायी है । (3:2), वह बीज तथा गुठली का फोड़ने वाला है, प्रभात को फाड़ निकालने वाला है (6:96-97), जीवन-मरण का स्वामी है (7:158, 10:56), आंख, कान और दिल का देने वाला, जिलाने वाला तथा मारने वाला है (23:78-80), वही उत्तम रोज़ी देता है (22:58, 62:11), वही हंसाता है और रुलाता है, मारता है और जिलाता है (53:43-44) तथा इस प्रकार वही सर्वोत्तम संरक्षक, मित्र और सहायक है (22:78)। इतना ही नहीं पूर्ण सृष्टि के 'रब' होने के नाते वह संसार की प्रत्येक वस्तु का नियंता है (1:1), संपूर्ण जगत उसके वश में है । 'अथर्ववेद' में ईश्वर के नियंतत्व के इस गुण का इस रूप में विवेचन है–

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे ।
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्नसर्व प्रतिष्ठितम् ।।

(अथर्व०, कांड-11, सूक्त-4, मंत्र-1)

अर्थात जैसे प्राण के वश सब शरीर और इन्द्रियां होती हैं, वैसे ही परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है ।

ईसाई मतावलंबी भी ईश्वर को जगत का रचयिता, एक ही लोहू से मनुष्यों की सब जातियों को सारी पृथ्वी पर बसने के लिए बनाने वाला, भूत वर्तमान तथा भविष्य का प्रणेता, 'अलफ़ा' और 'ओमिगा'-आदि तथा अंत का तटस्थ प्रेक्षक मानते हैं । (प्रेरितों की क्रिया, 17वां पर्व, 24-26, योहन का प्रकाशित वाक्य, 1 ला पर्व)। 'बाइबल' में एक स्थल पर उसकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि 'हे परमेश्वर, हमारे ईश्वर तू महिमा, आदर और सामर्थ्य लेने योग्य है, क्योंकि तूने सब वस्तुएं सृजीं और तेरी इच्छा के कारण वे हुईं और सृजी गयीं ।' (योहन का प्रकाशित वाक्य, चौथा पर्व, 11)

गुरु नानक ने भी ईश्वर को 'कर्ता पुरुष' की संज्ञा दी है, भय और वैर रहित बतलाया है तथा उसके शाश्वत स्वरूप को स्वीकार किया है–"ओ सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकालमूर्त अजोनि सहभं गुरु प्रसाद जब आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, होसी भी सच" (जपुजी पौड़ी, 1)।

'क़ुरआन' में अल्लाह के अन्य दिव्य गुणों के साथ ही उसकी क्षमाशीलता पर भी अत्यधिक बल दिया गया है । इसीलिए जो 'तौबा' (अर्थात पश्चाताप, क्षमायाचना) अर्थात गुनाह और अनुचित कर्मों को भविष्य में न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है तथा उसकी भक्ति और आज्ञापालन के काम पर लग जाता है, ईश्वर उसे क्षमा कर देता है (20:82)। बन्दों की तौबा तुरंत स्वीकार कर लेना उसका स्वभाव है (42:25)। इसीलिए ही, उसके संबंध में बार-बार कहा गया है "अलयूहे इन्नहु हो वत्तव्वाबुर्रहीम" अर्थात निस्संदेह वह बड़ा क्षमा करने वाला और उदार है । इससे बढ़कर उसकी उदारता का और क्या प्रमाण हो सकता है कि वह लोगों के अत्याचार पर उन्हें एक निश्चित समय तक मुहलत देता है (16:61)। शायद स्वयं से ही प्राणी सचेत हो जाए । वैसे, वह किसी के काम से बेख़बर नहीं है (2:77), जो भी, जो कुछ भी कार्य करता है, अल्लाह उसे देख रहा है (2:96), इतना ही नहीं, उसे लोगों के दिलों का हाल तक मालूम है (2:235)। ईश्वर की सर्वविज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, दयालुता, न्याय तत्परता तथा उसके अन्तर्यामी स्वरूप का भारतीय न्यायदर्शन में इस प्रकार विवेचन किया गया है–

ईश्वरोऽयं निराकारः सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् ।
अनादिरविकारी चानन्त सर्वगतो विभुः ।।
सच्चिदानन्दरूपोऽपि दयालुर्न्यायतत्परः ।
सर्गेस्थितौ लये हेतुः नित्यतृप्तो निराशयः ।।

(न्यायकुसुमांजलि, परिशिष्ट)

अर्थात ईश्वर निराकार, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है । वह अनादि अविकारी, अनन्त और सर्वव्यापक शक्ति है । वह सच्चिदानंद (सत्चित और आनन्द से युक्त) स्वरूप वाला दयालुता और न्याय पर तत्पर रहता है । वह समस्त जगत में स्थित चीज़ों को पोषण प्रदान करता है ।

गीता में भी उसे 'वेत्ता' अर्थात सब कुछ जानने वाला कहा गया है । (अध्याय-11, श्लोक-38)। एक अन्य स्थान पर 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन: तिष्ठति' कहकर परमेश्वर की निर्बाध गति को स्वीकार किया गया है । उसकी यह निर्बाध गति ही उसके अन्तर्यामी स्वरूप का परिचायक है ।

'पवित्र कुरआन' में, बन्दों पर अल्लाह के उपकारों का विशद विवेचन है । इस वर्णन के द्वारा बन्दे के हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था एवं निष्ठा को दृढ़ करने का प्रयत्न किया गया है । इस क्रम में बार-बार कहा गया है कि अल्लाह ने ही आसमान से पानी बरसाया है, मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा किया है (16:65), खजूर, अंगूर और दूसरे मेवे पैदा किये हैं तथा मधुमक्खी के पेट से शहद निकाला है (16:67-69), तुमको मां के पेट से पैदा किया है, रहने को मकान दिये हैं तथा जानवरों के ऊन तथा बाल से वस्त्र बनाने की प्रेरणा दी है । जिससे शर्मगाहों (गुप्तांगों) को छिपाया जा सकता है ।,(16:78-81, 7:26), दिल की बीमारियों के इलाज के रूप में उसने अपनी 'हिदायत' भेजी है । (10:57)। उसी ने ही ईमान वालों के दिल पर तसल्ली उतारी है (48:4)। नास्तिकों को समझाने के लिए, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 'कुरआन शरीफ़' में अनेक तर्क प्रस्तुत किये गये हैं । मनुष्य के चारों ओर और स्वयं उसके व्यक्तित्व में ईश्वर के अस्तित्व के चिन्ह फैले हुए हैं । 'कुरआन' उनको ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में उपस्थित करता है । एक आयत का अर्थ है "लोगों के लिए (हमारी अपूर्व शक्तियों का) एक चिन्ह रात्रि है, हम उससे दिन को खींच लेते हैं, सो लोग अंधकार में रह जाते हैं और (हमारी शक्ति का एक प्रमाण) सूर्य भी है जो अपने नियत स्थान पर चलता रहता है, यह सब उसी प्रभुत्वशाली और सर्वज्ञ की निश्चित व्यवस्था है और (एक चिन्ह) चन्द्रमा है, हमने उसके लिए स्थान नियत कर दिये हैं यहां तक कि वह (अपने स्थानों पर चलता हुआ) खजूर की पुरानी टहनी के समान हो जाता है, (परंतु) न सूर्य के लिए यह उचित होता है कि वह चन्द्रमा को जा पकड़े और न रात ही के वश में होता है कि वह दिन से आगे जाए, यह सब नक्षत्र अपनी-अपनी कक्षा में तैर रहे हैं ।" (36:37-40) आदि कथनों में ईश्वर के अस्तित्व का समुचित प्रमाण है । पवित्र कुरआन में अन्य स्थान पर कहा गया है-"केयफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुन्तुम् अम्वातन फ़ अह्याकुम् सुम्म युमीतुकुम् सुम्म् युह्यीकुम सुम्म इलैहि तुर्जऊन ।"

अर्थात तुम कैसे नहीं मानते हो अल्लाह को (देखो) जबकि तुम मृत थे उसने तुम्हें जीवन दिया, तुम फिर मरोगे वह फिर तुमको जीवन प्रदान करेगा अंत को तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे (2:28)। एक अन्य तर्क है 'क्या इन्होंने (इन्कारियों ने) अपने ऊपर पक्षियों को पंख फैलाए हुए और समेटते हुए नहीं देखा है ? उन्हें रहमान (कृपाशील ईश्वर) ही थामे रहता है । निस्संदेह वह हर एक चीज़ को देखता है ।' (67:19) वास्तव में, यह अल्लाह की दयालुता ही है, जिससे चिड़ियां हवा में उड़ती तथा मछलियां पानी में तैरती हैं । खेद है, फिर भी अनीश्वरवादियों की आंखें नहीं खुलती हैं । इसी प्रकार एक और तर्क प्रस्तुत किया गया है । इसमें कहा गया है 'कह दो : क्या तुमने सोचा यदि तुम्हारा यह पानी ज़मीन में उतर जाए, तो फिर कौन लाकर देगा निथरा हुआ प्रवाहित पानी ? (67:30), सच तो यह है कि एक क्षण के लिए भी अल्लाह की कृपा-दृष्टि के बिना जीवित नहीं रहा जा सकता है । ऐसी दशा में, उससे विमुख रहना अक्षम्य अपराध है । इस कोटि के व्यक्तियों को वह कठोर से कठोर दंड देने में भी संकोच नहीं करता है । कुरआन में है, 'रब' के साथ 'कुफ़्र' (अकृतज्ञता) करने वाले ये लोग, जिनकी गरदनों में 'तौक़' पड़े हुए हैं, अर्थात गुमराही की बेड़ियों में जो जकड़े हुए हैं, आग (नरक की आग) में जाने वाले हैं, जहां ये सदा रहेंगे (13:5)। इस प्रकार नाना उक्तियों के माध्यम से व्यक्ति को ईश्वर-भक्ति का आदेश दिया गया है तथा गुमराही से बचने का यथासाध्य प्रयत्न किया गया है ।

'कुरआन' में ईश्वर के वास्तविक शक्ति और दयालुता को खोल-खोलकर बयान किया गया है । 'सूरह अन-नूर' की 35वीं आयत में उसके संबंध में कहा गया है कि वह 'नूरून अलानूर' तथा 'नूरुस समा वल अर्ज़' अर्थात रोशनी पर रोशनी है । गीता में भी ईश्वर को शशि तथा सूर्य का प्रकाश स्रोत 'प्रभाऽस्मि शशि सूर्ययो: (7-8) तथा 'ज्योतिषामपि तज्ज्योति (13-18) ज्योतियों का भी ज्योति

माना गया है । 'मुण्डकोपनिषद्' में उस ब्रह्म को 'आविः संनिहितं गुहाचरं नाम' अर्थात प्रकाश स्वरूप सबके हृदय में स्थित तथा गुहाचर नाम वाला कहा गया है । 'छांदोग्योपनिषद्' में उसके लिए 'भामनी' शब्द प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है प्रकाशरूप-एष उ एव भामनीरेषहि सर्वेषु लोकेषु भाति (अ० 4, खंड-15, मंत्र संख्या-4)–यह पुरुष निस्संदेह ही प्रकाशरूप है, क्योंकि यह पुरुष सब लोकों में आदित्य रूप से प्रकाशता है । यजुर्वेद में उसे सूर्यादि तेजःस्वरूप सब पदार्थों का गर्भ (उत्पत्तिस्थल) होने के कारण 'हिरण्यगर्भ' कहा गया है (यजुर्वेद, अध्याय-13, मंत्र-4)। कुरआन कहता है : अल्लाह ईमान लाने वाले लोगों को अंधेरे से उजाले में ले जाता है (सूरह 2:257)। इसीलिए हज़रत मुहम्मद साहब (सल्ल०) की 'दुआ' है, "ऐ अल्लाह ! मुझे रोशनी दे ।" उपनिषदों में भी जगह-जगह पर 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' की प्रार्थना की गयी है । गीता में भी अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को तत्व-ज्ञान के दीपक द्वारा नष्ट करने की प्रार्थना है (10-11)। इसके अतिरिक्त 'कुरआन' में ईश्वर के लिए 'रब्बुल आलमीन' (सब दुनियाओं का मालिक), 'हुवल हक़्क़' (वही सत्य है) तथा 'इन्नहू बेकुल्ले शैइम्मुहीत' (सब चीज़ों को घेरे हुए) आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है । इन शब्दों में 'ब्रह्म सत्यं जगत्मिथ्या' (शंकराचार्य) तथा 'ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत' (ईशावास्योपनिषद्, मंत्र-1) आदि सूक्तों का गूढ़ार्थ ध्वनित एवं व्यंजित है । इसी प्रकार उसे अचिन्त्य तथा बुद्धि से परे मानते हुए कुरआन में कहा गया है 'आदम की निगाह उसे समझ नहीं सकती है' (6:104)। उसकी सर्वव्यापकता तथा कण-कण में रमे होने की बात इस रूप में प्रस्तुत की गयी है–'जिधर को भी तुम मुड़ो उधर ही अल्लाह का रुख़ है' (2:115)।

गीता के निम्न उद्धरण इस भाव से भिन्न नहीं है–

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च ।

अहमेवाक्षयः कालोधाताहं विश्वतोमुखम् ।।
(10/33)

अर्थात मैं अक्षरों में आकार हूं और समासों में द्वंद्व समास हूं तथा मैं ही अविनाशीकाल और सृष्टाओं में सब दिशाओं में मुखवाला ब्रह्मा हूं ।

संक्षेप में, ऋग्वेद के निम्नलिखित श्लोक में ईश्वर का जो वर्णन है, उसमें इन समस्त गुणों का समाहार है–

युञ्जन्ति ब्रह्म मरुषं चरन्तं परि तस्थुषः ।
रोचन्ते रोचना दिवि ।। 2/6/1 ।।

अर्थात विद्वान योगी जन सबको नियम-व्यवस्था में बांधने वाले महान, सर्वाश्रय दोषरहित, अहिंसक, तेजस्वी, समस्त स्थावर, अचेतन प्राकृतिक संसार में व्यापक परमेश्वर का समाहित चित्त होकर ध्यान करते हैं, उसका योगाभ्यास से साक्षात्कार करते हैं । वे ही ज्ञानमय प्रकाश और परमज्योतिर्मय तप से तेजस्वी होकर प्रकाशस्वरूप परमेश्वर या मोक्ष में प्रकाशित होते हैं, विराजते हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'पवित्र कुरआन' में ईश्वर विषयक अनेक उल्लेख हैं । ये उल्लेख कहीं तो उसकी सत्ता एवं गुणों को व्यक्त करते हैं, कहीं उसकी दयालुता, कृपाशीलता तथा शक्तिमत्ता का परिचय देते हैं, कहीं नास्तिक विचारधारा का खंडन करते हैं और कहीं ईश्वर-भक्ति, सदाचरण तथा सर्वस्वार्पण की प्रेरणा देते हैं ।

25 yrs. Service (Regd.)

AL KAUSAR HOLY HERBAL

HOSPITAL & RESERCH CENTRE

(A minority Unit of Islamic Medicine Under Art.30 (1) Const. of India)

Founder: **Al-Hajj Dr. ABDUR RASHEED**

Ph.D. (HOLISTIC HERBAL)

Medicine of Hazrat Mohammad (S.A.W)
By faith of ALLAH
Shyamganj Road, B.Deoghar - 814112
(Jharkhand) India

Kidney, Heart, Liver, Pancreas, Uterus, disorders, Pain Control, Asthama, Child Birth (Cardio, Uro, Nephro, Neuro, Gastroe, Gynae, Hemato, Diabeto Intercentral cardio, Bronco etc.)

Recharge your body, mind, psyco, soul, desire heart way of "Islamic medicine". Further treatment require or not feels within 7 to 19 days

(Rooms available)

Enquiry: 9955725769, E-mail: alkausarreached@gmail.com
Bank of India, Deoghar Branch A/c-446110100000871
IFS Code No. BKID 0004461

इस्लाम : एक जीवन-प्रणाली

❖ सैयद क़ुत्ब शहीद

इस्लाम एक प्रणाली है–जीवन प्रणाली, मानव-जीवन और उसका स्थायी मूल्य । यह वह प्रणाली है, जो आस्था संबंधी उस कल्पना को भी अपने में समाहित किये हुए हैं, जो जगत की प्रकृति की व्याख्या करती है, जगत में मानव का स्थान निश्चित करती है और मानव अस्तित्व के मौलिक उद्देश्य को निश्चित करने का कार्य करती है । इसमें वे सिद्धांत और व्यावहारिक व्यवस्थाएं भी सम्मिलित हैं, जो इस आस्थात्मक कल्पना से निकलती और इसी पर निर्भर करती हैं और इसे ऐसा व्यावहारिक रूप प्रदान करती हैं जो व्यावहारिक जीवन में उदीयमान होता है । इनमें नैतिक व्यवस्था और उसका स्रोत व आधार और उसे सहायता देने वाली शक्ति, राजनीतिक, उसकी रूप-रेखा और उसकी विशेषताएं, सामाजिक व्यवस्था और उसके मूल आधार और मानदंड, आर्थिक व्यवस्था, उसका दर्शन और उसके विभाग, उपविभाग और राज्य व्यवस्था और उसके विधि-विधान सभी चीज़ें सम्मिलित हैं ।

जहां तक इन लक्षित बातों का संबंध है, हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य इसी धर्म (इस्लाम) के हाथ में है । यह बात इस पहलू से कहीं जा रही है कि इस्लाम एक ऐसी जीवन-प्रणाली है जिसमें जीवन के सभी अंग और मानदंड समाहित ही नहीं है, बल्कि परस्पर एक-दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक-दूसरे से अलग करना असंभव है । यह व्यवस्थित एवं सुसंगठित प्रणाली मानव-जीवन के समस्त पहलुओं को अपनी परिधि में समेटे हुए है, मानव मात्र की समग्र वास्तविक अपेक्षाएं और उसकी विभिन्न गतिविधियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं ।

अत: यह धर्म केवल एक भावात्मक आस्था मात्र नहीं है जिसका मानव-जीवन की व्यावहारिक अमलदारियों से कोई नाता न हो । यदि यह संभावना एक क्षण के लिए मान भी ली जाए कि कोई ईश्वरीय धर्म भावात्मक आस्था मात्र भी हो सकता है, जिसका मानव-जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र से कोई संबंध न हो, तब भी यह केवल पूजा और उपासना की रीतियों का नाम नहीं है कि आस्थावान लोग व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उनका पालन करते रहें और उनमें दीनदारी का गुण पैदा हो जाए और न ऐसी बात है कि यह धर्म केवल पारलौकिक स्वर्ग (जन्नत) के प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग है, जबकि सांसारिक जन्नत (सुख-सुविधा) की प्राप्ति के लिए अन्य प्रणालियां और व्यवस्थाएं मौजूद हैं ।

इस्लाम के विभिन्न विभाग इतने स्पष्ट, गहरे और दृढ़ हैं कि इस्लाम को व्यावहारिक जीवन के संगठनों और व्यवस्थाओं से अलग करके उसे मात्र भावात्मक धार्मिक श्रद्धा के रूप में चित्रित एवं वर्णन करने का प्रयत्न व्यर्थ है । उसे केवल एक ऐसी धारणात्मक आस्था के रूप में भी ग्रहण करना सही न होगा जो उन लोगों से परलोक की जन्नत का वादा करता हो जो अपने दैनिक सामाजिक जीवन में उसके नियत एवं विशिष्ट संगठन, क़ानून, प्रणाली और सिद्धांत को अपनाते न हों, केवल उसके संस्कार एवं उपासना से संबंधित पद्धतियों का पालन ही करते हों । इस्लाम के प्रति इस प्रकार की धारणा सही नहीं है । यह न ऐसा कभी था और न ऐसा हो सकता है । धरती पर पाए जाने वाले दूसरे धर्म अपने बारे में इस प्रकार की धारणा का दावा कर सकते हैं और उनके अनुयायियों का दावा हो सकता है, किंतु इस्लाम के विषय में इस तरह की बात बदापि नहीं कही जा सकती ।

हम जानते हैं कि सदियों से इस्लाम को अनुभूति संबंधी विश्वास और उपासना संबंधी पद्धतियों तक सीमित करने, व्यावहारिक जीवन में उसके प्रवेश को रोकने और मानव जीवन की प्रकृति और मांगों के अनुसार उसकी प्रत्येक व्यावहारिक चेष्टाओं को पूर्ण रूप से प्रभावित करने से रोकने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं ।

यह इस्लाम के मानव-जीवन पर छा जाने और प्रभावपूर्ण अधिकार प्राप्त करने की विशेषता ही थी, जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई ताक़त इस्लामी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय पर अपने आक्रमण में असफल रही और इसी के कारण दीर्घ समय तक अन्तर्राष्ट्रीय यहूदियत को भी असफलता का ही मुख देखना पड़ा है, अतएव ईसाइयों और यहूदियों दोनों के

सामने इसके सिवा और कोई उपाय शेष न रहा कि वे इस्लाम को अनुभूति संबंधी विश्वास और उपासनाओं की परिधि में सीमित करने और व्यावहारिक जीवन में उसके प्रवेश को रोकने के लिए सम्मिलित रूप से भरपूर प्रयत्न करें । यह सम्मिलित प्रयत्न इस्लाम को समाप्त करने की योजना की पहली कड़ी थी । इस कोशिश को उस समय सफलता मिली जब अतातुर्क ने ख़िलाफ़त को ख़त्म करके धर्म को हुकूमत से अलग कर दिया और तुर्की को एक सेक्यूलर राष्ट्र घोषित किया । इससे पूर्व मुस्लिम भू-भागों में इसके लिए भारी यत्न किये गये कि इस्लामी शरीअत को भी विधान निर्माण का मूल स्रोत व उद्गम न समझा जाए और यूरोप के विधान-निर्माण से मदद हासिल की जाने लगे । इसके अतिरिक्त इस्लामी शरीअत (धर्म-विधान) को भी निजी मामले तक सीमित कर दिया जाए ताकि उसे बिल्कुल ख़त्म कर देने का रास्ता साफ़ हो जाए ।

अब ये कोशिशें अतातुर्क के हाथों सफलता को प्राप्त हो गयीं तो फिर दूसरा क़दम उठाया गया और इस्लामी देशों में या ज़्यादा सही शब्दों में जो कभी इस्लामी थे, इस धर्म के अस्तित्व के उन्मूलन की कोशिशें शुरू हो गयीं । इस्लाम को निजी मामले से भी बहिष्कृत किया जाने लगा और उसका स्थान दूसरी मनगढ़ंत धारणाओं को दिया जाने लगा जिनके अपने अलग आधार, उद्देश्य और मानदंड हैं और जिनसे 'धर्म' के रिक्त-स्थान की पूर्ति की निरंतर कोशिशें की जा रही हैं ।

फिर इन कोशिशों के साथ ही इस्लामी पुनरुत्थान की शक्तियों पर बर्बरतापूर्ण प्रहार आरंभ हो गये । इन प्रहारों में दुनिया की वे सारी परस्पर युद्धरत ताक़तें भी सम्मिलित हो गयीं, जो अपने समस्त मतभेदों के बावजूद उस इस्लामी पुनरुत्थान से भयभीत हैं । ऐसा पुनरुत्थान जो अत्यंत प्राकृतिक और ब्रह्माण्ड और जीवन संबंधी तथ्यों के अनुकूल है और जिसकी पुष्टि मानवीय तथ्यों के कितने ही लक्षणों से होती है ।

किंतु हम इसे भी जानते हैं कि इस धर्म की जड़ें और आधार इतने ठोस, दृढ़ और गहरे हैं कि ये सारे यत्न और बर्बरतापूर्ण प्रहार उन्हें ढा नहीं सकते । इसके अतिरिक्त मानवता को इस धर्म की उससे कहीं अधिक आवश्यकता है जितना ईर्ष्यालुओं को इससे ईर्ष्या है । मानवता जो तीव्र गति से भयावह विनाश के गड्ढ़े की ओर बढ़ी जा रही है, ज्ञानवान इस ख़तरे से चीख़-चीख़कर सचेत भी कर रहे हैं और मुक्ति एवं उद्धार का मार्ग भी तलाश करते फिर रहे हैं, किंतु ईश्वर की ओर पलटने और उसकी स्वस्थ जीवन-प्रणाली के बिना मुक्ति संभव नहीं ।

व्यग्र हृदयों से दुनिया में हर ओर किसी 'मुक्तिदाता एवं उद्धारक' के लिए निरंतर आवाज़ उठती रहती है । उस उद्धारक के गुण एवं विशेषताओं के बारे में उनके मस्तिष्क में जो कल्पना एवं धारणा पायी जाती है उस पर केवल इस्लाम ही पूरा खरा उतरता है । उस पर उस प्रणाली की प्रकृति एवं स्वभाव को देखकर जिसकी रूप-रेखा इस्लाम धर्म प्रस्तुत करता है और मानवता को उसकी जितनी आवश्यकता है, उससे यह अडिग विश्वास होता है कि 'भविष्य इसी धर्म का है और यह कि इस्लाम को धरती में अपना रोल अदा करने का अवसर अवश्य मिलेगा, भले ही इसके विरोधी चाहें या न चाहें ।' यह प्रतीक्षित रोल कोई अन्य मत अथवा प्रणाली अदा करने में असमर्थ ही रहेगी । सामूहिक रूप से मानवता दीर्घ-काल तक इससे अपने-आपको असंबंधित नहीं रख सकती ।

मानवता संसार के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण कर रही है । यह परीक्षण पूर्व और पश्चिम दोनों ही जगहों पर किया जा रहा है, किंतु हमें इन परीक्षणों का परिणाम मालूम है । मामला घूम-फिर कर जहां का तहां ही पहुंचेगा ।

कारण यह कि समस्त परीक्षण एक सीमित परिधि में ही चक्कर काट रहे हैं । यह परिधि मानव-कल्पनाओं और मानव-अनुभवों की परिधि है जो अज्ञान, दोष, दुर्बलता और तुच्छ इच्छाओं से रिक्त नहीं, जबकि आवश्यकता इसकी है कि इस संकुचित परिधि से निकल कर एक नवीन और हितकारी परीक्षण किया जाए जिसका आधार इससे पूर्णतः भिन्न हो और यह आधार ईश्वरीय प्रणाली का है, जिसका उद्गम स्रोत, ज्ञान, पूर्णता, सामर्थ्य और तत्वदर्शिता है न कि अज्ञान, अपूर्णता, दुर्बलता और वासना । इसकी स्थापना इस पर निर्भर करती है कि लोगों को बन्दों की दासता और बन्दगी से निकालकर एक ईश्वर की बन्दगी की ओर ले जाया जाए ।

इस्लामी जीवन-प्रणाली और दूसरी प्रणालियों में विशेष अन्तर यह है कि इस्लामी जीवन-व्यवस्था में लोग एक इष्ट पूज्य की पूजा, बन्दगी करते हैं, केवल उसी को उपास्य,

प्रभु, पालक और शासक समझते हैं और सिर्फ़ उसी से अपनी धारणाओं, मानदंडों, आदर्शों, विधि-विधान, नैतिक-शिक्षाओं, नियमों और जीवन की दिशा ग्रहण करते हैं, जबकि दूसरी प्रणालियों में विभिन्न इष्ट देवताओं को पूजते हैं। ईश्वर को छोड़कर उन्हीं को अपने लिए शासक समझते हैं। धारणाएं, आदर्श, मानदंड, जीवन-प्रणाली, विधि-विधान, नैतिक शिक्षा और नियम अपने जैसे दूसरे मानवों से लेते हैं। इस प्रकार उन्हें प्रभुता के पद पर खड़ा कर देते हैं, हालांकि वे उन्हीं जैसे मनुष्य हैं और उन्हीं जैसे बन्दे हैं। हम ऐसी जीवन-प्रणालियों को जिनमें मानव, मानव का उपासक होता है, अज्ञानपूर्ण प्रणाली कहते हैं। ईश्वर ने भी (कुरआन में) उन्हें यही नाम दिया है–भले ही इन प्रणालियों का रूप एवं प्रकार, समय व काल और वातावरण भिन्न ही क्यों न हो। कारण यह कि वे जिस आधार पर अवलंबित हैं इस्लाम उसी को ढाने और उसी से मानव को मुक्त करने, धरती पर लोगों के लिए एक प्रभुता व ईश्वरत्व को स्थापित करने और लोगों को बन्दों की बन्दगी से निकालकर एक ईश्वर की दासता और बन्दगी की ओर ले जाने के लिए आया है। इस्लाम में 'इबादत' 'इलाह' (पूज्य), 'रब' और 'दीप' का अर्थ अत्यंत व्यापक है।

इस्लाम तो इसी लिए आया है कि मानव को मानव की दासता के प्रत्येक रूप से निकाल कर धरती में एक ईश्वर की बन्दगी को प्रतिष्ठित करे, जिस प्रकार विशाल ब्रह्माण्ड में बन्दगी केवल एक ईश्वर ही के लिए है।

"तो क्या ये अल्लाह के दीन (ईश-धर्म) के अतिरिक्त किसी अन्य 'दीन' (धर्म) की खोज में हैं ? हालांकि आकाशों और धरती में जो कुछ भी है स्वेच्छापूर्वक या अनीच्छापूर्वक उसी (की आज्ञा) के आगे झुका हुआ है और उसी की ओर सबको पलटकर जाना है।"

(कुरआन, 3:83)

इस प्रकार इस्लामी जीवन-प्रणाली किसी निश्चित ऐतिहासिक अवधि, किसी विशेष जाति व समाज और किसी विशेष स्थान से संबद्ध नहीं है, बल्कि यह ऐसी चिरस्थायी जीवन-प्रणाली है, जिसे ईश्वर ने परिवर्तनशील मानव जीवन के लिए पसन्द किया है ताकि यह जीवन सदैव उसी धुरी के चारों ओर घूमता रहे, उसी परिधि की सीमा में रहे और उस उच्चतम रूप व स्तर पर शेष रहे, जिसके अंतर्गत मानव, ईश्वर के अतिरिक्त दूसरों की बन्दगी से आज़ाद होकर, ईश्वर की ओर से आदर का पद प्राप्त करता है।

यह जीवन-प्रणाली वास्तव में पूरी मानवजाति के लिए है और प्रकृति के उन चिरस्थायी नियमों पर आधारित है, जो जगत में आज भी क्रियाशील हैं और भविष्य में क्रियाशील रहेंगे। इन नियमों के विरोध और संघर्ष से मानव को दुखों, आपदाओं और विनाश का सामना करना पड़ रहा है।

लोग यदि ईश्वरीय जीवन प्रणाली का पूर्णरूप से पालन करते हैं तो वे मुस्लिम हैं और यदि वे मानव-रचित किसी दूसरी जीवन प्रणाली के अनुसार जीवन-यापन करते हैं, तो वे ऐसे अज्ञान में ग्रस्त हैं जिसका इस्लाम से कोई भी नाता नहीं है। बल्कि इस अज्ञान को तो इस्लाम मिटाने आया है, ताकि वह बन्दों को बन्दों की दासता से मुक्त करके ईश्वर की दासता और बन्दगी की ओर ले जाए।

लोग यदि पूर्णरूप से ईश्वरीय जीवन-प्रणाली के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो उन्होंने ब्रह्माण्ड के प्राकृतिक नियमों और अपने अस्तित्व के साथ अनुरूपता एवं अनुकूलता स्थापित कर ली और यदि किसी अन्य जीवन-प्रणाली के अंतर्गत जीवन व्यतीत करते हैं, तो वे ब्रह्माण्ड के प्राकृतिक नियमों और अपने अस्तित्व की प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम जल्द या देर से सामने आकर रहेंगे। हमें विश्वास है कि लोग ईश्वर की ओर और ईश्वरीय जीवन-प्रणाली की ओर लौटेंगे और भविष्य निस्संदेह इस्लाम का होगा।

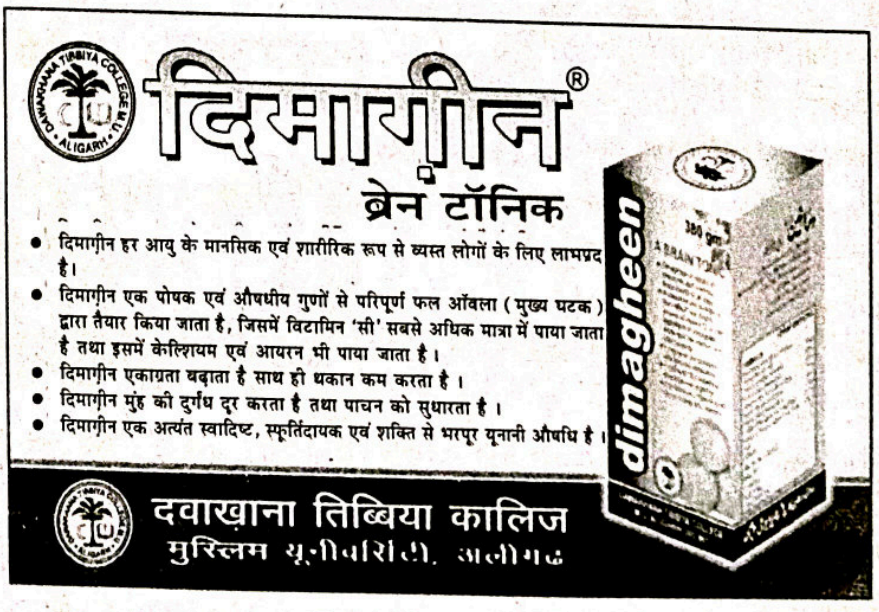

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"अल्लाह की
बन्दगी करो और उसके
साथ किसी को साझी न ठहराओ।
और अच्छा व्यवहार करो माता-पिता
के साथ, नातेदारों, अनाथों, मोहताजों,
नातेदार पड़ोसियों के साथ, और उन
पड़ोसियों के साथ जिनका संबंध न हो,
और पास के व्यक्ति के साथ,
और राह चलने वालों के साथ,
और उनके साथ जो तुम्हारे
अधिकार में हों ।"
(क़ुरआन, 4:36)

Abdur Rahman Shai
Hyderabad

क़ुरआन का कर्मवाद

■ मुहम्मद इलियास हुसैन

क़ुरआन कर्म और उसके परिणाम का श्रेष्ठतम सिद्धांत पेश करता है, जो क्रिया के बराबर प्रतिक्रया का सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि जो जैसा, वह वैसा ही भरेगा। हां, अल्लाह की महिमा और मेहरबानी की अनन्त है, वह अपने अच्छे-सच्चे बन्दे को जो चाहे, जितना चाहे, दे।

इन्सान अपनी ज़िन्दगी में जो कुछ भी करता है, उसका फल उसके साथ-साथ नियत होता जाता है और क़ियामत के दिन हर इन्सान को उसके अच्छे-बुरे कर्मों का फल मिलकर रहेगा। पवित्र क़ुरआन में अच्छे कर्म के साथ सच्चे-पक्के ईमान का होना भी ज़रूरी क़रार दिया गया है अर्थात ईमानदार व्यक्ति ही हश्र के मैदान में अपने सुकर्म का सुफल पाएगा और जिसका दिल ईमान से ख़ाली होगा, उसके नसीब में कड़वे-कसैले फल होंगे। इसलिए इन्सान की सबसे बड़ी ज़रूरत और ज़िम्मेदारी यह है कि वह अपने आपको ईमान की दौलत से मालामाल करे।

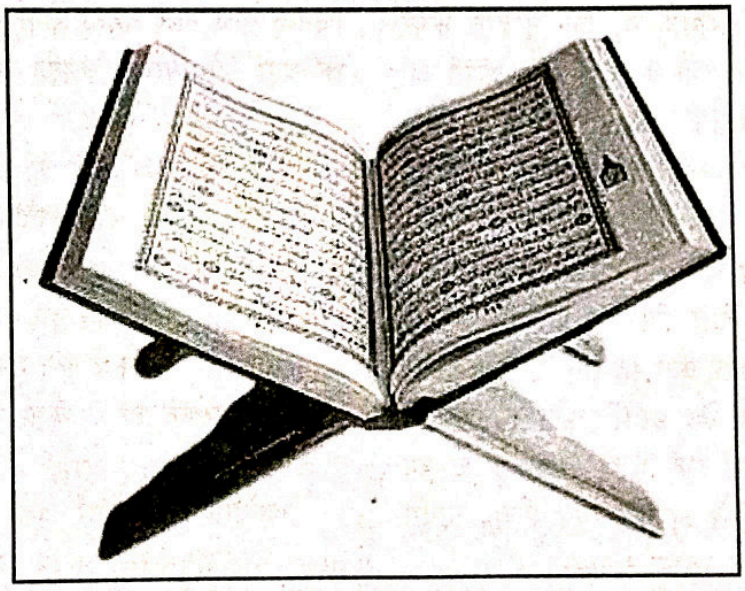

ईमान और अमल (कर्म) एक सिक्का के दो पहलू हैं। ईमान के बिना अमल और अमल के बिना ईमान का क़ियामत के दिन न कोई वज़न होगा और न ही कोई मूल्य। ईमान और अमल ही वह केंन्द्र-बिन्दु है जिसके चारों ओर इस्लाम की मनभावन नाव चक्कर काटती रहती है।

सत्य-असत्य के बीच के अन्तर को बिलकुल स्पष्ट कर देने वाली कसौटी कर नाम क़ुरआन है। क़ुरआन हर पल हर इन्सान को सीधे-सच्चे रास्ते पर चलने का आह्वान करता है। इस सीधे-सच्चे मार्ग पर चलकर ही इन्सान अपना जीवन सुखी-सम्पन्न और सफल बना सकता है, लोक में भी और परलोक में भी।

क़ुरआन वह रोशन चिराग़ है, जो सारे इन्सानों के मार्गदर्शन के लिए अल्लाह की ओर से पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर अवतरित क़िया गया है और क़ियामत तक यह सारे इन्सानों का मार्गदर्शन करता रहेगा। यह सृष्टि के रचयिता, सबके पालनहार अल्लाह की रचना है, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की नहीं। आप (सल्ल०) तो केवल सन्देश लाने वाले एक माध्यम हैं।

क़ुरआन में इन्सानी ज़िन्दगी के हर मामले, हर मसले के बारे में मार्गदर्शन मौजूद है। इसी लिए विद्वानों ने इसे 'मानव-जीवन का सर्वोत्तम विधान' कहा है। इसके आधार पर समतामूलक, इन्सानी भाईचारा और मानव-मूल्यों से से परिपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है।

लेकिन जब-जब इन्सान और इस्लाम के बीच दूरी बढ़ी है, इन्सान सीधे-सच्चे रास्ते से हटे हैं, इन्सानी रिश्ते कमज़ोर हुए हैं, दुनिया में अशान्ति फैली है, एक इन्सान-इन्सान की जान के दुश्मन बने हैं। आज की भयावह स्थिति का कारण भी यही है।

दुनिया भर में अशान्ति पैदा करने और उसे फैलाने में विभिन्न समाजों के बहुरूपिए लोगों का, जिन्हें इन्सानी समाज की काली भेड़ें कहा जाता है, अहम रोल रहा है।

इन्सान के हर कर्म पर अल्लाह की नज़र हर पल रहती है, "जो कुछ तुम करते हो, वह अल्लाह की नज़र में है।" (क़ुरआन, 2:110)

क़ियामत के दिन अल्लाह हर इन्सान को हश्र के मैदान में हिसाब-किताब के लिए इकट्ठा करेगा और उसके अच्छे-बुरे कर्मों का सही-सही और पूरा-पूरा बदला देगा। किसी के साथ कण भर भी ज़ुल्म और अत्याचार न होगा।

यह अलग बात है कि अल्लाह अपनी दयालता किसी पर उड़ेल दे । वह सत्कर्मी लोगों को एक के सत्तर भी दे सकता है–

"तुम सब अल्लह की तरफ़ लौटोगे । वहां हर आदमी को अपनी कमाई हुई नेकी या बुराई का पूरा-पूरा बदला मिल जाएगा और किसी के साथ हरगिज़ जुल्म न होगा ।"

(कुरआन, 2:281)

उस दिन सबके सामने कर्मपत्र रखा जाएगा, जिसमें हरेक का एक-एक कर्म दर्ज होगा, जिसे देखकर हर आदमी हैरान हो जाएगा–

"उस वक़्त तुम हर गिरोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे । हर गिरोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना कर्मपत्र देखे । उनसे कहा जाएगा : आज तुम लोगों को उन कर्मों का बदला दिया जाएगा, जो तुम करते रहे थे । यह हमारा तैयार कराया हुआ कर्मपत्र है, जो तुम्हारे ऊपर ठीक-ठीक गवाही दे रहा है । जो कुछ भी तुम करते थे, उसे हम लिखवाते जा रहे थे ।" (कुरआन, 5:28-30)

अपराधी लोग अपनी ज़िन्दगी की किताब में लिखी बातों से उस समय डर रहे होंगे–

"और कर्मपत्र सामने रख दिया जाएगा । उस समय तुम देखोगे कि अपराधी लोग अपनी ज़िन्दगी की किताब में लिखी बातों से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे : हाय हमारा दुर्भाग्य, यह कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी-बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें दर्ज न हो गई हो । जो-जो कुछ उन्होंने किया था, वह सब अपने सामने मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर तनिक जुल्म न करेगा ।"

(कुरआन, 18:49)

क़ियामत के दिन हर आदमी के अच्छे-बुरे कर्मों को तौला जाएगा । उस दिन किसी तरह की घटतौली या बढ़तौली नहीं चलेगी । वज़न बिलकुल सही-सही होगा–

"क़ियामत के दिन हम ठीक-ठीक तौलने वाले तराज़ू रख देंगे, फिर किसी आदमी पर कण भर जुल्म न होगा । जिसका राई के दाने के बराबर भी किया-धरा होगा, वह हम सामने ला देंगे और हिसाब लगाने के लिए हम काफ़ी हैं ।"

(कुरआन, 21:47)

क़ियामत के दिन जिनके पलड़े भारी होंगे, वही कामयाब होंगे और जिनके हलके होंगे वे घाटा उठानेवालों में होंगे–

"(उस दिन) जिनके पलड़े भारी होंगे, वही कामयाबी हासिल करने वाले होंगे और जिनके पलड़े हलके होंगे, वही अपने आपको घाटे में डालने वाले होंगे ।" (कुरआन, 7:8)

आजकल लोग एक-दूसरे पर आम तौर पर जी भरकर अन्याय-अत्याचार करते हैं । ताक़तवर कमज़ोर का जीना दूभर कर देते हैं, यहां तक कि उन्हें घरबार तक छोड़ने को मजबूर कर देते हैं । जो लोग आत्मरक्षा के लिए मरते-मारते हैं, उन्हें अल्लाह जन्नत की ख़ुशख़बरी देता है–

"मैं तुममें से किसी के कर्म को अकारथ करने वाला नहीं हूं । चाहे मर्द हो या औरत, तुम सब एक-दूसरे की जाति के हो । इसलिए जिन लोगों ने मेरे लिए अपने वतन छोड़े और अपने घरों से मेरे रास्ते में निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उनके सब गुनाह मैं माफ़ कर दूंगा और उन्हें ऐसे बाग़ों में दाख़िल करूंगा, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी । यह उनका बदला है अल्लाह के यहां और अच्छा बदला अल्लाह ही के पास है ।"

(कुरआन, 3:195)

उस दिन वहां जैसे को तैसा बदला मिलेगा–

"जो आदमी भलाई लेकर आएगा, उसे उससे अच्छा बदला मिलेगा और ऐसे लोग उस दिन के हौल से सुरक्षित होंगे और जो बुराई लिए हुए आएगा ऐसे सब लोग औंधे मुंह आग में फेंके जाएंगे । क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और बदला पा सकते हो ? जैसा करो, वैसा भरो ।"

(कुरआन, 27:89, 90)

ज़िन्दगी का सबसे बड़ा अपराध यह है कि आदमी अपने पालनहार के आदेश के विपरीत ज़िन्दगी गुज़ारे । जहन्नम ऐसे ही लोगों के लिए है । जहन्नम में ऐसे लोगों को मौत भी नहीं आएगी कि उनकी दर्दनाक तकलीफ़ों और मुसीबतों से उन्हें छुटकारा मिल जाए । वे सदा आग के अज़ाब का मज़ा चखते रहेंगे ।

इसके विपरीत जो लोग ईमान ले आए और अच्छे काम करते रहे, दुनिया में सदा बनाव और सुधार का काम करते रहे, हमेशा बुराइयों को मिटाने और भलाइयों को फैलाने का प्रयास करते रहे, वही अल्लाह के पसन्दीदा बन्दे हैं । वे मरने के बाद परलोक में ज़िन्दगी के सारे मज़े उठा रहे होंगे–

"जिन लोगों ने (हक़ का) इन्कार किया, वे यक़ीनन जहन्नम की आग में जाएंगे और हमेशा उसमें रहेंगे । ये सारी सृष्टि में अत्यन्त बुरे लोग हैं और जो लोग ईमान लाए और

जिन्होंने अच्छे कर्म किए वे यक़ीनन सृष्टि के सर्वोत्तम प्राणी हैं । उनका बदला उनके रब के यहां शाश्वत निवास की जन्नतें हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी । उनमें वे हमेशा रहेंगे । अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वे अल्लाह से राज़ी हुए । यह कुछ है उस शख़्स के लिए जिसने अपने रब का डर रखा ।''

(क़ुरआन, 99:6-8)

अत: हम सच्ची और अच्छी ज़िन्दगी गुज़ारें । हम और हमारा समाज साफ़-सुथरा हो, हम केवल अपने पैदा करने वाले पालनहार की बन्दगी करें, किसी को उसका साझीदार न बनाएं, हम ख़ुद तो भलाई करें ही, दूसरे लोगों को भी भलाई करने के लिए प्रेरित करते रहें और न ख़ुद बुराई करें, न किसी को बुराई करने दें ।

एक हदीस में कहा गया है कि तुममें से जो व्यक्ति बुराई को देखे, तो उसे ताक़त से बदल डाले । अगर वह ऐसा न कर सके तो फिर ज़बान से उसको बुरा कहे । अगर यह भी न हो सके तो कम-से-कम अपने दिल में ही उससे नफ़रत करे और यह आख़िरी कैफ़ियत बहुत ही कमज़ोर ईमान (की निशानी) है ।

इसलिए दुनिया में सुख-शान्ति की बहार क़ुरआन की शिक्षाओं पर चलने से ही आ सकती है । कर्म पर ही हमारी सफलता और असफलता निर्भर है । कर्म से जीवन बनता है स्वर्ग भी, नरक भी । इसी बात को हिन्दी के एक महाकवि ने इस शब्दों में कहा है और बहुत सही कहा है–

कर्म प्रधान विश्व करि राखा ।
जो जस करहिं सो तस फल चाखा ।

दुनिया में कर्म को ही प्रधानता प्राप्त है । यहां जो जैसा करेगा, वह वैसा ही भरेगा, यहां भी, वहां भी । यही है क़ुरआन का कर्मवाद ।

क़ुरआन कहता है कि ईमान और अमल के संगम पर इस्लाम का भव्य भवन बना है, जिसके नीचे सत्कर्मियों के लिए दूध, शहद आदि विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों की नहरें बहती हैं, नहरों के किनारे फल-फूलों से लदे हर तरह के सदाबहार पेड़-पौधे लगे हैं । हमउम्र पती-पत्नियां मज़े ले रहेंगे, आनन्दमय जीवन जीते रहेंगे ।

अल्लाह के
रसूल (सल्ल०) ने बताया :
अल्लाह तआला क़ियामत के दिन
एक आदमी से कहेगा, ऐ आदम के बेटे,
मैं बीमार पड़ा था, तू मेरी इयादत को नहीं आया ।
वह कहेगा, ऐ मेरे रब, कैसे तेरी इयादत को आता
और तू तो रब्बुल आलमीन है । अल्लाह कहेगा
क्या तुझे मालूम नहीं, मेरा फ़लां बन्दा बीमार
पड़ा था पर तू उसकी इयादत को नहीं गया ।
क्या तुझे मालूम न था अगर तू उसकी इयादत
को जाता तो मुझे उसके पास पाता ।
(हदीस)

Moiz Siddique Ansari
KOLKATA

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY

گیسٹک کے درد میں



قادری قبض ٹروجن

دافع

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے

گھٹیا کے درد میں؟



زعفرانی تیل



کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔ گھٹیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشتک چورن



جریان، کثرت احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور جملہ امراض مردانہ میں بہت مفید ہے

ذیابطیش سی

شوگر کی کامیاب دوا



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور ذیابطیش سے ہونے والی کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana™

An ISO 9001:2008 Certified Company

B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24

(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata- 700 018

Ph. No. 2469-3173-2489-3539

www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

इस्लाम की रूपरेखा

❖ सैयद क़ुत्ब शहीद

यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि मात्र इस्लाम ही मानवता को उन विनाशकारी ख़तरों से बचा सकता है, जिनकी ओर मानवता ऊपरी चमक-दमक वाली सभ्यता की बेड़ियों में जकड़ी हुई बढ़ी जा रही है । इस्लाम ही मानवता को उसकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार और उसकी प्रकृति के अनुरूप ऐसी प्रणाली प्रदान कर सकता है, जिसमें भौतिक अन्वेषण संबंधी प्रगति और आत्मिक और नैतिक उत्थान के बीच सामंजस्य और संपर्क पैदा हो सके और जिसमें यह संपर्क और सामंजस्य पूर्ण रूप से पाया जाए । संपूर्ण इतिहास में मानवता केवल इस्लाम की छाया में ही इस पूर्णता से परिचित हो सकी ।

जब यह बात स्वीकार कर ली जाए, तो संपूर्ण मानवता के हक़ में उन लोगों के अपराध की गंभीरता स्पष्ट हो जाती है, जो इस्लामी पुनरुत्थान के लक्ष्य रक्षकों पर प्रत्येक स्थान पर बर्बरता-पूर्ण आघात कर रहे हैं और उनमें अक्सर मिस्टर फ़ोस्टर डलिस जैसे लोग ही हैं, जो इस प्रकार की प्रणाली के लिए चीख़-पुकार तो करते हैं, परन्तु साथ ही इस्लामी प्रणाली व रेखाओं को मिटाने और मानवता की दृष्टि से उसे छिपाने और तरह-तरह की चालों, दोषारोपणों और झूठ व मिथ्यारोपणों के द्वारा उससे नफ़रत पैदा करने की भी कोशिश करते हैं, जबकि मानवता किसी 'मुक्तिदाता एवं उद्धारक' के लिए विकल और उत्सुक है ।

निस्संदेह यह संपूर्ण मानवता के प्रति गंभीर और घृणित अपराध है, क्योंकि मानवता अपनी प्रकृति और वास्तविक अपेक्षाओं की विरोधी सभ्यता के कारण दीन, हीन, व्यग्र और दुखी है जैसा कि इसको जगत दिख्यात वैज्ञानिक स्वीकार भी कर रहा है । इस सभ्यता पर भौतिकवादी दर्शन का अधिपत्थ्य है—जैसा कि मिस्टर डलिस सचेत करते हैं...मानवता इस ऊपरी चमक-दमक और तड़क-भड़क वाली सभ्यता की बेड़ियों में जकड़ी हुई तबाही के गड्ढ़े की ओर बढ़ती जा रही है और प्रतिक्षण उससे निकट होती जा रही है । उस इस्लाम के अतिरिक्त कोई नहीं जो उसे इस आपदा से छुटकारा दिला सके, जिसके विरुद्ध मानवता के दुश्मन दुनिया में हर तरह-तरह के षड्यंत्रों, चालों और विभिन्न तरीक़ों से संघर्ष कर रहे हैं, किन्तु इस्लाम के विरुद्ध यह प्रत्यक्ष संघर्ष और संग्राम हमारे इस दृढ़ विश्वास को कदापि विनष्ट नहीं कर सकता कि 'भविष्य इस्लाम ही का है ।'

जिन लोगों ने तातारियों को पराजित करके उन्हें मुस्लिम देशों से निकाल बाहर किया वे अरब नस्ल के न थे बल्कि वे तातारी ही थे, किन्तु इस्लामी स्वाभिमान के कारण वे स्वयं अपनी ही नस्ल के आक्रमणकारियों के विरुद्ध आ डटे । वे मुस्लिम थे । इस्लामी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने इमामुल मुसलिमीन इब्न तैमिया के इस्लामी रूहानी नेतृत्व में 'जिहाद' किया । इब्न तैमिया स्वयं इस आध्यात्मिक आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे और युद्ध में सबसे आगे कि पंक्ति में शामिल थे ।

इस्लाम अपने दीर्घ जीवनकाल (इतिहास) में इन बर्बरतापूर्ण आघातों से भी अधिक क्रूर, निर्दय और कठोर आघातों का सामना कर चुका है, जिनसे आज हर जगह इस्लामी पुनरुत्थान के ध्वजाधारियों को सामना करना पड़ रहा है । इस्लाम ने न केवल यह कि अपनी निजी शक्ति के बल पर मुक़ाबला किया है, बल्कि उसमें वह सफल और विजय भी हुआ और वह अपनी और अपने संरक्षण में रहने वाले समुदायों के अस्तित्व की भी रक्षा करता रहा, जबकि वह नि:शस्त्र था ।

इस्लाम ही था जिसने पूरब में तातारियों और सलीब वालों के आक्रमणों से मुस्लिम भू-भागों की रक्षा की । यदि सलीबी इन क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर लेते, जिस प्रकार वे स्पेन में और यहूदी फ़िलिस्तीन में सफल हुए, तो न आज

अरब राष्ट्रीयता का अस्तित्व शेष रहता और न अरब देश और अरब नस्ल बाक़ी रहती । प्राचीन स्पेन और वर्तमान फ़िलिस्तीन इसके साक्षी हैं कि जब इस्लाम को किसी जगह से बहिष्कृत कर दिया जाता है, तो न वहां भाषा शेष रहती है और न राष्ट्रीयता ।

जिन लोगों ने तातारियों को पराजित करके उन्हें मुस्लिम देशों से निकाल बाहर किया वे अरब नस्ल के न थे बल्कि वे तातारी ही थे, किन्तु इस्लामी स्वाभिमान के कारण वे स्वयं अपनी ही नस्ल के आक्रमणकारियों के विरुद्ध आ डटे । वे मुस्लिम थे । इस्लामी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने इमामुल मुसलिमीन इब्न तैमिया के इस्लामी रूहानी नेतृत्व में 'जिहाद' किया । इब्न तैमिया स्वयं इस आध्यात्मिक आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे और युद्ध में सबसे आगे कि पंक्ति में शामिल थे ।

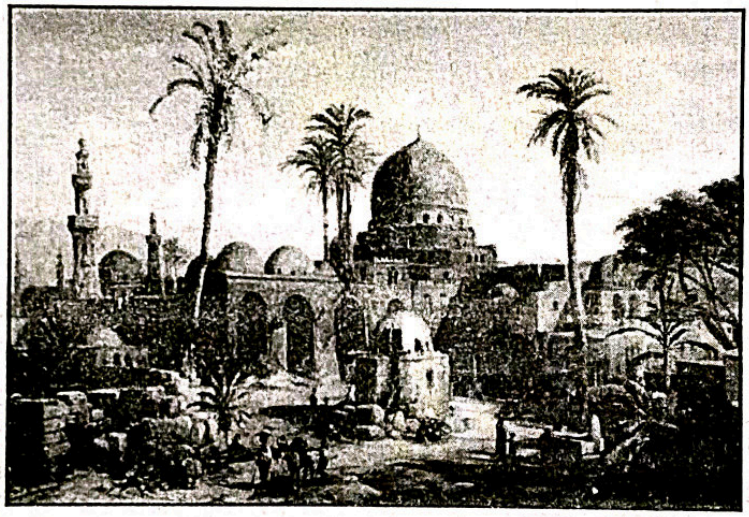

इस भू-भाग में अरबियत और अरबी भाषा की रक्षा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने की, जबकि वे अरब नस्ल से न थे बल्कि कुर्द थे । इस्लाम को सलीबियों के आक्रमणों से बचाने के साथ उन्होंने अरबियत और अरबी भाषा की भी रक्षा की । वास्तव में यह इस्लाम ही उनके हृदय में था, जिसने सलीबियों से मुक़ाबला और संघर्ष कराया, जिस प्रकार हृदय में इस्लाम होने के कारण ज़ाहिर बैबरस, मुज़फ़्फ़र कुत्ज़ और मलिक नासिर ने बर्बर तातारियों से युद्ध किया ।

यह इस्लाम ही था, जिसने अलजीरिया में डेढ़ सौ वर्ष तक साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष किया और अरबियत को बाक़ी रखा, यद्यपि फ्रांसीसियों ने उसके महत्वपूर्ण तत्वों : भाषा और संस्कृति को विनष्ट कर दिया था और अलजीरिया में अरबी भाषा को विदेशी भाषा ठहरा कर उसकी शिक्षा पर पाबन्दी लगा दी थी । उस समय केवल इस्लाम ने जो अलजीरिया के मुसलमानों के हृदय में मौजूद था, आक्रमणकारियों और अत्याचारियों का प्रतिरोध किया और सफलतापूर्वक उनका मुक़ाबला किया । उनके सामने सिर नहीं झुकाया क्योंकि उसके शत्रु 'सलीबी' थे । इस प्रकार अलजीरिया में प्रतिरोध की भावना बाक़ी रही । फिर अब्दुल हमीद बिन बादीस ने इस्लामी आन्दोलन चलाया, जिससे उसे नयी उत्तेजना मिली और इस आग की लपटें फिर धधक उठीं । यह वह तथ्य है जिसे फ्रांसीसी सलीबी भली-भांति जानते थे, क्योंकि वे सलीबी थे । इस तथ्य को मुसलमानों के कुछ मूर्ख और पथभ्रष्ट लोग मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

फ्रांसीसियों को पूर्ण विश्वास था कि इस्लाम ही अपने शत्रुओं के मुक़ाबले में अपनी उच्च एवं विजय भावना के साथ अलजीरिया में उनकी राह में बड़ी रुकावट था । इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, अरबों और अल्जीरिया वालों के विरुद्ध नहीं ।

यह इस्लाम ही था, जिसने सूडान में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध मेहदी सूडानी महान के आन्दोलन एवं विद्रोह का रूप धारण किया । नील घाटी के उत्तरी भाग 'मिस्र' में फिर दक्षिणी भाग 'सूडान' में मेहदी महान की घोषणाओं और किचनर, क्रोमर और तौफ़ीक़ के नाम उस्मान दक़ना के पत्रों का अध्ययन किया जाए, तो इस्लामी प्रेरणा की शक्ति और प्रभाव का भली-भांति प्रमाण मिल सकता है ।

इस्लाम ही ने बर्क़ा और तराबलुस में इटली के आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष किया । सनोसी ख़ानक़ाहों और केन्द्रों में प्रतिरोधी आन्दोलन विकसित हुआ और वहीं से उमर मुख़्तार ने 'जिहाद' का शुभारंभ किया ।

मराकश में प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन इस्लामी भावना ही के परिणामस्वरूप चला था । फ्रांसीसियों ने सन 1931 ई॰ में बरबर एक्ट पारित करके जिस तरह बराबर क़बीलों को इस्लामी शरीअत से हटाकर मूर्तिपूजा की ओर फेरने की कोशिश की, तो इस्लाम ने ही मराकश में फ्रांसीसियों के विरुद्ध क्रांति की चिंगारी को धधका दिया ।

इस्लाम दीर्घ समय से शस्त्र और युद्ध मशीनरी के बिना प्रतिशोध और मुक़ाबला करता रहा है, क्योंकि उसकी मूल

शक्ति उसकी प्रकृति, उसकी सादगी, स्पष्टता, व्यापकता, मानवीय प्रकृति के साथ उसके सामंजस्य और उसकी वास्तविक अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में निहित है । उसकी शक्ति इन्सानों को इन्सानों की दास्तापरस्ती से निकालकर अल्लाह की इबादत की महानता से जोड़ने में निहित है । ईश्वर के अतिरिक्त इस्लाम किसी से शक्ति अर्जित नहीं करता और न उसके अतिरिक्त किसी अन्य के आगे झुकता है । यह शक्ति इस्लाम के अनुयायियों की इस मनोवृत्ति में निहित है कि वे आकस्मिक कठिन परिस्थितियों में–जैसे दमनकारी के अधिपत्य में होना, उनसे अपने को ऊंचा रखने की क्षमता रखते हैं । यह आधिपत्य उनके हृदय से बाहर ही रहता है, चाहे वह कितना ही कठोर क्यों न हो । अत: जब तक हृदय में इस्लाम मौजूद है आत्मिक पराजय संभव नहीं, यह अलग बात है कि कभी बाहरी पराजय का सामना करना पड़ जाए ।

इस्लाम की इन्हीं विशेषताओं के कारण उसके शत्रु उसके विरुद्ध युद्धरत हैं, क्योंकि इस्लाम उनके मार्ग में रुकावट खड़ी करता है और उनके साम्राज्यवादी शोषण के उद्देश्य और दूसरों पर उनके अत्याचार करने और अपना प्रभुत्व जमाने से रोकता है ।

इस्लाम की इन्हीं विशेषताओं के कारण उसके विरोधी उसका उन्मूलन करने, उसे तरह-तरह से बदनाम करने और उसका रूप बिगाड़ने की कोशिश करते हैं । वे चाहते हैं कि इस्लाम की जगह दूसरे मानदंडों और धारणाओं को लाया जाए जो किसी भी रूप में इस्लाम से संबद्ध न हो ताकि यहूदियत, सलीबी शक्तियों और अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद को सरलतापूर्वक सफलता मिल सके ।

इस्लाम की इन्हीं विशेषताओं के कारण उसके दुश्मन उसका गला घोंट देना चाहते हैं । इस संघर्ष का आशय यही है और यही इस विरोध का मौलिक कारण है ।

किन्तु इन सब बातों के बावजूद निश्चय ही भविष्य इसी धर्म का है ।

उस प्रणाली की प्रकृति एवं स्वभाव को देखकर जिसकी रूप-रेखा यह इस्लाम धर्म प्रस्तुत करता है और मानवता को उसकी जितनी आवश्यकता है, उससे यह अडिग विश्वास होता है कि 'भविष्य इसी धर्म का है' और यह कि इस्लाम को धरती में अपना रोल अदा करने का अवसर अवश्य मिलेगा, भले ही इसके वैरी इसे चाहें या न चाहें । यह प्रतीक्षित रोल कोई अन्य मत अथवा प्रणाली अदा करने में असमर्थ ही रहेगी । सामूहिक रूप से मानवता दीर्घकाल तक इससे अपने आपको वंचित रखकर जीवित नहीं रह सकती ।

इस वास्तविकंता को इस रीति से और अधिक निखारने की आवश्यकता नहीं, बल्कि यहां इस्लामी इतिहास की एक घटना का उल्लेख करना उचित और शिक्षाप्रद होगा ।

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और आपके साथी हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) कुरैश की निगाहों से छिपकर मदीना की ओर 'हिजरत' कर रहे थे और सुराक़ा बिन मालिक उनका पीछा कर रहा था । सुराक़ा का घोड़ा जब भी आप और आपके साथी के पास पहुंचने लगता, तो उसे ठोकर लगती और उसके पांव रेत में धंस जाते, किंतु कुरैश के घोषित उस पुरस्कार के प्रलोभन में वह पुन: पीछा करने लगता । कुरैश ने यह पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए घोषित किया था जो मुहम्मद (सल्ल०) और उसके साथी को पकड़ लाएगा या उनके बारे में सूचना देगा । अंतत: सुराक़ा ने नबी (सल्ल०) से क्षमा-याचना की और जब वापस होने लगा तो नबी (सल्ल०) ने कहा–"सुराक़ा ! मैं तुम्हारे हाथ में किसरा (ईरानी सम्राट) के कंगन देख रहा हूं ।" दूसरे शब्दों में आपने फ़ारस के सम्राट के कंगन का वादा किया ।

ईश्वर ही जानता है कि उस समय सुराक़ा के दिल में क्या विचार आया होगा, क्योंकि यह विलक्षण वादा एक ऐसा व्यक्ति कर रहा था, जो अपने एक साथी के अतिरिक्त सब कुछ छोड़कर स्वदेश त्यागने पर विवश था । वह एक साथी रक्षा के लिए काफ़ी नहीं हो सकता था, यद्यपि वह उस गुप्त यात्रा में आपका सहचर था ।

किन्तु अल्लाह के रसूल (सल्ल०) जानते थे कि सत्य उनके साथ है और उस असत्य से भी आप परिचित थे, जिसके कारण दुनिया अज्ञान में डूबी हुई थी । आपको पूर्ण विश्वास था कि सत्य, असत्य के मुक़ाबले में विजयी होगा और यह असंभव है कि सत्य और असत्य साथ-साथ जीवित रहें । असत्य रूपी पुराने वृक्ष की जड़ें खोखली हो चुकी थीं, पानी और खाद से उसे कोई लाभ नहीं पहुंच सकता था । दूसरी ओर सत्य का पवित्र और आदरणीय बीज बोए जाने, उगने और प्रचुर फल देने के लिए नबी करीम (सल्ल०) के हाथ में तैयार था और आपको इन सब पर पूर्ण विश्वास

था ।

आज हम ऐसी ही परिस्थिति से गुज़र रहे हैं । हमारे चारों तरफ़ अज्ञान फैला हुआ है, अत: हमें भी सत्य की विजय के बारे में किसी संदेह में नहीं पड़ना चाहिए, उस परिणाम के बारे में जिसकी ओर, इन समस्त भ्रामक प्रदर्शनों के बावजूद, हमारे वातावरण की हर चीज़ संकेत कर रही है ।

आज की जीवन प्रणालियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आज मानवता को इस्लामी जीवन-प्रणाली की जितनी आवश्यकता है वह समय से कम नहीं है, जब नुबूवत का सूर्य उदय नहीं हुआ था । इसलिए हमें इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उन परिस्थितियों में जो कुछ घटित हुआ था वह फिर घटित होगा । हमें इस कारण संदेह में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे वातावरण में हर जगह इस्लामी पुनरुत्थान के लक्ष्यधारियों पर बर्बरतापूर्ण आघात किये जा रहे हैं और देखने में भौतिकवादी सभ्यता के आधार अत्यंत सुदृढ़ प्रतीत होते हैं ।

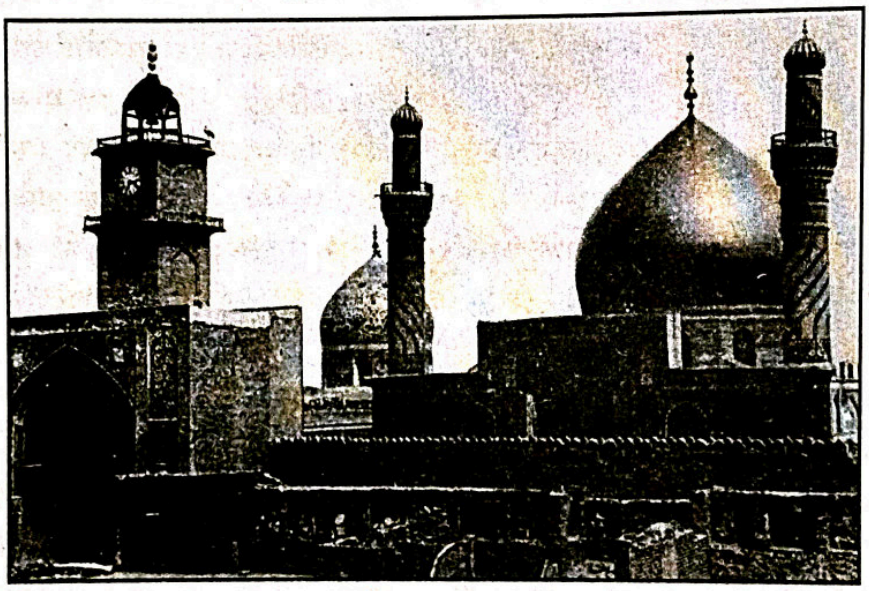

इस मामले में निर्णायक वस्तु असत्य की विराट शक्ति नहीं और न इस्लाम पर किये जाने वाले आघातों की बर्बरता शक्ति है, बल्कि निर्णायक है सत्य की शक्ति और इन आघातों के मुक़ाबले की ताक़त । हम अकेले भी नहीं, हमारे साथ ब्रह्माण्ड और मानव प्रकृति है, जो अत्यंत बलशाली और तेजवान है और जो प्रकृति पर डाले जाने वाले सभ्यता संबंधी बोझ से कहीं अधिक विशाल है । प्रकृति और सभ्यता में जब भी संघर्ष और टकराव होगा, विजय प्रकृति को प्राप्त होगी । चाहे यह टकराव कुछ ही देर के लिए हो या लंबी अवधि के लिए ।

हां, इस बात को सामने रखना आवश्यक है कि हमारे सामने प्रकृति को कृत्रिम आवरणों से निकालने और वर्तमान अंधेरों के मुक़ाबले में उसे आधिपत्य प्रदान करने के लिए बड़ी तैयारियां आवश्यक हैं । हमें यह तैयारी भी करनी है कि हम इस्लाम के अभीष्ट आदर्श, ईश्वर को माननने और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविकता को पा लें, क्योंकि उसे मानने का हक़ अदा ही नहीं हो सकता जब तक कि हम उसके जानने का हक़ न अदा करें ।

ईश्वर की बन्दगी में भी हमारे लिए इस्लाम के आदर्श को प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर के जानने का हक़ अदा नहीं हो सकता और हम वास्तविक रूप में उसे नहीं जान सकते जब तक हम उसकी बन्दगी का हक़ न अदा करें ।

इसी तरह हमें अपने वातावरण और अपने समय की रीति और ढंग आदि से भी भली-भांति परिचित होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर उन पर दया दर्शाता है, जो अपने युग को पहचानें और अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चलें ।

अपने युग की संस्कृति और सभ्यता से पूरा और दक्षतापूर्ण परिचय प्राप्त करना भी आवश्यक है, क्योंकि पूर्ण परिश्रम ज्ञान और दक्षता के बिना हम यह निर्णय ही नहीं कर सकते कि हमें इसमें से क्या लेना है और क्या छोड़ना है । अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने की योग्यता ज्ञान और दक्षता प्राप्त करने से ही पैदा होती है।

फिर यह भी आवश्यक है कि हम मानव-जीवन की प्रकृति और उसकी नवीन वास्तविक आवश्यकताओं से भी पूर्णत: परिचित हों, ताकि जीवन और इस सभ्यता से दक्षतापूर्ण परिचय और परीक्षण के आधार पर हम यह निर्णय कर सकें कि इस सभ्यता के किन तत्वों को हमें स्वीकार करना है और किन तत्वों को छोड़ना है ।

निस्संदेह यह एक अत्यंत दीर्घ, साहसपूर्ण और कटु संघर्ष है, किंतु साथ ही सत्य और असत्य को अलग-अलग करने वाला संघर्ष है । ईश्वर हमारे साथ है ।

"ईश्वर को अपने काम पर पूरा अधिकार प्राप्त है, किंतु अधिकतर लोग जानते नहीं ।" (कुरआन, 12:21)



TheDeccanPenStores

Orient Estate, Abid Road, Hyderabad -500001
Ph : +91-4023202306, 23205164, 66777755

Branches
R.P. Road, sec bad, Ph : +91-40-27813020, 66493020
Ameerpet, Greenlands, Ph: +91-40-65987755, 66786455

S. A. Wahab
+91 9849102095



SPECTS HOUSE

Total Eye Care Solution

Export & Import
Wholesale & Retail

H.O. : # 4-1-354/E, Gulbagh Hanuman Tekdi,
Opp. Hotel Jaya International, Abids
Hyderabad - 500 001
Tel.: 040-66108862, 66848862
www.spectshouse.com, Email.: spectshouse@yahoo.com

PACIFIC

pumps & motors

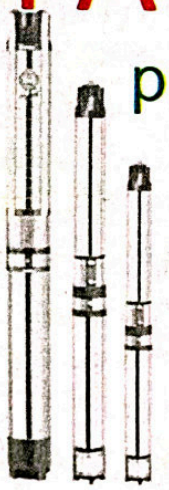

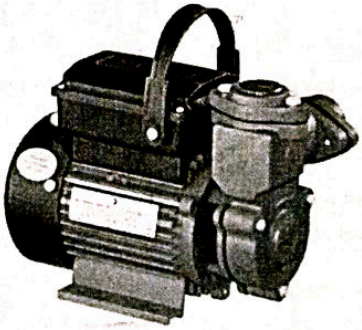

#18-3-6/79, Hashamabad,
Chandrayangutta,
Hyderabad T.S.-500005
Ph. :040 - 6464 3311
pacifichyd1@gmail.com

रेक्स (यू॰ एंड ए॰) रेमीडीज़ प्रा॰ लि॰

रेक्स बादाम पिस्ता प्राश

बनाए दिमाग़ को तेज़

बढ़ाए आंतरिक शक्ति

Hira Enterprises

23/3/117/A- SULTAN SHAHI, HYDERABAD
Mbl.: 9849092201, 9966574706

FREE QURAN TRANSLATION

IN HINDI, MARATHI, GUJRATI & ENGLISH

www.voiceofquran.info
www.purposeofthelife.com
www.alqurantranslation.com

C/O RICH DECOR
247, Maulana Azad Road,
Taj Manzil, Mumbai - 400 018.

022-23063564 / 022-23087950
9820182816, 9920182816
thevoiceofquran@gmail.com

Syed Iftikhar Ali
S/o (Late) Syed Mir Raza Ali







MUSLIM TAILORING HOUSE

Spl. In
Sherwani, Kurta, Punjabi Etc.

Mughal pura, Sultan Shahi Road, HYDERABAD
Ph. :24561349, Cell :9912372252

Restockist of
Hindustan Unilever Ltd.

ALBA TRADERS

19, Rathod Layout, Near Noori Masjid
Jafar Nagar Ring Road, Nagpur - 440 013
Mobile No. : 9158428686
E-mail : albatraders@rediffmail.com

Mirza Sharique Baig
M : 9372425965, 9660020163

Babbu
HOTEL

Mominpura Chowk, Nagpur
Ph. 0712-6068333
E-mail : sharikbaig@yahoo.co.in



SAMRAT BEARINGS

Ganjipeth Road, Bhaldarpura, Nagpur-440018
Tel.: 0712-2720385, 3200024 Fax : 0712-2730609
Mobile : 9890167688, 9890362882
Email : samratbearing@gmail.com

DEALS IN :

SKF, NBC, FLT, ZKL, USSR BEARING, 'V' PULLEY 'V' BELT, BEARING SLEEVE, BEARING BLOCK, OIL SEAL, CHAIN SPROCKETS, ELECTRIC MOTOR, PUMP, H.T. NUT BOLT, GREASE, HARDWARE, POWER TOOLS, INDUSTRIAL & GENERAL MATERIAL SUPPLIER.

Rajdhani
MILL STORES

Panchpaoli Road, Chitra Talkies Square, Bhaldarpura,
Nagpur - 18; Tel : 0712 - 2764861; Fax : 2730609
Mobile : 9423681927, 9890362882
Email : rajdhanimill@rediffmail.com

Authorised Dealer For VEEHOLD :

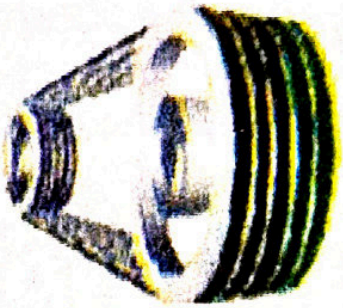

VEEHOLD

SKF



Sajid Anwar

9372478173, 9422828136

SAJID CARPETS

We Sale All Kinds of JA - NAMAZ

SPECIALIST IN MASJID JA-NAMAZ

WHOLE SALER & RETAILER

We also Import & Export

Mohammad Ali Road, Mominpura, NAGPUR - 440 018. INDIA

E-mail : carpetjanamaz@gmail.com





Shoeb : 9373102695
Sohel : 9822702926

All Kinds of :
Lungees, Haji RumalMuslla,
Kurta Payjama, Tasbeeh,
Topi, Naqab, Scarf, Ahram,
Blanket & Hosiary

SHOEB
&
BROTHERS

WHOLESELLER & RETAILER

M.Ali Road, Mominpura, Nagpur 18

STANDARD



Wholesale Distributers and Stockist

S. No. 5-1-546/1,2&3, Troop Bazar,
Beside Nursing Lodge,
Hyderabad- 95

Ph. 24613159, 24744626, Fax : 24747966
E-mail : standard_07@yahoo.com

अल्लाह के
रसूल (सल्ल॰) ने बताया :
अल्लाह तआला क़ियामत के दिन
एक आदमी से कहेगा, ऐ आदम के बेटे,
मैं बीमार पड़ा था, तू मेरी इयादत को नहीं आया ।
वह कहेगा, ऐ मेरे रब, कैसे तेरी इयादत को आता
और तू तो रब्बुल आलमीन है । अल्लाह कहेगा
क्या तुझे मालूम नहीं, मेरा फ़लां बन्दा बीमार
पड़ा था पर तू उसकी इयादत को नहीं गया ।
क्या तुझे मालूम न था अगर तू उसकी इयादत
को जाता तो मुझे उसके पास पाता ।
(हदीस)

A Well Wisher
Hyderabad

بسم الله الرحمن الرحيم

"अल्लाह की बन्दगी
करो और उसके साथ किसी
को साझी न ठहराओ । और अच्छा
व्यवहार करो माता-पिता
के साथ, नातेदारों, अनाथों, मोहताजों,
नातेदार पड़ोसियों के साथ, और
अपरिचित पड़ोसियों के साथ और साथ
रहने वाले व्यक्ति के साथ और
मुसाफ़िर के साथ और
उनके साथ भी जो तुम्हारे
क़ब्ज़े में हों ।"

(क़ुरआन, 4:36)

A Well Wisher

Hyderabad

With Best Compliments From

HINDUSTAN GROUP
A various Industries Under One Name
Group

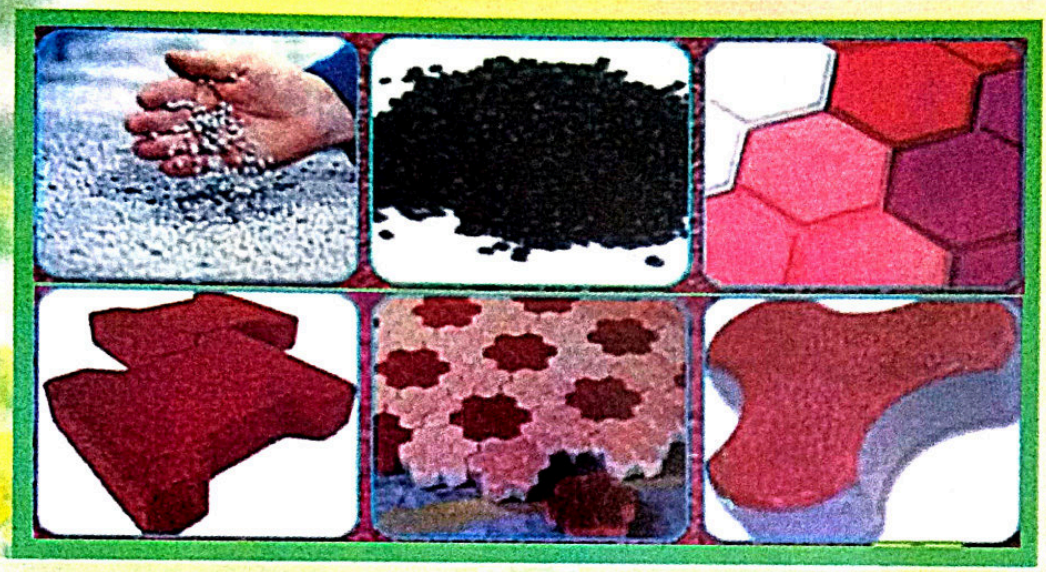

HINDUSTAN INDUSTRIES

MANUFACTURING UNIT FOR
PAVERS, TILES & BLOCKS

AT
Plot No. S-2, COLVALE INDUSTRIAL ASTATE
COLVALE, BARDEZ,GOA, INDIA

HEAD OFFICE
NH-17, Kraswada, Mapusa, Goa
Ph.: 22577900, 2257793, 2257700
www.hindustangroupgoa.com

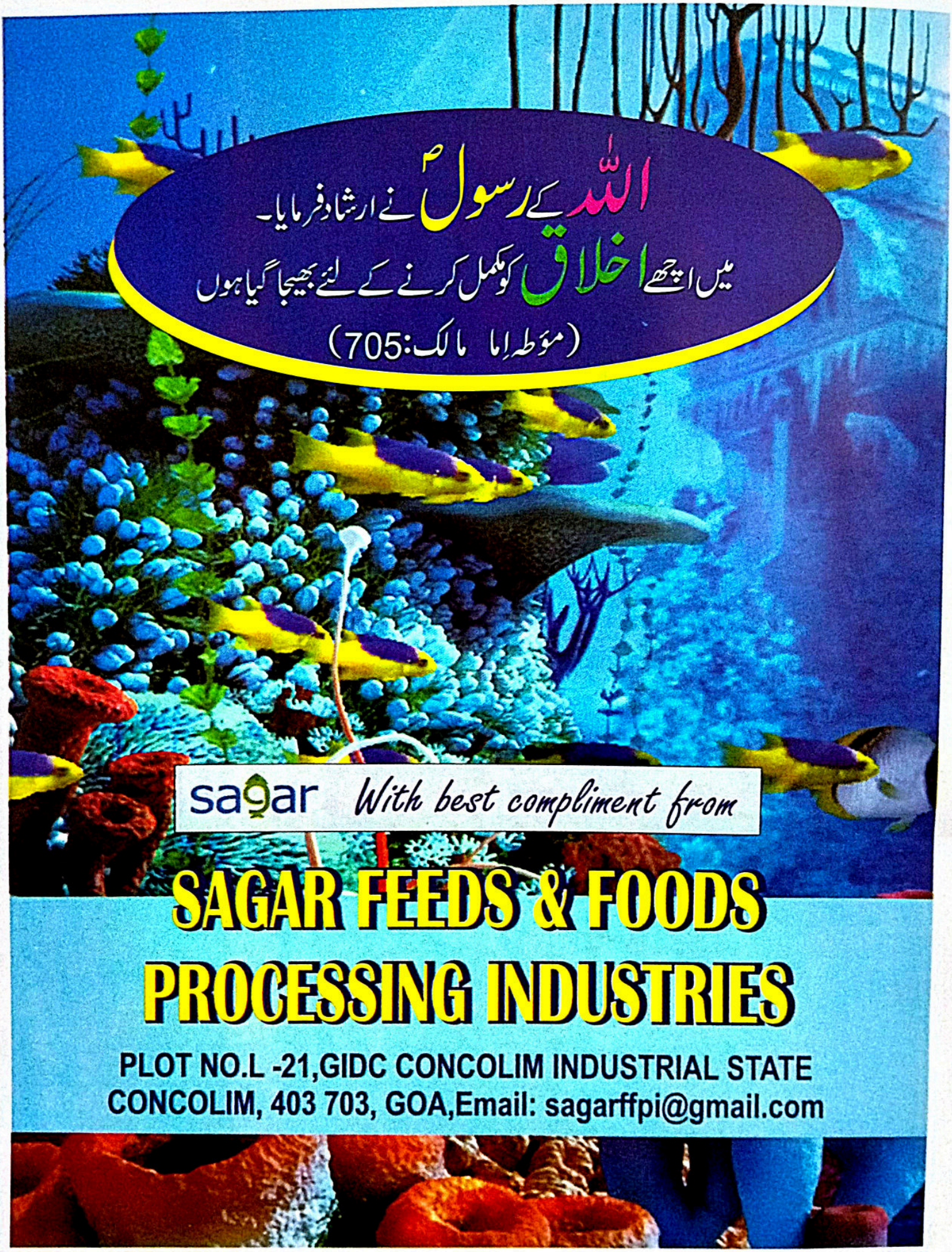
اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا۔
میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں
(مؤطہ اِما مالک:705)
sagar
With best compliment from
SAGAR FEEDS & FOODS
PROCESSING INDUSTRIES
PLOT NO.L -21,GIDC CONCOLIM INDUSTRIAL STATE
CONCOLIM, 403 703, GOA,Email: sagarffpi@gmail.com

مسلمان وہ ہے
جس کی زبان اور ہاتھ سے
مسلمان محفوظ رہیں۔
(بخاری:10)

Seahath Canning Company

Plot No. 8, Margoa Industrial Estate
St. Jose de Areal. Post Curtorium
Margo, Goa 403709, INDIA
Tel.: +91-832-2860412 / 6481562
Email: info@seahath.com | www .seahath.com



اسلامیہ عربک کالج
ISLAMIA ARABIC COLLEGE

(ریسیڈنشیل اسکول، Residential School)

زیر انصرام: منصورہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیر ٹرسٹ

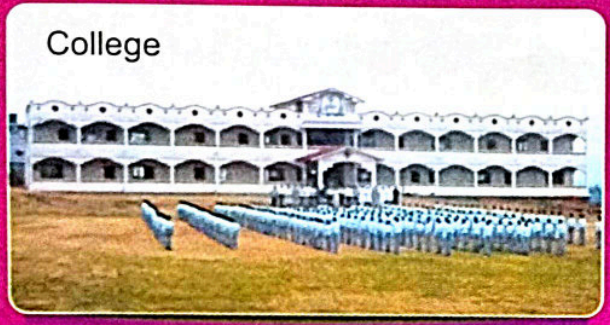

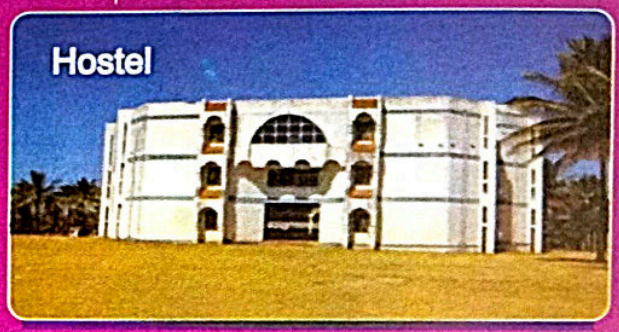

دینی وعصری علوم کا حسین امتزاج

اسلامیہ عربک کالج، جنوبی ہند کی منفرد اقامتی درسگاہ ہے، جہاں ملک کی مختلف ریاستوں کے طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ عصری تعلیم (پانچویں تا دسویں جماعت تک کے ساتھ ساتھ دینی علوم میں ثانویہ تک تعلیم ہوتی ہے۔

دستیاب سہولتیں

وسیع کیمپس، خوشگوار اور پرسکون ماحول میں معیاری تعلیم وتربیت، ہاسٹل، مسجد، لائبریری، کمپیوٹر لیب، مارشل آرٹس کی تعلیم، کھیل کود کے لئے وسیع میدان، دعوتی کام کے لئے تحریری وتقریری مشق تمام شعبوں کے لئے قابل، تجربہ کار، محنتی اور مشفق اساتذہ

مقاصدِ تعلیم

☆ طلبہ کو کتاب وسنت کی تعلیم سے آراستہ کرنا
☆ مومنانہ بصیرت پیدا کرنا ☆ فریضۂ اقامتِ دین کے لئے تیار کرنا
☆ خدا کا مخلص بندہ اور ملک کا ایک اچھا شہری بنانا۔
☆ عصری علوم سے روشناس کرنا

داخلے کی شرائط

☆ طالبِ علم کی عمر 11 سال سے زائد نہ ہو ☆ پانچویں جماعت کامیاب ہو
☆ ناظرہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہو ☆ ہمارے داخلہ ٹسٹ میں کامیاب ہو

رجسٹریشن اور مزید تفصیلات کے لئے رابطہ کریں:

سید عبدالحسیب (سکریٹری)
09845475006

منور پاشاہ (پرنسپل)
09986846146

Islamia Arabic College,Mansoora, Post ALUR.573213,Dist:Hassan,Karnataka
Ph:08170-218320,9341995959,E.mail:secmansoora@rediffmail.com
Website:www.iacmansoora.com

جامعۃ البنات حیدرآباد

JAMIATUL BANATH HYDERABAD, Sayeedabad

Affliation to Maulana Azad National Urdu University

میں

داخلے جاری ہیں

- شعبہ حفظ
- عالمیت وفضیلت
- وشعبہ تربیت

اضلاع کے طالبات کے لئے جامعہ میں معیاری ہاسٹل کی سہولت ہے

- لڑکیوں کا اعلیٰ ومعیاری دینی 28 سالہ قدیم جامعہ۔
- دینی تعلیم کے علاوہ انگریزی وکمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔
- جس کے لئے خاص کمپیوٹر لیاب پوری ضرورتوں سے آراستہ ہے۔
- شہر کی طالبات کیلئے بسوں کی سہولت ہے۔

بہترین تعلیم وتربیت کے لئے اس جامعہ میں داخلہ دلوائیں

نوٹ: (۱) مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد نے جامعۃ البنات حیدرآباد سے عالمیت کی سند کو بی۔اے اور فضیلت کی سند کو ایم۔اے میں داخلہ کیلئے اہل قرار دیا ہے۔

پتہ: جیون یار جنگ کالونی، روبرو مدینہ میڈیکل ہال، VIP اسکول کی گلی، سعید آباد، حیدرآباد۔059

رابطہ : 040-24553534 9848431304

In the Name of Allah, the most Merciful, the Most Kind

Say, He is Allah, the One. Allah is Eternal and Absolute. None is born of Him nor is he Born, and there is none like him (Surahul Ikhlas 112)

With Best Compliments from :

FALCON PUBLISHERS

HYDERABAD PH:040 66 13 23 44

FALCON'S 10 YEARS SINCE 1977

YES! THE NAME YOU CAN TRUST - FOR EXCELLENT BOOKS

MEDICAL & POLYTECHNIC BOOKS

- Electrical and Electronics Engineering
- Civil Engineering
- Mechanical Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Computer Engineering
- Mining Engineering

FIRST YEAR

SECOND YEAR
III SEMESTER • IV SEMESTER

THIRD YEAR
V SEMESTER
VI SEMESTER

Thank You, [illegible] FALCON [illegible]

FALCON BOOK HOUSE

BOOKSELLERS & LIBRARY SUPPLIERS

HYDERABAD

Beside Andhra Bank | Women's College Road | KOTHI | HYDERABAD - 500 095
Ph : 040 - 66 13 23 44

VIJAYAWADA

Shaik Jani Street | Eluru Road | ARUNDALPET | Vijayawada - 520 002
Ph : 0866 - 66 2 77 88

FALCON - Lives up to its perennial dream of bringing Good Books for Polytechnic Students

ब्रह्माण्ड : संरचना एवं विकास का इस्लामी दृष्टिकोण

■ **सैयद वक़ार अहमद हुसैनी**

अरबी भाषा में 'समाअ' से तात्पर्य कोई ऐसी चीज़ है जो (किसी दूसरी चीज़) के ऊपर होती है। 'अस-समाअ' से अभिप्राय आकाश है और 'अस-समावाति' से तात्पर्य कई आकाश और उर्ध्व जगत है। इन शब्दों का अर्थ अंतरिक्षीय आकाश (Cosmic space), आकाशों का एक भाग जो हमारे सौरमंडल और आकाश गंगाओं आदि पर आधारित हो सकती है। अर्थात वे सब धरती के ऊपर अवस्थित हैं। ऐसी पारिभाषिक क़ुरआनी शब्दावलियों को तकनीकी रूप में कुछ परिवृत्तों के अन्दर किसी विशेष काल की ज्ञान-मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में भी समझा जा सकता है।

दिन ('यौम') का अरबी में अर्थ समय और काल का नितांत दीर्घावधि भी हो सक़ता है। यह भी क़ुरआन में पूर्ण विस्तार से आ गया है....."तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारे हिसाब से एक हज़ार वर्ष के सदृश है" (22:47, तुलना करें 32:5)। और... "एक दिन जिसकी लंबाई पचास हज़ार वर्ष के बराबर है" (70:4)। यूं अंतरिक्ष विज्ञान, भू-विज्ञान और पारलौकिक जीवन (आख़िरत) के हवाले से दिन का अर्थ काल, दीर्घावधि और बहुत लंबी अवधियां हो सकती हैं।

अरबी मुहावरे में 'सबअ' (सात) का अर्थ 'कई' भी हो सकता है। यूं सात आकाशों से तात्पर्य अंतरिक्ष की कई इकाइयां या भाग, जगत या सौरमंडल हो सकता है। 'सात रास्तों' (सबअ तराइक़) का अर्थ कई आकाशीय कक्ष हो सकते हैं और सात सुदृढ़ (सबअ शिदादा) से कई आकाशीय व्यवस्थाओं (Cosmic Systems) की ओर संकेत हो सकता है, जो अल्लाह की ओर से हमारे ऊपर बनायी गयी हैं। इसी प्रकार सात 'तिबाक़' से कई आकाशीय पिंडों की ओर संकेत हो सकता है जो एक-दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और एक-दूसरे के साथ सामंजस्य रखते हैं या जो एक दशा या चरण या अन्य स्थिति में हैं।

सात आकाशों की संचना के बारे में क़ुरआन का बयान

"तुम्हें क्या हो गया है कि तुम (अपने दिलों में) अल्लाह के लिए किसी गौरव की आशा नहीं रखते ? हालांकि उसने तुम्हें विभिन्न अवस्थाओं से गुज़ारते हुए पैदा किया।

क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने किस प्रकार ऊपर-



तले सात आकाश बनाए, और उनमें चन्द्रमा को प्रकाश, सूर्य को प्रदीप (Lamp) बनाया ?''

(क़ुरआन, 71:13-16 और 67:3-4)

''और हमने तुम्हारे ऊपर सात रास्ते (आकाशी कक्ष) बनाए हैं । और हम सृष्टि-कार्य से ग़ाफ़िल नहीं ।''

(23:17, cf 78:6, 12-13)

''अल्लाह ही है जिसने सात आकाश बनाए और उन्हीं के सदृश धरती से भी । उनके बीच (उसका) आदेश उतरता रहता है, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है और यह कि अल्लाह हर चीज़ को अपनी ज्ञान-परिधि में लिए हुए है ।'' (65:12)

''अल्लाह ही है जिसने आकाशों और धरती को और जो कुछ दोनों के बीच है छह दिनों में पैदा किया । फिर (अपने संप्रभुत्व के) सिंहासन पर विराजमान हुआ । उससे हटकर न तो तुम्हारा कोई संरक्षक मित्र है और न उसके मुक़ाबले में कोई सिफ़ारिश करने वाला । फिर क्या तुम होश में न आओगे ?''

''वह कार्य की व्यवस्था करता है आकाश से धरती तक-फिर सारे मामले उसी की तरफ़ लौटते हैं-एक दिन में, जिसकी माप तुम्हारी गणना के अनुसार एक हज़ार वर्ष है ।''

(32:4-5, 7:54, 11:7, 11:25-59, 50:38)

''कहो : क्या तुम उसका इन्कार करते हो, जिसने धरती को दो दिनों (कालों) में पैदा किया और तुम उसके समकक्ष ठहराते हो ? वह तो सारे संसार का रब है । और उसने उस (धरती) में उसके ऊपर से पहाड़ जमाए और उसमें बरकत रखी और उसकी ख़ुराकों को ठीक अंदाज़े से रखा । मांग करने वालों के लिए समान रूप से यह सब चार दिन में हुआ । फिर उसने आकाश की ओर रुख़ किया, जबकि वह मात्र धुआं था-और उसने उससे और धरती से कहा : 'आओ, स्वेच्छा के साथ या अनिच्छा के साथ ।' उन्होंने कहा : 'हम स्वेच्छा के साथ आए ।'' फिर दो दिनों में उनको अर्थात सात आकाशों को बनाकर पूरा किया और प्रत्येक आकाश में उससे संबंधित आदेश की प्रकाशना कर दी और दुनिया के (निकटवर्ती) आकाश को हमने दीपों से सजाया (रात में यात्रियों के दिशा-निर्देश आदि के लिए) और सुरक्षित करने के उद्देश्य से । यह अत्यंत प्रभुत्वशाली, सर्वज्ञ का ठहराया हुआ है ।

(41:9-12, 2:29, 7:54, 29:20)

सारांश एवं व्याख्या

समकालीन जानकारियों की रोशनी में आकाशों या उर्ध्व जगत (समावात), दिनों (अय्याम), जगतों (अल-आलमीन), आदि के लिए क़ुरआनी अरबी शब्दों को क्या वैज्ञानिक अर्थ दिये जा सकते हैं ? क्या क़ुरआनी शब्दों : ''आकाशों, धरती और जो कुछ उनके बीच है'' से सौरमंडल या सारे जगत या दोनों अभिप्रेत हैं ? क्या शब्द 'सात आकाशों', कई आकाशों को कुछ आकाशों जैसे हमारे सौरमंडल तक सीमित कर देते हैं ? हम देखने, पर्यवेक्षण करने, अनुसंधान करने एवं अध्ययन करने (तरौ) के क़ुरआनी फ़र्ज़ को आकाशों और धरती के अनुसंधान पर क्रियान्वित करते समय मानव ज्ञान के सीमित होने को देखते हुए कैसे अदा कर सकते हैं ? इन्सान के यह जानने की क्या संभाव्यता है कि कब और कैसे सौरमंडल एवं सूर्य, धरती और चन्द्रमा उत्पन्न हुए, जबकि इन सबके विकास की स्थिति तक पहुंचने में बहुत लंबी अवधि लगी । धरती की रचना में पेश आने वाली स्थितियां (तिबाक़) क्या हैं, जिनमें से हर कार्य के करने में दो दिन लगे हैं ? धरती से निकटतम आकाश का क्या अर्थ है, जिसे प्रकाशों (नक्षत्रों, कवाकिब) से सुसज्जित किया गया है ? तब धरती से दूर से दूरस्थ आकाश या आकाश पिंड (Heavens) कौन-से हैं ?

अगर सात या कई आकाश हैं और इन्हीं की भांति ज़मीनें भी हैं तो क्या इससे हमारे सौरमंडल के अन्दर पाये जाने वाले दूसरे नक्षत्रों और उनके चन्द्रमाओं की ओर संकेत नहीं है ? यह भी दूसरे आकाशीय व्यवस्थाओं में स्थित ऐसी दूसरी ज़मीनों की ओर एक हवाला है जो हमारी धरती के सदृश और इसके जैसे वातावरण, दशा और जीवधारी प्राणी रखती हैं ?

इस संदर्भ में 'आलमीन' के बार-बार किये जाने वाले उल्लेख और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के 'आलमीन' (सारे जगत) के लिए रहमत (दयानिधि) होने का क्या महत्व है? इन्सान से अपेक्षा की गयी है कि वह अपने विवेक और बुद्धि को इस्तेमाल करे, केवल इच्छाजनित विश्वास को एवं निरी अटकलें लगाने को त्याग दे और अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करे (द्रष्टव्य क़ुरआन, 2:111, 21:24, 22:52, 27:64, 28:75, 53:24)।

क़ुरआन (71:16) में इस बात को इस प्रकार बताया गया है कि अल्लाह तआला ने सूर्य और चन्द्रमा को

एक-दूसरे के साथ पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण पैदा किये गये सात आकाशों में (फ़ीहिमा) रखा है । पवित्र क़ुरआन की अनेक आयतें इस बात की व्याख्या करती हैं कि सात आकाश धरती से भिन्न हैं, क्योंकि उनका अलग उल्लेख किया गया है ।

अल्लाह ने धरती को 'दो दिनों' में पैदा किया और दूसरे दिनों में उसने धरती को भू-भौतिक चीज़ों (Geophysical Features) जैसे पर्वत आदि प्रदान किये और धरती पर 'रिज़्क़' (जीविका) और अन्य पदार्थ पैदा किये एवं उन्हें विकसित किया, ताकि वे हर प्रकार के जीवन को शेष रहने की सामग्री जुटाने में सक्षम हो जाए । आकाश जो कि एक 'दुख़ान' (धुआं) थे, उसने उसे दो दिनों में धरती से निकटतम आकाश के प्रकाशमान सितारों समेत सात आकाश पैदा किये ।

ये आकाश संभवत: हमारा सौरमंडल ही है । क़ुरआन मजीद में सात आयतें ऐसी हैं जिनमें आकाशों और धरती को छह दिनों में पैदा किये जाने का उल्लेख है । इनमें की तीन आयतों में यह अभिवृद्धि भी है : "और जो कुछ उनके बीच है", यह भी सारे जगत के मुक़ाबले में दोबारा हमारे सौरमंडल ही की ओर संकेत हो सकता है जैसा कि एक-दूसरे स्थान पर इसकी व्याख्या की गयी है (अल्लाह ने इस सौरमंडल को दो दिनों में पैदा किया है, जिनके समय का पैमाना हमारे धरती के दिनों (Earth-Days) से भिन्न है । यह प्रक्रिया लंबे भौगोलिक और अंतरिक्षीय कालों (Ages) या लंबी अवधियों पर आधारित है । इसे हम सौरमंडल और धरती का विकास ठहरा सकते हैं ।

अल्लाह ने प्रत्येक आकाश को उसके अस्तित्व के लिए और अपने प्रबंध व शासन के लिए इसका आदेश (अम्र) या क़ानून प्रदान किये । सूर्य, चन्द्रमा, धरती, प्रत्येक आकाश पिंड और समग्र सृष्टि सब उनके लिए अल्लाह द्वारा बनायी गयी तक़दीर के अधीन हैं । हमें इस तक़दीर और आदेश (अम्र) को जानने की आवश्यकता है । सेकुलर शब्दावली में इसका अर्थ यह है कि हमें अंतरिक्षीय प्रतिभाष (Astronomical Phenomena) के संबंध में प्राकृतिक क़ानूनों को जानने का प्रयास करना चाहिए । क़ुरआन मजीद में शिर्क (अल्लाह के साथ व्यक्तियों या शक्तियों को साझी ठहराना) की बुराई और निंदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक औचित्य कारण विद्यमान है, यह भौतिक और नैतिक क़ानूनों के विरुद्ध नहीं है । यदि हमारे सौरमंडल के कुछ सितारों में से हरेक का अलग-अलग ख़ुदा होता तो विरोधी इरादों और क़ानूनों के कारण अराजकता पैदा हो जाती । ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत एक ब्रह्माण्ड को पैदा करना और इसकी व्यवस्था को चलाना असंभव है । यूं ब्रह्माण्ड की रचना एवं इसका विकास एवं इसके प्रबंध, शासन के ज्ञान से इन्सानों को मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि वे तौहीद (एकेश्वरवाद) की पुष्टि करें । 'तौहीद' अल्लाह के एक होने, उसके एकत्व एवं विज्ञान तथा नैतिकता से संबंधित क़ानूनों के हर लिहाज़ से पूर्ण होने का नाम है, ताकि विज्ञान व तकनीक के क्रियान्वयन नैतिकता से परे न हो । 'तौहीद' को अपेक्षित है कि वैज्ञानिक नीति-निर्धारण में निर्णय, वास्तविक राजनीति (Real Politic), तथ्यात्मकता (Pragmatism), उपयोगितावाद, अवसरवादी नीति आदि के स्थान पर इस्लामी नैतिकता के अंतर्गत होना चाहिए ।

पूर्व-काल के विचार

पहली शताब्दी हिजरी (सातवीं शताब्दी ईसवी) के आरंभिक काल में जब विभिन्न वैश्विक संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न विचार पाये जाते थे, क़ुरआन को उस समय दुनिया के एक सबसे पिछड़े क्षेत्र अरब प्रायद्वीप के एक अनपढ़ इन्सान हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर अवतरित किया गया था । अरब के विपरीत कई संस्कृतियों में अंतरिक्ष विद्या का पहली शताब्दी हिजरी (सातवीं शताब्दी ईसवी) तक विकास हो चुका था । इनमें चीनी, हिन्दू, बाबुली, मिस्री, यूनानी, माया, एज़्टेक और दूसरी संस्कृतियां सम्मिलित हैं । इनमें से कुछ ने तो थोड़ी-सी गणितीय अंतरिक्ष विद्या का भी विकास किया था । फिर भी इस आरंभिक अंतरिक्ष विद्या पर दो परंपराओं का प्रभाव था । एक यह कि पौराणिक काल्पनिक गाथाओं ने अंधविश्वास सृजन के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और ब्रह्माण्ड विज्ञान (Cosmology) की कुछ समस्याओं को विस्तार दे दिया था । उन्होंने मौलिक जगत को अंतरिक्षीय पिंडों की चालों, भू-भौतिकी विशेषताओं और धरती की शक्तियों को देवी-देवताओं, नायकों और आत्माओं आदि से जोड़ दिया था, उदाहरणार्थ यूनानी पौराणिक कथाओं में आकाशों का देवता जीयूस (Zeus) और हिन्दू पौराणिक कथाओं में इन्द्र था । यह लड़ाकू देवता आकाश का भी अधिपति था ।

इन दो विशेषताओं की इस वास्तविकता के द्वारा

व्याख्या की जाती है–कई हज़ार वर्ष पूर्व एक क़ौम प्राचीन रूस की वोल्गा (Volga) नदी के पूर्व तटीय क्षेत्र में बसी हुई थी । इन इंडो-यूरोयिनों का एक गिरोह पश्चिम दिशा की ओर चला गया और यूनान में जा बसा और एक दूसरा गिरोह प्राचीन भारत में आर्यों की हैसियत से जा बसा । दूसरे यह कि ज्योतिष विद्या की परंपरा ने प्राकृतिक संवृत्तियों (Phenomena) को लाभप्रद शैली में लिखने, नियंत्रण करने और उपभोग करने की शक्ति देने के लिए अल्लाह की शक्ति और क़ानूनों का नाम तक नहीं लिया । इसके विपरीत इसने समाजों और इन्सानों के भाग्य का फ़ैसला करने की शक्ति नक्षत्रों और सितारों को प्रदान कर दी । उस काल में यूरोप के यहूदी और मसीही (ईसाई) जो बुनियादी तौर पर एकेश्वरवादी हैं, अपने अंधकार युग से गुज़र रहे थे । इस्लामी ज्ञान, विज्ञान, मीमांसा और संस्कृति ने उनको लगभग दूसरी सदी हिजरी (आठवीं शताब्दी ईसवी) से प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया था । इन संस्कृतियों के धार्मिक या बौद्धिक ज्ञान व व्यवहार में क़ुरआन की आयतों से संबंधित उपरोक्त विचार अप्रचलित एवं अज्ञात थे । 'वैज्ञानिक' अंतरिक्ष विज्ञान को अपनी उन्नति के लिए क़ुरआन के अवतरण और उसके क्रियान्वयन की भी प्रतीक्षा करनी थी । इस्लामी बौद्धिक परंपरा ने अंतरिक्ष विज्ञान को पौराणिकता और ज्योतिष से अलग करने के लिए अपनी लंबी लड़ाई प्रारंभ कर दी थी ।

विकास के समकालीन सिद्धांत

क़ुरआन के विचारों और समकालीन अंतरिक्ष संबंधी तथ्यों एवं दृष्टिकोणों के बीच क्या संबंध है ?

इन्सान अपनी नंगी आंख ही से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आकाश की ओर देखना प्रारंभ कर चुका था । इसके बाद वह इस सिलसिले में गणितीय विद्याओं, अंतरिक्ष संबंधी उपकरण और वेधशालाओं को इस्तेमाल करने लगा । इस प्रकार की अग्रसरता और उन्नति सबसे पहले मुस्लिम स्पेन और दक्षिणी यूरोप के मध्यवर्ती मुस्लिम संस्कृतियों में की गयी । हाल के दशकों में इन्सान अधिक शक्तिशाली दूरबीनों, स्पेक्ट्रोस्कोपों, कंप्यूटरों और रेडियो अंतरिक्ष विज्ञान आदि को भी प्रयुक्त करता आ रहा है । 1957 ई॰ से मानव सहित और मानवरहित अंतरिक्ष अनुसंधानों का भी बीड़ा उठाया गया । आकाशगंगा सामान्यत: धरती के किसी भी स्थान से देखी जा सकती है । अंड्रोमिडा (Andromeda) निहारिका आकाशगंगा (Nebula Galaxy) जो लगभग 20 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, केवल उत्तरी गोलार्ध से देखी जा सकती है । लगभग 2,00,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित छोटे और बड़े 'मेगालेनिक' बादल (Megallenic Clouds) दो ऐसी आकाशगंगाएं हैं जो केवल दक्षिणी गोलार्ध से देखी जा सकती हैं । अत: धरती से हमारी आंखें चार आकाशगंगाओं को देख सकती हैं । अंतरिक्षशास्त्रियों को विश्वास है कि ब्रह्माण्ड में ऐसी कई लाख आकाशगंगाएं मौजूद हो सकती हैं ।

ब्रह्माण्ड की रचना, उसके आकार और इस सिलसिले में दुरियों की कुछ उदाहरणों के द्वारा कल्पना की जा सकती है । एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर $(10^{13}km)$[11] के बराबर होता है । धरती के चारों ओर चन्द्रमा का घूमना एक ऐसे घन (Cube) में ठीक बैठ सकता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई प्रत्येक एक मिलियन (10^6) किलोमीटर हो । पूरा सौरमंडल एक 10 किलोमीटर आकार के घन के एक छोटे से भाग को भर सकता है या यूं समझिए कि इस घन का क्षेत्रफल एक प्रकाश वर्ष का सवा भाग होगा । शेष रिक्त स्थान होगा । इससे यह स्पष्ट होता है कि सूर्य से निकटतम सितारा भी कितनी दूरी पर है । एक 10^{18} किलोमीटर पार्श्व (Side) रखने वाले घन (Cube) का प्रत्येक पार्श्व लगभग 100,000 प्रकाश वर्ष का होगा ।

दूधियापथ आकाशगंगा इसके घेरे में आ जाएगी । हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा के केन्द्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है । एक ऐसा क्षेत्र जो अपने दोनों ओर 100 मिलियन प्रकाश वर्षों तक फैला हुआ है, वह हज़ारों आकाशगंगाओं पर आधारित होगा, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने दूरबीनों के द्वारा कई मिलियन आकाशगंगाओं के चित्र खींचे हैं । इस प्रकार 'रास्ते' (तराइक़) या आकाशगंगाएं और उनके अपने-अपने सितारों के केन्द्र एवं क्षेत्र, उनकी बड़ी संख्या के बावजूद एक-दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से बंधे हुए हैं । वे एक-दूसरे के ऊपर तले अपने-अपने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा स्वयं अपने गुच्छों (Clusters) में एक-दूसरे को संभाले हुए हैं । यही कारण है कि वे एक-दूसरे से टकरा कर आकाशों में तबाही मचाते हुए अपने-अपने कक्ष (Orbits) से नहीं भटकते । यही ब्रह्माण्ड में पाया जाने वाला सामंजस्य है ।

1950 के दशक से वैज्ञानिकों को विश्वास-सा हो चला

है कि वे इस वास्तविकता को जानने और पता लगाने के निकट पहुंचते जा रहे हैं कि सौरमंडल की कब और कैसे संरचना हुई ? उनको विश्वास है कि धवल मार्ग (Milky Way) की 10 से 15 बिलियन वर्ष पहले रचना की गयी है । कुछ 'एक तत्ववादी सिद्धांत' यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि सौरमंडल के सभी भाग गैस के एक ही बादल से एक ही समय बनाए गये हैं । संभवत: वह धुआं (दुख़ान) है, जिसका पवित्र कुरआन में उल्लेख आया है (कुरआन, 41:11)। वैज्ञानिकों ने धरती पर गिरने वाले उल्कापिंडों (Meteorites) के लाये हुए चान्द्र चट्टानों और मिट्टी आदि की रेडियोधर्मिता (Radioactivity) का अध्ययन कर लिया है । इन प्रमाणों के आधार पर उन्हें विश्वास है कि हमारे सौरमंडल की रचना लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है ।

वैज्ञानिक हाल की अंतरिक्ष यात्राओं, चन्द्रमा के अनुसंधान अभियानों और वैज्ञानिक अध्ययनों के कारण अब चन्द्रमा के बारे में अच्छी जानकारियां रखते हैं । चन्द्रमा अपने इतिहास के प्रारंभ में धरती से केवल 10,000 मील की दूरी पर रहा होगा । धरती की घूमने की गति घिर जाने के कारण चन्द्रमा का कक्ष (Orbit) विस्तृत होता जा रहा है । चन्द्रमा की सतह पर पड़ी हुई दरारें (Craters) उसकी सतह की सबसे अधिक संख्या वाली विशेषताएं हैं जो वहां 3.9 से 4.6 बिलियन वर्ष पहले की हैं । इनमें से लंबी और पुरानी दरारें उस समय पड़ गयी होंगी जब उपग्रह (गैस के बड़े-बड़े पिंड जो जमकर ठोस वस्तुओं में परिवर्तित हो जाते हैं) चन्द्रमा पर आ गिरे और स्वयं चन्द्रमा को स्वरूप प्रदान किया । दूसरे बड़े सुराख़ संभवत: उस समय बने हैं जब अंतरिक्ष से बड़े ठोस पिंड (Comets) और उपग्रह आदि चन्द्रमा से आ टकराये । टूटे तारों, लोहे और पत्थरों के टुकड़ों की बमबारी से चन्द्रमा की सतह पर अरबों सुराख़ बन गये । प्राय: चट्टानी ढलान वाले क्षेत्र जिन्हें 'मारिया' (Maria) कहा जाता है, 3.3 से 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आये हैं । ऐसा लावा (पिखीछले चट्टानों) के प्रचंड बहाव के कारण हुआ, जो चन्द्रमा की सतह पर ठंडा हो गया । यूं चन्द्रमा अपने कुछ 'दिनों' के जीवन के दौरान कई परिवर्तनों से गुज़रता आ रहा है ।

वैज्ञानिक, धरती की आरंभिक रचना के चरणों के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि वे सौर प्रणाली की रचना के बारे में जानते हैं । चट्टानों में रेडियोधर्मिता की माप वैज्ञानिकों में यह विश्वास पैदा करती है कि प्राचीन आविष्कृत चट्टानें लगभग 3½ बिलियन वर्ष पुरानी हैं । वे यह कल्पना करते हैं कि धरती का विकास, जलहीन चट्टानों के एक ढेर के रूप में हुआ, जिसे गैसों का एक बादल घेरे हुए था । रेडियोधर्मिता और दबाव ने वह गर्मी पैदा की जिसने धरती के आंतरिक भाग को पिघला डाला । वज़नी पदार्थ जैसे लोहा, तह में डुब गये जबकि सिलिकेट चट्टानें जो ऑक्सीजन से परिपूर्ण थीं, सतह पर उभर आयीं और धरती के ऊपरी परत की रचना हुई । धरती के आंतरिक भाग का गरमाना दूसरे रासायनिक पदार्थों के भी उभर आने का कारण बना होगा, जिससे पानी और दूसरी वातावरण संबंधी गैसें अस्तित्व में आयीं । इस प्रकार पानी अनेक कालों तक धरती के ऊपरी परत (Crust) के ढलान वाले क्षेत्रों में जमा होता रहा और समुद्र अस्तित्व में आये । जब भूमि विकसित होने लगी, अवक्षेपण (Precipitation) और नदियों ने चट्टानों के बिखरने से पैदा होने वाले अवशेषित नमकों को समुद्रों में पहुंचाया कि वे नमकीन हो जाएं । संभवत: शुरू में वायुमंडल में बहुत अधिक ऑक्सीजन नहीं थी, जैसे-जैसे धरती की आयु बढ़ती गयी चट्टानों और मिट्टी में से आने वाली ऑक्सीजन वायुमंडल में फैलने लगी । यूं एक ऐसा वातावरण बना जो पौधों और जानवरों के लिए विकास के लिए उपयुक्त था ।

वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास करते हैं कि धरती कभी एक भू-भाग (Pangaea) और एक ही समुद्र (Panthalassa) पर आधारित थी । लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व पेंगिया (Pangaea) टूट कर दो बड़े भू-खंडों में परिवर्तित होने लगा । आज के महाद्वीप बड़े भू-खंडों के कई मिलियन वर्षों तक सरकते चले जाने के कारण अस्तित्व में आये हैं ।

टेक्टोनिक प्लेटों का सिद्धांत (Plate Tectonics Theory) महाद्वीपीय सरकाव को समझने की कोशिश करता है । इन कठोर प्लेटों की गति जो पिघली हुई चट्टान पर एक-दूसरे के ऊपर नीचे रखी हुई हैं, पर्वतों और गहरे समुद्रों की तहों एवं भूकंपों एवं ज्वालामुखियों के अस्तित्व में आने की व्याख्या करती है । यह सिद्धांत यह बयान करता है कि प्लेटें प्रत्येक वर्ष ½ इंच से लेकर 4 इंच तक गति करती है ।

भूवैज्ञानिकों को, धरती के इतिहास का पता चट्टानों के निर्माण के अध्ययन के द्वारा चला, और जीवाश्मों (Fossils)

का अध्ययन (जैसे किसी पशु के शरीर का एक टुकड़ा) प्राचीन जीवाश्मों के विशेषज्ञों को धरती पर जीवन के इतिहास के बारे में दृष्टिकोण को विकसित करने में प्रमाण जुटाता है । यूं धरती के इतिहास को छह कालों में विभक्त किया जाता है : अज़ोइक (Axoic), ऑर्कियोज़ोइक (Archeozoic) और प्रीटरोज़ोइक (Preterozoic) काल धरती के प्राथमिक इतिहास का लगभग चार बिलियन वर्ष समाहित कर लेते हैं । प्राचीनतम काल (Palezoic Era) को 600 मिलियन से लेकर 225 मिलियन वर्षों के सात कालों में विभक्त किया जाता है । पांचवां मेज़ोज़ोइक (Mesozoic) काल अपने तीन कालों के साथ 225 मिलियन से लेकर 65 मिलियन वर्ष पहले तक चलता रहा ।

अब हम सयेनोज़ोइक (Cenozoic) काल में जी रहे हैं । इसे दो कालों और छह उपकालों (Epoche) में विभाजित किया गया है, जो पिछले 65 मिलियन वर्षों को आवृत्त करते हैं । वैज्ञानिकों ने इनमें से प्रत्येक भाग को विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं, पशुओं आदि से जोड़ने का प्रयास किया है, जैसे अल्पस, एंडीज (दक्षिणी अमेरिका) और हिमालय (एशिया) पर्वत की शृंखला इसी काल में निर्मित हुई ।

हमारे समकालीन होलोसेन काल (Holocene Epoch) के दौरान जिसका आरंभ दस हज़ार वर्ष पूर्व हुआ, हिमकाल (Ice Age) के अंतिम हिमकालीन ग्लेशियर पिघले हैं, इस प्रकार जो पानी एकत्र हुआ, उससे उत्तरी अमेरिका की बड़ी झीलें बनी हैं, जलस्रोतों, ग्लेशियरों और समुद्रों ने थलीय क्षेत्र को काट-काट कर वर्तमान काल के डेल्टा और समुद्री तटों का निर्माण किया है । इन्सान ने सिंचित भू-भागों में प्राथमिक महान संस्कृतियों को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया और इस दुनिया को शुभसूचना दी जिसमें आज हम जी रहे हैं । सारांश यह कि दुनिया का इतिहास कुरआन की आयतों विशेषकर ऊपर उद्धृत 41:9, 10 में वर्णित चार दिनों में विकसित होने के तथ्य में भली-भांति फिट हो जाता है ।

आकाशीय पिंडों की संरचना के संबंध में वर्तमान दशकों या पहले के तार्किक रूप से खोजे गये तथ्यों की कुरआन की आयतें पुष्टि करती हैं । आकाशीय पिंड दीर्घावधि काल, जिन्हें कुरआन मजीद में 'अय्याम' (दिनों) कहा गया है, में बनाए गये और अंतरिक्षीय और धरती संबंधी परिवर्तन हुए हैं ।

वैज्ञानिक अध्ययनों के द्वारा मालूम होने वाला चन्द्रमा और धरती का इतिहास कुरआन के बुनियादी विचारों की पुष्टि करता है । कुरआन में पर्यवेक्षण और अंतरिक्ष संबंधी बौद्धिक अध्ययनों पर बड़ा बल दिया गया है । यह अल्लाह तआला और उसके क़ानूनों से संबद्ध इस्लामी वैज्ञानिक तरीक़ा है । इसके पश्चात यूरोप ने इसका एक लघुरूप अपनाया जो वर्तमान सेकुलर वैज्ञानिक तरीक़ा है ।

प्रचलित पश्चिमी लेखनों में मध्यकालीन मुस्लिम सफलताओं और कारनामों के एवं पश्चिमी क़ौमों की ओर से इसे सीखने व लाभांवित होने तथा पश्चिम में इसके सिलसिले को जारी रखने का सुनियोजित रूप से जान-बूझकर इन्कार का प्रयास किया गया । पश्चिमी रचनाओं की यह राय है कि आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का कॉपरनिक्स (Copernicus) के साथ अचानक आरंभ हो गया था, जब वह अपने देश पोलैंड से इटली गया था और 1543 ई॰ में अपनी पुस्तक Concerning the Revolutions of the Celestial Spheres प्रकाशित की थी । यह दृष्टिकोण अनेक कारणों से ग़लत है । कॉपरनिक्स इटली में इस्लामी अंतरिक्ष विज्ञान का छात्र था । सभी संभव ज्ञान-कौशलों में इस्लामी ज्ञान व मीमांसा स्पेन और दक्षिणी यूरोप के माध्यम से अरबी पुस्तकों और उनके अनुवादों एवं दूसरे अनुवर्तन साधनों के द्वारा शताब्दियों से पश्चिम में फैल रही थी । दसवीं शताब्दी हिजरी (16वीं शताब्दी ईसवी) में कॉपरनिक्स और टायको ब्राहे (Tycho Brahe) के और 11वीं शताब्दी हिजरी (17वीं शताब्दी ईसवी) में केपलर (Kepler) एवं गैलीलियो के कारनामे और सफलताएं वैज्ञानिक अध्ययन में मुस्लिम परंपराओं का एक सिलसिला ही थीं । आधुनिक या वैज्ञानिक अंतरिक्षाशास्त्र के प्रारंभ की कुरआन मजीद की आयतों और मध्यकालीन मुस्लिम संस्कृति में इसकी क्रमशः उन्नति में खोज की जानी चाहिए ।

फैलता हुआ ब्रह्माण्ड

फैलते हुए ब्रह्माण्ड के बारे में कुरआन का बयान-

"आकाश को हमने अपने हाथ (शक्ति) के बल से बनाया और हम हैं जो बड़ी तेज़ी से इसे फैला रहे हैं ।"

(कुरआन, 51:47)

"फिर उसने आकाशों की ओर रुख़ किया, जबकि वह मात्र धुआं था और उसने उनसे और धरती से कहा : आओ,

स्वेच्छा के साथ या अनिच्छा के साथ । 'उन्होंने कहा : हम स्वेच्छा से आये ।''

''फिर दो दिनों (कालों) में उनको अर्थात सात आकाशों को बनाकर पूरा किया और प्रत्येक आकाश में उससे संबंधित आदेश की प्रकाशना कर दी और दुनिया के (निकटवर्ती) आकाश को हमने दीपों (तारों) से सजाया (रात में यात्रियों के दिशा-निर्देश आदि के लिए) और सुरक्षित करने के उद्देश्य से । यह अत्यंत प्रभुत्वशाली, सर्वज्ञ का ठहराया हुआ है ।'' (कुरआन, 41:11-12)

''क्या उन लोगों ने जिन्होंने इन्कार किया, देखा नहीं कि ये आकाश और धरती बन्द (एक-दूसरे से मिले-जुले) थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया ?''

निश्चित संज्ञा 'अस-समाअ' का अर्थ यहां पर आकाश या उर्ध्व जगत (Heavens) या विश्व हो सकता है । 'मूसिऊन' से तात्पर्य वह सत्ता है जो विस्तृत करती है या विस्तृत सीमाओं का मुख्य कारक है । 'लमूसिऊन' में उपसर्ग 'ल' इसके बाद आने वाली संज्ञा की विशेषता के अर्थ में ताकीद और एक सीमा तक अतिशयोक्ति पैदा करने के लिए आता है इस अर्थ में कि 'बहुत अधिक' या 'वास्तव में बहुत अधिक' । इस लिहाज़ से इस वाक्य में 'ल-मूसिऊन' का यह अर्थ हो सकता है कि अल्लाह आकाशों को बहुत अधिक विस्तृत कर रहा है और फैला रहा है । इस अंतिम संक्षिप्त वाक्य (व इन्ना ल-मूसिऊन) का यूं भी अनुवाद किया जा सकता है कि ''वास्तव में हम बहुत अधिक या लगातार या तेज़ी से आकाशों या विश्व को फैला रहे हैं ।''

सूरह 'हा॰मीम॰ अस-सजदा' की आयतें (41:11,12) कहती हैं कि आकाश भी एक समय में धुआं थे और आयत 21:30 यह बयान करती है कि आकाश और धरती कभी परस्पर जुड़े हुए थे, अल्लाह ने आकाशों को धरती से अलग किया । दो दिनों या अवधियों (Eons) में अल्लाह ने इस धुएं से धरती से निकटतम आकाश में रोशनी देने वाले सितारों समेत सात या कई आकाश पैदा किये और उसने प्रत्येक आकाश को उसका आदेश या उनके अस्तित्व के क़ानून प्रदान किये ।

इस अध्याय का विषय आयत 51:47 है । आरंभिक धुएं (दुख़ान) से विश्व या सौरमंडल को पैदा करने के बाद अल्लाह ने कब और कैसे आकाशों या विश्व को फैलाया? क्या यह फैलाने का काम अब भी जारी है ? या वह रुक-रुककर कभी-कभी होने वाला अमल है ? क्या वह फैलने और सिकुड़ने को अवधियों के साथ बार-बार दोहराया जाने वाला अमल है ? फैलाव कब शुरू हुआ और वह कब समाप्त होगा ? हमारी जानकारी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वे कौन-से ब्रह्माण्ड संबंधी नज़रिये हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने अपने पर्यवेक्षणों या जानकारियों के आधार पर प्रस्तुत किये हैं एवं प्रस्तावित किये हैं ?

आधुनिक वैज्ञानिक शोध और सिद्धांत

सातवां अध्याय 'बड़े धमाके का सिद्धांत' (Big Bang Theory) और रक्तिम विचलन (Red Shift) के प्रादुर्भाव की व्याख्या करता है । पूर्व उल्लेख्य विवेचन में यह कल्पना की गयी है कि वे शुरू के अग्नि पिंड (Primordial Fireball) से अभिहित एक तेज़ी से फैलने वाले विकिरणों के गोले के रूप में 13 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ ज़बरदस्त धमाका था, जिससे अग्निपिंड, विकिरणों और पदार्थ में परिवर्तित हो गया ।

शायद उसी पदार्थ के एक छोटे-से झुंड (Clump) ने 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल को निर्मित किया । इसी के बड़े-बड़े झुंडों ने तारों को बनाया जो एक-दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं । जिस ओर भी अंतरिक्ष विज्ञानियों ने अपनी रेडियो दूरबीनों का रुख़ किया, उस ओर धुंधली रेडियो तरंगों (Faint Radio Waves) की मौजूदगी के कारण ऐसा ख़याल किया गया है । ये रेडियो तरंगें किसी अत्यधिक गरम चीज़ से निकलने वाली रेडियो तरंगों के सदृश हैं जो धरती से दूर हटती जा रही हों । इससे इस ख़याल को भी बल मिला कि विश्व 'बड़े धमाके' (Big Bang) के समय से ही लगातार फैलता जा रहा है । यह विश्वास किया जाता है कि आकाशगंगाएं ''सदैव'' से एक-दूसरे से दूर हटती जा रही हैं ।

अंतरिक्ष विज्ञानी इस बात को भी संभव समझते हैं कि लगभग 70 बिलियन वर्ष के भीतर आकाश गंगाएं पुन: परस्पर मिल सकती हैं । अगर वे वास्तव में मिल जाएं, तब तो विश्व के पदार्थ एक बार पुन: फट पड़ेंगे और वर्तमान विश्व जैसा एक और नया विश्व बनने लगेगा ।

वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम कि क्या ब्रह्माण्ड का भी कोई परिमाण और लंबाई-चौड़ाई है । मिसाल के तौर पर क्वासार (Quasars) ब्रह्माण्ड की दूरस्थ चीज़ें हो सकती

हैं । धरती से अधिक से अधिक 10 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर ये प्रकाशमान चीज़ें असाधारण आकाशगंगाएं हो सकती हैं । क्वासार और दूसरी दूरस्थ आकाशगंगाओं के अंतर्गत रक्तिम विचलन (Red Shift) के कारण यह अंदाज़ा लगाया गया है ।

रक्तिम विचलन प्रकाश की लंबी तरंगों में घटित होने वाला प्रत्यक्ष परिवर्तन है, जबकि वह देखने वाले से दूर हटता जाता है । रक्तिम विचलन को देखकर वैज्ञानिकों को यक़ीन हुआ कि विश्व का प्रत्येक अंश दूसरे हर एक अंश से दूर हटता जा रहा है । यह विश्व की वे बुनियादी विशेषताएं हैं जिसकी आधुनिक वैज्ञानिक विभिन्न ब्रह्माण्ड संबंधी दृष्टिकोणों के द्वारा व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं ।

अधिकांश ब्रह्माण्ड संबंधी दृष्टिकोण या विश्वास करते हैं कि विश्व का कोई भी भाग, किसी भी दूसरे भाग के सदृश है जो उसका समकालीन हो । विश्व का पूर्व घोषित व्यवहार (Predicted Behaviour) आइंसटाइन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत से उद्‌भूत विश्वासों पर आधारित है : यह कि भौतिक क़ानून पूरे विश्व में समान हैं और कोई संकेत प्रकाश की गति से अधिक तेज़ गति से नहीं चल सकता है ।

इन सिद्धांतों पर आधारित ब्रह्माण्ड संबंधी दृष्टिकोण एक ऐसा विश्व प्रस्तुत करते हैं जो फैलता भी है और सिकुड़ता भी है । आकाशगंगाओं के रक्तिम स्थानांतरण का निरीक्षण अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से यह फ़ैसला कराता है कि सृष्टि फैलती जा रही है यद्यपि विश्व का फैलना और सिकुड़ना विश्व में पदार्थ की सघनता पर निर्भर है । इस लिहाज़ से जगत के तीन संभावी नमूने (Models) उभर कर सामने आते हैं : एक खुला, दूसरा बन्द या दोलायमान (Oscillating) विश्व और दोलायमान जगत की स्थायी दशा वाला नमूना ।

यदि विश्व में विद्यमान सभी ज्ञात पदार्थों को समान रूप से फैला दिया जाए, तो वायुमंडल के प्रति दस क्यूबिक गज़ स्थान में हाइड्रोजन का केवल एक एटम होगा । तब विश्व खुला होगा, ऐसी हालत में आकाश गंगाओं का पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली न होगा कि वह उस गति को कुछ अधिक धीमा कर सके, जिस गति से कि वे एक-दूसरे से परे गतिशील रही हैं । यूं विश्व दीर्घ अवधि तक लगातार फैलती ही जाएगी, यहां तक कि अनंतकाल में शून्य घनत्व तक जा पहुंचेगा । सभी आकाशगंगाएं असीमित दूरी तक पीछे हट जाएंगी ।

यद्यपि विश्व में बहुत बड़ी मात्रा में पदार्थ हो सकता है जो वैज्ञानिकों की जानकारी में न हो । यदि इस पदार्थ का घनत्व वायुमंडल के प्रति 10 क्यूबिक गज़ केवल 100 हाइड्रोजन एटम होता है, जिसे आजकल एक गंभीर और नाज़ुक मात्रा माना जाता है, ऐसे में विश्व को बन्द समझा जाएगा ।

इस प्रकार के विश्व का फैलाव संभव है । 100 बिलियन वर्ष के पश्चात ही सही, इसका फैलाव सुस्त होते-होते पूरी तरह रुक जाएगा और तब वह वास्तव में उलटे **सिकुड़ना प्रारंभ कर देगा एवं अंततः विश्व स्वयं अपने आपमें विनष्ट हो जाएगा । कुछ दृष्टिकोणों के अनुसार यह बन्द विश्व एक-दूसरे बड़े धमाके (Big Bang) के रूप में पुनः फट सकता है ताकि इसकी कोख से एक और नया** फैलने वाला विश्व पैदा हो सके । यह विश्व का दोलायमान मॉडल (Oscillating Model) है ।

स्थायी दशा वाला मॉडल (Steady State Model) इस विश्वास पर आधारित है कि सभी कालों में विश्व का कोई भी भाग दूसरे सभी भागों के समान होता है । इस मॉडल में फैलने के कारण घनत्व की कमी हो नये पदार्थ की रचना संतुलित कर देती है जिसकी सघनता (Condensing) के कारण नयी आकाशगंगाएं अस्तित्व में आती हैं । ये आकाशगंगाएं उन आकाशगंगाओं का स्थान ले लेती हैं, जो अनंत वायुमंडल में पीछे हट जाती हैं । फिर भी 1965 ई॰ से होने वाली अंतरिक्ष खोजों ने इस नमूने को अपर्याप्त और अनुचित ठहरा दिया है ।

कुछ वैज्ञानिकों ने आइंसटाइन के सापेक्षता सिद्धांत (Theory of Relativity) में परिवर्तन लाने की परिकल्पना प्रस्तुत की है जो फैलने वाले विश्व के लिए विभिन्न चीज़ों की भविष्यवाणी करेगी, लेकिन अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों को डाटा की आवश्यकता पड़ती है जैसे, विश्व में तत्व का औसत घनत्व, इसकी आयु, दूरस्थ रक्तिम परिवर्तनों (Red Shifts) की पद्धति आदि । इन्हें प्राप्त करना असंभव है । इसलिए वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि उनके दृष्टिकोणों में से यदि कोई दृष्टिकोण ठीक और सही भी है, तो वह कौन-सा है ।

इस्लाम और मानवीय चेतना

❖ विजय गोपाल मंगल

पैग़म्बरों को ईश्वर ने मनुष्यों के मार्गदर्शन हेतु भेजा है, जिन्होंने ईश्वरीय ग्रंथों का दर्शन कराया है । मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी जीवन-चर्या की व्यवस्था, उपदेश के इसी महास्रोत की धारा के अनुकूल निर्मित करे । मनुष्य अपने जीवन के समस्त क्रिया-कलापों के लिए ईश्वर के समक्ष उत्तरदायी और उत्तर देने का यह कार्य उसे इस संसार में नहीं बल्कि मरने के बाद परलोक (रोज़े-आख़िरत) में करना है । सांसारिक जीवन केवल परीक्षा का समय है, इसलिए मनुष्य के सभी कार्य इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए होने चाहिएं जिससे वह परलोक (रोज़े-आख़िरत) में ईश्वर के सामने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक कर सके । इसी पर उसका भविष्य निर्भर करता है । मनुष्य का संपूर्ण संसार में दूसरों से जैसा व्यवहार होता है उसका ईश्वर द्वारा निष्पक्ष निरीक्षण होता है । ईश्वर मनुष्य की क्रिया-कलापों का ही नहीं अपितु उसके विचारों और संकल्पों तक का हिसाब रखता है ।

कुरआन में वर्णित मनुष्य और ब्रह्माण्ड से संबंधित इसी मान्यता के चारों ओर मनुष्य का संपूर्ण नैतिक जीवन घूमता है । जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर की प्रसन्नता है । इसके निश्चित हो जाने के बाद चरित्र और नैतिकता को एक लक्ष्य मिल जाता है । जिससे नैतिक विकास की संभावनाएं असीम हो जाती हैं और प्राय: मनुष्य स्वार्थपरता के दलदल में नहीं फंस पाता ।

कुरआन् में वर्णित इस सम्यक मानवतावादी शिक्षा की नियामक शक्ति और उसका प्रेरक ईश्वर का भय, आख़िरत के दिन पूछताछ की आशंका और अंतहीन भविष्य के बिगड़ने की विभीषिका है । नैतिक आदेश देने के साथ ही कुरआन मनुष्य के हृदय में यह बात भी बिठाता है कि मनुष्य का संबंध वस्तुत: उस ईश्वर से है जो प्रतिक्षण और प्रत्येक स्थान पर उसके कार्यों को देख रहा है । मनुष्य संसार की दृष्टि से छिप सकता है किंतु ईश्वर की दृष्टि से नहीं छिप सकता ।

मनुष्य को यह सांसारिक जीवन थोड़े समय के लिए मिला है, वह इस सांसारिक जीवन में चाहे जो कर ले, उसे एक दिन मरना तो है ही, उसने जो कुछ किया है ईश्वर के न्यायालय में उसका हिसाब देना है । कुरआन में यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि आख़िरत के दिन जिसका

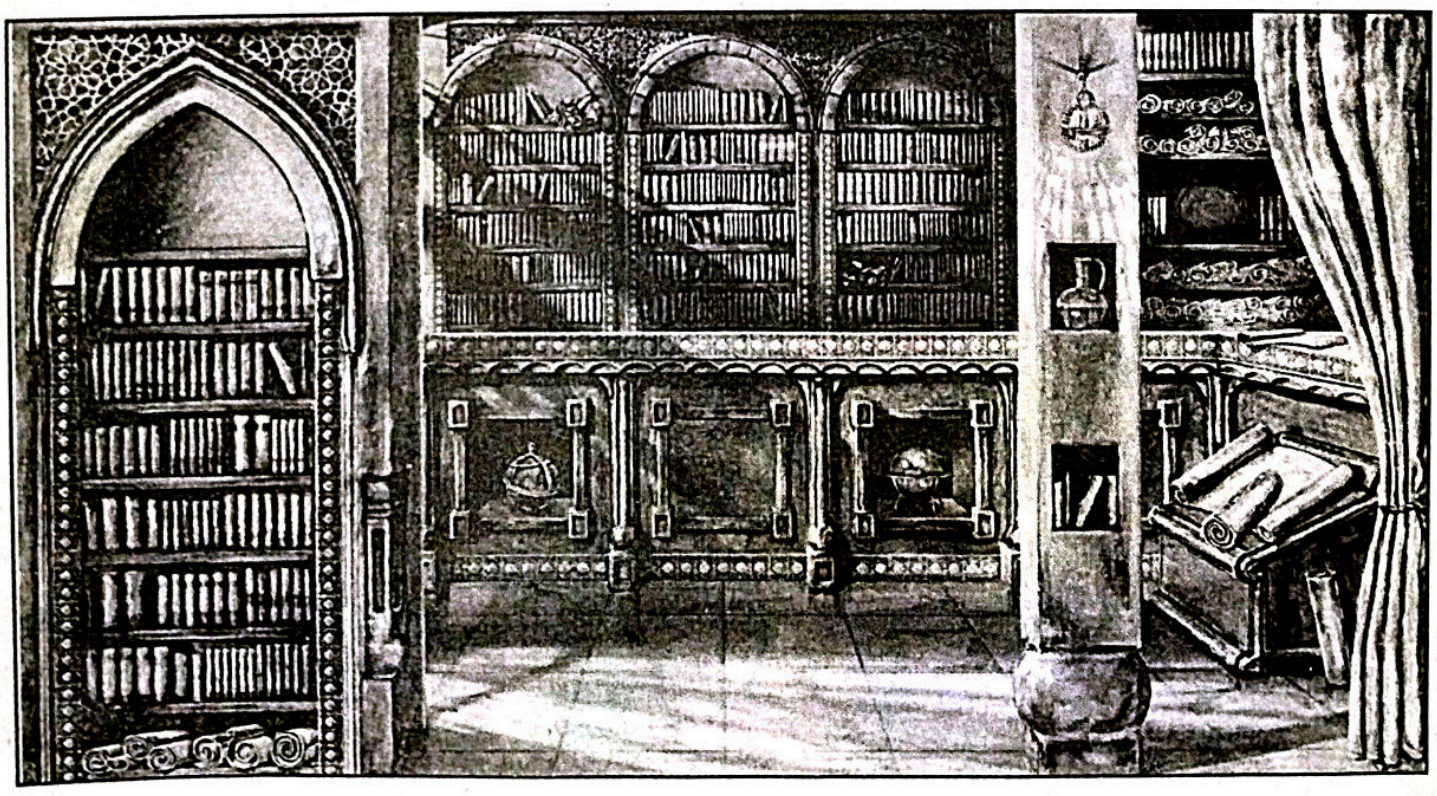

नेकी का पलड़ा भारी होगा वह जन्नत (स्वर्ग) में जाएगा तथा जिसका पलड़ा हल्का होगा वह दोज़ख़ (नरक) में जाएगा । जन्नत में जाने वालों को हर तरह की सुख-सुविधा होगी किंतु नरक में जाने वालों को तरह-तरह के कष्ट दिये जाएंगे । उस दिन कोई किसी के काम न आएगा, वहां वकालत, झूठ, घूस, सिफ़ारिश, छल व कपट कुछ भी नहीं चलेगा । "मनुष्य के लिए बस वही है जिसके लिए उसने प्रयास किया है ।" (कुरआन, 53:39)

इस प्रकार के विश्वास को मनुष्य के हृदय में उत्पन्न करके कुरआन मानो मनुष्य के हृदय में वह पुलिस चौकी बिठा देता है, जो उसको सदाचरण के नियमों का पालन करने के लिए विवश कर देती है । कुरआन मानवजाति से एक ऐसी जीवन-प्रणाली की मांग करता है जो ईश्वर द्वारा निर्धारित नियमों पर आधारित हो । जिसमें निषिद्ध तत्व (मुनकर) न हो, जिन भलाइयों को मानवता ने सदैव भला स्वीकार किया उनका मार्ग प्रशस्त किया जाए तथा जिन बुराइयों को मानवता ने सदा से बुरा समझा है उनका उन्मूलन किया जाए । मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते अपने संपूर्ण क्रिया-कलापों के विषय में ईश्वर के समक्ष उत्तरदायी होता है । इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि संसार में जो कुछ अधिकार और साधन उसे दिये गये हैं उनका उपयोग वह ईश्वर की प्रसन्नता तथा मानवता की भलाई में करे ।

कुरआन सांसारिक जीवन में मानवीय दृष्टि विकसित करने के लिए दो प्रकार की बातें प्रस्तुत करता है । एक विचारात्मक और दूसरी क्रियात्मक ।

वैचारिक स्तर पर कुरआन धार्मिक विश्वास, अनुवर्तन, आत्मसंयम और परिष्कृत आचरण द्वारा मनुष्य के आत्मिक विकास के मार्ग को सुनिश्चित करता है । कुरआन के अनुसार मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि अल्लाह ही उसका स्वामी और उपास्य है । उसकी प्रसन्नता ही उसके समस्त कार्यों का लक्ष्य है एवं ईश्वरीय आज्ञा ही उसके जीवन का क़ानून है ।

यह विश्वास जितना दृढ़ होगा उतनी ही अधिक निष्ठा के साथ मनुष्य मानवीय उन्नति के मार्ग को अपना सकता है । मनुष्य अपने जीवन में जो भी कार्य करे उसे यह समझकर करे कि उसे अपने चिंतन, वचन तथा कर्म का लेखा-जोखा प्रभु को देना है और उन कार्यों को न करे जिनके लिए ईश्वर ने मना किया है । मनुष्य को चाहिए कि

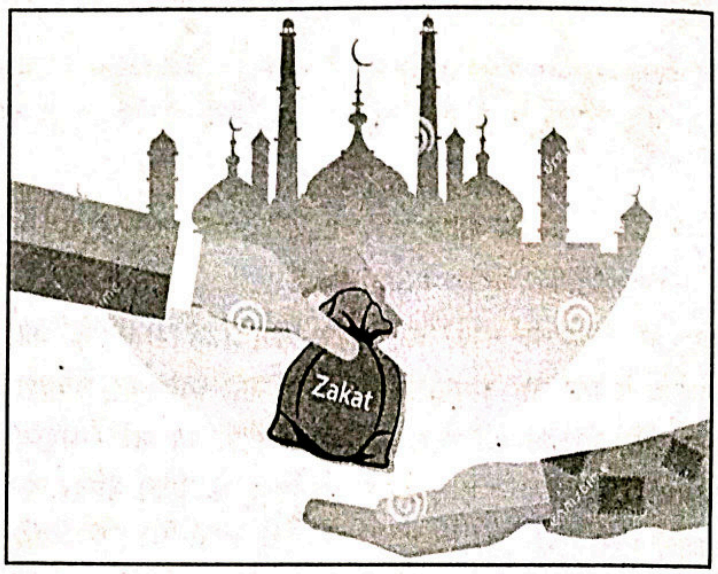

वह सद्गुणों को न केवल अपने ही जीवन में अपनाए वरन उसके प्रचार-प्रसार का भी प्रयास करे ।

"तुममें एक ऐसा गरोह अवश्य होना चाहिए जो कि लोगों को नेकी की ओर बुलाए और सुकर्म की प्रेरणा दे और कुकर्म करने से रोके । ऐसे ही लोग सफल होंगे ।"

(कुरआन, 3:104)

कुरआन ने व्यक्ति और समाज की आध्यात्मिक परिष्करण के लिए क्रियात्मक सिद्धांतों की जो व्यवस्था निश्चित की है उसके चार मुख्य स्तंभ हैं–(1) सलात (प्रार्थना या नमाज़), (2) रोज़ा (रमज़ान मास में उपवास), (3) ज़कात (अनिवार्यदान) और (4) हज ।

नमाज़

नमाज़ प्रतिदिन पांच समय मनुष्य के मन में ईश्वर संबंधी स्मृति को जागृत करती है, ईश्वर का भय उत्पन्न करती है और उसके प्रति प्रेम जगाती है तथा उसके आदेशों का स्मरण दिलाती है तथा उनके अनुवर्तन का अभ्यास कराती है ।

"निस्संदेह नमाज़ कुकर्म, निर्लज्जता तथा बुराई से रोक देती है और अल्लाह का ज़िक्र तो बहुत बड़ी चीज़ है ।"

(कुरआन, 29:45)

नमाज़ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक अनिवार्य कर्तव्य है क्योंकि इससे समस्त समाज सामूहिक रूप से सदाचरण के पथ पर अग्रसर होता है । ईश्वर के प्रति जैसा उच्च भाव नमाज़ में है वह विचारणीय है । वस्तुतः नमाज़ संघ-शक्ति को बढ़ाने वाली है । जिस समय एक ही स्वर, एक ही भाषा और एक भाव से एशिया, यूरोप और अफ़्रीका निवासी लाखों मुसलमान अल्लाह के प्रति अपने भक्ति-भाव

को अर्पित करने के लिए एकत्र होते हैं तो कैसा आनन्दमय और उत्साह पूर्ण दृश्य होता है । उस समय की समानता का क्या कहना जब एक ही पंक्ति में खड़े दरिद्र और बादशाह बता देते हैं कि ईश्वर के समक्ष सब बराबर हैं । नमाज़ में अल्लाह से सदाचरण सिखाने और दुराचारों से परे रखने की प्रार्थना की जाती है ।

रोज़ा

"हे विश्वासियो ! पूर्वजों के समान तुम पर भी रोज़ा रखने का विधान लिखा गया है । जिससे कि तुममें संयम हो । कुछ निश्चित दिनों के रोज़े हैं फिर जो कोई तुम में से रोगी हो या यात्रा में हो तो दूसरे दिनों में उतनी संख्या पूरी कर ले । और जिन (बीमार और मुसाफ़िरों) को इसकी (मुहताजों को खाना खिलाने की) सामर्थ्य हो उनके ज़िम्मे बदले में एक मुहताज को खाना खिलाना है । जो खुशी से शुभ कर्म करे तो वह उसी के लिए मंगलप्रद है और यदि उपवास करो तो तुम्हारे लिए शुभ है अगर तुम जानो ।"

(क़ुरआन, 2:183,184)

क़ुरआन रमज़ान के महीने में रोज़े रखने का आदेश देता है । वह मुस्लिम समाज को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से संयम की शिक्षा देता है ।

वैचारिक स्तर पर क़ुरआन धार्मिक विश्वास, अनुवर्तन, आत्मसंयम और परिष्कृत आचरण द्वारा मनुष्य के आत्मिक विकास के मार्ग को सुनिश्चित करता है । क़ुरआन के अनुसार मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि अल्लाह ही उसका स्वामी और उपास्य है । उसकी प्रसन्नता ही उसके समस्त कार्यों का लक्ष्य है एवं ईश्वरीय आज्ञा ही उसके जीवन का क़ानून है ।

ज़कात

ज़कात मुसलमानों में त्याग, सहयोग और पारस्परिक सहानुभूति की भावना को जन्म देती है । इसे कर (Tax) मान लेना भूल है । इससे ग़रीबों की आर्थिक सहायता होती है ।

"जब तक अपनी प्रिय वस्तु में से (भलाई के कामों में) ख़र्च न करो, पुण्य को नहीं पा सकते ।"

(क़ुरआन, 3:92)

ज़कात अल्लाह की राह में ख़र्च है, यह इस बात का प्रतीक है कि वह माल को अपनी सम्पत्ति नहीं समझता और उसे हर उस जगह व्यय कर सकता है जहां पर अल्लाह का आदेश है । यह बात पुरुष और स्त्री दोनों पर लागू होती है । इस तरह दान-धर्म पर क़ुरआन किसी अन्य धर्म ग्रंथ से कम ज़ोर नहीं देता ।

हज

हज एक तीर्थ यात्रा है । इसका उद्देश्य मुसलमानों में विश्वव्यापी बंधुत्व का निर्माण करना है । इसका विधान भी एकता के उद्देश्य से किया गया था ।

क़ुरआन की सूरा बक़रा की 177वीं आयत क्रियात्मक एवं विश्वासात्मक दोनों प्रकार के मंतव्यों को स्पष्ट करती है–

"नेकी (पुण्य) केवल यह नहीं कि तुम अपने मुंह को पूर्व या पश्चिम की ओर कर लो, नेकी (पुण्य) तो यह है कि लोग ख़ुदा पर, परलोक के दिन पर, फ़रिश्तों पर और (ख़ुदा की) किताब पर और पैग़म्बरों पर ईमान लाएं और माल, बावजूद प्रिय रखने के रिश्तेदारों, अनाथों, मोहताजों, मुसाफ़िरों और मांगने वालों को दें और गर्दनों (के छुड़ाने) में ख़र्च करें और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें और जब प्रतिज्ञा कर लें तो उसको पूरा करें, और तंगी में, शारीरिक कष्टों में और युद्ध के समय में जमने वाले हैं ।"

(क़ुरआन, 2:177)

क़ुरआन में यद्यपि क़ुरबानी का ज़िक्र आया है किंतु इसका वास्तविक उद्देश्य संयम और ईशपरायणता बताया गया है । एक जगह कहा है–

"ईश्वर के पास उन (बलियों) का मांस और रक्त कदापि नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा तक़वा (धर्मपरायणता) पहुंचता है ।"

(क़ुरआन, 22:37)

इस तरह क़ुरआन वस्तुतः हम मनुष्यों को उदार हृदय वाला बनने की शिक्षा देता है, अंधविश्वासी बनने की नहीं । क़ुरआन में सदाचार पर ज़ोर दिया गया है और उसमें बताया गया है कि मनुष्य को सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए ।

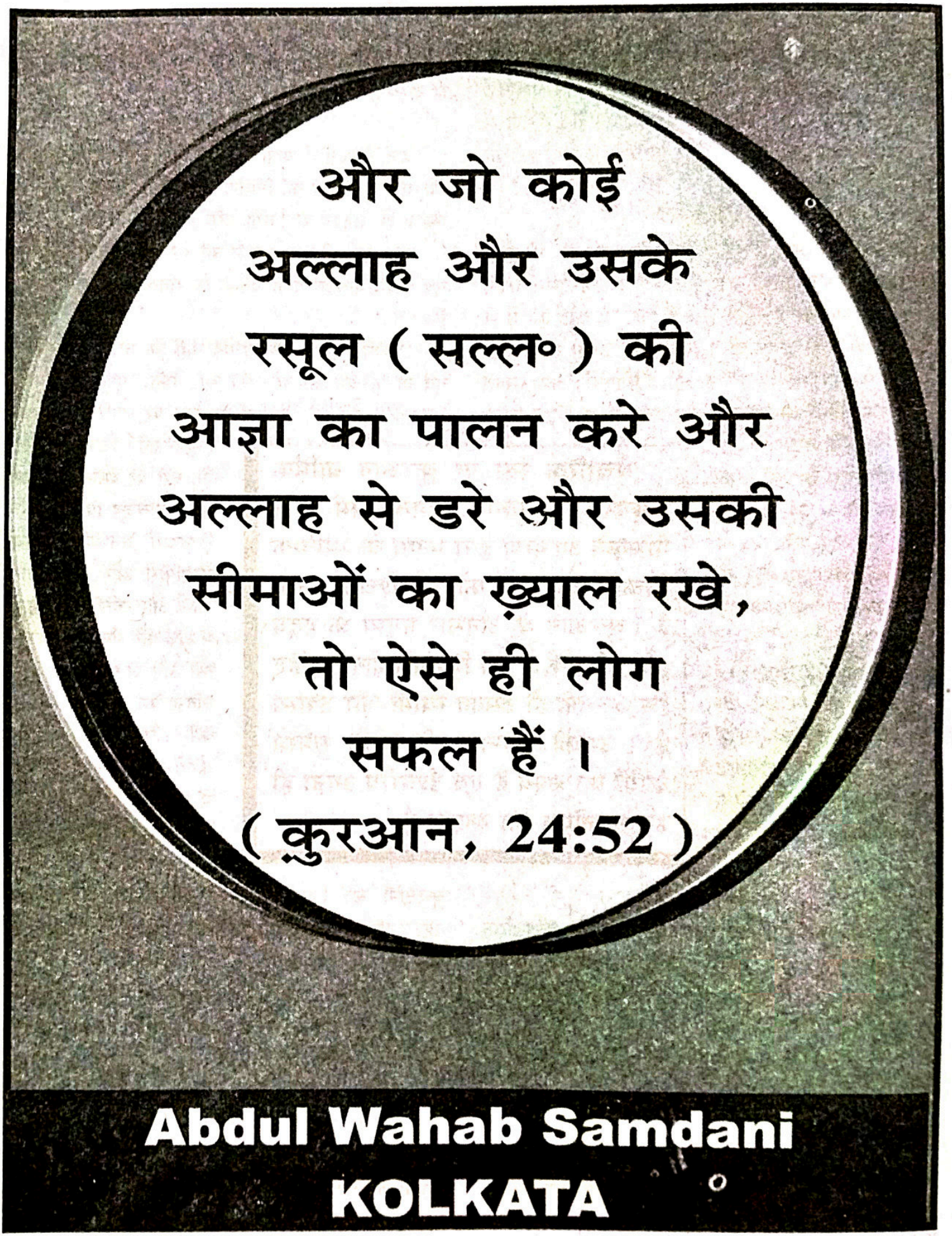
और जो कोई
अल्लाह और उसके
रसूल (सल्ल॰) की
आज्ञा का पालन करे और
अल्लाह से डरे और उसकी
सीमाओं का ख़्याल रखे,
तो ऐसे ही लोग
सफल हैं ।
(क़ुरआन, 24:52)
Abdul Wahab Samdani
KOLKATA

इस्लाम में अनुपम सहिष्णुता एवं उदारता

❖ अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी

दुनिया में धार्मिक एवं वैचारिक सहिष्णुता की कई क़िस्में देखने को मिलती हैं। एक क़िस्म तो यह है कि आप दूसरे धर्मावलंबियों को धर्म एवं आस्था की आज़ादी तो देते हैं, उन्हें अपना धर्म क़बूल करने के लिए बल प्रयोग नहीं करते, न इस मामले में उन्हें तरह-तरह की सज़ाओं एवं कष्टों से दोचार करते हैं, परंतु उन्हें इतनी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराते कि वे अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरी दृढ़ता एवं स्वतंत्रता के साथ पूरा कर सकें और जिन चीज़ों से उनका धर्म रोकता है उनसे दूर रह सकें।

एक क़िस्म यह है कि आप दूसरे धर्म वालों को इसका पूरा अधिकार देते हैं कि वे जो अक़ीदा चाहें रखें और अपने धर्मानुसार हलाल-हराम की पाबन्दी करें और इस मामले में उन्हें आपके कारण कोई तंगी न महसूस हो। उदाहरणार्थ–यहूदी के यहां शनिवार के दिन कार्य करना निषेध है और वे इस दिन को अवकाश करते हैं, तो उसे अपने धर्मानुसार अमल करने की पूरी छूट देते हैं। उन्हें मजबूर नहीं करते कि वे अपने धर्म विरुद्ध काम पर आएं। इसी प्रकार ईसाई को उनके अक़ीदे के अनुसार रविवार को काम पर नहीं लगाया जा सकता। यहूदी शनिवार के दिन छुट्टी मनाते हैं और ईसाई रविवार के दिन, इन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जाए।

परंतु धर्म के मामले में इन दोनों प्रकार की सहिष्णुता का संबंध उन बातों से है, जो आपके धर्म से नहीं टकराते। सबसे बड़ी सहिष्णुता तो यह है कि आप दूसरे धर्म वालों को उनके धर्मानुसार उन चीज़ों में भी तंगी न महसूस होने दें, जो उनके धर्म में हलाल हैं, परंतु आपके धर्म में बिल्कुल हराम हैं। मुसलमानों ने ज़िम्मियों के मामले में ऐसी ही महान एवं आदर्श सहिष्णुता का परिचय दिया है।

अन्य धर्म के मानने वाले जिस चीज़ को भी अपने धर्मानुसार हलाल समझते थे, इस्लामी रियासत ने उसे उसकी पूरी आज़ादी दी और किसी तरह की पाबन्दी लगाकर उसे तंग नहीं किया, जबकि रियासत के धर्म एवं क़ानून के अनुसार वह ऐसा कर सकती थी, विशेषकर ऐसी हालत में जब किसी चीज़ को किसी धर्म ने हलाल तो किया हो पर अनिवार्यता की शर्त न रखी हो। जैसे–यदि आतिशपरस्तों के धर्म में बहन से शादी की इजाज़त तो है पर अनिवार्य नहीं है, वे दूसरी औरतों से शादी कर सकते हैं, या ईसाइयों को सूअर का मांस खाने की इजाज़त तो दी गयी, पर इसे अनिवार्य नहीं किया गया, वे दूसरे जानवरों का मांस खाकर भी गुज़ारा कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि बाइबल ने शराब पीने की छूट दी है, तो भी ईसाइयों के लिए शराब पीना अनिवार्य नहीं है।

अब यदि इस्लाम यह कहता कि ज़िम्मी अपने मुसलमान भाइयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए शराब पीना छोड़ दें। तब धार्मिक रूप से वे गुनहगार न होते, क्योंकि इसे छोड़कर वे किसी पवित्र एवं धार्मिक कर्तव्य के पालन से कोताही या किसी हराम काम के करने के अपराधी न समझे जाते। परंतु इस्लाम ने ऐसी कोई बात नहीं कही। ग़ैर-मुस्लिम जिस चीज़ को हलाल समझते हैं उसमें इस्लाम ने कोई तंगी पैदा करनी नहीं चाही, बल्कि मुसलमानों से कहा कि उन्हें अपने धर्म के अनुसार अमल करने के लिए पूरी आज़ाद दो।

कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो न किसी क़ानून के दायरे में आती हैं और न हुकूमतें उन्हें लागू कर सकती हैं। ऐसी चीज़ों में आदर्श सामाजिकता, पड़ोसी की रियायत, अच्छा व्यवहार, दयालुता और कृतज्ञता जैसी भावनाएं ही सहिष्णुता की आत्मा का प्रदर्शन कर सकती हैं। ऐसे मामले रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में पेश आते रहते हैं और कोई क़ानून या अदालत उनमें प्रभावकारी साबित नहीं हो सकती। सहिष्णुता की यह आत्मा एवं भावना किसी ग़ैर-इस्लामी समाज में शायद ही कभी नज़र आयी हो। इस्लामी सहिष्णुता का यह प्रदर्शन बार-बार होता है।

ऐसे बहुदेववादी मां-बाप के बारे में जो अपने बेटे को (जो इस्लाम ला चुका है) एकेश्वरवाद से शिर्क की ओर ले जाने के लिए बराबर प्रयत्नशील हों, उनके बारे में भी क़ुरआन की हिदायत है–

"और दुनिया में दस्तूर के अनुसार (नियमानुसार) उनका साथ दो।" (क़ुरआन, 31:15)

जो विरोधी मुसलमानों से जंग न करें, क़ुरआन उनके साथ इन्साफ़ और नेकी का व्यवहार करने का हुक्म देता है । यथा–

"अल्लाह तुम्हें उन लोगों से, जो तुम से दीन के मामले में नहीं लड़ते और न तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालते हैं, भलाई करने और इन्साफ़ का सुलूक करने से नहीं मना करता । बेशक, अल्लाह इन्साफ़ वालों को चाहता है ।"

(क़ुरआन, 60:8)

पवित्र क़ुरआन नेक लोगों का परिचय इस प्रकार देता है–"और उसकी (अर्थात ख़ुदा की) मुहब्बत पर, ज़रूरतमंदों, अनाथों एवं क़ैदियों को खाना खिलाते हैं ।"

(क़ुरआन, 76:8)

जब उपर्युक्त आयत नाज़िल हुई तो क़ैदी मुशरिकों ही में से थे ।

अपने मुशरिक रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों पर ख़र्च करने के मामले में मुसलमानों के संदेहों को दूर करते हुए क़ुरआन हिदायत देता है–

"उन्हें राह पर लाना तुम्हारे ज़िम्मा नहीं । लेकिन अल्लाह जिसे चाहे राह पर लाए, और जो कुछ तुम माल ख़र्च करोगे, वह अपने ही लिए, जब तक कि अल्लाह की रज़ा (प्रसन्नता) पाने में ख़र्च करोगे ।" (क़ुरआन, 2:272)

इमाम मुहम्मद बिन हसन से रिवायत है कि जब मक्का में अकाल पड़ा, तो अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल०) ने वहां के ग़रीबों में बांटने के लिए माल भेजा था, जबकि आप (सल्ल०) और आपके साथियों को मक्का वालों की ओर से अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचे थे ।

हज़रत अस्मा बिन्त अबूबक्र (रज़ि०) से रिवायत है कि मेरी मां जो मुशरिक थीं, मेरे पास आयीं । मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से पूछा कि क्या उनके साथ सद्व्यवहार करूं, तो आपने ऐसा करने की हिदायत फ़रमायी ।

विरोधियों के साथ बहस, बातचीत या वाद-विवाद का शिष्टाचार क़ुरआन ने इस प्रकार बताया है–

"किताब वालों से बहस-मुबाहिसा न करो मगर बेहतर तरीक़े पर (अर्थात केवल बेहतर तरीक़े से करो), सिवाय उनके जो बेइन्साफ़ हैं, और यूं कहो कि जो उतरा हम पर और जो उतरा तुम पर, उसे हम मानते हैं और हमारा और तुम्हारा माबूद (उपास्य) एक ही है ।" (क़ुरआन, 29:46)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के यहूदियों एवं ईसाइयों के साथ व्यवहार एवं बर्ताव में इसी उदारता की झलक मिलती है । आप उनके पास जाते भी थे, उनके साथ सद्व्यवहार भी करते थे, उनकी इज़्ज़त और सम्मान भी करते थे, उनके मरीज़ों की अयादत (पूछना करना) भी करते थे और उनसे लेन-देन भी करते थे ।

इब्ने इसहाक़ से रिवायत है कि नजरान का एक प्रतिनिधिमंडल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पास मदीना आया । इस प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य ईसाई थे । ये लोग अस्र के समय मस्जिदे नबवी में दाख़िल हुए, और जब उनकी नमाज़ का समय हो गया तो वहीं मस्जिद में नमाज़ के लिए खड़े हो गये । मुसलमानों ने उन्हें रोकना चाहा तो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने मना कर दिया और कहा कि छोड़ दो ।

अत: वहीं उन्होंने बैतुल मक़दिस की ओर मुंह करके नमाज़ पढ़ी । इब्ने क़ैयिम ने इस घटना पर टिप्पणी की है कि इस घटना से साबित होता है कि किताब वाले (अर्थात यहूदी, ईसाई) मुसलमानों की मस्जिद में दाख़िल हो सकते हैं और मुसलमानों की मौजूदगी में वहीं अपनी नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, परंतु ऐसा स्थायी रूप से नहीं हो सकता ।

(जादुलमआद : खंड-3)

अबू उबैद ने सईद बिन मुसय्यिब से रिवायत की है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने एक यहूदी ख़ानदान को सदक़ा के रूप में कुछ दिया था, अत: आज तक उस ख़ानदान को सदक़ा दिया जा रहा है । (अल-अमवाल, पृ० 63)

हदीस की किताब बुख़ारी में हज़रत अनस (रज़ि०) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने एक यहूदी की अयादत की और उसे इस्लाम की दावत दी तो उसने इस्लाम क़बूल कर लिया, आप यह कहते हुए निकले कि ख़ुदा का शुक्र है, जिसने मेरे ज़रिए इसे जहन्नम से बचा लिया ।

बुख़ारी ही की रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के इन्तिक़ाल के समय आपकी ज़िरह (जंगी कवच) एक यहूदी के पास गिरवी थी । यह रक़म आपने अपने घर वालों के ख़र्च के लिए ली थी । आप बहुत आसानी से अपने साथियों से भी क़र्ज़ ले सकते थे, परंतु इस अमल से मुस्लिम उम्मत की रहनुमाई अपेक्षित थी ।

अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल॰) ग़ैर-मुस्लिमों से तोहफ़ा क़बूल कर लेते थे और अमन व जंग में आपने उनसे मदद भी ली है ।

आपके पास से एक जनाज़ा गुज़रा, तो आप (सल्ल॰) उसके सम्मान में खड़े हो गये । आपसे कहा गया कि यह यहूदी का जनाज़ा है तो आपने फ़रमाया, "क्या वह इन्सान नहीं था ?"

उदारता एवं सहिष्णुता की यही झलक सहाबा किराम (रज़ि॰) एवं ताबईन में भी नज़र आती है ।

हज़रत उमर (रज़ि॰) मुसलमानों के बैतुलमाल से एक यहूदी ख़ानदान के लिए स्थायी आजीविका की व्यवस्था करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह फ़रमाता है–

"सदक़ा फ़क़ीरों (अर्थात निर्धनों) एवं ज़रूरतमंदों के लिए हैं ।" और ये किताब वालों में से एक ज़रूरतमंद है ।

(अल-खिराज़, पृ॰ 26)

हज़रत उमर (रज़ि॰) शाम (सीरिया) देश के सफ़र में एक ऐसी जगह से गुज़रते हैं जहां कुछ ईसाई कुष्ठ रोगी मिलते हैं, तो आप बैतुलमाल से उनकी सामूहिक मदद का हुक्म देते हैं ।

हज़रत उमर (रज़ि॰) पर जब एक आतिशपरस्त ज़िम्मी (अबू लू-लू) क़ातिलाना हमला करके एक प्राणघातक ज़ख़्म लगा देता है, तब भी आप मृतयुशैया से अपने बाद आने वाले ख़लीफ़ा को ज़िम्मियों के साथ सद्व्यवहार, उनके साथ समझौते की पाबन्दी, उनकी हिफ़ाज़त के लिए जंग और ताक़त से ज़्यादा उन पर बोझ न डालने की वसीयत करने से नहीं चूकते । (बुख़ारी, बैहक़ी)

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि॰) अपने सेवक को बार-बार ताकीद करते हैं कि वह यहूदी पड़ोसी के यहां कुरबानी का गोश्त पहुंचाए । सेवक एक यहूदी पड़ोसी पर इतना ध्यान दिये जाने की वजह पूछता है, तो आप फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया है, "जिबरील मुझे पड़ोसी के बारे में बार-बार इतना ध्यान दिलाते रहे कि मुझे गुमान (आभास) होने लगा कि वह पड़ोसी को विरासत (उत्तराधिकार) में भी हिस्सेदार न बना दें ।"

(इमाम अहमद, अबू दाऊद एवं तिरमिज़ी)

एक ईसाई महिला उम्मे हारिस बिन अबी रबीअ का इन्तिक़ाल हुआ तो सहाबा किराम (रज़ि॰) उनके जनाज़े में शिरकत करते हैं । (फ़िक्हुज़्ज़कात)

कुछ बड़े ताबईन सदक़ा-फ़ित्र में से ईसाई राहिबों को भी दिया करते थे और इसमें कोई हर्ज़ नहीं समझते थे, बल्कि कुछ एक बड़े ताबईन उदाहरणार्थ हज़रत इक्रिमा, इब्ने सीरीन एवं ज़ुहरी तो उन्हें ज़कात में से भी देने में कोई हरज़ नहीं समझते थे । जब हज़रत जाबिर बिन ज़ैद से पूछा गया कि ज़कात किसे दी जाए ? तो आपने जवाब दिया कि मुसलमानों को और उनके ज़िम्मियों को ।

क़ाज़ी अयाज़ ने अपनी किताब तरतीबुल मदारिक में लिखा है कि दारकुतनी की रिवायत है कि एक बार अब्बासी ख़लीफ़ा मुअतज़िद बिल्लाह के वज़ीर अब्दून बिन साइद (ईसाई) क़ाज़ी इस्माईल बिन इसहाक़ (जो मालिकी विचारधारा के बड़े इस्लामी धर्मशास्त्रियों में गिने जाते हैं) के पास आये तो आपने खड़े होकर वज़ीर का स्वागत किया । वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर नापसन्दी के चिन्ह स्पष्ट हुए, तो आपने वज़ीर के जाने के बाद कहा कि अल्लाह फ़रमाता है–

"अल्लाह तुम्हें मना नहीं करता उन लोगों से जो तुमसे दीन पर नहीं लड़े और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, उनसे भलाई और इन्साफ़ का सुलूक करो ।"

(क़ुरआन, 60:9)

क़ाज़ी इस्माईल बिन इसहाक़ ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा कि और यह व्यक्ति मुसलमानों की ज़रूरतें पूरी करता है और हमारे एवं ख़लीफ़ा के बीच संदेशवाहक का काम अंजाम देता है, इसी लिए मैंने जो कुछ किया वह उपर्युक्त आयत के अनुसार नेकी में शामिल है ।

प्रसिद्ध इस्लामी धर्मशास्त्री एवं इस्लामी विषयों के शोधकर्ता अल्लामा शहाबुद्दीन क़राफ़ी अरबी शब्द 'बर' अर्थात नेकी की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह ने ग़ैर-मुस्लिमों के साथ जिस नेकी का हुक्म दिया है उसमें उनके समुदाय के कमज़ोर वर्ग के साथ नर्मी एवं विनम्रता का व्यवहार करना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना, उनमें जो भूखे हों उन्हें खाना खिलाना, जिनके पास कपड़े न हों उन्हें कपड़े उपलब्ध कराना और उनके साथ नर्मी से बात करना, पडोसी हों तो उनकी कष्टदायक बातों को सहन करना, चाहे उन्हें ऐसे काम से रोकने की क्षमता क्यों न हों, उनके लिए हिदायत की दुआ करना और यह दुआ करना

कि अल्लाह उन्हें सौभाग्यवादी लोगों में शामिल कर दे अर्थात ईमान वाला बना दे और उनके तमाम दीनी एवं दुनियावी मामलों में ख़ैरख़्वाही (सद्भावना का व्यवहार) करना शामिल है। इसी प्रकार उनके राज़ों (गुप्त बातों) की हिफ़ाज़त करना, उन्हें कष्ट से बचाना, उनकी जान-माल, इज़्ज़त-आबरू एवं संपूर्ण अधिकारों-हितों की हिफ़ाज़त करना, उन्हें ज़ुल्म-अत्याचार से बचाना और उनके अधिकार उन्हें दिलाना भी शामिल है।

(अल-फ़ुरूक़, खंड-3, पृ॰ 15)

ग़ैर-मुस्लिमों के साथ मुसलमानों के सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार की बुनियाद दरअस्ल उन सत्य मूल्यों एवं विचारधाराओं पर है, जो इस्लाम ने मुसलमानों के दिलो-दिमाग़ में दृढ़ता से बैठा दी है। इनमें कुछ प्रमुख विचारधारा इस तरह हैं–

1. हर मुसलमान इन्सान की इज़्ज़त पर यक़ीन रखता है, चाहे उसका धर्म, वर्ण, वंश एवं लिंग कोई भी हो। अल्लाह फ़रमाता है–

"और हमने बनी आदम की संतान (अर्थात संपूर्ण मानवजाति) को सम्मानित किया।" (क़ुरआन, 17:70)

यह सम्मान प्रत्येक मानव के लिए आदर व कोमल व्यवहार का अधिकार अनिवार्य ठहराता है। यही वजह है कि एक जनाज़ा अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के पास से गुज़रा तो आप एहतिराम के लिए खड़े हो गये और जब आपसे कहा गया कि यह एक यहूदी का जनाज़ा है तो आपने फ़रमाया कि क्या वह इन्सान नहीं है। इस घटना से आप (सल्ल॰) ने यह शिक्षा दी है कि इस्लाम में हर इन्सानी जान सम्माननीय आदर व एहतिराम के क़ाबिल है, यह कितने उच्च आदर्श को प्रदर्शित करने वाली बात है!

2. मुसलमानों की यह आस्था है कि धार्मिक मामलों में मतभेद अल्लाह की मरज़ी के मुताबिक़ है, उसी ने इन्सान को अधिकार एवं आज़ादी दे रखी है। क़ुरआन में है–

"फिर जो कोई चाहे माने और जो कोई चाहे न माने।"

(क़ुरआन, 18:29)

एक और आयत के शब्द इस प्रकार हैं–

"और यदि तेरा रब चाहता तो लोगों को एक रास्ते पर कर डालता (जबकि) वे हमेशा मतभेद में रहते हैं।"

(क़ुरआन, 11:118)

और स्पष्ट है कि मुसलमानों का यह दृढ़ विश्वास है कि अल्लाह की मरज़ी को कोई बदल नहीं सकता, और अल्लाह वही चाहता है जिसमें भलाई और हिकमत (तत्वदर्शिता) होती है, चाहे इन्सान को उसका ज्ञान हो सके या न हो सके। इसलिए मुसलमान कभी यह सोच भी नहीं सकता कि वह संपूर्ण मानवजाति को जबरन मुसलमान बना ले, जबकि ख़ुद अल्लाह अपने रसूल से फ़रमा चुका है–

"और यदि तेरा रब चाहता तो ज़मीन पर जितने लोग हैं सारे ईमान लाते। अब क्या तू ज़बरदस्ती करेगा कि लोग ईमान वाले हो जाएं।" (क़ुरआन, 10:99)

किताब वालों अर्थात यहूदियों एवं ईसाइयों के संबंध में रसूल (सल्ल॰) को संबोधित करते हुए अल्लाह फ़रमाता है–

अत: इसी (दीन) की ओर तू बुला और क़ायम रह जैसा कि तुझको फ़रमा दिया है, और मत चल उनकी इच्छाओं पर, और कह : मैं अल्लाह की उतारी हुई किताब पर ईमान लाया और मुझको हुक्म है कि तुम्हारे बीच इन्साफ़ करूं। अल्लाह हमारा और तुम्हारा रब है। हमारे लिए हमारे कर्म हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म। हमारे और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह हम सबको इकट्ठा करेगा, और उसी की ओर (सबको) लौट जाना है।"

(क़ुरआन, 42:15)

4. मुसलमान इस बात पर ईमान रखता है कि अल्लाह न्याय एवं इन्साफ़ का हुक्म देता है और उसी को पसन्द करता है। इसी प्रकार वह उच्च कोटि का अख़्लाक़ (सदाचरण) अपने में पैदा करने का आदेश भी देता है, चाहे मामला मुशरिकों ही के साथ क्यों न हो। वह ज़ुल्म को नापसन्द करता है और ज़ालिमों को सज़ा देता है, चाहे यह ज़ुल्म मुसलमान की ओर से हक़ के इन्कारियों ही पर क्यों न हो। क़ुरआन के शब्द देखिए–

"और किसी क़ौम की दुश्मनी के कारण इन्साफ़ को कदापि न छोड़ो। इन्साफ़ करो। यही बात तक़वा (अल्लाह का डर) से नज़दीक है।" (क़ुरआन, 5:8)

और ख़ुद अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल॰), जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनाए गये हैं, का फ़रमान है कि पीड़ित–चाहे वह किसी धर्म से संबंध रखता हो, की आग और अल्लाह के बीच कोई परदा, कोई अवरोध नहीं है।"

(मुस्नद इमाम अहमद)

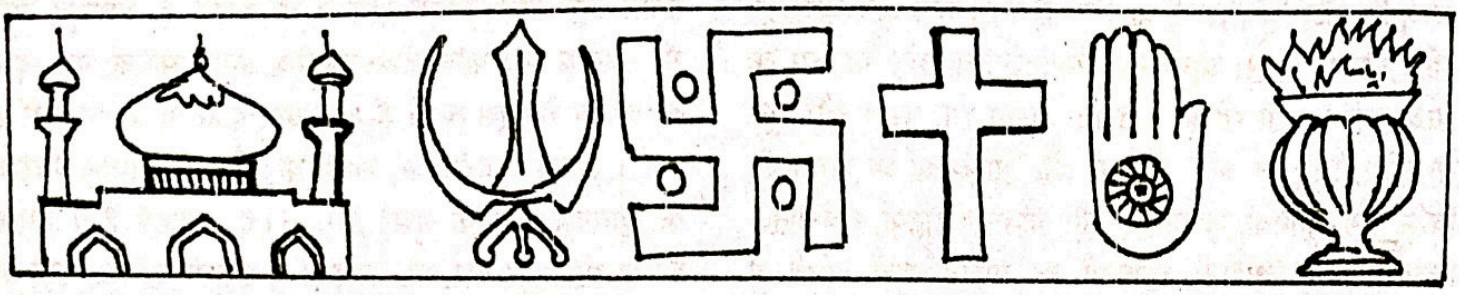

सहिष्णुता-सहनशीलता है हमारी पहचान

■ ज़हीर ललितपुरी

धार्मिक, राजनैतिक और वैचारिक सहनशीलता हमारे देश की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है । भारतीय संस्कृति का सबसे मज़बूत आधार स्तंभ सहिष्णुता और सहनशीलता हमारे बुज़ुर्गों की क़ीमती विरासत और ख़ुदा की अनमोल नेमत हैं, लेकिन हक़ीक़त यह है कि आजकल हमारे देश में धार्मिक सहनशीलता में कमी से ज़्यादा राजनीतिक और वैचारिकता सहनशीलता में कमी महसूस की जा रही है । विभिन्न धार्मिक मतों और आस्थाओं के लोग तो हिन्दुस्तान में मिल-जुलकर रह रहे हैं, लेकिन राजनैतिक और वैचारिक धरातल पर सहनशीलता में कमी के कारण हिंसक संघर्षों की नौबत आ गयी है । अक्सर देखने में आ रहा है कि विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं के लोगों में जो गतिरोध पैदा हो गया है वह हमारे देश को विघटन की ओर ले जा रहा है ।

भारत की क़ौमी एकता एक प्राकृतिक, स्थायी और सनातन प्रवृत्ति है । यह हमारे देश की मूलभूत आवश्यकता भी और विशेषता भी है । आज भी एक आम हिन्दुस्तानी के रग-रग में रवादारी और सहनशीलता का लहू दौड़ रहा है । लेकिन इए सहनशीलता के गुण के बावजूद, राजनीतिक और वैचारिकता सहनशीलता में कमी के कारण, अक्सर हिन्दुस्तान का माहौल इतना ख़राब हो जाता है । एक ही मुहल्ले में एक साथ भाई-भाई की तरह रहने वाले और 365 दिन प्यार और भाईचारे का व्यवहार करने वाले नागरिक ज़रा-ज़रा-सी बात पर एक-दूसरे के ख़ून के प्यासे कैसे बन जाते हैं ? यह सोचने का विषय है । इसका कारण धार्मिक मतभेद नहीं है बल्कि राजनैतिक, सांप्रदायिक और वैचारिक मतभेद हैं ।

भारत विविधताओं वाला देश है । यह विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, पंथों, विचारधाराओं, धार्मिक व सांस्कृतिक समुदायों, संप्रदायों, वर्गों, जातियों और बिरादरियों का देश है । यहां सभी संस्कृतियों, धर्मों, पंथों, विचारधाराओं, धार्मिक व सांस्कृतिक समुदायों, संप्रदायों, वर्गों, जातियों और बिरादरियों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं और सबको संवैधानिक और व्यावहारिक दोनों रूपों में समान दर्जा मिला हुआ है । इन सभी समुदायों और वर्गों के लोग मिलकर एक अनोखी गंगा जमुनी संस्कृति का निर्माण करते हैं । विविधताओं में सामंजस्य और अनेकता में एकता इस संस्कृति की मूलभूत प्राकृतिक संपदा है । अगर यह कहा जाए कि अनेकता में एकता की यह विशेष बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की बुनियाद है, उसे ज़िन्दगी देती है और दुनिया में विशेष पहचान और दर्जा देती, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । अत: हम सभी जागरूक देशवासियों और प्रबुद्ध नागरिकों को अपने बुज़ुर्गों की सांस्कृतिक विरासत की हिफ़ाज़त के लिए हमेशा संकल्पित रहना चाहिए ।

भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय और आज़ादी हासिल करते समय हर व्यक्ति को यह आशंका थी कि इतनी विविधताओं वाले देश का बहुत दिनों तक एकजुट रहना आसान नहीं है । आमतौर पर लोगों की यह सोच थी कि आज नहीं तो कल इस देश का बिखराव होना तय है । किन्तु अन्य हैं भारतीय नागरिक जिन्होंने इस सोच, आशंका और धारणा को ग़लत साबित कर दिया । तमाम साज़िशों समस्याओं, मतभेदों और विसंगतियों के बावजूद आज जिस तरह भारतीय नागरिक धर्म, जाति, वर्ग और नस्लों की सीमाओं से ऊपर उठकर मिल-जुलकर रह रहे हैं,

दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है । हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में एक ही धर्म और जाति के लोग, समान संस्कृति और विचारधारा के लोग एक ही मूल और नस्ल के लोग आपस में इस सामंजस्य, मिलनसारिता और भाईचारे के साथ नहीं रह पा रहे हैं । अलग-अलग रंग, नस्ल और मूल के लोग, विभिन्न धर्मों, विचारों और आस्थाओं के अनुयायी, विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं और जीवन पद्धतियों, राजनीतिक विचारों और विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले भारत में मिल-जुलकर रहते हैं ।

हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए एक बुनियादी ज़रूरत यह भी है कि आम और ख़ास व्यक्ति को उसके मतानुसार जीवन-यापन की स्वतंत्रता के साथ-साथ अवसरों की समानता उपलब्ध रहे । इस सिद्धांत की गारंटी के लिए भी हमारी रवादारी और सहनशीलता का क़ायम रहना बहुत ज़रूरी है । सामान्य शब्दों में व व्यावहारिक रूप में राष्ट्रीय एकता का मतलब है कि राष्ट्र के समस्त घटकों में भिन्न विचारों और विभिन्न आस्थाओं के होते हुए आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे क़ायम रहना जोकि रवादारी के बिना असंभव है । विभिन्न धर्मों के अनुयायियों और विभिन्न विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों में मतभेद हो सकते हैं । हर धर्म के मानने वालों की अपनी ख़ास आस्था और विश्वास हैं, मान्यताएं हैं, जीवन पद्धति और संस्कृति है । फिर भी आमतौर पर हम लोगों में से सब यही मानते हैं कि हर व्यक्ति के धार्मिक विश्वास का सम्मान करना और उसको अपने विश्वास और आस्थाओं के अनुरूप जीवन-यापन की आज़ादी देना ही सबसे बड़ी सहनशीलता और सद्भासना है । संसार में उच्चतम मानव मूल्य और मानदंडों की स्थापना के लिए भी ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को उसके मतानुसार जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाए ।

यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जब भी हमारी एकता पर अलगाव का ख़तरा दिखायी देता है तो ऐसे अवसरों पर, भारत की जनता अपनी भावनाओं को व्यक्त करके, अपनी एकजुटता दिखाकर, सदैव अपनी क़ौमी एकता के प्रति प्रतिबद्धता और निष्ठा प्रकट करके, इन चुनौतियों के सामने बहादुरी तथा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़ी दिखायी देती है । यह भी एक अजीबो-ग़रीब सच है कि आज़ादी के समय तत्कालीन विदेशी सत्ताधारियों और हमारे देश के सत्तालोलुप नेताओं की कुटिल चालों के चलते इस देश का बंटवारा तो हुआ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उस बंटवारे के बावजूद दोनों देशों के नागरिक के दिल अलग नहीं हुए । पैदाइशी दुश्मनी, प्रतिद्वंद्विता, सरहदों के तनाव और अन्य बाहरी ताक़तों के दबाव के बावजूद आज भी भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक अपने आपको एक-दूसरे के क़रीब महसूस करते हैं और एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए । तमाम राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक विरोधों के बावजूद वे एक-दूसरे को अपना समझते हैं । इसका कारण भी हमारे देश की अनेकता में एकता क़ायम रखने की क्षमता और समाहित रहने की प्रवृत्ति है ।

वस्तुतः विघटनवादी, अलगाववादी और फासीवादी राजनैतिक और वैचारिक ताक़तें कितनी भी कोशिशें कर लें, हमारे मुल्क की बहुलतावादी, गंगाजमुनी संस्कृति को तनिक-सा नुक़सान नहीं पहुंचा सकती । हालांकि इसके लिए सभी वर्गों, संप्रदायों तथा सभी धर्मों के अनुयायियों को जागरूक रहना होगा क्योंकि हमारी एकता जितनी मज़बूत है उतनी ही ताक़त से हमारे अन्दरूनी और बाहरी दुश्मन उसको तोड़ने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं । रवादारी, सहिष्णुता और सहनशीलता के ज़रिये, प्यार, मुहब्बत और भाईचारा के ज़रिये, सद्भावना, मानवता और सांप्रदायिकता के ज़रिये, इस देश की शांति और विकास में आने वाली रुकावटों को दूर करना प्रत्येक देशवासी कर्तव्य हैं । अगर हम हमेशा सहिष्णुता और सहनशीलता को अपनाए रहेंगे तो विघटनवादी, अलगाववादी और फासीवादी राजनैतिक और वैचारिक ताक़तों की कोशिशें और साज़िशें कभी कामयाब नहीं होंगी ।

In Your Service 1998

NAIN OPTICS



Our Mission Save vision

Complete Eyes Care Center & Contact Lens Clinic

All Type of Hearing Aids, Sale & Service

We Care For Quality & Customer Satisfaction

B-203, Main Shalimar Garden, Near Seema Puri Depot
Mobile : 9873261258
A-164, Janakpuri Subji Mandi
Mobile : 9654255710
SC/2A Main Market Garima Garden, Ghaziabad (U.P.)
Mobile : 9811716071

नारी और धर्म-दर्शन

❖ डॉ॰ गणेशदत्त सारस्वत

विभिन्न धर्मों में नारी के प्रति विचित्र दृष्टिकोण रहा है । 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:' (मनुस्मृति 3/56) की बात को स्वीकार करते हुए भी 'द्वारं किमेकं नरकस्य-नारी' तथा विश्वासपात्रं न किमस्ति-नारी, (मणिरत्नमाला-शंकराचार्य) कहकर अथवा 'तिय-छवि छायाग्राहिनी' बतलाकर उसकी निरंतर निंदा की जाती रही है । कभी उसे उग्र प्रकृति का कहा गया है, कभी ईर्ष्यालु बतलाया गया है । और कभी द्वेष-भावना में रत रहने वाली के रूप में चित्रित किया गया है । उसके बौद्धिक स्तर के संबंध में तो सदैव शंका की जाती रही है । महात्मा गौतम बुद्ध ने स्त्रियों के समानाधिकार के प्रश्न पर शिष्य आनंद को संबोधित करते हुए कई स्थानों पर कहा है कि नारियां मूर्ख होती हैं, द्वेष की भावना उन्हें सदैव अक्रांत किये रहती हैं, शिशु के रुदन के समान क्रोध को, वे अपना सबसे बड़ा शस्त्र मानती हैं ।

और इसीलिए ही गौतम बुद्ध ने भिक्षुणियों के बौद्ध मठों में प्रवेश पर रोक लगा दी थी । यद्यपि आगे चलकर इस नियम में कुछ शिथिलता आ गयी थी । भिक्षुणियों के रूप में नारी को दीक्षित भी किया जाने लगा था, किंतु फिर भी उन्हें यह स्पष्ट आदेश था कि वे बौद्ध-भिक्षु के सम्मुख बैठ नहीं सकेंगी, आदर-प्रदर्शन के लिए निरंतर हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी । इस आदेश के पीछे नारियों के प्रति उपेक्षा की भावना ही विद्यमान है । इस भावना का प्रखर रूप, नारियों को हीन समझने की स्पष्ट घोषणा श्रुतियों में है । 'स्त्रीशूद्रोनाधीयाताम्' कहकर श्रुतियों ने स्त्रियों के पठन-पाठन तक Women, Anand, are hot-tempered; women, Anand, are jealous; women, Anand, are envious; women, Anand, are stupid...Crying is the power of child, anger is the power of women को भी निषिद्ध घोषित कर दिया है । मनुस्मृति में स्त्री को माया बतलाया गया है, जो पुरुष की सिद्धि में बाधा डालती रहती है–वह विद्वानों को भी कुमार्गगामी बना देती है (2/214) मनुष्यों को दोष लगा देना उनका स्वभाव है । इसलिए मनुस्मृतिकार ने बुद्धिमान पुरुषों को स्त्रियों से सदैव सतर्क रहने की सलाह दी है–

स्वभाव एव नारीणां नराणामिह दूषणम् ।
अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चित: ॥ (2/213)

अर्थात, इस संसार में यह स्वाभाविक ही है कि स्त्री-पुरुषों का परस्पर के संसर्ग से दूषण हो जाता है, अतएव विद्वान पुरुष स्त्रियों के विषय में असावधानी नहीं करते किंतु सर्वदा उनसे अलग ही रहते हैं ।

मनुस्मृति में एक स्थान पर नारी को 'अधन' कहा गया है । उसके द्वारा एकत्र द्रव्य पर उसके स्वामी का अधिकार होता है (8/416)। इस कथन में संपत्ति के अधिकार से उसे वंचित कर दिये जाने का संकेत है । महर्षि मनु ने नारी की



विविध क्षेत्रस्थ स्वतंत्रता का घोर विरोध किया है । 'न भजेत स्त्री स्वतंत्रताम्' (5/148) अथवा 'न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति' (9/3) कहकर उसे प्रत्येक अवस्था में पुरुष की अधीनता में ही रहने का अनुमोदन किया है । इतना ही नहीं, घर के कामों में भी उसकी स्वतंत्रता अनुचित बतलायी है ।

नारियों के प्रति यह दृष्टिकोण केवल हिन्दू धर्म-ग्रंथों अथवा मनीषियों का ही नहीं है, अन्य मतावलंबी भी उन्हें प्राचीनकाल से ही हीन दृष्टि से देखते रहे हैं । ऐथेन के ग्रीक, जिन्हें प्राचीनकाल में अत्यंत सभ्य होने का गौरव प्राप्त है, स्त्री को चल संपत्ति मात्र मानते थे । उसका क्रय-विक्रय उनकी दृष्टि में कोई दोष नहीं था । ईसाई मिशनरियों ने भी नारी को अत्यंत घृणा का पात्र माना है । उन्होंने उसे नरक के द्वार की संज्ञा दी है तथा इस प्रकार उसके प्रति मानव के हृदय में जुगुप्सा का भाव जागृत करने की चेष्टा की है । रोम, मिस्र, सीरिया, इराक़ तथा फ़ारस आदि देशों में भी नारियों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण नहीं रहा है । इस्लाम पर्व अरबवासियों के विचार तो उनके प्रति इतने संकीर्ण रहे हैं कि वे घर में कन्या की स्थिति तक को भी सहन नहीं कर सकते थे । इसलिए ही उसके जन्म पर वे शोक मनाते थे, अपना अपमान समझकर उसे मार तक डालते थे । इन सभी देशों में बहुपत्नित्व की प्रथा को सम्मत समझा जाता था । स्पार्टा में बहुपत्नित्व के स्थान पर बहुपतित्व की प्रथा काफ़ी समय तक विद्यमान रही है । धर्म की मुहर लगी होने के कारण इस देश की स्त्रियां चार-चार, पांच-पांच पति रखने तक के लिए भी स्वतंत्र थीं ।

यूरोप के पश्चिमी भागों में, सामान्य जनता की कौन कहे, पादरी वर्ग, जिससे पूर्ण ब्रह्मचार्य की अपेक्षा की जाती थी, 'विशप' अथवा 'चर्च' के अध्यक्ष की आज्ञा से कई-कई उपपत्नियां (Left hand wife) रख सकता था । हिब्रू जाति की बालिकाओं की स्थिति को अत्यंत दयनीय थी । वे अपने ही घर में दासी का-सा जीवन व्यतीत करती थीं । पिता के द्वारा वे बेची तक जा सकती थीं । पिता की मृत्यु हों जाने पर भाइयों की कृपा पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता था । पुरुष उत्तराधिकारी के न होने पर ही वे संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर सकती थीं ।

उक्त विवरण से अभिप्राय केवल इतना ही है कि हज़रत मुहम्मद साहब के आविर्भाव से पूर्व समाज में नारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, बहुपत्नीवाद की यंत्रणा का वे शिकार बनी हुई थीं । सामाजिक असुरक्षा ने उन्हें सर्वथा ग्रस रखा था । विवाह के अस्थायी अनुबंधों ने नैतिक मान्यताओं तक को दूषित कर दिया था । ऐसी दशा में, 'क़ुरआन' सुधारवादी दृष्टिकोण लेकर अवतरित हुआ । उसने नारियों के समानाधिकार के प्रश्न को ऊपर उठाया, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया तथा इस प्रकार दाम्पत्य जीवन को समरस बनाने का प्रयत्न किया ।

'नारी के प्रति आदर की भावना' इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षा है, इस शिक्षा का व्यक्त रूप 'ख़ातून-ए-जन्नत (The lady of Paradise), 'फ़ातिमज़्ज़हरा' (Our lady of light) आदि शब्दों में दिखलायी देता है, जिनका प्रयोग तत्कालीन मुस्लिम समाज द्वारा हज़रत मुहम्मद साहब की सुपुत्री के लिए किया गया है । ये शब्द नारी-समाज की समस्त पवित्रता तथा सर्वोच्च उदात्त भावनाओं के निर्देशक हैं 'पवित्र क़ुरआन' में स्थान-स्थान पर समानाधिकार की घोषणा है । स्त्रियों का अधिकार पुरुषों के बराबर है । वे किसी भी दशा में उनसे न्यून नहीं हैं : और उन (स्त्रियों) का भी सामान्य नियम के अनुसार (पुरुषों पर) वैसा ही अधिकार है, जैसा कि (पुरुषों का) उन पर है (2:228)। उनकी संपत्ति पर किसी भी दशा में पुरुष का अधिकार उचित नहीं है । जिसकी कमाई है, उस पर उसी का स्वत्व न्यायसंगत भी है–पुरुषों ने जो कुछ कमाया है, उसके अनुसार उनका हिस्सा है, और स्त्रियों ने जो कुछ कमाया है, उसके अनुसार उनका हिस्सा है (4:32)। इतना ही नहीं, माता-पिता तथा नातेदारों की संपत्ति का हिस्सा भी प्राप्त करने की वे अधिकारिणी हैं (4:7)। इस संपत्ति का कितना भाग उन्हें मिलेगा, यह परिस्थितियों पर निर्भर है ।

इस संबंध में पवित्र क़ुरआन में यह व्यवस्था दृष्टव्य है–"अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें वसीयत करता है : पुरुष का (हिस्सा) दो स्त्रियों के हिस्से के लिए बराबर हो, यदि केवल दो से अधिक लड़कियां हों, तो उनका (हिस्सा) उस माल का दो तिहाई है, जो (मरने वाले ने) छोड़ा हो और यदि एक ही (लड़की) हो तो उसका आधा है ।

यदि उसके औलाद हों तो उसके माता-पिता में से हर एक का उसके छोड़े हुए (माल) का छठा भाग है, और यदि उसके औलाद न हो और उसके माता-पिता (ही)

उसके वारिस हों, तो उसकी माता का (हिस्सा) तिहाई होगा, और यदि उस (मरने वाले) के भाई-बहन हों, तो उसकी माता का (हिस्सा) छठा होगा ।

और तुम्हारी पत्नियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसमें तुम्हारा आधा (हिस्सा) है, यदि उनके औलाद न हो, यदि उनके औलाद हों तो तुम्हारा चौथाई (हिस्सा) होगा...और जो कुछ तुम छोड़ जाओ उसमें उनका (हिस्सा) चौथाई होगा यदि तुम्हारे कोई औलाद नहीं है, परन्तु यदि तुम्हारे औलाद है, तो उनका (हिस्सा) आठवां होगा ।

और यदि ऐसा हो कि किसी पुरुष या स्त्री के न तो औलाद हो और न उसके माता-पिता ही (जीवित) हों, और उसके एक भाई या बहन हो, तो उन दोनों में से प्रत्येक का छठा (हिस्सा) होगा, और यदि वे (भाई-बहन) इससे अधिक हों, तो फिर एक तिहाई में वे सब शरीक होंगे ।''

अंतिम आयत में भाई-बहनों से तात्पर्य माता की ओर से मरने वाले के भाई-बहनों से है, जिनका पिता दूसरा हो । सगे भाई-बहन तथा ऐसे सौतेले भाई-बहन, बाप के संबंध से जिनका मरने वाले के साथ नाता हो, के संबंध में निम्नलिखित आदेश है–(हे नबी !) लोग तुमसे (ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके न तो माता-पिता मौजूद हों और न कोई औलाद हो) हुक्म मालूम करना चाहते हैं । कह दो : अल्लाह तुम्हें ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके न औलाद हो और न माता-पिता, हुक्म देता है–यदि कोई मर जाए जिसके औलाद न हो (न माता-पिता ही हों) और उसके एक बहन हो, तो जो कुछ उसने छोड़ा है उसका आधा उस (बहन) का होगा और वह (अपनी) उस (बहन) का वारिस होगा, यदि (वह बहन मर जाए और उसके कोई औलाद न हो । यदि दो बहने हों (या दो से अधिक), तो जो कुछ उसने छोड़ा है उसमें से उनका दो तिहाई होगा और यदि कई भाई-बहन पुरुष और स्त्रियां हैं, तो एक पुरुष का हिस्सा दो स्त्रियों के बराबर होगा (कुरआन, 4:177)। संपत्ति का यह विभाजन मरने वाले की वसीयत निबटाने या क़र्ज़, यदि कोई है, तो उसे चुकाने के बाद ही किये जाने का आदेश है । उक्त विवरण से यह सर्वथा स्पष्ट है कि स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकार पर 'मुस्लिम कोड' द्वारा धर्म की मुहर लगा दी गयी, इस व्यवस्था की उपेक्षा अनुचित तथा अधार्मिक मानी जाने लगी । हां, सामाजिक सुव्यवस्था के लिए, पारिवारिक जीवन में पुरुष का संरक्षण आवश्यक बतलाया गया है । पुरुष ही आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, परिवार के सदस्यों के पालन-पोषण का दायित्व उसी पर है, इसीलिए ही, उसकी हैसियत एक सरपरस्त की-सी स्वीकार की गयी है । 'पुरुषों' को उन पर एक दर्जा (प्राप्त) है (कुरआन, 2:228) अथवा 'पुरुष स्त्रियों से सिर धरे हैं । इसलिए कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर बड़ाई दी है और इसलिए भी कि उन्होंने (अर्थात पुरुषों ने) अपने माल (उन पर) ख़र्च किये हैं (कुरआन, 4:34) आदि कथनों में इसी तथ्य का संकेत है । अपनी स्वाभाविक शक्ति के कारण ही पुरुष को यह पद प्राप्त है । इसलिए उसके संरक्षण में रहना नारी के लिए कोई अपमान की बात नहीं है, बल्कि इसी में स्त्री के स्त्रीत्व का रहस्य निहित है ।

हज़रत मुहम्मद साहब ने तत्कालीन विभिन्न वर्गों में प्रचलित बहुपत्नित्व की प्रथा का पूर्ण रूप से निषेध तो नहीं किया है, अधिक से अधिक चार विवाह करने का आदेश देकर समाज पर अंकुश अवश्य लगा दिया है । इस आदेश के पीछे यतीमों (अनाथों) के प्रति न्यायपरक दृष्टिकोण ही विशेष है और यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि यतीमों के साथ न्याय न कर सकोगे तो स्त्रियों में से जो तुम्हारे लिए जायज़ हो । दो-दो, तीन-तीन, चार-चार से विवाह कर लो (कुरआन, 4:3)। किंतु, इसके लिए एक आवश्यक शर्त रख दी गयी है और वह यह कि उनमें से प्रत्येक के साथ पुरुष को समता का व्यवहार करना होगा यदि वह यह समझता है कि ऐसा संभव नहीं है, तो फिर एक ही विवाह उसके लिए ठीक है । परन्तु यदि तुम्हें भय हो कि उनके साथ समता का व्यवहार न कर सकोगे तो फिर एक ही से (विवाह करो), एक विवाह के द्वारा ज़्यादती से बचे रहने की अधिक संभावना है (कुरआन, 4:3)। उक्त उद्धरण में समता के लिए मूल रूप से 'अद्ल' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ भोजन, वस्त्र आदि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में ही समानता से नहीं है वरन प्रेम तथा आदर आदि हृदयगत भावनाओं की समता से भी उसका तात्पर्य है । यह स्थिति, जिसमें सभी के प्रति हृदय का एक ही जैसा भाव बना रहे, सर्वथा असंभव है । 'कुरआन' में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए कहा गया है : चाहे तुम कितना ही चाहो, तुम स्त्रियों के बीच पूर्ण रूप से न्याय नहीं कर सकते तो ऐसा भी न करना कि एक ही ओर बिल्कुल झुक जाओ और दूसरी को इस

तरह छोड़ दो जैसे कोई अधर में लटकी हो (कुरआन, 4:129)।

स्त्री तथा पुरुष के संबंध पर भी 'पवित्र कुरआन' में विस्तार के साथ उल्लेख है। इस उल्लेख के अनुसार दोनों का संबंध एक-दूसरे के प्रति शरीर तथा कपड़े जैसा है : वे तुम्हारे लिए वस्त्र (के समान) हैं और तुम उनके लिए वस्त्र (के समान) हो (कुरआन, 2:187) अर्थात दोनों एक-दूसरे की शोभा है, उनमें चोली-दामन का साथ है तथा दोनों ही एक-दूसरे के लिए शांति तथा आश्वासन का कारण हैं। अल्लाह ने स्त्री तथा पुरुषों के जोड़े पैदा ही इसलिए किये हैं जिससे कि अनुकूलता बनी रहे दोनों एक-दूसरे से आराम और चैन पा सकें। इसके लिए पारस्परिक प्रेम और सौहार्द की भावना आवश्यक है—उसने तुम्हारे लिए स्वयं तुम ही में से जोड़े पैदा किये, ताकि तुम उनके पास आराम और चैन पाओ और तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता रख दी (कुरआन, 30:21) वास्तव में, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही एक-दूसरे की मनोवस्था तथा प्राकृतिक प्रेरणाओं का एक-दूसरे के प्रति पूर्ण उत्तर हैं। सभ्यता और संस्कृति की सुघड़ कल्पना के लिए, सृष्टि के सम्यक् विकास के लिए दोनों का एक-दूसरे के साथ भले तरीक़े से जीवन बिताना आवश्यक है और तुम उनके साथ भले तरीक़े से रहो (कुरआन, 4:19)। नापसन्दगी की दशा में भी यह तरीक़ा नहीं छोड़ना चाहिए। सच तो यह है कि बलपूर्वक औरतों के वारिस बन बैठना (कुरआन, 4:19), उन्हें तंग करना (कुरआन, 65:6), सताने के लिए ही निकाह में रखना अनुचित है (कुरआन, 2:231)। जहां तक हो सके, आपसी संबंधों में उदारता को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मतभेदों के अत्यधिक बढ़ जाने पर भी प्रयत्न यही करना चाहिए कि अलगाव की नौबत न आए, समझौता करके मेल-मिलाप कर लेना ही उचित है और यदि किसी स्त्री को अपने पति की ओर से बुरे बर्ताव, या बेरुख़ी का भय हो, तो इसमें उनके लिए कोई दोष नहीं कि वे दोनों आपस में समझौता करके मेल-मिलाप कर लें (कुरआन, 4:128) क्योंकि मेल-मिलाप उत्तम होता है। यदि ऐसा संभव न हो तो पंच का तरीक़ा अपनाना चाहिए। पति के नातेदारों में से एक व्यक्ति पंच तथा स्त्री के नातेदारों में एक व्यक्ति पंच की नियुक्ति से, संभव है आपसी मतभेद दूर हो जाएं और यदि तुम्हें उन (पति-पत्नी) के बीच बिगाड़ का डर हो, तो एक पंच पुरुष के लोगों में से और एक स्त्री के लोगों में से नियुक्त करो, यदि वे दोनों सुधार चाहेंगे तो अल्लाह दोनों में बनाव और एकता पैदा कर देगा (कुरआन, 4:35)।

इसके लिए समझौते की इच्छा आवश्यक है। तलाक़ तो बिल्कुल अंतिम उपाय है। इस उपाय के अपनाने वाले को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी को दिये गये धन (महर) में से कुछ भी वापस न ले। अन्यथा वह 'झूठा आरोप लगाने वाला' तथा 'खुले गुनाह का भागी' होगा और यदि तुम एक पत्नी को छोड़कर उसकी जगह दूसरी पत्नी लाना चाहो तो चाहे तुमने उनमें से एक को ढेर-सारा माल दिया हो, उसमें से कुछ न लेना, क्या तुम उस पर झूठा आरोप लगाकर और खुले गुनाह का भागी बनकर उसे लोगे? और तुम उस (माल) को किस तरह ले सकते हो जबकि तुम एक-दूसरे तक पहुंच चुके हो (अर्थात शारीरिक संबंध बना चुके हो), और वे तुमसे पक्का इक़रार भी ले चुकी हैं (कुरआन, 4:20,21)।

इस्लाम-धर्म में तलाक़ देने का अधिकार पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। परिस्थिति-विशेष में स्त्री को भी 'खुल्अ' का अधिकार है। वह पति को कुछ देकर छुटकारा प्राप्त कर सकती है। बदले के रूप में स्त्री में तभी धन-ग्रहण किया जा सकता है जब तलाक़ का कारण पति की ज़्यादती या अन्याय न हो। 'खुल्अ' पति की सहमति से ही हो सकता है। तलाक़ हो जाने के बाद भी 'इद्दत' (निश्चित समय) की अवधि में स्त्रियों को पति के घर में ही रहने का आदेश है। यह आदेश केवल इसीलिए ही है कि शायद साथ-साथ रहने से मेल-मिलाप की कोई सूरत निकल आये। तलाक़ पाई हुई स्त्रियों की तीन माहवारी आने तक, गर्भवती स्त्रियों की इद्दत शिशु-प्रसव तक, वृद्धाओं तथा उन बालिकाओं की, जो अभी रजवती नहीं हुई हैं, इद्दत तीन महीने तक निश्चित की गयी है। इस अवधि में ये स्त्रियां पुनर्विवाह नहीं कर सकतीं हैं। (कुरआन, 2:225-230)। इसके बाद उन्हें रोकना उचित नहीं है और जब तुम स्त्रियों को तलाक़ दे दो, और वह जब अपने नियत समय (इद्दत) को पहुंचे, तो या तो सामान्य नियम के अनुसार रोक लो (अर्थात समझौता कर लो) या फिर सामान्य नियम के अनुसार रुख़्सत कर दो, उन्हें सताने के लिए न रोको कि उन पर ज़्यादती करो। (कुरआन, 2:231)। इद्दत पूरी कर लेने के बाद स्त्री पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र है। दूसरे पति के द्वारा

छोड़े जाने पर वह पूर्व पति से भी विवाह कर सकती है। आचार्य कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' के 'धर्मस्थीय विवाह संयुक्त' प्रकरण में 'मोक्ष' की विभिन्न परिस्थितियों में आज्ञा दी है–

"वर्षाण्यष्टावप्रजायमानामपुत्रां वन्ध्या चाकांक्षेत् दशबिन्दुम्, द्वादश कन्या-प्रसविनीम्। ततः पुत्रार्थी द्वितीया विन्देत्॥"

अर्थात, जो स्त्री बांझ हो, उसका पुरुष आठ वर्ष तक संतान होने की प्रतीक्षा करे। यदि वह मृत पुत्रों का प्रसव करती हो तो दस वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि कन्या ही उत्पन्न करती हो तो बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करने के पश्चात चाहे तो पुत्र की कामना से द्वितीय विवाह कर ले।

स्त्री के अधिकार की घोषणा भी उसी अध्याय के अंत में है–

नीचत्वं परदेशं वा प्रस्थितो राज किल्विषी।
प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्यः क्लीवोऽपिवा पतिः॥

अर्थात स्त्री नीच, परदेश में ही निरंतर रहने वाले, राजद्रोही प्राणहन्ता, पतित तथा क्लीव (नपुंसक) पति को त्याग सकती है।

इस्लाम धर्म में विधवा विवाह का भी समर्थन है। इस क्रम में कहा गया है, तुममें जो एकाकी हों और तुम्हारे गुलामों और लौंडियों में जो नेक हों, उनका विवाह कर दो (कुरआन, 24:32) विधवाओं के लिए चार महीने दस दिन की इद्दत ठहराई गयी है। इस अवधि के बाद उनका विवाह कर दिया जाना सामाजिक सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है। हिन्दू-धर्म-ग्रंथ इस विधान के सर्वथा विपरीत हैं। उनके अनुसार पति के मरने के पश्चात भी पर पुरुष का नाम न लेना ही स्त्री का धर्म है–

कामं तु क्षपयेद् देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः।
न तु नामापि गृहेणीयातपत्यौ प्रेते परस्य तु॥

(मनुस्मृति 5/157)

इस प्रकार, ब्रह्मचर्य का पालन उसका सबसे बड़ा व्रत ठहराया गया है। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री बिना पुत्र के ही स्वर्ग प्राप्त कर लेती है–

मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता।
स्वर्गं गच्छत्यपुत्राऽपि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥

(मनुस्मृति 5/160)

जहां तक विधवा के भरण-पोषण का प्रश्न है, उत्तम गृहणियों से प्राप्त वृत्ति को उसकी जीविका का साधन माना गया है। 'भविष्यपुराण' में आदर्श गृहिणी का यह कर्त्तव्य बतलाया गया है कि वह कपास, रेशम तथा ऊन की कताई कानी, अंधी, लूली तथा विधवा स्त्रियों से प्रेमपूर्वक करवाये तथा इस प्रकार वृत्ति प्रदान कर उनके भरण-पोषण का साधन जुटाए–

कार्पासकृमिकौ शेयौर्णकक्षौमादिकर्त्तनम्।
कुणिपंङ्गुव योवाभिर्विधवाभिश्च कारयेत्॥

(अध्याय-12, श्लोक संख्या-18)

इस प्रकार यह आक्षेप की विधवाओं के सम्मुख भिक्षा मांगकर उदर-पोषण के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, निरर्थक सिद्ध हो जाता है। नारद तथा पराशर आदि बाद के कुछ विचारकों ने विशेष परिस्थितियों में 'पुनर्लग्न' को सम्मत बतलाया है। इन परिस्थितियों का निर्देश इस प्रकार है–

अपत्यार्थम् स्त्रियः सृष्टाः स्त्रीक्षेत्रं वीजिनो नराः।
क्षेत्रं बीजवते देयं नाबीजी क्षत्रमर्हति॥ (नारद)
नष्टे मृते प्रब्रजिते क्लीवे च पतिते पतो।
पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्य विधीयते॥ (पराशर)

इन उक्तियों में विधवा-विवाह का समर्थन है।

पति की नपुंसकता की स्थिति में, पति के गत हो जाने पर अथवा उसके द्वारा संन्यास ले लेने पर नारी पुनर्विवाह कर सकती है।

इस्लाम-धर्म में वेश्या-वृत्ति को भी निषिद्ध घोषित किया गया है। सांसारिक जीवन का लाभ प्राप्त करने के लिए दासियों को दुश्चरित्रता के लिए विवश करने की प्रथा का निषेध करते हुए कहा गया है, और अपनी लौंडियों को सांसारिक जीवन का लाभ प्राप्त करने के लिए दुश्चरित्रता पर विवश मत करो जबकि वे सतवन्ती (और विवाहिता होकर) रहना चाहती हो (कुरआन, 24:33)।

इसके आगे यह भी कहा गया है कि जो कोई उन्हें इसके लिए विवश करेगा, अल्लाह का अज़ाब निस्संदेह उस पर टूटेगा, वह किसी भी दशा में उसकी 'कड़ी पकड़' से बच नहीं सकता है। 'कुरआन में दुश्चरित्रता के लिए 'बिग़ा' शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द का सामान्य अर्थ व्यभिचार है। अबू उबैद आदि कुछ टीकाकारों ने इस शब्द को 'मुतअ्' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ बतलाया है। अरब में, प्राचीनकाल में 'मुतअ्' की प्रथा प्रचलित थी। इसके अनुसार, अरबवासी अपनी लौंडियों को 'मुतअ्' के लिए देते

थे और बदले में धन (महर) ले लिया करते थे । यह उनकी आमदनी का एक साधन था । इस प्रवृत्ति से समाज में 'बदकारी' और चोरी-छिपे आशनाई की प्रवृत्ति' फैल रही थी । इस्लाम-धर्म ने मद्यपान की भांति इसे भी वर्जित कर दिया है तथा इस प्रकार 'मुतअ्' को निषिद्ध बतलाकर वेश्यावृत्ति का उन्मूलन किया है । इसी क्रम में यह भी बतलाया गया है कि ज़िना (व्यभिचार) अश्लील कर्म है । भूलकर भी उसके क़रीब नहीं जाना चाहिए, ज़िना के क़रीब न फटको, वह एक अश्लील कर्म और बुरी राह है (क़ुरआन, 17:32)।

क़ुरआन में स्त्रियों के आचरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया गया है । इस क्रम में यह बतलाया गया है कि इन्द्रियों को वश में रखना स्त्री का सबसे बड़ा गुण है । नबी करीम (सल्ल०) के कथनानुसार समस्त इन्द्रियां व्यभिचार का हेतु है । देखना आंखों का व्यभिचार है, लगावट की बातचीत जिह्वा का व्यभिचार है, हाथ लगाना और अनुचित उद्देश्य से चलना-फिरना हाथ-पांव का व्यभिचार है । 'बदकारी' की ये समस्त प्रारंभिक बातें पूरी हो चुकने पर शर्मगाहें (गुप्तांग) या तो इसकी पूर्ति कर देती है या पूर्ति करने से रह जाती है । हिन्दू धर्मशास्त्र भी पर-स्त्री गमन की ओर निंदा करते हुए 'मातृवतपरदारेषु' की व्यवस्था देते हैं । पुरुष को अपनी विवाहिता स्त्री से ही मैथुन करना धर्म सम्मत है । यह मैथुन आठ प्रकार का कहा गया है–

श्रवणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षण गुह्याभाषणम् ।
शंकल्पोऽध्यवसायश्च कार्यनिष्पत्तिरेव च ।।

अर्थात, परस्त्री संबंधित चर्चा सुनना, कहना, केलि करना, देखना, गुप्त बात करना, संकल्प करना, प्रयत्न करना तथा अंग-संग करना ये आठ प्रकार के मैथुन हैं । हिन्दू शास्त्र विधि के अनुसार इस प्रकार पर स्त्री का स्मरण मात्र भी त्याज्य है । स्त्रियों को निगाहें नीची रखने का आदेश देते हुए क़ुरआन में आगे कहा गया है कि वे अपनी शर्मगाहों की सदैव रक्षा करें, अंग प्रदर्शन न करें तथा हर एक को अपना शृंगार न दिखलाएं, और (हे नबी !) ईमान वाली स्त्रियों से कहो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की रक्षा करें, और अपना शृंगार न दिखलाएं सिवाय उसके जो उसमें से ज़ाहिर रहे और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों का आंचल डाले रहें...और वे अपने पांव भूमि पर मारती हुई न चलें कि अपना जो शृंगार छिपा रखा हो लोगों को उसकी ख़बर हो जाए (क़ुरआन, 24:31)। निगाहें नीची करके चलना ही स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है । ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र में भी स्त्री को इसी प्रकार का आदेश दिया गया है–

अद्यः पशस्व मोपारि संतरां पादकोहर ।
मात कशप्लकौ दृशन्त्स्त्री ही ब्रह्माव भूविथ ।।
(8:33-11)

अर्थात, साध्वी नारी ! तुम नीचे देखा करो, पैरों को परस्पर मिलाये रखो, वस्त्र इस प्रकार पहनो जिससे तुम्हारे ओष्ठ तथा कटि के नीचे के भाग पर किसी की दृष्टि न पड़े । 'क़ुरआन' में, औरतों की सुशीलता और शालीनता पर विशेष बल दिया गया है । पर्दे में रहने वाली स्त्री अनेक दोषों से बची रहती है । अतएव, कहा गया है कि वे (सामने आकर) अपना शृंगार किसी पर ज़ाहिर न करें सिवाय अपने पति के या अपने पिता के या अपने पति के पिता के, या अपने बेटों के या अपने पति के बेटों के, या अपने भाई के या अपने भाइयों के बेटों के या अपनी बहनों के बेटों के या अपनी (परिचित) स्त्रियों के, या जिन पर उन्हें स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो, उनके या उन अधीन पुरुषों (नौकर-चाकर) के जो कोई (और) प्रयोजन न रखते हों या उन बच्चों के जो स्त्रियों की छिपी बातों से परिचित न हों (क़ुरआन, 24:31, 33:55)।

ऊपर जिनका वर्णन किया गया है, उन्हें छोड़कर शेष अन्य नातेदारों से, जिनसे विवाह हो सकता है, परदा आवश्यक बतलाया गया है । संस्कृत नाटकों में 'अवगुण्ठनवती' शब्द का प्रयोग हिन्दू-नारी-समाज में प्रचलित पर्दा-प्रथा की स्वतः पुष्टि है । इसी क्रम में, 'क़ुरआन' में आगे आदेश देते हुए कहा गया है, और अपने घरों में रहो, और भूतपूर्व अज्ञानकाल की सज-धज न दिखाती फिरो
(क़ुरआन, 33:33)।

इस आयत से प्रतीत होता है कि इस्लाम-धर्म घर को ही स्त्री का कार्य-क्षेत्र मानता है । वास्तव में अपने घर की देखभाल करना तथा बच्चों का उचित रूप से पालन-पोषण करना ही स्त्री का प्रधान-धर्म है । इसीलिए नबी करीम (सल्ल०) ने कहा है, "स्त्री छिपी रहने के योग्य चीज़ है । जब वह निकलती है तो उसे शैतान ताकता है, अल्लाह की दयालुता से अधिक निकट वह उस समय रहती है, जबकि वह अपने घर में हो ।" उसके गृहिणी तथा

गृहलक्ष्मी होने का संभवत: यही रहस्य है ।

श्रीमद्भागवत् में भी कुलवती साध्वी स्त्रियों का कर्तव्य इस प्रकार बतलाया गया है–वे अपने घर को झाड़-बहार कर तथा लीप-पोत कर निरंतर सुन्दर रखें, समस्त घर की सामग्रियां अपने स्थान पर जमा दें, जिससे काम पड़ने पर उसके मिलने में कोई अड़चन न उठानी पड़े, रसोई की सामग्रियों का साफ़-सुथरी एवं ढकी रखें, पति की इच्छाओं की पूर्ति समय के अनुसार करती रहें, विनम्रता, इन्द्रिय-संयम सत्यता एवं मधुरवाणी से प्रेम सहित पति को प्रसन्न करती रहें, जो कुछ भी मिले उसी में तृप्त रहें, अन्य वस्तुओं को देखकर लालायित न हों, सभी विषयों में चतुरता तथा धार्मिकता धारण करें–

संमार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनै: ।
स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा ।।
कामैरुच्चावचै: साध्वी प्रश्रयेण दमेन च ।
वाक्यै: सत्यै: प्रियै: प्रेम्णा काले काले भजेत् पतिम् ।।
सन्तुष्टालोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक् ।
अप्रमत्ता शुचि: स्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत् ।।

(श्रीमतद्भागवत्, स्कन्ध-7, अध्याय-11, श्लोक सं॰ 26-28)

'भविष्य पुराण में भी गृह लक्ष्मियों' के लिए यह आदेश है कि वे अवकाश के समय नित्य कार्य में बाधा न डालते हुए सूत काता करें–

इस प्रकार घर ही स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र है । आवश्यकता पड़ने पर, यदि उन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़े तो वे अपनी चादर अच्छी तरह ओढ़कर उसका एक हिस्सा अथवा पल्लू अपने ऊपर से लटका लें, ताकि उनके सिर और चेहरे छिपे रहें और तभी घर से बाहर निकलें, हे नबी ! अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों और ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि वे (बाहर निकलें तो) अपने ऊपर चादरों के पल्लू लटका लिया करें, इसमें इस बात की अधिक संभावना है कि वे पहचान ली जाएं (अर्थात वे सदाचारिणी और कुलीन स्त्रियां हैं–इस बात को लोग जान लें) और सताई न जाएं (कुरआन, 33:59)।

कुरआन की ये आयतें नारी के अभीष्ट गुण पर बल देती हैं । इनके अनुसार, नारी का अभीष्ट गुण पति-सेवा है । परहेज़गार स्त्रियों के लिए तो यहां तक कहा गया है कि किसी पुरुष से बात करने की आवश्यकता आ पड़ने पर वे इस ढंग से न बोलें कि जिससे सुनने वाले को उनकी बातों में किसी भी तरह का लोच या लगावट का एहसास हो । उन्हें जान-बूझकर न तो स्वर में कोमलता ही आने देनी चाहिए और न माधुर्य ही । अपनी वाणी के द्वारा सुनने वाले के मन में विकृत अथवा लोलुप भावना कदापि नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए, यदि तुम परहेज़गार रहना चाहती हो, तो दबी ज़बान से बात न किया करो कि वह व्यक्ति जिसके दिल में रोग हो, लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ़-सीधी बात करो (कुरआन, 32:32)। भाव यह है कि स्त्री के लिए बोलने में सावधानी बरतना परमावश्यक है । पर्दे के समान ही उसके लिए यह भी ज़रूरी है कि वह बिना ज़रूरत आवाज़ किसी दूसरे को न सुनाए । इसीलिए, स्त्री को मस्जिद में अज़ान देने की आज्ञा नहीं है । 'कुरआन' में ऐसी स्त्रियों की कई स्थानों पर प्रशंसा की गयी है, जो ईमान वाली हैं । अल्लाह ने इनके लिए–अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने वाली स्त्रियों के लिए–क्षमा और बड़ा बदला तैयार कर रखा है (कुरआन, 33:25)।

उनकी इबादत में वह मिठास पैदा कर देता है । (मुसनद अहमद) उन्हें ऐसा ईमान प्रदान करता है, जिसकी मिठास से उनके हृदय प्रफुल्लित हो उठते हैं (तबरानी), इस लोक का स्थायी तथा यथार्थ आनन्द अनायास ही उन्हें उपलब्ध हो जाता है–आदि अनेक उल्लेखों में स्त्री की पवित्रता का अभिनन्दन है । उसकी इस पवित्रता को संदेह की दृष्टि से देखने वालों को, ईमान वाली स्त्रियों पर अकारण दोषारोपण करने वालों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट घोषणा की गयी है, जो लोग ईमान वाली स्त्रियों को बिना इसके कि उन्होंने कुछ किया हो (तोहमत लगाकर) दुख पहुंचाते हैं, उन्होंने झूठी तोहमत और प्रत्यक्ष गुनाह का बोझ (अपने सिर) उठा लिया (कुरआन, 33:58), जो लोग



सतवन्ती, बेख़बर (अर्थात पाक=साफ़, बदचलनी की बातों से बेख़बर) ईमान वाली स्त्रियों पर झूठा कलंक लगाते हैं उन पर दुनिया और आख़िरत में लानत (धिक्कार) की गयी, यह उनके लिए बड़ा अज़ाब है। (24:23) तथा इस प्रकार सच्चरित्र स्त्रियों के प्रति आदर की भावना व्यक्त की गयी है।

'क़ुरआन' में गृहस्थ-धर्म की कुछ बातों का भी उल्लेख है। इस पवित्र धर्म-ग्रंथ में स्त्रियों के मासिक-धर्म को एक गन्दगी बतलाया गया है। अतएव, आदेश दिया गया है कि उस स्थिति में पुरुष उनके निकट न जाएं तुममें से स्त्रियों की माहवारी (मासिक-धर्म) के बारे में पूछते हैं, कहो, वह एक गन्दगी (की हालत) है, माहवारी के दिनों में स्त्रियों से अलग रहो और जब तक वे पाक=साफ़ न हो जाएं उनके पास (शारीरिक संबंध बनाने के लिए) न जाओ (2:222)। महर्षि मनु ने भी इसी प्रकार का आदेश दिया है।

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने।
समानशयने चैव न शयीत तया सह ।। (4/40)

अर्थात, व्यक्ति कामातुर होने पर भी अपनी स्त्री से जब तक वह रजस्वला है, न तो प्रसंग ही करे और न एक शैया पर शयन करे। इससे 'प्रज्ञा तेजो बल चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते' (4/41) प्रज्ञा, तेज, बल तथा आयु-सबका नाश हो जाता है। आयत में इन कार्यों को गर्हित, अप्राकृतिक तथा शैतानी काम बतलाया गया है : जिस पर अल्लाह ने लानत की है उस शैतान ने अल्लाह से कहा था : मैं तेरे बन्दों में से एक निश्चित भाग लेकर रहूंगा, उन्हें बहकाऊंगा, उन्हें (झूठी) आशाएं दिलाऊंगा, मैं उन्हें हुक्म दूंगा तो वे जानवरों के कान फाड़ेंगे (और उन्हें अपने देवताओं के नाम पर छोड़ेंगे) और मैं उन्हें हुक्म दूंगा तो वे अल्लाह की रचना में भी परिवर्तन करेंगे (क़ुरआन, 4:118)। यहां अल्लाह की रचना में परिवर्तन करने से तात्पर्य उन कार्यों में से है जो प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल हैं तथा जिनसे प्रकृति के उद्देश्यों की पूर्ति असंभव है। इनमें आजीवन ब्रह्मचर्यादि सभी काम आ जाते हैं, जिन्हें मनुष्य ने प्राकृतिक नियमों को भंग करके अपनाया है।

उक्त संपूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि, 'क़ुरआन' में नारी को काफ़ी ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। आज से कई सौ वर्ष पूर्व ही उसके लिए जिन अधिकारों की इस धर्म ग्रंथ में घोषणा की जा चुकी है, वर्तमान ग़ैर=मुस्लिम नारी को वे आज भी उपलब्ध नहीं है। वास्तव में 'मुस्लिम कोड' ने मुस्लिम नारी की स्थिति को=संपत्ति तथा व्यक्तित्व सुरक्षादि विभिन्न अधिकार प्रदान कर=काफ़ी सुदृढ़ बना दिया है। वे सब परोपजीवी नहीं हैं, स्वत्व की स्वयं स्वामिनी हैं। उनकी वर्तमान स्थिति का सैयद अमीर अली के निम्नलिखित उद्धरण में सुन्दर संकेत हैं=

"As long as she is unmarried, she remains under the parental roof, and until she attains her majoraty she is, to some extent, under the control of the father or his representative. As soon as, however, as she is of age, the law vests in her all the rights which belong to her as an independent human being. She is entitled to share in the inheritance of her parents along with her brothers, and though the proportion is different, the distinction is founded on the relative position of brother and sister. A woman who is SUIJURIS. Can under no circumstances be married without here own express consent. On her marriage she does not lose her individuality. She Does not cease to be a separate member of socity."

(दि स्प्रिट ऑफ़ इस्लाम, पृष्ठ संख्या 256)

"जब तक स्त्री अविवाहित है, वह मां-बाप के अधीन रहती है और जब तक वह वयस्क हो जाती है तो कुछ हद तक वह पिता या उसके प्रतिनिधि के नियंत्रण में आ जाती है। जैसे ही वह प्रौढ़ होती है, क़ानून उससे संबंधित तमाम अधिकार उसे प्रदान कर देता है, जो एक स्वतंत्र मानव से संबंध रखते हैं। वह अपने माता-पिता की विरासत में अपने भाइयों के साथ हिस्सा लेने की अधिकारी हो जाती है और अनुपात में भिन्नता के बावजूद भाई-बहन के रिश्ते में उसका अपना एक सुनिश्चित स्थान नियत हो जाता है। एक स्त्री का, जो कि 'स्वाधीन' है, किसी भी दशा में उसकी अपनी सम्मति के बिना विवाह नहीं हो सकता। विवाह में भी वह अपनी वैयक्तिकता को नहीं खोती। वह समाज के स्वतंत्र सदस्य होने को नहीं नकारती है।"

कहने का अर्थ यह है कि मुस्लिम नारी अपने पैरों पर खड़ी है, किसी की कृपा की उसे अपेक्षा नहीं है। उसकी स्थिति अपेक्षाकृत पर्याप्त संतोषजनक है। पुरुषों के समान ही उसे अधिकार प्राप्त है।

मुस्लिम शासकों की न्यायप्रियता

❖ अबू इमामुद्दीन रामनगरी

परिवार के सदस्यों और निकट संबंधियों से प्रेम मानव-प्रकृति में सम्मिलित है । मनुष्य को सबसे अधिक प्रेम अपनी संतान और अपने घर वालों से होता है । पत्नी और बच्चों के प्रेम में मनुष्य कभी-कभी उचित और अनुचित, वर्जित एवं अवर्जित का विचार भी छोड़ देता है । भ्रष्टाचार, विश्वासघात, अधिकार-हनन सब कुछ उचित ठहरा लेता है ।

जिन व्यक्तियों के हाथ में शासन और राजसत्ता की बागडोर आ जाती है, वे हर प्रकार से अपने सगे-संबंधियों को सम्मानित करने और अपने अधिकार एवं पद से उनको लाभ पहुंचाने की चेष्टा करते हैं । प्रतिष्ठा एवं सम्मान का अवसर, सुख-समृद्धि के साधन, राज्य एवं शासन के अधिकार उनके हाथ में होते हैं । इसलिए वे अपने रिश्तेदारों को विभिन्न पदों पर नियुक्त कर देते हैं । इस संबंध में वे दूसरों के अधिकार हनन की भी परवाह नहीं करते । कोई व्यक्ति राज्याधिकारी और शासन का मालिक हो जाता है, तो उसके निकट-संबंधी भी उसके शासनाधिकार में अपने को भागीदार समझ लेते हैं और उसके प्रभुत्व एवं अधिकार से हर प्रकार का लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं ।

राज्य एवं शासकों का पूर्ण इतिहास इस बात पर साक्षी है कि राज्याधिकारियों और शासकों ने सदा जनता के अधिकारों का हनन किया है और अपने सगे-संबंधी एवं परिजन को अनुचित लाभ पहुंचाया है और यह सिलसिला फैलता हुआ मित्रों और परिचितों तक पहुंच गया है । सगे-संबंधियों और मित्रों को लाभ पहुंचाना, वर्तमान जनतांत्रिक शासन में भी उन लोगों में मौजूद है, जो राजसत्ता और शासन के अधिकारी हैं । दूसरे देशों के अतिरिक्त खुद अपने देश में भी हम यह सब कुछ देख रहे हैं । किंतु इस्लाम के वे शासक और अधिकारी जो इस्लामी शासन के सच्चे आदर्श रहे हैं, वे अपने परिजनों को लाभ पहुंचाने से बिल्कुल बचते थे, बल्कि वे इस संबंध में इतने सतर्क और निर्लिप्त थे कि



उन्होंने अपने राज्याधिकार और शासन से अपने निकटतम संबंधियों को इतना भी लाभ न पहुंचाया जितने के वह वास्तव में अधिकारी थे ।

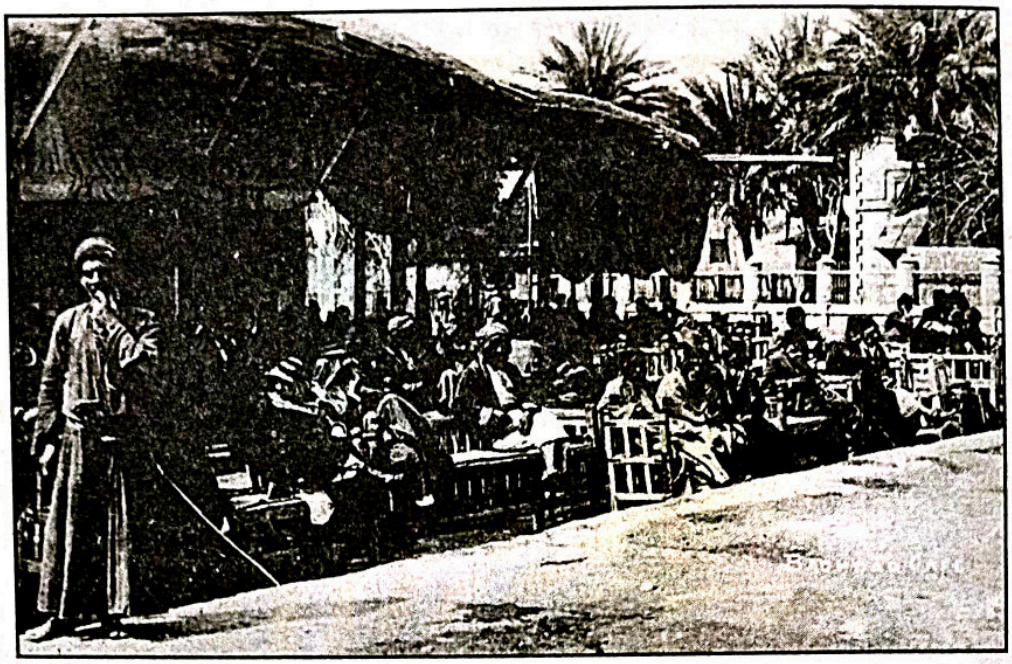

प्रथम इस्लामी शासक (ख़लीफ़ा) हज़रत अबूबक्र (रज़ि॰) अपने परिजनों को लाभ पहुंचाने से सर्वथा बचते थे और जिन लोगों को कोई पद या अधिकार प्रदान करते थे, उन्हें भी उससे बचने पर बल देते थे । हज़रत यज़ीद बिन अबू सुफ़ियान को शाम के युद्ध के अवसर पर सेनापति के पद पर नियुक्त करते हुए आपने उनको जो आदेश दिये उनमें यह भी फ़रमाया–

''ऐ यज़ीद ! तुम्हारे सगे-संबंधी भी हैं । देखो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उनको अपने पद से अनुचित लाभ पहुंचाओ । वास्तव में यही सबसे बड़ी आशंका है, जिससे मैं डरता हूं । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया है कि जो व्यक्ति मुसलमानों का शासक बनाया गया और उसने उन पर किसी को अनुचित रूप से अधिकारी बनाया, तो उस पर खुदा का प्रकोप उतरता है । खुदा उसकी कोई आपत्ति एवं प्रायश्चित स्वीकार न करेगा और उसको नरक में झोंक देगा ।''

आपने अपने स्वर्गवास के समय भी अपने किसी पुत्र या अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, बल्कि हज़रत उमर (रज़ि॰) को मनोनीत किया, जो दूसरे परिवार से संबंध रखते थे और उनके मनोनीत करने में भी इसके अतिरिक्त और कोई भाव न था कि हज़रत उमर (रज़ि॰) इस पद के लिए सबसे अधिक योग्य थे और जनता ने भी हज़रत उमर (रज़ि॰) को मनोनीत करने के संबंध में अपनी सहमति प्रकट करके हज़रत अबूबक्र (रज़ि॰) की निर्वाचन-दृष्टि की पुष्टि भी कर दी।

हज़रत उमर (रज़ि॰) की कार्य-प्रणाली इस संबंध में सावधानी एवं सतर्कता का ज्वलंत आदर्श थी । आप हर पग पर और हर कार्य में इसका विचार रखते थे । आपके किसी कार्य में परिजन को लाभ पहुंचाने की झलक तक देखी नहीं जा सकती । आर्थिक सहायता के विवरण के लिए कार्यालय स्थापित होने लगा, तो स्वयं जनसाधारण का आग्रह था कि कार्यालय में सबसे पहले हज़रत उमर (रज़ि॰) को और इसके पश्चात आपके परिवार के लोगों को स्थान दिया जाए, किंतु आपने इसे स्वीकार नहीं किया । सर्वप्रथम महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के परिवार को स्थान दिया और हज़रत उमर (रज़ि॰) के परिवार वालों के नाम सबके अंत में अंकित किये गये । जब आपके परिवार 'अदी वंश' के लोगों को इसका पता चला, तो उन्होंने आपकी सेवा में एक सदस्य मंडल भेजा । मंडल के लोगों ने आपसे कहा कि जनता ने आपको प्रधान शासक के पद पर आसीन किया है, इसलिए वज़ीफ़े की सूची में अपने को और अपने परिवार वालों को सर्वप्रथम रखना चाहिए ।

हज़रत उमर (रज़ि॰) मंडल के इस वार्तालाप से बहुत नाराज़ हुए और क्रोध भरे स्वर में उत्तर दिया–

''अदी के वंशज ! चलो दूर हटो । तुम मेरे बल पर खाना चाहते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने पुण्य एवं सदाचार को नष्ट कर दूं ? खुदा की क़सम ! ऐसा कभी नहीं हो सकता । जब तक तुम्हें बुलाया न जाए तुम कदापि मेरे पास न आना । तुम्हारे नाम कार्यालय में सबके बाद लिखे जाएंगे । मुझ से मेरे दो साथी इस नीति पर चल चुके हैं । यदि मैंने इसके विपरीत नीति ग्रहण की, तो मैं पथ भ्रष्ट हो जाऊंगा । खुदा की क़सम ! मुझे संसार में जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है और परलोक में मैं जिस पुण्य का प्रत्याशी हूं, वह केवल ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के पवित्र व्यक्तित्व की देन है, हमें जो सम्मान भी मिला है वह ईशदूत

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के कारण मिला है, वे सारे अरब में सबसे सम्मानित हैं, कार्यालय में सर्वप्रथम उनके परिवार को स्थान दिया जाएगा। फिर जो लोग जिस दृष्टि से ईशदूत (सल्ल०) से निकट होंगे, उसी के अनुसार उनके नाम अंकित होंगे।''

प्रथम मुहाजिरीन (धर्मार्थ देश-त्याग करने वाले) के लिए हज़रत उमर (रज़ि०) ने चार-चार हज़ार दिरहम के वज़ीफ़े निश्चित किये। हज़रत उमर (रज़ि०) के पुत्र हज़रत अब्दुल्लाह भी इन्हीं पवित्र लोगों में सम्मिलित थे। इसलिए आप भी इसी श्रेणी का वज़ीफ़ा पाने के अधिकारी थे। किंतु हज़रत उमर (रज़ि०) ने उनका वज़ीफ़ा केवल साढ़े तीन हज़ार निश्चित किया। यह ऐसी बात थी जो दूसरों की दृष्टि में भी हज़रत अब्दुल्लाह के साथ अन्याय स्वरूप थी, इसलिए लोगों ने आप से प्रश्न किया कि उनके साथ यह व्यवहार क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न का हज़रत उमर (रज़ि०) ने जो उत्तर दिया वह सत्यप्रियता और निर्लिप्तता का अपना उदाहरण आप है। आपने फ़रमाया–

''इनको इनके बाप ने हिजरत (देश-त्याग) कराई थी। फिर ये उन लोगों के बराबर कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने स्वयं देश-त्याग किया ?''

हज़रत उसामा (रज़ि०) हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के मुक्त किये हुए दास हज़रत ज़ैद (रज़ि०) के पुत्र थे। हज़रत उमर (रज़ि०) लोगों के वेतन निश्चित करने लगे, तो हज़रत अब्दुल्लाह से हज़रत उसामा (रज़ि०) का वेतन अधिक निश्चित किया। हज़रत अब्दुल्लाह ने इस पर आपत्ति की और कहा कि वे मुझसे किस बात में बढ़कर हैं ?

आपने जवाब दिया–''ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) उसामा को तुमसे अधिक प्रेम करते थे।''

एक बार हज़रत उमर (रज़ि०) मुसलमानों को कपड़े बांट रहे थे, एक अच्छा कपड़ा निकला तो लोगों ने कहा–''इसे अपने पुत्र हज़रत अब्दुल्लाह को दे दीजिए।'' आपने फ़रमाया–''नहीं, यह इस वस्त्र के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अपने बाप के साथ हिजरत की थी। इस कपड़े को मुहाजिर सईद बिन उताब या सलीत बिन सलीत को दूंगा।''

हज़रत हफ़सा (रज़ि०) हज़रत उमर (रज़ि०) की सुपुत्री और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की आदरणीय पत्नी थीं। एक बार उन्होंने सुना कि कहीं से विजित धन आया है, तो वह हज़रत उमर (रज़ि०) के पास आयीं और कहा–''ऐ अमीरुल मोमिनीन ! इसमें से मेरा हिस्सा दीजिए। मैं आपकी संतान में से हूं।''

हज़रत उमर (रज़ि०) ने फ़रमाया–''बेटी ! तेरा हिस्सा मेरे निजी धन में है। यह तो विजित धन है।'' वह बेचारी लज्जित होकर चली गयी।

हज़रत उमर (रज़ि०) के शासनकाल में ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की नौ पत्नियां जीवित थीं, इसलिए आपने नौ प्याले तैयार कराए। जब कहीं से मेवे या कोई दूसरी अच्छी वस्तु आती, तो आप वह वस्तु उनके प्यालों में भरकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की पत्नियों की सेवा में भेजते और सबसे आख़िरी प्याला अपनी पत्नी हज़रत हफ़सा के पास भिजवाते (जो हज़रत मुहम्मद सल्ल० की पत्नी थीं), ताकि जो कमी हो वह उनके हिस्से में आये।

एक बार हज़रत उमर (रज़ि०) ने मदीना की स्त्रियों को चादरें वितरित कीं। एक अच्छी चादर बच गयी, तो किसी ने कहा आप इसे अपनी पत्नी उम्मे कुलसूम को दे दीजिए। आपने फ़रमाया, ''उम्मे कुलसूम से अधिक उम्मे सलीत इसकी अधिकारिणी है, क्योंकि वे उहद के युद्ध में मश्क भर-भरकर पानी लाती थीं और हमको पिलाती थीं।''

इन घटनाओं से स्पष्ट है कि हज़रत उमर (रज़ि०) का प्रधान शासन-पद उनके परिवारजनों के लिए दीनता का कारण बन गया था, यदि हज़रत उमर (रज़ि०) के स्थान पर कोई और प्रधान शासक होता, तो निस्संदेह उन लोगों को उससे कहीं अधिक लाभ पहुंचता।

शाम की विजय के बाद रोम के सम्राट क़ैसर से मित्रों का-सा संबंध स्थापित हो गया था और प्रतिनिधियों के आवागमन का सिलसिला आरंभ हो गया था। अत: एक दिन क़ैसर के पास पत्र जाने लगा, तो हज़रत उमर (रज़ि०) की पत्नी हज़रत उम्मे कुलसूम ने रोम की रानी के पास इत्र का उपहार भेजा। जवाब में महारानी ने भी हज़रत उम्मे कुलसूम के लिए जवाहरात का एक मूल्यवान हार भेजा। हज़रत उमर (रज़ि०) ने इस हार को देखा, तो अपने मित्रों को एकत्रित करके उनके सामने हार को पेश किया और फ़रमाया कि जिस काम में साथियों का मशविरा शामिल न हो, उसमें भलाई नहीं हुआ करती। उम्मे कुलसूम ने रोम की महारानी के पास इत्र का उपहार भेजा था। जवाब में उसने यह हार भेजा है। इस हार के संबंध में आप लोगों की क्या राय है ?

पुरुषों ने जो कुछ कमाया है,
उसके अनुसार उनका हिस्सा है
और जो स्त्रियों ने कमाया है
उसके अनुसार उनका हिस्सा है ।
–कुरआन

"जिस किसी ने तंगदस्त को
मुहलत दी या अपना हक़ जो उस
पर था माफ़ कर दिया तो अल्लाह
क़ियामत के रोज़ की सख़्तियों से
उसको निजात अता फ़रमाएगा ।"
(मुस्लिम)

With Best omplements from :

Abdullah Mohtasim
KOLKATA

यह उम्मे कुलसूम का हक़ है या सरकारी कोष का ?

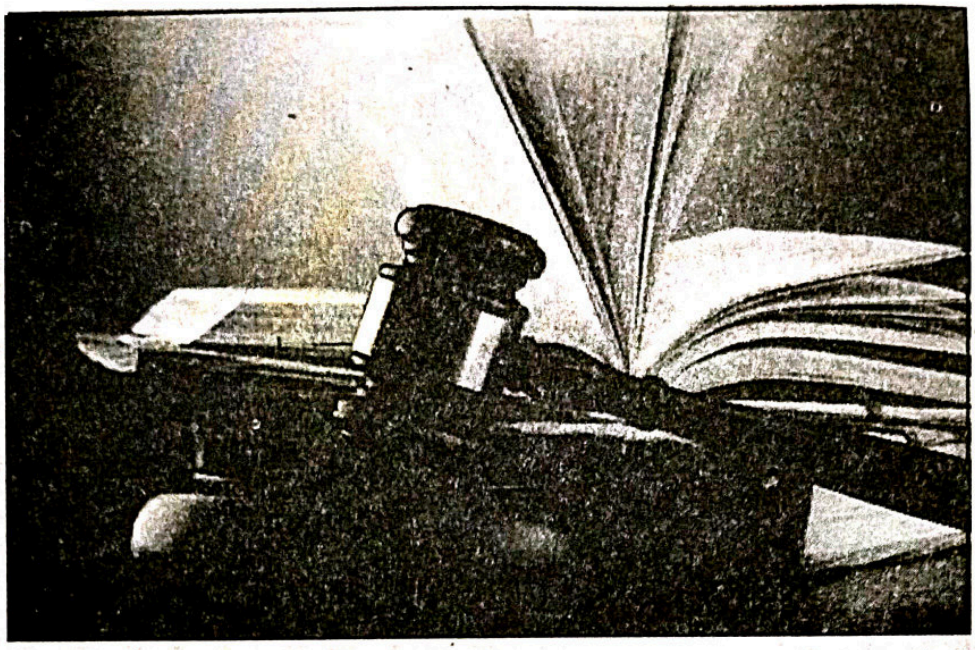

लोगों ने कहा कि यह हार उम्मे कुलसूम के निजी उपहार के बदले में आया है, इसलिए यह उन्हीं का हक़ है । यह बात भी नहीं है कि रोम की महारानी आपकी प्रजा हैं, जो उपहार के रूप में रिश्वत देंगी, न वह आपके अधीन हैं, जो आपके भय से आपको प्रसन्न करने के लिए हार का उपहार पेश करेंगी । हज़रत उमर (रज़ि॰) ने फ़रमाया कि यह सत्य है । किंतु पत्रवाहक उम्मे कुलसूम का अपना न था, बल्कि मुसलमानों का था और रोम की महारानी के दिल में उम्मे कुलसूम की जो महानता है, वह भी मुसलमानों ही के कारण है । इसलिए उचित यही है कि हार सरकारी कोष में दे दिया जाए । अतएव आपकी आज्ञा से हार सरकारी कोष में रख दिया गया । क्या वर्तमान काल के साम्यवादी और जनतांत्रिक शासनाध्यक्षों में भी कोई हज़रत उमर (रज़ि॰) है ! कोई है, तो उसका नाम बताओ । संसार में इस्लाम और इस्लामी शासन के विरुद्ध बड़ा प्रचार किया गया है, किंतु इस्लाम के इन आदर्श शासकों का आजतक कोई उदाहरण नहीं उपस्थित किया जा सका ।

अपने परिजनों को लाभांवित करने की बड़ी-बड़ी उक्तियां उपस्थित करना और उनके अधिकारों के लिए लड़ना तो साधारण बाता है । किंतु आपने ऐसा कहीं न देखा होगा कि अपने परिजनों के विरुद्ध ढूंढ़-ढूंढ़कर ऐसी उक्तियां लाई जाएं जो कट्टर से कट्टर शत्रु की कल्पना में भी न आए और उनके अधिकारों के विरुद्ध लड़ा जाए ।

एक बार हज़रत अबू मूसा अशअरी ने, जो किसी प्रदेश के राज्यपाल थे, हज़रत उमर (रज़ि॰) की पत्नी आतिका बिन्त ज़ैद के पास भेंट स्वरूप एक अच्छी चादर भेजी । हज़रत उमर (रज़ि॰) ने देखा तो हज़रत अबू मूसा अशअरी को बुलाकर कहा–"मुझे इसकी ज़रूरत नहीं ।"

एक बार हज़रत उमर (रज़ि॰) ने देखा कि बाज़ार में एक बहुत मोटा ताज़ा ऊंट बिक रहा है । आपने पूछा–"यह किसका ऊंट है ?" मालूम हुआ कि आपके पुत्र हज़रत अब्दुल्लाह का है । आपने उनसे पूछा–"यह ऊंट कैसा है ?" उन्होंने कहा कि मैंने इसे ख़रीदकर सरकारी चारागाह में भेज दिया था । अब कुछ मोटा हो गया है । मैं इसे बेचने के लिए लाया हूं ।

आपने कहा–"ऐ मुसलमानों के प्रधान शासक के सुपुत्र ! यह ऊंट सरकारी चरागाह में मोटा हुआ है और लोगों ने यह समझकर कि अमीरुल मोमिनीन उमर के बेटे का ऊंट है, इसे ख़ूब खिलाया-पिलाया है, इसलिए तुम केवल ऊंट के वास्तविक दाम के हक़दार हो ।" अतएव आपने उनके ऊंट का वास्तविक मूल्य उनको दे दिया और बाक़ी रक़म सरकारी कोष में डाल दी ।

हज़रत उमर (रज़ि॰) ने अपने परिजनों के संबंध में अपनी विशेष नीति बना रखी थी, ताकि आप सत्य पथ से तनिक भी इधर-उधर न होने पाएं । आप मस्जिद में मिम्बर पर बैठकर साधारण जनता को किसी वस्तु से रोकते, तो अपने परिजनों को अलग जमा करके विशेष रूप से ताकीद करते कि देखो मैंने अमुक बात से लोगों को मना किया है। लोगों की नज़र तुम पर इसी प्रकार होती है, जिस प्रकार शिकारी पक्षी की नज़र मांस पर । ईश्वर की क़सम ! तुममें से जो भी किसी वर्जित काम को करेगा, उसे मैं जनसाधारण से दुगनी सज़ा दूंगा ।

आपकी इसी नीति का परिणाम था तो कि आप इतने बड़े इस्लामी साम्राज्य के शासनाध्यक्ष होते हुए भी संसार से ऐसे निस्पृह गये कि कोई व्यक्ति आपके दामन पर तिल के बराबर भी कोई दाग़ नहीं दिखा सकता ।

KIDS CARE

MONTESSORI & PRIMARY SCHOOL



- Montessori to Class - V
- A Huge Playground for Outdoor Games
- Efficient and Trained Teachers
- Learning through Computers
- Homely Environment
- CCTV Monitored

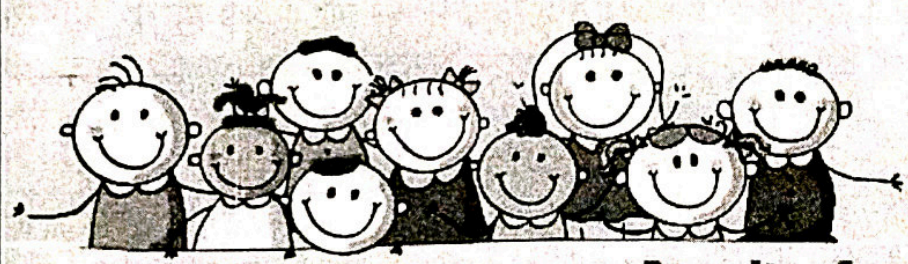

ADMISSION OPEN

A unit of
Al-Falah Educational & Welfare Trust

58, Tiljala Road, Kolkata - 700046

CONTACT : 9874359433 / 9432340275

Website : www.kidscareschool.org

एक ईश्वर, एक मानव, एक विधान

■ अबू मुहम्मद इमामुद्दीन रामनगरी

यह निर्विवाद तथा सर्वमान्य सत्य है कि ईश्वर एक है और वही समूचे विश्व का कर्ता है । उसी ने मानव को भी जन्म दिया है, अत: अपनी सृष्टि में मानव-मानव समान है । इस्लाम इसी प्राकृतिक सत्य का प्रवर्तक, समर्थक तथा उपदेशक है । इस्लाम मानव-जीवन के आरंभ से इसी सत्य सिद्धांत के अनुसार मानवता की शिक्षा देता आ रहा है । परंतु मानव स्वयं मानवता-विरोधी बन गया । उसने धर्म और विधान के नाम पर मानवता का विभाजन करके उसे अनेक श्रेणियों तथा वर्गों में विभक्त कर दिया । पहले उसे देश और जाति के नाम पर बांटा, अपने देश को पवित्र ठहराया और अन्य देशों को अपवित्र, अपनी जाति को सभ्य, सुसंस्कृत तथा श्रेष्ठ ठहराया और संसार की अन्य जातियों को असभ्य, दस्यु तथा म्लेक्ष । इतने पर भी संतुष्ट न हुआ, उसने जो विभाजन अपनी जाति तथा दूसरी जातियों के बीच किया था वही स्वयं अपनी जाति के बीच किया ।

मुट्ठी-भर एक छोटा वर्ग विद्या तथा धर्म का स्वामी बन गया, दूसरा छोटा-सा वर्ग शक्ति तथा शासन का, तीसरा छोटा-सा वर्ग जीवन-साधन सामग्रियों का अधिकारी बन गया । समाज के शेष बड़े भाग को अपना दास तथा सेवक बना लिया । मानवजाति की यह दुर्दशा यहीं तक सीमित न रही । एक वर्ग को चांडाल तथा अछूत बनाकर उसे कुत्ते और सुअर के स्तर से नीचे गिरा दिया । कुत्ते बस्ती तथा नगर में स्वतंत्रापूर्वक चल-फिर सकते थे परंतु चांडालों पर विभिन्न प्रकार के बंधन थे । कुत्तों के स्पर्श से कोई अपवित्र न होता था, परंतु मनुष्य अछूत था । इससे छू जाने तथा उस पर दृष्टि पड़ जाने पर स्नान किये बिना मनुष्य पवित्र नहीं हो सकता था । उसका शरीर ही अपवित्र न था, उसकी छाया तक अपवित्र थी ।

यह भेदभाव केवल सामाजिक नियम, खान-पान तथा विवाह-संस्कार तक सीमित न था । धर्म भी इसी भेदभाव के अंतर्गत था । यह अछूत वर्ग न धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकता था न उसके अनुसार पूजा-उपासना कर सकता था, न देव-मंदिर जा सकता था । वह देव-मंदिर के द्वार तक को छूने का अधिकारी न था । वह केवल ईश्वर का नाम जप सकता था । उसके व्यावहारिक पूज्य केवल उसके भूतप्रेत थे, वह उन्हीं की पूजा-उपासना करके संतोष कर लिया करता । उसकी शुद्धि, सुधार और उसको ऊपर उठाने का धर्म में कोई विधान ही न था ।

मानवता की यह दुर्दशा किसी एक देश में न थी बल्कि बहुत भेंद के साथ संसार के सभी देशों तथा जातियों की परंपरा थी । इसके प्रमाण के लिए इतिहास के पन्ने को उलटने की आवश्यकता नहीं । अमेरिका जैसे सभ्य तथा विकसित देश में अब तक काले-गोरे का भेदभाव बना हुआ है । वहां की सरकार इस भेदभाव को समाप्त करना चाहती है परंतु अब तक उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है ।

हमारा देश भारत संसार का प्राचीनतम धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र है, परंतु यह महान देश भी इस जातीय भेदभाव के मामले में संसार के अन्य देशों से पृथक न था । महात्मा गांधी ने इस भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाई । अछूतोद्धार का आन्दोलन चलाया । वर्तमान विधान में छूतछात नियम विरुद्ध है, परंतु व्यावहारिक रूप से भेदभाव तथा छूतछात अब भी मौजूद है । यूरोप बड़ा उदारवादी माना जाता है । अंग्रेज़ जो भारत में शासन करते थे छूतछात नहीं मानते थे, परंतु उनके यहां भी दो प्रकार के गिरजाघर हैं—एक उच्च वर्ग के लिए, दूसरे निम्न वर्ग के लिए ।

अरब देश की जातीय-दंभ की यह स्थिति थी कि वे संसार की किसी जाति को अपना समकक्ष नहीं समझते थे । क़ुरैश क़बीला, जिसमें महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का जन्म हुआ था, अपनी श्रेष्ठता के लिए सारे अरब में बढ़ा हुआ था । वहां प्राचीन समय से दासता की प्रथा भी प्रचलित थी और उसने ऐसा कुत्सित रूप धारण कर लिया जिसकी कल्पना भी कठिन है । पशुओं के समान दासों और दासियों की मंडी लगती थी । एक बार मोल लिया हुआ दास मृत्यु तक दासता और हीनता की जंज़ीरों में जकड़ा हुआ रहता था । उसके बाद उसकी संतान आपसे आप ही उसकी संपत्ति बन जाती थी । लोग दासी से व्यभिचार का व्यवसाय चलाते थे ।

ऐसे दूषित वातावरण में इस्लाम का आविर्भाव हुआ ।

इस्लाम ने सर्वप्रथम समस्त मिथ्या काल्पनिक देवी-देवताओं का साम्राज्य समाप्त कर मनुष्य को केवल एक निराकार ईश्वर की उपासना का पाठ पढ़ाया । मनुष्यों के बीच हर प्रकार के भेदभाव की दीवारों को ढाहकर "समस्त मानव एक समान हैं" की उद्घोषणा की । उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जैसे ब्रह्माण्ड का स्रष्टा और स्वामी एक है, उसी प्रकार उसके बनाए हुए समस्त मनुष्य भी एक हैं । रंग, नस्ल, गोत्र, जाति और देश के आधार पर उनको बांटा नहीं जा सकता । किसी को ऊंच और किसी को नीच नहीं ठहराया जा सकता । हां, उनमें कोई विभाजन हो सकता है तो सत्कर्म और दुष्कर्म, पुण्य और पाप, सदाचार और दुराचार के आधार पर हो सकता है । अच्छे कर्म करने वाला चाहे किसी रंग और वंश का हो, किसी देश और जाति का हो श्रेष्ठ और उत्तम है, और बुरा कर्म करने वाला चाहे किसी रंग और वंश, देश और जाति का हो निकृष्ट तथा तुच्छ है, जैसा कि पवित्र कुरआन में है–

"ऐ मनुष्यो ! हमने तुम सबको केवल एक मनुष्य और एक स्त्री (आदम और हव्वा) द्वारा उत्पन्न किया है और तुम्हारे गोत्र और परिवार बना दिये हैं ताकिइन नामों से तुम एक-दूसरे का परिचय प्राप्त कर सको । निस्संदेह तुममें श्रेष्ठ वही है, जो सबसे अधिक सदाचारी और ईश्वर से डरने वाला है ।" (कुरआन, 49:13)

यह कुरआन रूपी अंतिम ईश्वरीय संविधान की प्रस्तावना थी जिसके द्वारा मानव-एकता की स्पष्ट घोषणा की गयी । महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर इसी प्रस्तावना की पुष्टि अपनी ओजस्वी वाणी में की । मक्का-विजय इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है । उस दिन महाईशदूत ने स्वयं अपनी जाति कुरैश को जो जातीय दंभ के नशे में चूर थी संबोधित करते हुए अपने विजय-भाषण में कहा–

"ऐ कुरैश गोत्र । अब ईश्वर ने इस्लाम के पूर्व का अज्ञानपूर्ण दंभ तथा वंशीय गर्व समाप्त कर दिया । समस्त मनुष्य आदम की संतान हैं और आदम मिट्टी से बने थे ।"

इसके दो वर्ष बाद हज्जतुल विदाअ (महाईशदूत के अंतिम हज) का ऐतिहासिक अवसर आया । महाईशदूत ने अपने एक लाख अनुयायियों के बीच एक विस्तृत भाषण दिया, जिसमें और बातों के अतिरिक्त अन्य देशों के निवासियों पर अरब देश के निवासियों के जातीय घमंड की समाप्ति की घोषणा कर दी । आप (सल्ल०) ने फ़रमाया–

"ऐ लोगो ! तुम्हारा पालनकर्ता एक है और तुम्हारा पूर्वज भी एक है, तुम सब आदम की संतान हो और आदम मिट्टी से बने थे, अल्लाह ने इस्लाम से पूर्व के अज्ञानपूर्ण घमंड और जातीय गर्व को मिटा दिया । संयमी, धर्माचारी या दुराचारी एवं भाग्यहीन, सब लोग आदमी की संतान हैं और आदम मिट्टी से बने थे ।"

इसी अवसर पर महाईशदूत ने यह भी फ़रमाया–

"यदि तुम्हारे ऊपर किसी कान कटे काले दास को भी अधिकारी (शासक) नियुक्त कर दिया जाए तो तुम्हारा, ईश्वरीय ग्रंथ (कुरआन) के अनुसार नेतृत्व करे तो तुम उसका आज्ञापालन करो !"

दासों के साथ प्रेम, समता और सहानुभूति का व्यवहार करने के विषय में महाईशदूत सदा मुसलमानों को उपदेश करते रहे । आप (सल्ल०) ने दासों को मुक्त कर देने को पुण्य कर्म बताया । आप (सल्ल०) ने एक बार फ़रमाया–

"अल्लाह ने तुम्हारे इन भाइयों (दासों) को तुम्हारा अधीनस्थ बना दिया है, अत: जो भोजन तुम स्वयं करते हो वही अपने दासों को भी कराओ और जो वस्त्र तुम पहनते हो वही उनको भी पहनाओ । उनकी क्षमता से अधिक उनसे परिश्रम न लो । यदि कभी उन्हें ऐसा काम दो भी तो उसमें उनकी सहायता करो । जब तुम्हारा दास तुम्हारे लिए भोजन बनाकर लाए तो चूंकि उसने पकाने में गरमी और धुएं का कष्ट सहन किया है, उसको अपने साथ बैठाकर भोजन कराओ और यदि खाना कम हो तो इस अवस्था में उसको कुछ खाना अलग से दे दो ।"

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने अनुयायियों को जो उपदेश दिया वह यह है–

"नमाज़ (ईश्वरोपासना) का नियमानुसार पालन करना और अपने दासों के विषय में ईश्वर से डरते रहना ।"

यह शिक्षा केवल मौखिक न थी, न केवल विधान-ग्रंथों के पृष्ठों की शोभा बनकर रह गयी थी । इस्लामी समाज ने किस प्रकार इन उपदेशों और सिद्धांतों को हृदयंगम तथा व्यवहार में साकार कर दिया था । इसकी कुछ झलकियां देखिए–

एक व्यक्ति जिनका नाम मारूर था बयान करते हैं कि मैं रबजा नामक स्थान में हज़रत अबू-ज़र से मिला (जो महाईशदूत) के साथियों में से थे)। मैंने देखा कि हज़रत

अबू-ज़र और उनका दास दोनों एक ही कपड़े का कुर्ता पहने हुए थे। मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार मैं महाईशदूत के सामने एक दास को डांट-फटकार रहा था। इस पर महाईशदूत ने फ़रमाया–अबू-ज़र ! अभी तुममें इस्लाम से पूर्व का असर शेष है। तुम्हारे दास तुम्हारे अधीन कर दिये गये हैं। अत: जिस व्यक्ति का दास भाई उसके अधीन हो वह जो कुछ स्वयं खाए वही उसको भी खिलाए और जो कुछ स्वयं पहने वही उसको भी पहनाए। (बुख़ारी)

ख़त्ताब के बेटे हज़रत उमर (रज़ि॰) महाईशदूत के द्वितीय उत्तराधिकारी थे। उनके शासनकाल में एक अवसर पर इस्लामी सेना शाम (सीरिया) देश में युद्ध कर रही थी। उस देश की राजधानी 'यरुशलम' इस्लामी सेना द्वारा विजित हुई तो वहां की जनता के आह्वान पर हज़रत उमर (रज़ि॰) ने शाम की यात्रा के लिए मदीना से प्रस्थान किया। क़ाफ़िले में ऊंट कम थे और आदमी अधिक। अत: यह निश्चय हुआ कि एक ऊंट पर दो-दो आदमी बारी-बारी सवारी करें।

एक नियत समय तक एक आदमी ऊंट पर सवार रहे और दूसरा उसकी महार पकड़कर पैदल चले, फिर दूसरा व्यक्ति सवार हो जाए और पहला आदमी पैदल चले। हज़रत उमर (रज़ि॰) के साथ चलने वाले उनका हब्शी दास था। संयोगवश जिस समय वह क़ाफ़िला नगर की सीमा में दाख़िल हुआ, ऊंट पर सवार होने की बारी दास की थी और पैदल चलने की हज़रत उमर (रज़ि॰) की। दास ने बहुत आग्रह किया कि अपनी बारी अपने स्वामी अर्थात उमर (रज़ि॰) को दे दे, परन्तु उन्होंने इसे स्वीकार न किया और महान इस्लामी राज्य का यह एकमात्र महान शासक इस अवस्था में यरुशलम में दाख़िल हुआ कि उसका हब्शी दास ऊंट पर सवार था और वह स्वयं ऊंट की नकेल पकड़े पैदल चल रहा था। यरुशलम के निवासियों का अपार जनसमूह, जो इस्लामी शासक के आगमन की सूचना पाकर उसके स्वागत के लिए जमा था, समझ भी न सका कि इनमें स्वामी कौन है और दास कौन ?

हज़रत बिलाल (रज़ि॰) महाईशदूत के हब्शी दास थे, जिनको महाईशदूत से प्रगाढ़ श्रद्धा और प्रेम था। आपने उनको स्वतंत्र कर दिया था फिर भी वे जीवन-भर आपकी सेवा में संलग्न रहे। मुसलमानों में उनका बड़ा आदर था।

एक बार हज़रत बिलाल (रज़ि॰) के एक साथी जिनका नाम ख़ब्बाब था, हज़रत उमर (रज़ि॰) के पास आये। हज़रत बिलाल (रज़ि॰) की भांति ये भी पहले समय में दासता का तिरस्कारपूर्ण जीवन व्यतीत कर चुके थे। हज़रत उमर (रज़ि॰) उस समय इस्लामी राज्य के शासक थे। परंतु हज़रत उमर (रज़ि॰) उनके सत्कार में अपना स्थान छोड़कर हट गये और उनको अपने विशिष्ट गद्दे (आसन) पर बैठाया, फिर कहा–"आज एक व्यक्ति के अतिरिक्त इस स्थान पर बैठने का और कोई अधिकारी नहीं है।" उन्होंने पूछा–"वह कौन है ?" हज़रत उमर (रज़ि॰) ने फ़रमाया–"बिलाल !"

एक बार हज़रत उमर (रज़ि॰) के लिए एक बड़े प्याले में खाना लाया गया। उन्होंने फ़क़ीरों और ग़ुलामों को बुलाया और सबको अपने साथ खिलाया, इसके बाद कहा–"ईश्वर की धिक्कार हो उन लोगों पर जिन्हें ग़ुलामों के साथ खाना खाने में अपमान अनुभव होता है।"

हज़रत उमर (रज़ि॰) के शासनकाल में जिबिल्ला बिन ऐहम अरब के सीमांत क्षेत्र का एक नवमुस्लिम राजा था। वह हज के ज़माने में मक्का आया हुआ था और हाजियों के समूह में सम्मिलित होकर काबा की परिक्रमा कर रहा था। सहसा उसकी बहुमूल्य चादर का गर्वपूर्वक लटकता हुआ कोना एक मामूली देहाती के पांव से दब गया। जिबिल्ला क्रोध से भर गया और देहाती को एक थप्पड़ लगा दिया। इस्लाम ने ग़रीबों में भी स्वाभिमान की आत्मा फूंक दी थी, अत: देहाती ने भी उत्तर में जिबिल्ला को एक थप्पड़ लगा दिया। जिबिल्ला ने देहाती के ख़िलाफ़ हज़रत उमर (रज़ि॰) की अदालत में दावा कर दिया। हज़रत उमर (रज़ि॰) ने दोनों पक्षों का बयान सुनकर फ़ैसला सुनाया कि–"जिबिल्ला ने देहाती को बेक़सूर थप्पड़ मारा था, इसलिए देहाती को भी बदले में थप्पड़ मारने का हक़ था।"

जिबिल्ला को आशा थी कि इस्लामी अदालत एक मामूली देहाती के मुक़ाबले में एक शासक के सम्मान और प्रतिष्ठा का विचार करेगी और उसके अनुकूल निर्णय देगी, परंतु जब उसकी यह आशा पूर्ण न हुई तो वह दूसरे दिन चुपके से मक्का छोड़कर इस्लामी राज्य के बाहर भाग गया और इस्लाम-धर्म से विमुख हो गया। यह है सच्चा न्याय, यह है सच्ची समानता एवं आदर्श मानवता, जिससे मानवता का राजमार्ग प्रशस्त होता है, सच्ची इन्सानियत उत्पन्न होती है और मानव-जीवन स्वर्गमय बन जाता है।

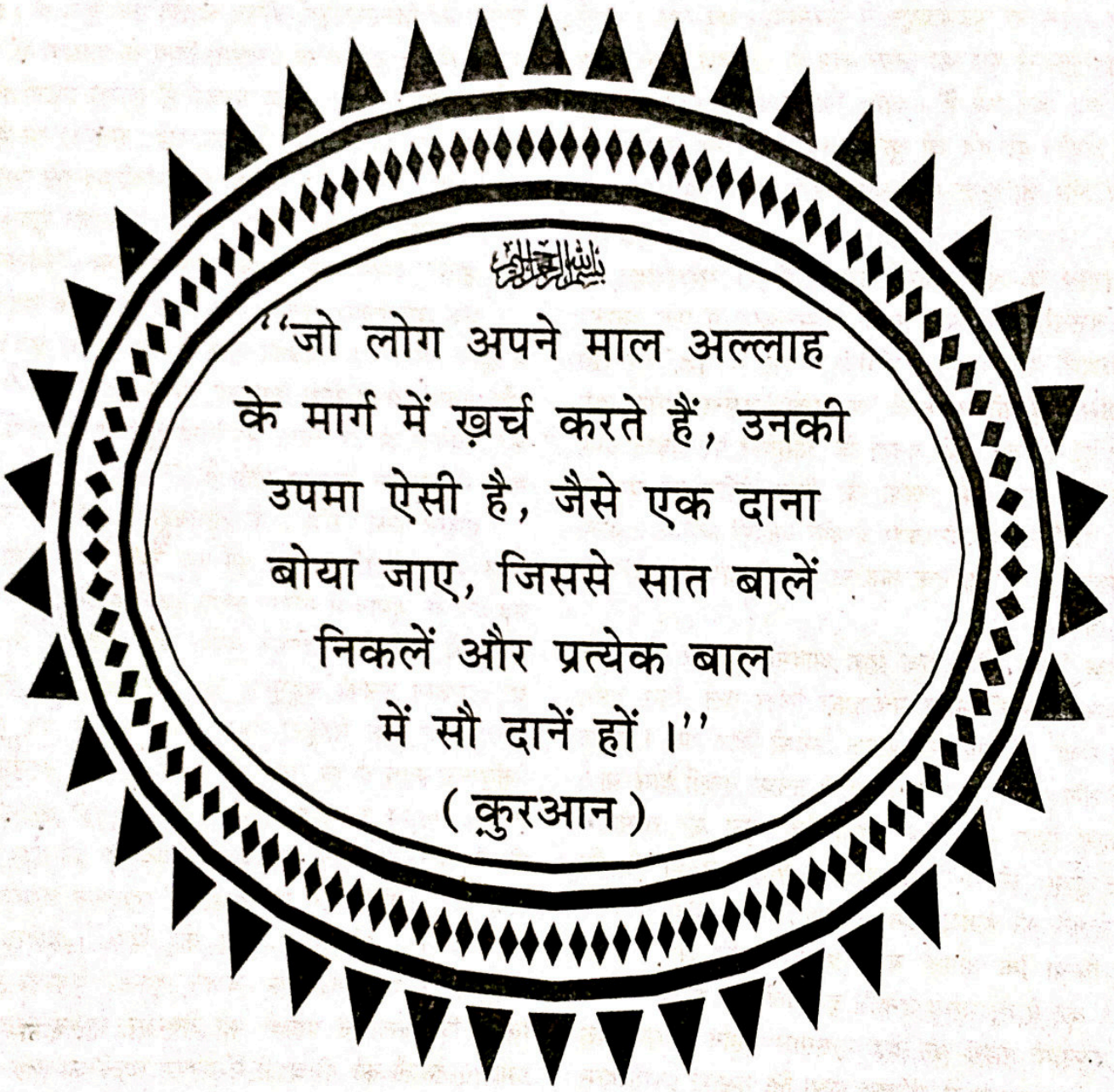

With Best omplements from :

Md. Rayees Siddique

KOLKATA

इस्लाम की विशेषता

■ मुहम्मद इलियास हुसैन

इस्लाम इस धरती पर बसने वाले हर इन्सान का धर्म है। यह लौकिक जीवन में इन्सान की सही और सच्ची रहनुमाई तो करता ही है, मरने की बाद की ज़िन्दगी की कामयाबी के बारे में भी सीधा और सच्चा रास्ता दिखाता है । इस्लाम के रास्ते चलकर इन्सान लोक और परलोक दोनों जहान में अपना जीवन सुखमय बना सकता है ।

संसार में इन्सान-इन्सान के बीच बराबरी और भाईचारा का रिश्ता होना आवश्यक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हर मैदान में समानता वांछित है । समतामूलक धर्म इस्लाम में हर इन्सान को बराबरी का दर्जा हासिल है, चाहे वह कहीं का हो, किसी भी गोत्र, वंश, जाति या देश में जन्मा हो । वर्ण, वंश, जाति, लिंग, भाषा, देश या अमीरी-ग़रीबी के आधार उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि इस्लाम की नज़र में सारे मनुष्य एक ही मां-बाप–आदम और हौवा की सन्तान हैं और आपस में भाई-भाई हैं । इस्लाम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की धारणा को अमली जामा पहनाता है । यह समाज के दबे-कुचले लोगों को शान्ति और सम्मान प्रदान करता है ।

हज के अवसर पर हर साल संसार का सबसे बड़ा इन्सानी जमावड़ा देखने को मिलता है । दुनिया के कोने-कोने से शान्ति की प्यासी आत्माएं वहां जमा होती हैं और शीतल और स्वास्थ्यप्रद 'ज़मज़म' का पान करके परितृप्त होती हैं और हर आत्मा की एक ही पुकार होती है–

''मैं हाज़िर हूं, ऐ मेरे अल्लाह, मैं हाज़िर हूं ।''

अल्लाह के बन्दे अल्लाह के परम मित्र हज़रत इबराहीम (अलैहि०) की, अल्लाह के नाम पर की गई अनुपम क़ुरबानी की, याद में जमा होकर एकनिष्ठता के साथ अपने स्रष्टा पालनहार के गुणगान में रत रहते हैं । ईश-उपासना और मानवीय एकता का यह नज़ारा संसार में अन्यत्र नहीं मिलता ।

इस्लाम धर्म में पुरोहिती पर किसी जाति विशेष को एकाधिकार प्राप्त नहीं है, किसी गुणहीन को पुरोहिती का अधिकार नहीं है । एक ज्ञानवान व्यक्ति ही इमामत (पुरोहिती) कर सकता है, चाहे उसका संबंध किसी भी गोत्र या वंश से हो , शर्त केवल यह कि सच्ची धार्मिकता और ईशपरायणता उसके रग-रग में बसी हो और उसे इस्लाम का पर्याप्त ज्ञान हो । वह अल्लाह से डरने वाला पक्का-सच्चा मुसलमान हो । वह अपनी ज़िन्दगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की रोशनी में गुज़ारता हो । उसमें इतनी योग्यता हो कि नमाज़ पढ़ा सके और धार्मिक कामों को भली-भांति सम्पन्न कर सके ।

समतामूलक और शान्तिपूर्ण समाज की स्थापना इस्लाम का परम उद्देश्य है । इसलिए न्याय और सुशासन की सुदृढ़ नींव पर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन-व्यवस्था का निर्माण इस्लाम करता है । यह एक आदर्श नागरिक संहिता और अनुपम जीवन-विधान है । यह सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धान्त पर सुशासन और सुराज्य का निर्माण करता है । इतिहास साक्षी है कि अतीत में इस्लाम ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है ।

इस्लामी क़ानून ईश्वरीय क़ानून है, मानव-निर्मित नहीं । इसलिए यह सर्वांगपूर्ण और त्रुटि रहित है । जीवन के हर क्षेत्र को सफलतापूर्वक सुव्यवस्थित और सुशासित रखने में यह पूर्णतः सक्षम है । यह एक सार्वभौमिक और सार्वकालिक धर्म है । एक ईश्वर, एक पैग़म्बर, एक किताब और एक सुन्नत में इसकी आत्मा बसती है । एकत्व अर्थात विशुद्धता इसका मूल मंत्र है । इसलिए ईश्वर न तो किसी सन्तान है और न कोई उसकी सन्तान । मानव-एकता और इन्सानी भाईचारा की विश्वव्यापी नींव पर इस्लाम का भव्य भवन निर्मित हुआ है ।

धरती पर इसका उदय उसी समय हो गया था, जब प्रथम मानव 'हज़रत आदम' (अलैहि०) इस दुनिया में पैग़म्बर बनाकर भेजे गए थे यानी इस्लाम आदिकाल से है और महाप्रलयकाल तक मौजूद रहेगा, इंशाअल्लाह । हां, आज से लगभग पन्द्रह सदी पहले अरब में अन्तिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने उस समय विभिन्न धर्मों के सारतत्वों को छांटकर धर्मों एक नवीन संस्करण एकेश्वरवादी धर्म 'इस्लाम' के रूप में पेश किया, जो कि हर इन्सान, हर स्थान, हर परिस्थिति और हर ज़माने की अपेक्षाओं को पूरा करता है, कर सकता है ।

इस्लाम मानव-स्वभाव के अनुकूल धर्म है । यह मानव समाज में सद्भावना का सुदृढ़ पुल का निर्माण करता है और मानव को मानव से जोड़ता है, तोड़ता नहीं । यह पूरी तरह

वैज्ञानिक धर्म है, विज्ञान का विरोधी बिलकुल नहीं है । यह विवेक का साथी है, मानवता और मानव-एकता का संरक्षक है । यह अपने अनुयायी को भलाई करने और भलाई फैलाने का आदेश देता है और हर हाल में इसपर जमे रहने का सन्देश सुनाता है ।

इस्लाम नारी का संरक्षक है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) जब इस्लाम लेकर आए तो उस समय बच्चियों को ज़मीन में ज़िन्दा गाड़ दिया जाता था । उसे पशुओं की भांति ख़रीदा-बेचा जाता था और उपभोग की वस्तु की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता था । इस घृणित प्रथा को इस्लाम ने रोका और नारी को एक सम्मानजनक स्थान प्रदान किया । 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो' की कहावत को केवल कथनी में नहीं, करनी में भी सच कर दिखाया ।

विधवा-विवाह को जहां दूसरे धर्मों में पाप और अपशकुन माना जाता है, वहीं नारी-उद्धारक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने विधवा हज़रत ख़दीजा (रज़ि०) से निकाह करके इस मान्यता को ग़लत साबित कर दिखाया और व्यावहारिक रूप से बताया कि इस्लाम में विधवा अथवा नारी-जाति पापिनी-शापिनी नहीं, आदरणीया और श्रद्धेया है, मूक पशु नहीं, जिसे विधाश्रम रूपी बाड़े में नारकीय जीवन गुज़ारने के लिए छोड़ दिया जाता है । इस्लाम ने विधवा-विवाह पहली बार प्रचलित किया ।

एक विधवा के सधवा बनते ही उसकी सूखी ज़िन्दगी में बहार आ जाती है । एक ज़िन्दा लाश जीवन्त इन्सान बन जाती है और विधवाश्रम की गलियों में भटकती-लूटती विवश आत्मा अनगिनत नैतिक बुराइयों से बच जाती है ।

खड़ीबोली हिन्दी के प्रथम महाकवि हरिऔध ने कहा है–

मर्द चाहे माल ही चाबा करें,
औरतें पीती रहेंगी मांड ही ।
क्यों न रंडवे व्याह कर लें बीसियों
पर रहेंगी रांड सब दिन रांड ही ।

इस्लाम में विधवा-विवाह को नारी अस्मिता की पहचान बताया गया है, क्योंकि वह भी इन्सान है, उसे भी शान से जीने का अधिकार है । वह भी सारी इन्सानी ज़रूरतों को विधि-सम्मत ढंग से पूरा करने की अधिकारिणी है ।

इस्लाम नारी स्वतंत्रता का हिमायती है । यह नारी को जो आदर-सम्मान प्रदान करता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है । लेकिन इस्लाम उच्छृंखल यौनाचार का कट्टर विरोधी है । इसकी निगाह में यह दण्डनीय अपराध है ।

इस्लाम कथनी और करनी की समानता का पक्षधर है । 'मन में कुछ, कथन कुछ और करनी कुछ' के आचरण को यह कपटाचार की निशानी मानता है । हर इन्सान को इससे दूर रहने और बचने का हुक्म इस्लाम देता है । 'कहो वही जो करो, करो वही जो कहो ।' यह सिद्धान्त इस्लाम की आत्मा की आवाज़ है । कथनी और करनी की समानतता से आदर्श और सद्भावपूर्ण समतामूलक समाज बनता है, मानव-समाज में भाईचारा की भावधारा बहती है और शान्ति की शीतल बयार से मनुष्य का तन, मन और मस्तिष्क परितृप्त होता है ।

लेकिन इस्लाम का यह दुर्भाग्य रहा है कि इसके ख़िलाफ़ इस्लाम-विरोधियों के द्वारा पूरी दुनिया में ग़लतफ़हमियों की तेज़ आंधी चलाने की सतत् कोशिश की जाती रही है। आज आंधी ने चक्रवात का रूप धारण कर लिया है । मुस्लिम समाज इसकी चपेट में है । इसे तरह-तरह से सताया जा रहा है । जिहाद, लव-जिहाद, आतंकवाद, बहुविवाह, तीन तलाक़, तलवार के बल पर इस्लाम के फैलने इत्यादि अनेक लांछन इसके गले मढ़े जाते रहे हैं । 'जिहाद' बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए किए गए प्रयासों का नाम है ।

दुनिया के कुछ बड़े साहूकार और हथियारों के सौदागर धनपिशाचों द्वारा पूरी दुनिया में आर्थिक आतंकवाद पैदा किया और फैलाया जा रहा है । आतंकवाद उसी का बाइप्रॉडक्ट है । इस्लाम आतंकवाद का विरोधी है और शान्ति का प्रतिष्ठापक ।

इन लांछनों और आंधियों का सामना करने के लिए धड़ों में बंटे मुस्लिम समाज को एकजुट होना होगा, अपनी एकजुटता का सबूत देना होगा और सीसा पिलाई हुई दीवार बनना होगा । अगर समय रहते मुस्लिम समाज सचेत और एक नहीं हुआ तो 'अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत' वाली कहावत इसपर चरितार्थ होकर रहेगी । संसार को एक बार फिर यह बताना होगा, दिखाना होगा कि इस्लाम बनाव का मित्र, इन्सानी भाईचारा का संस्थापक और विध्वंस का कट्टर शत्रु है । यह बुराई को भलाई से दूर करने का रास्ता दिखाता है । बुराई के समूल बिनाश का आह्वान करता है और हर इन्सान को यथाशक्ति इसे जड़ से उखाड़ फेंकने और दुनिया में भलाई और बनाव-सुधार का पौधा रोपने की शिक्षा देता है ।

ईश्वर की अनुकंपा

■ शहनवाज़ फ़ारूक़ी

मेरे एक मित्र ने परिश्रम से कमाई हुई दौलत से एक घर का निर्माण किया, तो उसने हमें भी रात के खाने पर आमंत्रित किया । मित्र के पिता जी मिले, तो उन्होंने हमसे अपने बेटे की दो-तीन बुराइयों का ज़िक्र करने के बाद कहा है कि ये चीज़ें अपनी जगह, मगर मेरे बेटे और आपके मित्र पर अल्लाह तआला की ख़ास मेहरबानी है । इसका सबूत यह है कि उसने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से बहुत कम समय में असाधारण सफलता प्राप्त की है ।

मेरे लिए इस वार्तालाप में कोई नयी चीज़ न थी । मैंने देखा कि धार्मिक समाज में जहां दौलत या ताक़त होती है, वहां ख़ुदा की मेहरबानी का ज़िक्र ज़रूरी होता है । लोग समझाते हैं कि इन्होंने दौलत कमाई है या कोई बड़ा पद प्राप्त किया है, तो यक़ीनन ख़ुदा हमसे ख़ुश है । इन्सान का स्वभाव है कि वह सफलता को अपने आप से और असफलता को भाग्य से जोड़ता है । यह जो लोग अपनी दौलतमंदी या ताक़त को ख़ुदा का प्रदान किया हुआ समझते हैं । वे जाने-अनजाने यह मान लेते हैं कि हमने जो कुछ प्राप्त किया है, वह निस्संदेह हमारी नेकियों और ख़ुदा से हमारे संबंधों का बदला है । इस तरह वे अपने व्यक्तित्व या पूरे परिवार के साथ एक तरह की धार्मिकता जोड़ लेते हैं ।

एक मुसलमान की हैसियत से हमारा अक़ीदा है कि सब कुछ करने वाला ख़ुदा की ज़ात है । इन्सान की कोशिश व प्रयत्न बहुत अहम है और अल्लाह तआला कोशिश करने वालों को पसन्द करता है । लेकिन बहरहाल कोशिश और प्रयत्न की शक्ति भी अल्लाह ही देता है । इतिहास का अध्ययन बताता है कि दौलत और ताक़त जहां जमा हो जाती है, वहां और भी क़यामत बरपा हो जाती है । इस क़यामत का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि नमरूद और फ़िरऔन को अपने बारे में गुमान हो जाता है कि हम 'ख़ुदा' हैं ।

इतिहास में कुछ बादशाहों ने ख़ुद को ज़िल्ले इलाही अर्थात ख़ुदा का साया कहलाया है, इसलिए कि उनकी दौलत व ताक़त उन्हें विश्वास दिलाती थी कि वे ख़ुदा के विशेष से विशेषतर बन्दे हैं, अल्लाह के पसन्दीदा बल्कि उसके चुने हुए बन्दे हैं । ऐसा न होता तो बादशाह क्यों होते । उनकी दौलत और उनकी ताक़त लाखों-करोड़ों लोगों से ज़्यादा क्यों होती ?

दौलत और ताक़त की एकजुटता इतनी हैरान कर देने वाली होती है कि अच्छे-अच्छों की आंखें चौंधिया जाती है । दौलत और ताक़त के हवाले से तो ख़ुदा और उसकी मेहरबानी का ज़िक्र हर जगह सुनने को मिल जाता है, मगर हमने आज तक नहीं देखा कि किसी परहेज़गार या किसी नेक व्यक्ति को देखकर किसी ने कहा हो कि इस पर अल्लाह तआला की बड़ी अनुकंपा और बड़ी मेहरबानी है । हालांकि तक़वा (ईशपरायणता) हमारी सभ्यता की अज़ीम धारणा और अज़ीम क़द्र है । इस्लाम धर्म हमें बताता है कि फ़ज़ीलत या तो तक़वे को प्राप्त है या इल्म को, मगर हमने आज तक अल्लाह तआला की मेहरबानी और इनायत का ज़िक्र कर इल्म के हवाले से भी नहीं सुना । निस्संदेह कुछ शायरों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को समाज में अहमियत प्राप्त होती है, मगर उस अहमियत का संबंध भी शोहरत से होती है और शोहरत ख़ुद एक ताक़त है और उसके साथ किसी न किसी रूप से पैसे की धारणा भी जुड़ी है ।

हमने आज तक यह भी नहीं देखा कि किसी मुहब्बत करने वाले को देखकर कोई यह कहे कि इसको अल्लाह

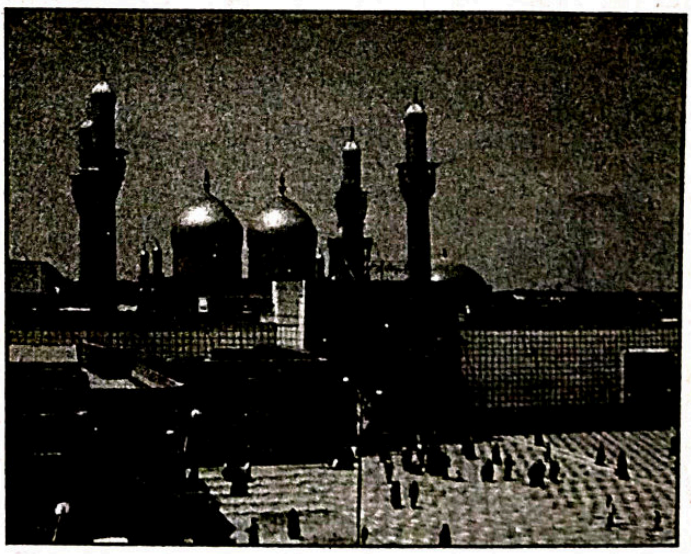

तआला ने कैसी दौलत प्रदान कर रखी है और इस पर अल्लाह तआला की क्या मेहरबानी है । आम इन्सानों की तो ख़ैर औक़ात ही क्या है, अंबिया व रसूल तक़वे, इल्म व मुहब्बत के सर्वोच्च स्थान के हामिल थे, मगर इन्सानों की एक बड़ी संख्या ने एक अवधि तक इनके तक़वे, इनके इल्म और इनकी मुहब्बत तक को भी अहमियत न दी, यहां तक कि दौलतमंदों और ताक़तवर लोगों ने कहा कि अल्लाह तआला को नबी बनाना ही था, तो किसी दौलतमंद और ताक़तवर को इस काम के लिए चुना होता । यहां सवाल यह है कि इन्सान तक़वे, इल्म और मुहब्बत जैसी महान धारणा के साथ ख़ुदा की मेहरबानी को क्यों नहीं जोड़ता और दौलत और ताक़त के साथ ख़ुदा की मेहरबानी को क्यों जोड़ा करता है ?

इस सवाल का एक जवाब यह है कि दुनिया की सफलता का मानदंड दौलत और ताक़त है और दुनिया के अधिकतर लोगों को दुनिया की ही सफलता वांछित होती है । इस सवाल का एक जवाब यह है कि दौलत और ताक़त वाह्य चीजें हैं । इनके मुक़ाबले में तक़वा, इल्म व मुहब्बत आतंरिक गुण हैं । दुर्भाग्यवश ज़्यादातर इन्सानों के लिए आतंरिक नहीं वाह्य अहम होता है । निस्संदेह दौलत और ताक़त भी बैठे-बिठाए नहीं मिल जाती, मगर तक़वा, इल्म व मुहब्बत के लिए जो आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और वैचारिक तपस्या करनी पड़ती है, उसके मुक़ाबले में दौलत और ताक़त के लिए की जाने वाली मेहनत कुछ भी नहीं ।

हर दौलत व ताक़त को केन्द्र बनाकर इन्सान यह बताता है कि उसकी धारणा अपूर्ण है । इसलिए कि अल्लाह तआला ने दौलत और ऐसी ताक़त को पसंदीदा नहीं ठहराया । निस्संदेह अल्लाह तआला ने कुछ अंबिया और रसूलों को बादशाहत व ताक़त प्रदान की है, लेकिन यह ताक़त साक्षात भलाई थी । दूसरी बात यह कि यह ताक़त तक़वे, इल्म और मुहब्बत के सिद्धांतों के अधीन थी । अत: इतिहास ने अंबिया क्या उनके वास्तविक उत्तराधिकारियों को भी दौलत और ताक़त से आनंदित होते हुए या उन चीज़ों को इंज्वाय करते नहीं देखा ।

दौलत और ताक़त दुनिया की निशानी हैं और दुनिया के बारे में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया है कि वह बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज़्यादा तुच्छ है, मगर आज उम्मते मुस्लिमा का बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया का दास बना हुआ है । इसके बावजूद मुसलमान भोलेपन से सवाल करते हैं कि उम्मते मुस्लिमा का हाल दुर्दशाग्रस्त क्यों है ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आया है कि उनकी मिल्कियत एक प्याला था और एक कंघा । प्याले से वे पानी पीते थे और कंघे से वे अपना बाल संवारते थे । एक दिन उन्होंने एक व्यक्ति को हाथों की अंजुली में पानी पीते हुए देख लिया, अत: उन्होंने प्याला फेंक दिया । एक दिन उन्होंने किसी को हाथ की उंगलियों से बाल बनाते देख लिया, तो कंघा का भी परित्याग कर दिया ।

इन्सानों की अधिकतर बहुसंख्या परित्याग की इस सतह की कल्पना नहीं कर सकती, मगर हमारे मन-मस्तिष्क से तो परित्याग की धारणा ही निकल गयी है । दुनिया के अध्याय में ! अब हमारा नियम व सिद्धांत और, और, और कभी न खत्म होने वाला और है । दौलते मर्कज़ और ताक़ते मर्कज़, इन्सानों की एकेश्वरवाद की धारणा और ईशदूतत्व की धारणा ही पस्त नहीं, बल्कि उनकी इन्सानी धारणा भी पस्त है । इसलिए कि हमारी सभ्यता ने अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम (रज़ि०) के बाद जितने बड़े लोग पैदा किये गये हैं, उनमें से कोई भी दौलते मर्कज़ और ताक़ते का केन्द्र नहीं था । ग़ज़ाली, राज़ी, अत्तार और रूमी में से कोई भी दौलत और ताक़त की मुहब्बत में गिरफ़्तार न था, बल्कि उनके व्यक्तित्व का केन्द्र तक़वा, इल्म व मुहब्बत थी । स्रष्टा और सृष्टि की मुहब्बत ।

हमारे पतन की पराकाष्ठा यह है कि अब हम इन्सान के दौलते मर्कज़ और ताक़त का केन्द्र होने को बुरा नहीं समझते, बल्कि ख़याल करते हैं कि ये सूरतेहाल अल्लाह तआला की मेहरबानी है । इमाम ग़ज़ाली (रह०) ने 'अंहयाए इस्लाम' में से किसी नबी के हवाले से एक क़िस्सा लिखा है । इमाम ग़ज़ाली (रह०) ने लिखा है कि नबी-ए-वक़्त ने अत्याचारी बादशाह के पतन की दुआ की, तो उन्हें बताया गया कि उसकी बादशाहत एक सृजनात्मक कार्य है, आप उसके शासनकाल के खात्मे का इन्तिज़ार करें । मतलब यह है कि ज़ालिम व अत्याचारी शासक अल्लाह तआला का पसन्दीदा नहीं होता और न उसे सत्ता, पुरस्कार के रूप में मिलती है । रही दौलत तो अल्लाह तआला ने अपनी किसी किताब में इन्सानों को दौलतमन्द बनने की न प्रेरणा दी और न किसी नबी ने इन्सानों को धनवान होने के तरीक़े बताए ।

क़ुरआन की आर्थिक शिक्षाएं

■ डॉ॰ फ़रहत हुसैन

एक कल्याणकारी व्यवस्था के नाते इस्लाम ने ऐसे वातावरण के निर्माण के लिए रास्ता साफ़ किया है जिसमें लोग अपने कल्याण (Welbeing) पर ध्यान दे सकें ताकि आर्थिक विकास हो सके ।

धनोपार्जन की दौड़-धूप

ईश-पूजा के बाद धनोपार्जन की दौड़-धूप को मुस्लिम के कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है–"फिर जब नमाज़ पूरी हो जाए तो धरती में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़्ल (जीविका) तलाश करो ।" (63:10)

भयरहित व उपद्रवरहित वातावरण का निर्माण

मक्के के क़ुरैश वंश को काबा की सेवा के कारण अरब में विशिष्ट सम्मान प्राप्त था, जिससे वे अपने व्यापारिक कार्य में सुविधा पाते थे । इसका उल्लेख क़ुरआन में अल्लाह की नेमत के रूप में किया गया है–

"चूंकि क़ुरैश हिलमिल गये थे अर्थात जाड़े और गर्मियों की (व्यापारिक) यात्राओं से हिलमिल गये थे, उनको चाहिए कि इस घर (काबा) के प्रभु की पूजा-बन्दगी करें, जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और भय से बचाकर निश्चिंतता प्रदान की ।" (106:1-4)

अर्थात एक भयरहित वातावरण के कारण ही वे तिजारत कर सके । एक अन्य स्थान पर शांति-भंग करने को हत्या से अधिक जघन्य अपराध माना गया है–

"और फ़ितना (उपद्रव) हत्या से भी अधिक संगीन चीज़ है ।" (2:191)

फ़ितने से मुराद अत्याचार, ज़ोर-ज़बरदस्ती व अशांति का माहौल है । आशय यह है कि हत्या तो बुरी चीज़ है ही, इससे अधिक बुरी चीज़ यह है कि पूरा माहौल ही बिगाड़ कर रख दिया जाए । स्पष्ट है कि आर्थिक क्रियाएं बहुत कुछ अनुकूल वातावरण पर निर्भर करती हैं, इसीलिए इस फ़ितने को कुचलने के लिए क़ुरआन शक्ति के प्रयोग की अनुमति देता है–"उनसे जंग (युद्ध) करो यहां तक कि फ़ितना शेष न रहे ।"

अपव्यय पर रोक

आर्थिक विकास के अवरोधों में से एक बड़ा अवरोध अपव्यय और क्षय (Wastage) है । जिसे क़ुरआन ने इस प्रकार रोक लगाई है=

"अपव्यय न करो, अल्लाह अपव्यय करने वालों को पसन्द नहीं करता ।" (6:141)

"अपव्यय करने वाले शैतानों के भाई हैं ।" (17:27)

कंजूसी भी नहीं

दूसरी ओर कंजूसी और धन व साधनों को रोक रखने की मनाही की गयी है, क्योंकि इसमें साधन निष्क्रिय हो जाते हैं और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है–

"तबाही है हर व्यक्ति के लिए जो लोगों पर ताना मारने और पीठ पीछे बुराइयां करने का अभ्यस्त है, जिसने माल इकट्ठा किया और उसे गिन-गिनकर रखा ।" (104:1-3)

"जो लोग सोना-चांदी इकट्ठा करके रखते हैं और उसे ईश मार्ग में ख़र्च नहीं करते उन्हें पीड़ाजनक यातना की सूचना दे दो ।" (9:34)

"जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी उदार अनुकम्पा से दिया है फिर वे कृपणता से काम लेते हैं वे यह न समझें कि यह कृपणता उनके लिए अच्छी है, नहीं, यह उनके लिए बहुत ही बुरी है ।" (3:180)

व्यापार-चक्र

वर्तमान समय की जटिल आर्थिक समस्याओं में से एक यह है कि अर्थव्यवस्था पर तेज़ी-मन्दी के दौरे पड़ते रहते हैं, जिन्हें व्यापार-चक्र (Trade Cycle) कहा जाता है । उपर्युक्त शिक्षाएं अर्थव्यवस्था को इस रोग से बचाने के कारगर उपाय हैं । मन्दी आती ही उस समय है जब लोग अपनी मांग को कम करने लगते हैं, धन बाज़ार में नहीं आता । इस संदर्भ में क़ुरआन की इस शिक्षा पर विचार बड़ा सार्थक होगा ।

"लोग तुम से पूछते हैं कि क्या ख़र्च करें, कह दीजिए जो कुछ भी बच जाए ।" (2:219)

प्रसंविदा एवं लिखित प्रमाण का प्रचलन

प्रसंविदे एवं लिखित क़रार का प्रचलन करके व्यापारिक लेन-देन को आधार प्रदान किया गया–

"ऐ ईमान लाने वालो ! जब किसी निश्चित समय के लिए तुम आपस में ऋण की लेन-देन करो तो उसे लिख

लिया करो । दोनों पक्षों के बीच न्यायपूर्वक एक व्यक्ति दस्तावेज़ लिखे । जिसे अल्लाह ने लिखने-पढ़ने की योग्यता दी हो उसे लिखने से इन्कार नहीं करना चाहिए । लिखने वाला लिखे और बोलकर वह व्यक्ति लिखाए जिस पर दायित्व बनता हो (अर्थात ऋणी), उसे अपने प्रभु, अल्लाह से डरना चाहिए कि जो मामला निश्चित हो गया है, उसमें कमी-बेशी न करे । परन्तु यदि ऋण लेने वाला नादान या कमज़ोर हो या बोलकर न लिखा सकता हो तो उसका संरक्षक बोलकर लिखाए...मामला छोटा हो या बड़ा अवधि के निर्धारण के साथ उसकी दस्तावेज़ लिखवाने में सुस्ती न करो । अल्लाह की दृष्टि में यह नियम तुम्हारे लिए अधिक न्यायसंगत है, इससे गवाही स्थापित होने की आशंका कम हो जाती है, हां जो व्यापारिक लेन-देन हाथ के हाथ तुम आपस में करते हो उसको न लिखा जाए तो कोई दोष नहीं, मगर व्यापारिक मामले तय करते समय गवाह कर लिया करो...यदि तुम किसी यात्रा पर हो और दस्तावेज़ लिखने की कोई व्यवस्था न हो तो गिरवी रखकर मामला करो ।''

(2:281-283)

आर्थिक विकास में अवरोध करने वाली सामाजिक बुराइयों को सशक्त ढंग से रोकने संबंधी नियम-क़ानून बना दिये गये हैं । चोरी, डकैती, व्यभिचार, झूठ, धोखा, शराबख़ोरी, जुआ खेलने आदि पर रोक लगा दी गयी है ।

उत्पत्ति के साधनों के संबंध में कुछ बुनियादी शिक्षाएं देकर आर्थिक विकास में योगदान दिया गया है ।

ब्याज पर रोक

ब्याज तो आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उत्पादन की गति पर रोक लगाता है, आर्थिक असमानता को बढ़ाता है, वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति पैदा करता है, को पूर्णरूपेण निषिद्ध करके एक क्रांतिकारी कार्य किया गया है ।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223

संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।



और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल॰) की आज्ञा का पालन करे और अल्लाह से डरे और उसकी सीमाओं का ख्याल रखे, तो ऐसे ही लोग सफल हैं।
(कुरआन, 24:52)

Best compliments from :

PROP. AZIZUR RAHMAN

City Makers



फ्लैट एवं मकान ख़रीदने के लिए

Tel. : 22851438
22045328

Contact :
City Maker Builder Pvt. Ltd.
6/D, Metro House, Near Regal Cinema,
Kolaba, Mumbai-400001 (Maharashtra)

JAMIA DARUL HUDA HIGH SCHOOL

(RECOGNIZED BY THE GOVT OF T.S.)

Estd. 1953

ENGLISH MEDIUM

Separate Section For HIFZ & AALIMIYAT

DAY CUM RESIDENTIAL SCHOOL



FREE ADMISSIONS FOR ORPHANS

Special Features

- ★ English Environment.
- ★ Considers Education As Duty Not Trade.
- ★ Imparts Modern Scientific Education.
- ★ Enriches Students Natural Talents.
- ★ Curriculum And Environment Infuses Islamic Spirit.
- ★ Trained And Experienced Educators.
- ★ Gives Parental Care With Deep Understanding Of Students.
- ★ Round The Clock Supervision Of Teachers And Wardens.
- ★ Builds Up Leadership With Character.
- ★ Vast Play Ground Along With Ventilated Rooms Building.

CRYSTAL GRAPHICS 9440777525,9705572288

WADI-E-HUDA, PAHADISHAREEF ROAD, HYDERABAD.

7396545068|9030128715|8341480677|040-65306250

www. jamiadarulhuda.in E-mail: jdhhighschool@gmail.com

PUBLISHING POLYTECHNIC BOOKS SINCE 1966

52 SINCE 1966

Tel.No.: 040-6636 0677
2475 4430

RADIANT PUBLISHING HOUSE

PUBLISHING POLYTECHNIC BOOKS

4-5-64 | Book Basement | Women's College Road | Beside Andhra Bank
Kothi | HYDERABAD-95 | Tel.No.: 040 - 6636 0677, 2475 4430
email: rph_pph@yahoo.co.in , rphhyd1@gmail.com

Tel.No.: 040 - 6673 0577
6673 0677

RADIANT BOOK HOUSE

BOOKSELLERS - LIBRARY SUPPLIERS

POLYTECHNIC - ENGINEERING - MEDICAL - PHARMACY - NURSING - ARTS
SCIENCE - COMMERCE - AGRICULTURE & VETERINARY SCIENCES
COMPUTER ENGINEERING - ARCHITECTURE & COMPETITIVE BOOKS etc.,

HYDERABAD

4-5-62 | Women's College Road
Beside Andhra Bank | Kothi | HYD-95
Tel.No.: 040 - 6673 0577, 6673 0677
email: rph_pph@yahoo.co.in

VIJAYAWADA

27-37-158 | Sri Krishna Nilayam
Vijaya Bank Upstairs | Opp: Sonovision
Eluru Road | VIJAYAWADA-02
Tel.No.: 0866 - 6888369

Tel.No.: 040-6675 0673
Cell : 80196 64452

FLORENCE PUBLISHERS

PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

B.Sc. NURSING - GENERAL NURSING & MIDWIFERY - ANM
INTERMEDIATE VOCATIONAL COURSE

#4-5-64 | Book Basement | Beside Andhra Bank
Kothi | Hyderabad-500 095 | Tel.No.: 040-6675 0673
Cell : 80196 64452 | email: florencepublishers@yahoo.com

CROWN®

DELTA

Makes your life easy

High Performance Mixer Grinder

750W HEAVY DUTY MOTOR

365 DAYS WARRANTY

3 JARS STAINLESS STEEL

CONTENTS : 1 BASIC UNIT + 1NOS DRINKING JAR WITH BLADE FITTED WITH RUBBER RING AND POLYCARBONATE DOME + DRY GRINDING JAR WITH BLADE FITTED WITH RUBBER RING AND POLYCARBONATE LID + CHUTNEY ATTACHMENT WITH BLADE FITTED WITH RUBBER RING AND POLYCARBONATE DOME + SPATULA + INSTRUCTION MANUAL CUM WARRANTY CARD

TECHNICAL DATA
VOLTAGE SUPPLY : 230 V AC ONLY 50 Hz
INPUT : 750 WATTS
RATING : 30 MIN
RPM 18000 (NO LOAD)
CLASS OF INSULATION 'B'
POLLUTION DEG. 1
SPEED CONTROL : 3 SPEED WITH ROCKER
NORMAL LOAD 100 GMS, HARD DAL WELL SOAKED IN WATER
MATERIAL OF HOUSING : ABS PLASTIC
DOME : POLYCARBONATE
BLADES : 6 & POLISHED
RATED LIQUIDIZER CAP : 1 LTR
RATED GRINDING CAP : 500ML
RATED CHUTNEY CAP : 50gm TO 125gm

Crown Industries

MAXIMUM RETAIL PRICE Rs. 3750/-
(INCLUSIVE OF ALL TAXES)

365 DAYS WARRANTY

UNIT : ONE

NOTE: THIS FOOD MIXER & LIQUIDIZERS & GRINDERS IS NOT SUITABLE FOR WHISKING EGG WHITE

CROWN®

DELTA

Makes your life easy

High Performance Mixer Grinder

750W HEAVY DUTY MOTOR

365 DAYS WARRANTY

3 JARS STAINLESS STEEL



A Quality Product From

CROWN®

CROWN®

RANGE OF PRODUCTS FANS

CEILING FAN

Double Ball Bearing





Table Fan

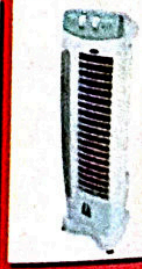

Tower Fan

NOT FOR COMMERCIAL USE

Sweets



Shabana's

Tingle's your taste buds...

Delicious Sweets

Sweets Cake Cookies
Snacks Bread Toast
and others bakery Products

Our Branches :

Shabana M Bakery
Chhaoni

Afzal Bakery
Near Friends Colony

Shabana's Bakery
Sadar

Shabana's
Near Futala Lake

New Shabana Bakery
Godhni Road

Shabana Bakery
Officer's Club



Sweets
Shabana's





SHABANA MODERN BAKERY Chhindwara Road, Chhaoni, Nagpur - 440013.
Call + 91 7122594571 / + 91 9766580395

LIKE US ON
www.facebook.com/shabanabakery

BUY ONLINE
www./shabanabakery.in

fssai
FSSAI 11511054001880

KEEP YOUR CITY
CLEAN & GREEN

FREE EDUCATION FOR POOR, BOOKS, UNIFROM, BAG & HOSTEL FACILITY

IDEAL SCHOOL FOR DISABLED

(Recognized by the Govt. of Telangana).

Classes Nursery To VII (ENGLISH MEDIUM)

HEARING & SPEECH IMPAIRED (DEAF)

BLIND – INTELLECTUAL DISABILITY

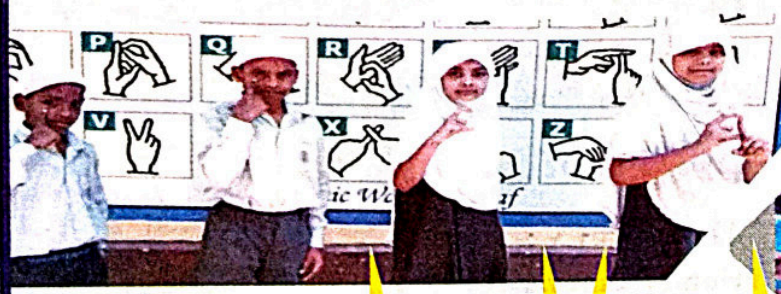



MANAGED BY

IDEAL INFORMATION CENTRE FOR DISABLED (IICD)

ESTD. Since 2007 (Regd.)

We Train Disables As Differently Abled !

CHARITABLE SERVICES

Free Education for Economically Backward/poor
Free Education for Orphans
Free Uniform, Books, & Bag
Free Hostel Facility
Free Matrimonial Services

EDUCATION SERVICES

Classes : Nursery to VII
Moral Education
Computer Classes
Extra Curricular Activities

JOB ORIENTED SERVICES

Computer Software & Hardware Course
Mobile Technician Course
Sewing Course (Tailoring)
Mahendi Design & Cooking Classes

MULTI DISCIPLINARY SERVICES

Special Education - Mentally Challenged
Autism, Down Syndrome & Learning Difficulty
Audiology & Speech Therapy
Psychology & Counseling

HEAD OFFICE : #16-7-731, Opp. Muslim Maternity Hospital Azampura, Hyd -024 T.S.
BLINDS BRANCH : D. No. 405, Safa Arcade, Beside Decent Function Hall, Mehdipatnam, Hyd-028. T.S.
Ph. : 040-24527201, Cell : 9618366586
E- mail : iicdfordeaf@gmail.com, Web : www.iicdind.org



MUSLIM MATERNITY & CHILDREN'S HOSPITAL

Hospital is recognized for Post Graduate Courses in DNB Obstetric/Gynec & Paediatrics, Fellowship in Neonatology by IAP, B.Sc Nursing College, MRCOG, MRC PCH, M.D Texila American University.

Osmanpura, Hyderabad-24 Ph:No.040-65599786, 9700138277, 9700602270
Hospital with Values, Vision & Mission.
Website: www.muslimmaternityhospital.in | E-mail:muslimmaternityhospital@gmail.com

DEPARTMENT OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS

SERVICES ●Gynecology ●Obstetric ●Infertility Clinics

INSTITUTE OF CHILD HEALTH

SERVICES: ⌘*NICU* ⌘*PICU* ⌘*Kangaroo Mother Care (KMC) for low birth & Premature Babies Super* ⌘*Speciality Pediatric Services (Pediatric Surgery, Pediatric Cardiology & Pediatric Endocrinology)* ⌘*Immunization and Circumcision Facilities* ⌘*Our 40 bedded NICU is well Equipped with infant warmers* ⌘*Phototherapy Units, Portable X Ray and Ultrasound Machines* ⌘*HFO Ventilators and CPAP Machines, Laminar Flow work stations* ⌘*Hepafilters in NICU.*

MUSLIM DIAGNOSTIC & RESEARCH LABORATORY

SERVICES: ❒ Biochemistry ❒Clinical Pathology ❒Immunology, Serology ❒Cytopathology ❒Histopathology ❒Hormonal Studies by Advia Centuer CLIA etc.

Emergency Services: ◆*Antenatal Scan* ◆*Whole Abdomen Scan* ◆*Female Pelvic Scan* ◆*High Resolution Scan* ◆*Colour Doppler Study* ◆*Ultra Sound Guided Procedures* ◆*Digital X-Ray Facility* ◆*TIFFA* ◆*Growth Scan*

CIRCUMCISION FACILITY

Dr. G.M. Irfan (Mon – Fri) Dr. Imtiyaz Ahmed (Wed & Sat) Timings: 2 PM to 5 PM

POLY CLINIC SERVICES

●General Medicine ●General Surgery ●Orthopedics ●Dental Service ●Dermatology & Cosmetology ●Endocrinology , Pediatric Surgery ●Laproscopy ●Physiotherapy ●Diet & Nutrition

Dr. M.Elias Ali Khan – M.D. (Chief Executive Officer)

Under the Management of Islamic Social Society (ISSS) Regd.No.565/70), Hyderabad

A CHARITABLE INSTITUTION

President	Vice President	Secretrary	Joint Secretary
Hamed Md. Khan	Md. Naseeruddin	Md. Rashad Uddin	Md. Zia Ur Rahman Siddique

Posted on 20-21 November 2017
December 2017
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.11.2017

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017

ARQAM HIGH SCHOOL

Learning Today..... Leading Tomorrow

Recognised by the Govt. of T.S.





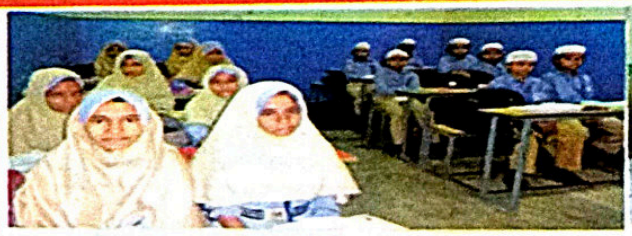





EDUCATION IS THE MOST POWERFUL WEAPON
WHICH YOU CAN USE TO CHANGE THE WORLD

Education with Quality & Values

www.arqamhighschool.



Behind Prince Garden Function Hall, Bandlaguda,
Chandrayangutta, Hyd -05. (T.S.)

Contact : 040-65742833 / 9010684700 / 7207407247